खण्ड-460, अंक-9
बुधवार, 19 आश्विन, शक संवत् 1928
(11 अक्टूबर, 2006 ई0)

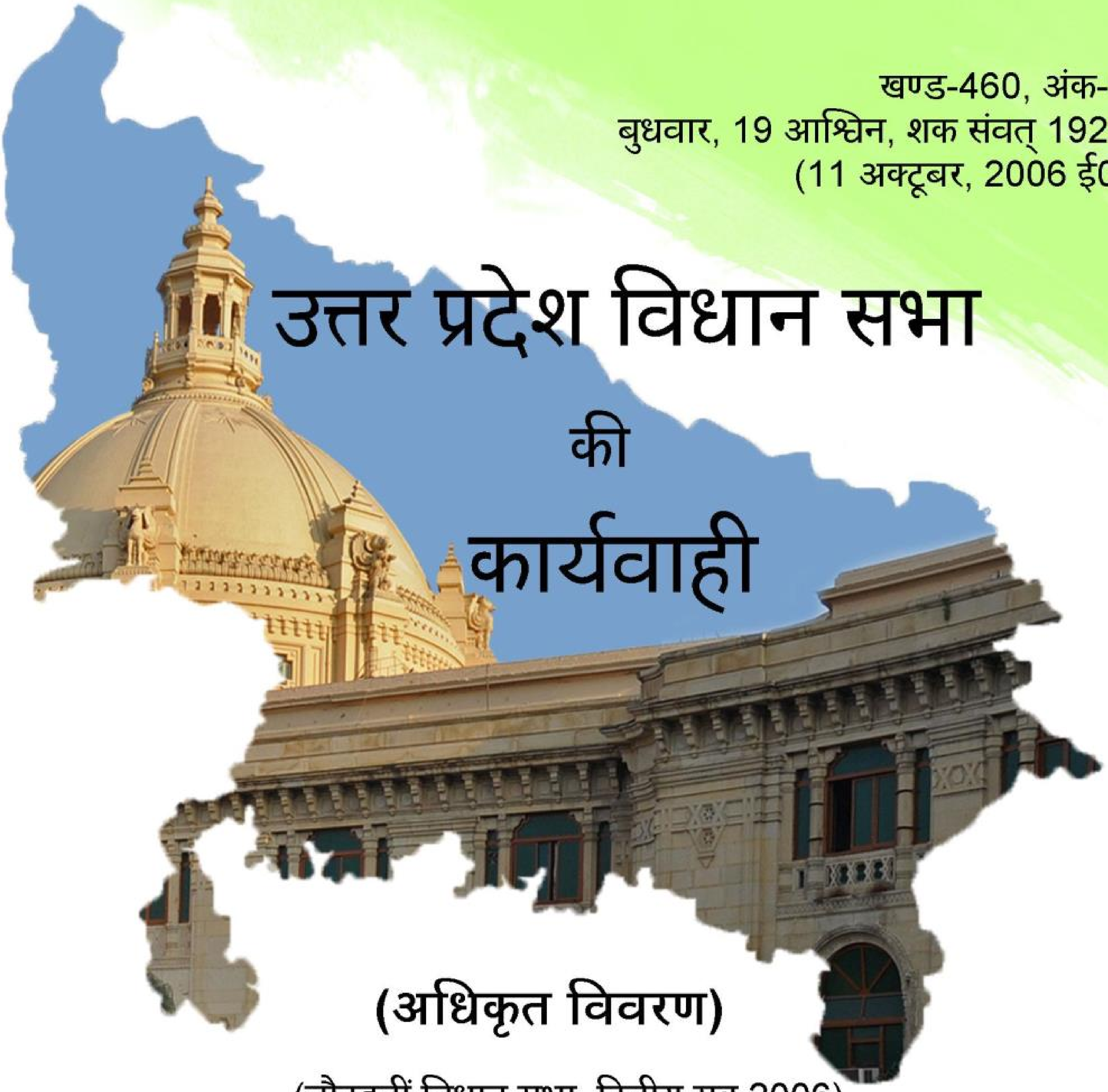

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 460 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-घ
विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1-2
प्रश्नोत्तर	2-37
बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष मा0 कांशी राम के निधन पर शोकोद्गार	38
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	38-39
ग्राम धोसड़ा (तुलसी नगर) इलाहाबाद में माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा घोषित मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39-40
जनपद जौनपुर के मान्यता प्राप्त इस्लामियाँ मकतबों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	40
इलाहाबाद महानगर में कई वर्षों पूर्व निर्मित कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय ग्रामों में नहरों में पानी की अनुपलब्धता के बावजूद किसानों के विरुद्ध सिंचाई जमाबन्दी में महसूल अंकित करने की जाँच कराने तथा किसानों का उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41
लखनऊ जनपद के विकास खण्ड मलिहाबाद के ग्राम झाऊबरिया मजरा रूसेना में नाले पर बने पुल के दोनों ओर मिट्टी की भराई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद मेरठ के मेरठ गढ़ मार्ग का निर्माण कार्य धनराशि आवंटन के बावजूद पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
जनपद खीरी में ग्राम तेलियार से बोकरिया तक कच्चे एवं टूटे मार्ग को पेंटेड कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	42
आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23 से सिंचाई हेतु पानी न मिलने के बावजूद किसानों से की जा रही नाजायज वसूली रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद भदोही के औराई में स्वीकृत पालिटेक्निक के भवन निर्माण हेतु शेष धन देकर तत्काल कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42-43

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में वर्ष 2005-06 में चौधरी चरण सिंह योजनान्तर्गत कराये गये सड़क निर्माण/मरम्मत की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	43
गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ढ़ोतारी से भरपुरवा अमवा सिंह होते हुए सिउरी अमहट तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रानी का पुरवा, मौजा कचनाव निवासी पिन्टू पर हुए हमले के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43-44
रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत गोविन्दपुर स्केप (नाला) पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
सुल्तानपुर के ग्राम अंगनाकोल में थानाध्यक्ष गोसाईगंज द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कर श्री शकील को गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
गाँधी विचार प्रचार उ0 मा0 विद्यालय कुर्रिया कलां, शाहजहाँपुर के बारे में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करने तथा साधिकार नियंत्रक को हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	45-46
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 32वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004† (सदन के पटल पर रखा गया।) ...	46
श्री अखिलेश कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना...	46
श्री शिवेन्द्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर दिनांक 20 फरवरी, 2004 एवं 02 अगस्त, 2004 को ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा दिये गये केवल वक्तव्यों का संशोधित वक्तव्य... ...	46-52
चन्द्रशेखर आजद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	53
आज की कार्य-सूची की मद संख्या-7 पर ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा दिये गये संशोधित वक्तव्य के सम्बन्ध में गलत सूचना देने वाले अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न ...	53-54
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006† (पुरःस्थापित) ...	54
निकायों के चुनाव सम्बन्धी नामांकन के समय श्री जगदम्बिका पाल, विधायक पर मुकदमा कायम करने का प्रकरण	54-55

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	55-76
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	77-80
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	80
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित) ...	81-84
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित) ...	84-87
प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा	87-93
प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन	93
प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन	93
डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के द्वारा उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-006) के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार के प्रस्ताव का स्थगन	93
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करने विषयक डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण का स्थगन ...	94
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका-संख्या-6172(एम0बी0) ऑफ, 2006, श्रीमती ओमवती देवी बनाम मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश एवं श्री शिवपाल सिंह यादव तथा रिट संख्या-6173(एम0बी0) ऑफ, 2006, श्री सुन्दर लाल, श्री कल्याण सिंह दोहरे एवं रतनलाल अहिरवार बनाम मा0 अध्यक्ष, विधान सभा उत्तर प्रदेश एवं श्री शिवपाल सिंह यादव में दिये गये अन्तरिम आदेश के सम्बन्ध में सूचना	94
मा0 विधान सभा, सदस्य डॉ0 पी0 के0 राय द्वारा दी गयी जिलाधिकारी, कुशीनगर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	95-96

विषय	पृष्ठ-संख्या
डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर एवं डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचनाओं पर उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	96-97
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	117-118
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	118-119
जनपद आजमगढ़ के ग्राम रासेपुर धनेहरी में पशु अस्पताल की स्थापना कराये जाने विषयक श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन मंत्री का वक्तव्य	119
जनपद भदोही स्थित ऊंज थाने के थानेदार द्वारा एक कम्पाउण्डर की हत्या थाने में किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	120-121
जनपद बिजनौर में विद्युतीकरण, नये उपकेन्द्रों की स्थापना किये जाने हेतु एक निजी कम्पनी द्वारा ठेके पर कार्य लिये जाने एवं कार्य पूर्ण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुंवर भारतेन्द्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ...	121-122
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तरवां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों की उपस्थिति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	122-123
जनपद पीलीभीत में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा विभागीय टेण्डर नियमानुसार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की सम्बन्ध में डॉ0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री का वक्तव्य...	123-125
जनपद फतेहपुर को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	125-126
प्रदेश में पोलियो ड्राप श्रृंखलाबद्ध तरीके से पिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य	126-127
बंगलादेशी घुसपैठियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	128

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद झाँसी में चिकनगुनिया नामक भंयकर बीमारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन "आदित्य" द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	128-130
मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत पशु वधशालाओं में हो रहीं अनियमितताओं के कारण प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य	130-131
गोरखपुर में करोड़ों रुपये के जाली दस्तावेजों के पकड़े जाने के बाद भी सी0बी0आई0 की जाँच न कराये जाने के समबन्ध में डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	131-132
दिल्ली-सोनौली परिवहन निगम के परिचालक श्री आशिफ अली की अपराधियों द्वारा सरकारी पैसा छीनने के प्रयास में हत्या किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 पी0 के0 राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य	132-133
जनपद बलिया के थाना बैरिया के अन्तर्गत सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार करने एवं उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	133-134
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को विगत चार वर्षों से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चौधरी मस्तराम एडवोकेट द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	134-136
नत्थी...	137-149

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 11 अक्टूबर, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 2 मिनट पर अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

(सदन की कार्यवाही दो मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-259

अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
अजय कुमार, डा0 — बागपत
अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
अमर सिंह परमार, श्री — आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
आलम बदी, श्री — आजमगढ़
आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
आशीष यादव, श्री — बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0 — बिजनौर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं
ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री — मऊ
कमलेश कुमार, श्री — गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
काशीराम, श्री — रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर

कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल चौधरी, श्री	आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगेलूराम, श्री	सुल्तानपुर
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
मस्तराम चौधरी, एडवोकेट — उन्नाव
महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ
मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री — फतेहपुर
यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
योगेश प्रताप सिंह उर्फ
योगेश भइया — गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री — संत रविदास नगर, भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ
राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
राजा राम, श्री — प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ
मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती — वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
राम मगन, श्री — बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 — मेरठ
लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
विजय सिंह, श्री — सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री — इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0 — पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री — शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा", श्री — ललितपुर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री — बहराइच
शाकिर अली, श्री — देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
श्याम नारायन, श्री — महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती — जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री — मिर्जापुर
संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0 — मैनपुरी
सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा
सियाराम सागर, डा0 — बरेली
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री — गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री — रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री — बरेली
सुशील चौधरी, डा0 — सहारनपुर
सोमारू राम सरोज, श्री — जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री — मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
हरिओम यादव, श्री — फिरोजाबाद
हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
कल्याण सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज
रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी

नोट :- परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सब ठीक तो है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैने नियम-311 में एक सूचना दी है। आज डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया है और यह एक महामारी का रूप धारण कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि नियमों को शिथिल करके इस पर चर्चा करायी जाय।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, हमने भी नियम-311 में एक सूचना दी है। हमारे बाराबंकी में दंगा फैला हुआ है।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधक्ष जी, कांशी राम जी के निधन का शोक प्रस्ताव पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, यह प्रस्ताव है।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, हमारे यहाँ बाराबंकी में दंगा फैला हुआ है, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें सारे नियमों को शिथिल करके सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें। यह लिया जायेगा। एक शोक प्रस्ताव पहले लेना है, सबका लेना है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, क्या आज सभी का शोक प्रस्ताव होना है। आपने कहा कि सबका लेना है।

पंचायती राज्य मंत्री (श्री बलराम यादव)-

उसमें आपका नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 लेते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि पहले शोक प्रस्ताव ले लें।

श्री अध्यक्ष-

शोक प्रस्ताव भी लेंगें, अभी वह टिप्पणी तैयार हो रही है, जब टिप्पणी तैयार हो जायेगी, तो शोक प्रस्ताव भी ले लेंगें। तब तक प्रश्न ले लें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि प्रश्न बाद में ले लीजिएगा।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि पहले आप कृपा पूर्वक उसके बारे में सदन को अवगत तो करा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय कांशी राम जी का परसों देहावसान हो गया, उस पर आज एक शोक प्रस्ताव होना है। परम्परा यह है कि शोक प्रस्ताव जो सदन के मेम्बर होते हैं उनका पहले लेते हैं और जो सदन के मेम्बर नहीं होते हैं, उनका प्रश्न पहर के बाद लिया जाता है। तो प्रश्न पहर के बाद इसे हम ले लेंगें। अब हम अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 ले रहें हैं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मियों के अवकाश नकदीकरण की सुविधा को बहाल करने की माँग

**1-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय तथा श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार राज्य कर्मियों को प्रतिवर्ष एक माह के अवकाश नकदीकरण की सुविधा पुनः बहाल करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त सुविधा कब तक बहाल कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

राज्य कर्मियों को प्रति वर्ष एक माह के अवकाश नकदीकरण की सुविधा पुनः बहाल किया जाना विचाराधीन नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश शासन की कठिन वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए।

(माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश पाण्डेय तथा श्री प्रदीप जैन आदित्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरी रुचि है, अगर समय बचे तो इस प्रश्न को बाद में ले लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 में लेते हैं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के प्रश्नकर्ता नहीं हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं हैं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, अल्पसूचित पूछने पर भी अगर प्रश्नकर्ता नहीं है तो यह भी महान बात है। छोटी बात नहीं हैं। पूछेंगें अल्पसूचित प्रश्न और व्यस्त हो जायेंगें। सेटिंग हो गयी होगी, इसीलिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अल्पसूचित का तो यह पता ही नहीं होता है कि स्वीकार होने के बाद सरकार पता नहीं कब इसे नियमित करा ले, मेरा खुद नियमित होकर आया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं वह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अल्पसूचित पूछ कर भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, यह भी महानता ही है। मैं प्रणाम करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, चूँकि नगर निकाय के चुनाव चल रहें हैं और दोनों प्रत्याशी शहर के हैं, हो सकता है राजनीतिक मजबूरी से वह यहाँ उपस्थित नहीं हो पाये हों। उन पर यह आरोप लगाना कि सेटिंग हो गयी है, यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

देखिये प्रश्नकर्ता -1 के कोई माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय तथा श्री प्रदीप जैन आदित्य दोनों ही विधायक शहर के हैं हो सकता है नगर निकाय के चुनाव की वजह से वह दोनों ही व्यस्त हों, इसलिए वह दोनों यहां उपस्थित नहीं हो सकें। लेकिन यह कहना कि सेटिंग हो गयी है इसलिए उपस्थित नहीं हुए, यह विधायकों की गरिमा के प्रतिकूल है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि सेंटिंग शब्द कार्यवाही से निकाल दें। मेरा यह निवेदन है कि सरकार द्वारा यह आरोप लगाना उस सरकार के लिए उचित नहीं है जो सामान्यतः स्वीकृत अल्पसूचित प्रश्नों को नियमित कराने की आदी है। वह सरकार विधायक किस कारण से उपस्थित नहीं है, बिना कारण जाने इस तरह के आरोप लगाती है, यह उचित नहीं, अगर सेटिंग शब्द कार्यवाही में है तो मेरा अनुरोध है कि उसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण का प्रश्न है इसमें सेटिंग की बात कहाँ से आ गयी ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप माननीय प्रमोद तिवारी जी बैठिये, उत्तर देने दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मुझे सेटिंग शब्द पर आपत्ति है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि सेटिंग से तो प्यार-मोहब्बत बढ़ता है, अगर कोई ऐसा सिलसिला हो तो इसमें कोई बात नहीं है। सेटिंग का कोई सुनिश्चित आरोप नहीं है। अन्दाज से कह दिया था अगर आप न चाहें तो न माने इसे।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इसका भविष्य पर असर पड़ेगा, माननीय विधायकों के प्रति लोगों की धारणा में अंतर आयेगा। अगर सेटिंग शब्द को कार्यवाही से निकालने पर आप विचार कर लेंगें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

यह कोई असंसदीय शब्द नहीं है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

असंसदीय शब्द नहीं है, लेकिन इसका अर्थ-अनर्थ हो सकता है, इसमें क्या जिद है सरकार की ?

श्री प्रमोद कुमार-

अगर सरकार इस पर भी तैयार नहीं है कि आप कार्यवाही से नहीं निकालेंगे। मैं चाहता हूँ, आज सेटिंग का अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं, सरकार इस पर बिलकुल अड़ी नहीं है। माननीय तिवारी जी दूसरी बात कह रहें हैं, मैंने तो यह कहा कि यह कोई पुष्ट आरोप नहीं है। वह तो ऐसे ही कहा गया है, आप चिन्ता न करें।

श्री प्रमोद कुमार-

सेटिंग का प्रयोग संसदीय, असंसदीय होना अपनी जगह पर है लेकिन इस तरह किसी विधायक की गरिमा पर यह आरोप लगाना की सेटिंग हो गयी है, मान्यवर, मैं समझता हूँ कि कम से कम राज्य मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को नहीं लगाना चाहिए। अगर सदन की गरिमा की रक्षा वह नहीं करेंगें तो साधारण सदस्यों से क्या अपेक्षा की जा सकती है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

यह आरोप नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

वह कह दें कि आरोप नहीं है तो आरोप नहीं है। अब आप उत्तर दीजिए, प्रश्न संख्या -2 का।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमने कोई आरोप लगाया हीं नहीं है, यह इतना गम्भीर नहीं है और टिप्पणी की दृष्टि से नहीं है।

प्रदेश में डेंगू रोग की रोकथाम के उपाय

**2-श्री श्याम देव राय चौधरी तथा श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान में प्रदेश में "डेंगू बुखार" फैल रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा डेंगू रोग की रोकथाम हेतु कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ। प्रदेश के कुछ जनपदों में छुटपुट डेंगू के रोगी पाये गये हैं।

डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए डेंगू नियंत्रण कार्ययोजना, 2006 द्वारा सभी जनपदों को निर्देश दिये जा चुके हैं। उक्त कार्ययोजना के आधार पर समस्त जनपदों में निरोधात्मक/उपचारात्मक कार्यवाही की जा रहीं है। मच्छरों पर नियंत्रण के लिए कीटनाशक एवं रोग के उपचार हेतु औषधियाँ सभी जनपदों को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

* श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, डेंगू पूरे प्रदेश के आधे से अधिक जनपदों में फैला हुआ है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज छोटे जनपदों में नहीं है। बड़े-बड़े महानगरों में हो सकता है कुछ जनपदों में हो लेकिन छोटे जनपदों में इसके बचाव का कोई उपचार नहीं है। जो उत्तर दिया गया है उसमें कहा गया है कि मच्छरों पर नियंत्रण के लिए कीटनाशक एवं रोग के उपचार हेतु औषधियां सभी जनपदों में उपलब्ध करा दी गयी हैं। मान्यवर, जहां तक उपचार की बात है। मलेरिया विभाग के द्वारा भी फॉगिंग की कार्यवाही की जाती है। लेकिन आज कहीं भी फॉगिंग की कार्यवाही नहीं की जाती है। वह मशीनें जंग खा रहीं हैं या उनका उपयोग नहीं है। मान्यवर, यह जानना चाहूंगा कि प्रदेश में कहां-कहां फॉगिंग मशीनें है उसका उपयोग हम लोग नहीं देख पा रहें हैं। मान्यवर, आज मच्छरों की बाढ़ आयी हुई है। मान्यवर, पिछले साल के बारे में सबको पता है कि इन्सेफेलाइटिस से सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर गये। इस साल ग्रेटर नोयडा, नोयडा से लेकर बहुत से स्थानों पर डेंगू का प्रकोप है। मान्यवर, यह डेंगू का प्रकोप हाई क्लास के लोगों में ज्यादा है क्योंकि यह ए0सी0 के पानी में, कूलर के पानी में ज्यादा पनपता है, वहां उसकी ज्यादा उत्पत्ति है। तो यह जो प्रकोप आज है इसको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कितनी जगहों पर फॉगिंग मशीनों से स्प्रे किये जाने की कार्यवाही की गयी है और कितनी बार की गयी है और इसके उपचार के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष-

आप एक-एक प्रश्न करके पूछ लें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, जो चीज इसके लिए जरूरी है उपचार के लिए, वह ब्लड कम्पोनेंट सेपरेटेड मशीन होती है। उसमें जो डोनेशन से ब्लड प्राप्त होता है वह रोगी पर चढ़ाया जाता है तो कितनी जगहों पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह मशीनें उपलब्ध हैं और अगर उपलब्ध नहीं हैं तो क्या सरकार सभी जगहों पर इसे उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यवाही करेगी ?

* श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपने यह पूछा कि फॉगिंग मशीन से कहां-कहां फॉगिंग करायी गयी है। उन्होंने यह पूछा कि किन-किन जगहों में कितनी-कितनी फॉगिंग मशीनें हैं और कितनी-कितनी बार फॉगिंग करायी गयी। मान्यवर, प्रत्येक जनपद में नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे नगरीय निकाय है, सभी यूनिटों में फॉगिंग मशीनें हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में जो उनकी अपनी आंतरिक व्यवस्था है उनमें फॉगिंग मशीने अलग से हैं। स्वास्थ्य विभाग की फॉगिंग मशीनें हैं। नगरीय निकायों में फॉगिंग मशीनें हैं वह प्रत्येक फॉगिंग मशीन क्रियाशील है और अनेक बार एक दिन में फॉगिंग की है। उनमें कितने दिनों को जोड़ना है तो उतने को गुणा कर लेंगे। एक दिन में कितनी बार फॉगिंग की गयी तो उसका जवाब है कि अनेक बार फॉगिंग हुई है। मान्यवर, दूसरी बात जो है कि कितने जनपदों में यह ब्लड प्लेटनेट की व्यवस्था है। मान्यवर, वह सभी जनपदों में नहीं हो सकती है। वह इतना काम्प्लीकेटेड है कि उसका प्रत्येक जनपद में होना संभव नहीं है। वह दो जगहों पर है।

एक पी0जी0आई0 में है संजय गांधी में और दूसरा रक्त प्लेटलेट्स अलग करने का मेरे पास दो जगह में व्यवस्था है यह सभी जगह पर हमारे पास उसकी सपोर्टर यूनिट नहीं है और सपोर्टर यूनिट को तत्काल स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसका बैक्टीरिया वायरस कौन है उसका क्या नाम है ? और वह दिन में काटने से होता है या रात में काटने से होता है और फॉगिंग दिन में कराई जा रही है या रात में कराई जा रहीं है और फागिंग में जिस कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बैक्टीरिया उससे रेरिसटेंस हो चुका है वह मच्छर उससे नहीं मर रहा है और जिस एडीज नाम के मच्छर से यह रोग हो रहा है और दिन में काटने से हो रहा है उस मच्छर के लिए किस और कीटनाशक के बारे में जानकारी करके सरकार ने फॉगिंग कराने की व्यवस्था कराई है ?

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रश्न और उत्तर दोनों माननीय वाजपेयी जी ने दिया है इसके लिए धन्यवाद। आपने पूछा कि कौन सा मच्छर काटता है फिर उसका नाम बताया लेकिन फिर मैं बता देता हूँ बसन्ती तेरा नाम क्या है ? एडीज इजिप्ताई नाम है उसका। दूसरा आपने पुनः पूछा कि दिन में काटता है या रात में काटता है, उसका आचरण बिलकुल वाजपेयी जी की तरह है और मैं इनका मित्र हूँ मुझ पर भी मान सकते हैं कि रात में सोते हैं और दिन में अपना काम करते हैं यह मच्छर भी मान्यवर, दिन में काटता है और रात में सोता है। दिन में उसके काटने का वैज्ञानिकों ने जो समय निकाला है वह है 9.00 बजे से 12.00 बजे का है और शाम को 4.00 बजे से 7.00 बजे का है। वह एक बार काटता है फिर आराम करता है फिर काट लेता है फिर सो जाता है फिर अगले सुबह काटता है। तो इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मच्छर के बारे में जो बात पता लगी यह प्रायः सबेरे 9.00 से 12.00 और सायं 4.00 से 7.00 । अगर दफ्तरों में लोग ठीक समय से चले जांय और दफ्तरों में मच्छर न काटे तो वहां हाजिरी अच्छी हो जायेगी, मच्छरों के काटने की सम्भावना कम हो जायेगी। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जिस समय मच्छर काटता है उस समय फॉगिंग हो या रात में हो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जब काटने चला हो तब फॉगिंग हो। आवश्यकता इस बात की है कि उसको पनपने का जो आधार है उसको फॉगिंग कीटनाशक पद्धतियों के स्प्रे के माध्यम से प्यूपा, लारवा जो स्टेजस होती हैं उसमें उसका प्रसर न हो सके, उसके लिए फागिग की जाती है। काटने के समय वार्निंग नहीं दी जाती है कि फॉगिंग कर रहें हैं नहीं काटो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा राम इकबाल जी ने अपने प्रश्न के समय अवगत कराया यह सही जानकारी है कि यह कूलर के पानी में या घर के पास के पानी में वहां न फॉगिंग का प्रभाव हो सकता है न स्वास्थ्य विभाग न कोई नगरपालिका आपके कूलर तक फॉगिंग कर सकती है। इसलिए सबसे पहले इसके रोकथाम की आवश्यकता है कि लोगों में इतनी जागरुकता ले आई जाये कि लोग जाने कि अपने कूलर का पानी तीन दिन में या एक हफ्ते में बदल देना है, यह सारी जानकारियां हो जाय ताकि यह मच्छर पनप न सकें। स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिकाएं या नगर निकाय जो प्रबन्ध कर रहा है वह अतिरिक्त हैं एक बात आपने कही कि यह मैलाथियान से रेजिसटेंस हो गया है तो इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। अभी तक जो रिपोर्ट आई क्योंकि यह अनेक प्रदेश में फैला है केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं है गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, केरल में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है और दिल्ली में है इतने सारे प्रदेश में है और मिलजुलकर जो कुछ प्रयास कर रहें हैं उसमें यह बात नहीं पता चली है कि इन कीटनाशकों से रेजिसटेंस हो चुका है लेकिन इसको गम्भीरता से देखा जाना चाहिए कि यह मच्छर और दूसरे मच्छर अभी चिकनगुनिया का नाम आप ले रहे थे उनके वैरी करने वाला कोई मच्छर, वायरस अलग है लेकिन मच्छर यही है तो यह मच्छर किसी तरह से उस वासरस से वेरी करने के लिए पनप न सके इसका प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता है और यह इससे रेजिसटेंस नहीं है।

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह डेंगू की महामारी सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिये है कि समय रहते इसका पता न चले तो मरीज का बचना मुश्किल है और यदि समय से पता चल जाय तो मरीज को बचने का अवसर मिल जाता है लेकिन हर जनपद में हर नगर में यह व्यवस्था नहीं है कि इस बात की जाँच हो सके और यह निश्चित किया जा सके कि यह डेंगू है कि नहीं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चहता हूँ कि क्या हर जनपद स्तर पर कम से कम इतनी व्यवस्था है ? यदि नहीं है तो क्या सुनिश्चित करेंगे कि डेंगू की जाँच करने के बाद यह निश्चित किया जा सके कि जो मरीज है उसको डेंगू है कि नहीं ?

*श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् इसमें एक विशेष स्थिति है कि जो इसका एलीजा पेस्ट है और इस एलीजा पेस्ट के माध्यम से हम जो कन्फर्मेशन करते है कि इसको डेंगू है कि नहीं, इसमें श्रीमन् उसकी बाध्यता यह है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जब तेज बुखार एक्यूट होती है, तेज बुखार लाल चकत्ते के साथ प्रारम्भ होता है तो जब तक 5.6 दिन नहीं बीत जायें, तब तक श्रीमन् वह टेस्ट ही नहीं हो सकता। एंटीवाडीज जब डेवलप हो जाती हैं तो 5.6 दिन बीतने के बाद ही टेस्ट में यह पाजीटिव आता है। दूसरा, श्रीमन् 90 प्रतिशत मामलों में तो जैसे दूसरे वायरल बुखार हैं, उसी तरीके से यह सेल्फ लिमिटिंग है, साधारण बुखार की तरह इसमें बुखार कम हो जाता है, आपने आप चला जाता है। 90 प्रतिशत में यह सेल्फ लिमिटिंग है और 10 प्रतिशत में जब इसके लक्षण कंस्टीक्वेट हो रहे हैं तो यह दिक्कत आ रहीं है। लेकिन अगर आज बुखार हुआ और आज ही टेस्ट हुआ तो यह आता ही नहीं। इसमें न्यूनतम 5 दिन चाहिये और औसतन एक सप्ताह का समय चाहिये जबकि टेस्ट में यह कन्फर्म हो सकें कि यह डेंगू है।

श्री हुकुम सिंह-

जिला स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सुविधा है और विशेष उपचार के लिये जो उच्चस्थ केन्द्र हैं वहाँ भेजने का भी प्रबन्ध है। प्रत्येक जनपद में हर जिला चिकित्सालय में डेंगू के लिये अलग वार्ड बनाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं, पूरी कार्ययोजना अगस्त माह में ही जारी कर दी गयी है और प्रत्येक जनपद को भेज दी गयी है और हर जिले में इसकी टेस्ट की व्यवस्था है और यह पता चल जायेगा कि यह डेंगू है कि नहीं।

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, यह अत्यन्त गंभीर समस्या केवल अपने प्रदेश में ही नहीं, बल्कि कई प्रदेशों के सामने आ खड़ी हुयी है। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही जानकारी पूर्वक उत्तर देते हुये तुलना कर दी है डेंगू मच्छर की, माननीय आदरणीय बाजपेयी जी से, मान्यवर, बाजपेयी जी से ऐसे पहले ही डर लगता था, अब उनसे कुछ ज्यादा ही डर लगने लगा है। मैं दो बातें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। जैसा उन्होंने बताया कि क्या इस विषय पर डेंगू के मरीज के लिये क्या कोई दवा उपलब्ध हो पायी है या दुनिया के किसी देश में जहाँ इसका प्रभाव हो, वहाँ से आयात की जा सकती है ? अगर की जा सकती है, या है दवा, या नहीं है, यह मान्यवर, मैं सीधा सा प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूँ और दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से बिल्कुल सहमत हूँ और कि इसमें एक अभियान की जरूरत है लोगों को सजग रहने की जरूरत है। तो क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे कि एक सप्ताह तक जनजागरण अभियान पूरे प्रदेश में युद्धस्तर पर जनता के सहयोग से मान्यवर चलाया जाय जिससे कि डेंगू की महामारी से प्रदेश को बचाया जा सकें चूँकि आसपास के प्रदेशों में मान्यवर, इसका बहुत ही भयंकर और घातक असर हो रहा है। तो क्या एक सप्ताह के जनजागरण अभियान के संदर्भ में, जिसमें जनता, विद्यार्थी, कर्मचारी, जनसेवक सभी को साथ लेकर करेंगे और यदि इसकी दवा है तो उसका नाम क्या है ? अन्तिम प्रश्न, अगर इसकी दवा है या नहीं है, बाजपेयी जी के काटने का क्या इलाज है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय मंत्री जी खुद ही इसे खोज रहें हैं, उन्हें मिल नहीं रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, दो मुख्य प्रश्न हैं बाजपेयी जी वाले प्रश्न का उत्तर बाजपेयी जी ने दिया है और बाजपेयी जी के काटने की आमतौर पर वह विधि नहीं है जिसके निशान पाये जायें लेकिन फिर भी जो पीड़ित हैं, उनसे पूछकर आपको बता देगें।

श्री अध्यक्ष-

क्या प्रमोद जी उससे पीड़ित हैं ?

श्री प्रमोद कुमार-

यह मेल हैं मान्यवर, इनके काटने के निशान कहाँ होंगे ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

इसका मतलब यह हुआ कि यह फीमेल के काटने के आदी हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

यह मैं जानना चाहता हूँ कि मेल होते हुए भी इनके फीमेल के लक्षण कब आये?

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय प्रमोद जी ने पूछा कि इसके लिए कोई ऐसी दवा उपलब्ध है या यह कहीं बाहर से मँगाई जा सकती है। मैं बताना चाहूँगा कि डेंगू के वाइरस की कोई अलग से वैक्सीन नहीं है, न यहाँ और न कहीं दूसरी जगह और न इसकी आवश्यकता है क्योंकि उससे उत्पन्न जो लक्षण है, उनके लिए सामान्य तौर की औषधियाँ दी जा रहीं हैं, उन्हीं औषधियाँ से उनका उपचार किया जाता है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने आपसे बताया कि इसको ठीक करने के लिए दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, कोई कमी नहीं है, दवाइयाँ सभी जगह उपलब्ध हैं। जो जन-जागरण की बात कही गई है, इसके बारे में एक कार्ययोजना 10 अगस्त को जारी की गई, यह स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में किया गया और सर्वाधिक जोर इस बात पर दिया गया गया कि जन-जागरण किया जाए और उसमें ज्यादा से जयादा लोगों को इसमें शामिल कर लेंगे तो फ्रीजर में, कूलर में और घर के आसपास पानी भरा नहीं रहेगा और उसकी सफाई हो जाएगी। लेकिन इसमें यह कहा गया कि स्कूल-कॉलेजों आदि का भी सहयोग प्राप्त कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, ऑडियों, कठपुतली इन सारी चीजों के माध्यम से जितनी भी स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार किया जा सके, किया जाए। सर्वाधिक प्रचार-प्रसार स्कूलों के माध्यम से किया जाए कि बच्चे इसको समझें, इसके लिए कार्य-योजना बनायी गयी है और निर्देश दे दिये गये हैं, इसमें हम सबका भी सहयोग चाहिए। हम सदन में कहना चाहते हैं कि सभी लोग इसमें भरपूर सहयोग करें ? लोग अपने-अपने घरों को साफ रखें तो इसकी रोकथाम में काफी प्रभाव पड़ेगा। मान्यवर, यह एक समस्या है, महामारी जैसी कोई भयंकर स्थिति नहीं है, यद्यपि यह 32 जनपदों में है लेकिन कोई महामारी जैसी स्थिति नहीं है, 259 केसेज अभी तक रिपोर्टेड हैं।

*डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, डेंगू जैसी गम्भीर बीमारी को देखतें हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 06 अक्टूबर को इस पर चिन्ता व्यक्त की है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सभी जिलों में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छिड़काव आदि के लिए व्यवस्था करें तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डेंगू के लिए क्या निर्देश दिये है ? और कल लखनऊ खण्डपीठ ने भी निर्देश दिये कि 12 तारीख को ऐक्शन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर को ऐक्शन रिपोर्ट माँगी है।

श्री अध्यक्ष-

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिये, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं बता देता हूँ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जनपद हैं जो डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं ? और अभी तक कितने डेंगू के मरीज पाये गये ?

श्री अध्यक्ष-

यह विषय नियम-56 में भी लगा है, इसका इस समय कोई मतलब नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं बता देता हूँ। यह सही है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ खण्डपीठ में पी0आई0एल0 दाखिल हुई, सोमोटो नहीं, सोमाटो दूसरी चीज है और पी0आई0एल0 दूसरी चीज है मान्यवर, दोनों जगह पी0आई0एल0 दाखिल हुई। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी निर्देश वहाँ से दिये गये है, उन निर्देशों को देने से पूर्व ही हमने वह सभी कार्य कर दिये हैं।

जनपद में सूचना देने का काम, उसके पहले कार्ययोजना बनाने का काम और कार्ययोजना के पहले हमने 3 जुलाई को निर्देशित कर दिया था, उसके बाद कार्ययोजना बना दी, उसके बाद प्रमुख सचिव ने निर्देशित कर दिया, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने निर्देशित कर दिया। 4 अक्टूबर, को माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश हुआ है हम उसका पूर्णतया पालन कर रहे हैं। आपका दूसरा प्रश्न था कि कितने जनपद, हमने बता दिया कि 32 जनपद, कितने रोगी-259 रोगी, कितने मृतक, 8 मृतक, कौन सा जनपद सबसे ज्यादा प्रभावित है वह भी बता दिया गौतम बुद्धनगर से 51, गाजियाबाद से 36, मुजफ्फरनगर से 20, लखनऊ से 46, कानपुर से 14, आगरा से 12, लखीमपुर खीरी से 9, फर्रुखाबाद से 8, इलाहाबाद से 6, मेरठ से 6, बनारस से 9 और अलीगढ़ से 7 रोगी चिन्हित किये गये है। शेष जनपदों में 1 से 4 रोगी होने की सूचना प्राप्त हुई है।

* डॉ0 विनोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या एकदम कम हो जाती है तो दो जगह उसकी व्यवस्था की गयी है। एक तो बताया कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में दूसरी कौन सी जगह है और क्या उन जगहों पर ब्लड प्लेटलेट्स की उपलब्धता पूरी है ? अगर किसी को जरूरत पड़े तो ब्लड प्लेटलेट्स उतनी संख्या में उपलब्ध हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह स्वयं डाक्टर हैं इसलिए इनको बताने की आवश्यकता नहीं हैं ब्लड प्लेटलेट्स कोई स्टेट वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन में गेहूँ का गोदाम नहीं है कि उसमें स्टोर करके रखा जाए।

डा0 विनोद तिवारी-

मैंने यह नहीं जानना चाहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

उत्तर सुन लें, ब्लड प्लेटलेट्स कोई स्टोर में इकट्ठा करके रखने की चीज नहीं है। ब्लड मानव के शरीर से निकलता है और मैचिंग ब्लड होना चाहिए। उसी से सेपरेट करके प्लेटलेट्स निकाली जाती है इसीलिए सेपरेशन यूनिट होती है इसलिए उसकी कितनी व्यवस्था है यह पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप मरीज ले आइये, डोनर ले आइये, तुरन्त इसकी व्यवस्था है। दूसरा यह है कि ब्लड़ प्लेटलेट्स की कमी की जहाँ तक स्थिति है ब्लड प्लेटलेट्स काउण्ट्स डेढ़ लाख औसत होना चाहिए और घटते-घटते जब 20 हजार से नीचे आ जा रहा है तब ब्लड़ प्लेटलेट्स से सेपरेट करके उसको देने की आवश्यकता है अन्यथा दूसरे तरह की हैमरेज हो गयी उसमें नाक से खून आ गया या शरीर के किसी और ओपनिंग से खूँन आ जाए तो उसे पूरा ब्लड ट्रांसमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को ब्लड देने के लिए दूसरा ब्लड डोनर होना चाहिए। ब्लड की कोई कमी इस प्रदेश में नहीं है, सब में इतनी सद्भावना है अगर एक आदमी को ब्लड की आवश्यकता है तो हम सभी उसे ब्लड देने के लिए तैयार हैं। ब्लड का कोई अभाव उत्तर प्रदेश में नहीं है। बड़ी सदाश्यता लोगों में है, उसके रिलेशन्स में तमाम लोग हैं, वह ब्लड देने को तैयार हैं। हम तो आपका भी सहयोग लेंगें, और जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड मिल जायेगा।

डॉ0 विनोद तिवारी-

मेरा प्रश्न था कि एक एस0जी0पी0जी0आई0 में है, दूसरी किस जगह है ?

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, आप बैठिये। राम इकबाल सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, दूसरा के0जी0एम0यू0 में है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश दुनिया का छठा देश होता है। माननीय मंत्री जी करीब 17 करोड़ की आबादी की सुरक्षा के लिए दो ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेटर मशीनों की व्यवस्था आज तक कर रखें है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि करीब 300 के आसपास रोगियों में डेंगू के लक्षण चिन्हित हुये हैं। इतने लोगों को बचाने के लिए दो मशीनें काफी नहीं है। मान्यवर, आज ऐतिहासिक तिथि है, माननीय मंत्री जी बहुत योग्य मंत्री है और बलिया के हैं। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयन्ती है। माननीय मंत्री जी से आप के माध्यम से चाहूँगा कि क्या बलिया में ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेट मशीन लगवाने की कृपा करेंगें जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोगों को राहत मिल सके।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बी0एच0यू0, वाराणसी में मशीन उपलब्ध हैं। अभी तक मैं स्टेट गवर्नमेंट की बता रहा था। बी0एच0यू0, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का हास्पिटल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बनारस में उपलब्ध है। बी0एच0यू0 में मशीन उपलब्ध है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय मंत्री जी ने बताया कि एस0जी0पी0जी0आई0 और बी0एच0यू0 में यह मशीन है तो क्या मंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की मशीन लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी आप बीच में कैसे प्रश्न पूछने लगें ?

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय मंत्री जी पूराने समाजवादी हैं आज बलिया में लोक नायक जयप्रकाश की जयंती है तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि बलिया के जिला अस्पताल में ब्लड़ कम्पोनेन्ट सेपरेटर लगाने पर विचार करेंगे, क्योंकि बी0एच0यू0 तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का है। आज मंत्री जी सक्षम है वह अधिकारियों को यह मशीन लगाने के निर्देश दे सकते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं राम इकबाल सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि बलिया में डेंगू नहीं है। इसलिये बलिया में ब्लड़ कम्पोनेन्ट सेपरेटर यूनिट की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर डेंगू न होना ऐसी परिस्थितियों में सिल्वर लाइन की बात है।

*नेता, विरोधी दल (श्री लालजी टंडन)-

बलिया के मंत्री जी है वहाँ डेंगू नहीं है। मंत्री जी के मित्र हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा संख्या मंत्री जी ने बताई। यहाँ पर 46 रोगियों की संख्या बताई दूसरी जगह इससे कम है। यहाँ पर मंत्री जी की मच्छरों से दोस्ती काम नहीं आ रही है क्योंकि राजधानी में सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। यह अलार्मिंग पोजीशन है जबकि यहाँ पर पी0जी0आई0 है, मेडिकल यूनीवर्सिटी है व अन्य बहुत से अस्पताल हैं उसके बावजूद सबसे ज्यादा संख्या डेंगू पीड़ित मरीजों की यहाँ पायी जा रही है तो क्या मंत्री जी लखनऊ से कोई हमदर्दी नहीं है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मैंने पहले कहा कि यह मच्छर वहाँ ज्यादा पाए जा रहे हैं जहाँ लोग ज्यादा आराम तलब हैं। लखनऊ के मिजाज से टण्डन जी अच्छी तरह वाकिफ हैं। अभी तक हमारी लखनऊ से ठीक से दोस्ती नहीं हुई है टण्डन जी लखनऊ से दोस्ती करा दें तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ भी इस रोग से लोग निरापद हो जाएंगे।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष महोदय, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप बहुत है तो क्या इसको देखतें हुए वहाँ पर ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेटर की व्यवस्था, फॉगिंग की व्यवस्था या दवा की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

जहाँ तक फॉगिंग की व्यवस्था या अतिरिक्त दवा की बात है तो इसके लिए कैमिकल की व दवा की किसी जनपद में कमी नहीं है। गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपद अच्छे जनपद हैं यहाँ पर सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं वैसी ही ठीक हैं। दूसरे यह रोग गन्दी बस्तियों में फैला हो इसकी शिकयत नहीं है। इसलिए अतिरिक्त फॉगिंग की आवश्यकता नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में बिकने वाले ठंडे पेयों, कोका कोला में कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

*1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डॉ0 अजय कुमार तथा श्री जियाउद्दीन रिज़वी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में बिकने वाले ठंडे पेयों जैसे कोका कोला, पेप्सी, माजा, मिराण्डा, लिम्का, ड्यू, फैन्टा में निर्धारित मानक से कई गुना अधिक कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनमें कीटनाशक उपयोग की अनुमति है ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में ? क्या सरकार अधिक मात्रा में कीटनाशक प्रयोग करने वाले पेयों की कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करके प्रदेश में उनकी बिक्री पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में मानकों के निर्धारण एवं राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश में ठंडे पेयों में कीटनाशकों के मिश्रण की जाँच की सुविधा के अभाव में कीटनाशक पदार्थों के प्रयोग की अधिकृत एवं प्रमाणिक जानकारी नहीं हुई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्पादकों के यहाँ निरीक्षण/नमूना संग्रह का कार्य प्रदेश सरकार आरम्भ कर चुकी है। इस दिशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार प्रयासरत है एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत दिशा निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् उनके अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा कीटनाशक प्रयोग करने वाले पेयों की कम्पनी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

*डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर माननीय मंत्री जी ने जब उत्तर पढ़ना प्रारम्भ किया तो कहा कि यह बहुत खराब प्रश्न है। मेरे द्वारा कहा गया कि उत्तर उससे भी खराब है और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह स्वीकार भी कर लिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में दिया है जी नहीं। जी नहीं कह कर सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वविदित तथ्य को नकारा है। मैंने पूछा है कि क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में बिकने वाले ठंडे पेयों जैसे कोका कोला, पेप्सी, माजा, मिरान्डा, लिम्का, डयू, फैन्टा में निर्धारित मानक से कई गुना अधिक कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है ? मंत्री जी कह रहे हैं जी नहीं। मान्यवर, जबकि यह तथ्य सर्वविदित है कि कीटनाशक पाये गये हैं और कीटनाशक मिलाये जा रहे हैं। सरकार ने उत्तर दिया है जी नहीं। दूसरी बात हमने कहा कि क्या सरकार द्वारा इसकी जांच कराई गई ? तो उत्तर आया प्रश्न नहीं उठता। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में मानकों के निर्धारण एवं राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0 में ठंडे पेयों में कीटनाशकों के मिश्रण की जांच की सुविधा के अभाव में कीटनाशक पदार्थों के प्रयोग की अधिकृत एवं प्रमाणिक जानकारी नहीं हुई है। मान्यवर, एक तरफ यह उत्तर दे रहे हैं कि कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जांच की सुविधा के अभाव में जांच नहीं हो पाई है। जब इनके पास कीटनाशक के जांच की प्रयोगशाला नहीं है तो फिर इस खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का क्या औचित्य रह जाता है ? अगर सरकार को इसके बारे में चिन्ता होती तो सरकार ने इसके नमूने एकत्र किए होते और उसका परीक्षण कहीं सरकारी या प्राइवेट लैब से कराया होता और इसमें गड़बड़ी पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की होती। सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है वह स्वयं में कन्ट्राडिट्री है। प्रश्न पूछा गया है कि अधिक मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग करने वाले पेयों की कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करके प्रदेश में उनकी बिक्री पर रोक लगायेगी ? उत्तर है, उत्पादकों के यहां निरीक्षण/नमूना संग्रह का कार्य प्रदेश सरकार आरम्भ कर चुकी है। अगर सरकार ने यह किया है तो बता दे कि कहां और क्या-क्या किया है ? आगे कहा है कि इस दिशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार प्रयासरत है एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत दिशा निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् उनके अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा कीटनाशक प्रयोग करने वाले पेयों की कम्पनी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस प्रकार के विधिक निर्देशों की आवश्यकता सरकार को इस विषय में भारत सरकार से है जो इनके पास अभी नहीं है ? कब तक वो मंगा लिये गये ? वे प्राप्त हुए कि नहीं ? उनको इस विषय में रिमाइन्डर दिया गया कि नहीं ?

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूं कि माननीय बाजपेयी जी ने 8-10 प्रश्न पूछ लिये हैं। कुछ के उत्तर दे दूंगा जो रह जायेंगे उन्हें दोबारा पूछ लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय बाजपेयी जी ने जिन बातों की ओर इशारा किया है उनको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जो उत्तर आया है उसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कदाचित् और ठीक तरह से लिखकर आना चाहिए था। जिस तरह से लिखने की समझ थी उस तरह से लिखा गया। जहां से जारी किया गया ठीक नहीं है। जो यह खाद्य अपमिश्रण निवारण ऐक्ट है वह 1955 में बना और उसके रूल्स में प्राविधान किया गया कि किन-किन चीजों की जांच किस लेविल पर होगी ? उसमें 65 आइटम्स हैं इनसेक्टीसाइटस और पेस्टीसाइड्स के। इस ऐक्ट में 65 चीजें मार्क हैं और उन 65 चीजों की जो सूची है उसमें यह कोल्ड ड्रिंक्स दुर्भाग्यवश नहीं है।

प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडीशन ऐक्ट में मान्यवर जो कमेटी इसके लिए अधिकृत है जो इसकी जाँच कर सकती है उसका गठन जो किया जाना है वह भी प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडीशन ऐक्ट के सेक्शन-3 में उसका प्रावीजन है जहां उसका गठन किया जाना चाहिये वह पावर भी मान्यवर हमारे पास नहीं है। यह सेन्ट्रल ऐक्ट में होने के कारण हम उन प्राविधानों का निर्माण नहीं कर सकते हैं उसमें वहीं कमेटी तय करेगी मानक क्या है। जो स्पेशलाइजेशन है वह मानक तय करने वाली जो कमेटी है जो सेक्शन-3 के अन्तर्गत गठित की जानी है वहीं कमेटी तय करेगी कि मानकों के अनुरूप कीटनाशक कितना होना चाहिए। कितना ज्यादा कीटनाशक होने पर वह मानक के विरुद्ध हो जाएगा जो दंडनीय होगा। यह दुर्भाग्य है कि यह अभी तक नहीं हुआ अखबारों के माध्यम से जो बातें आई है वह चिन्ता का विषय हैं कि कोई ऐसी चीज हम पिला रहें हैं जिसके लिए करोड़ो-अरबों का बजट मान्यवर उसके प्रचार में भी खर्च करते हैं और ऐसी परिस्थिति बना रहें हैं कि लोग उसको पीने के लिए बाध्य हों और उसमें कीटनाशक की इतनी ज्यादा मात्रा हो। मान्यवर, जो वैधानिक कठिनाई है वह यह है कि न तो राज्य सरकार मानक तय कर सकती है और न राज्य सरकार को यह मानक दिये गयें हैं। क्योंकि मानक दिये ही नहीं गये हैं और पूरे देश के पैमाने पर मैं जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूँ उस कमेटी ने मानक तय नहीं किए तो उन मानकों के विचलन का कोई प्रश्न ही नहीं है कि आप उसमें कोई दण्ड की कार्यवाही तय कर सकें या जांच कर सकें इसलिए हमारी लैबोरेटरी में ऐसी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने प्रयास किए न केवल इसमें हमने केन्द्र सरकार को लिखा बल्कि मैसूर में जो लैबोरेटरी है वहां नमूने भेंजें, हमने आठ नमूने जांच के लिये भेज दिये और लैबोरेटरी ने कह दिया कि चालीस दिन के बाद जाँच के परिणाम बाताएंगे। यद्यपि अभी चालीस दिन नहीं हुए हैं। हमने सितम्बर के महीने में नमूने भेजे हैं। वहां से अभी परिणाम नहीं आया है किन्तु मैं पुनः बताना चाहता हूँ जब तक यह मानक उस लैबोरेटरी को नहीं दिया जायेगा तब तक हीला-हवाली का उत्तर आएगा। इसलिए भारत सरकार से अनुरोध किया है और पार्लियामेंट में यह सवाल जोर से उठा। राज्य सभा में यह प्रश्न उठाया गया उसके बाद नोटिसेज के माध्यम से चर्चा हुई तो उन जगहों पर यह बात आई है कि उसके मानक कैसे तय किये जायं। जैसे ही मानक तय हो जाएगा राज्य सरकार की जितनी जिम्मेदारी है उसका हम पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। इसमें कुछ चीजें पहले से थीं कि कलर कितना यूज करेंगे। उसमें अगर कोई ब्राण्ड है उसमें कोई धोखा धड़ी होती है तो उसकी जाँच हम करते है। उसमें वाटर कारवोनेशन के बारे में भी हम जाँच करते हैं कि उसकी क्या क्वालिटी है लेकिन जो बात ऐक्ट में, रूल्स में प्रोवाइडेड नहीं है उसकी जांच करने के हम अधिकारी नहीं है इसमें यह बाध्यता है। बाकी जो उत्तर में लिखा पढ़ी है उसके बारे में मैंने शुरू में ही बताया कि उसका क्रम ज्यादा अच्छा होना चाहिए था कदाचित वह ज्यादा उच्च स्तरीय नहीं है।

*श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कई राज्यों ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है तो यह प्रतिबन्ध किस आधार पर लगाया है ? अगर संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, कानून में कोई व्यवस्था नहीं है तो अपनी तरफ से तो कोई लगा नहीं सकता है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यह बात जाँच करके आई कि इसमें मानक से अधिक कीटनाशक हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इसी से एक भय पैदा हुआ कि बहुत भारी मात्रा में लोग इसको पी रहे थे तो इसमें शंका पैदा हुई। कई राज्यों ने इसके लिए अपने राज्य में प्रतिबन्ध लगाया है तो जो प्रतिबन्ध लगाया है वह किस आधार पर लगाया है। इनके सामने क्या कठिनाई है क्या उनके सामने कठिनाई, नहीं थी।

श्री प्रमोद कुमार-

केरल ने लगाया है लेकिन हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया।

श्री अम्बिका चौधरी-

आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं है इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि किन-किन राज्यों ने लगाया है किन राज्यों ने नहीं लगाया है। अखबारों में पढ़ी सूचनाओं के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं दूसरी बात है इसमें जो हमने प्रयास किया और भारत सरकार ने जो इस सम्बन्ध में हमको पत्र लिखा। 22 अगस्त को भारत सरकार के ज्वाइन्ट सेक्रेट्री रीता तेवतिया की ओर से पत्र आया हमारे यहां मान्यवर, हमारे यहां जो सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हैं, चूंकि कोई प्रशासनिक प्रतिबन्ध कोई सरकार लगाती है और उस प्रशासनिक प्रतिबन्ध को भी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो बात नहीं बनती। प्रिवेंशन आफ फूट एडल्ट्रेशन ऐक्ट के सेक्शन-3 में जो कमेटी बनी है, यह शीतल पेय उसके 1 से 65 तक के आइटम में नहीं है। इस पर पार्लियामेन्ट में भी चर्चा हुई है और प्रयास किया गया है, हम स्वयं सचेत हैं और इसके लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को लिखा भी है। हम कहना चाहते हैं, पार्लियामेन्ट में जो बात उठी, उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमारे स्वास्थ्य के महकमें ने इस पर शिकायतों के मिलने पर वहां से पूछा था, चूंकि भारत सरकार ने मानक तय नहीं किया था, इसलिए वह नहीं आ सका। मैं चाहता हूँ कि मानक तय हों और इसके लिए जो दोषी पाए जायें, उन्हें दण्डित किया जाए। लेकिन यह निर्णय भारत सरकार को लेना है, यह निर्णय हम नहीं ले सकते हैं।

*डॉ0 अजय कुमार-

मान्यवर, यह बात आई है कि पेप्सी एवं कोकाकोला आदि में कीटनाशक की अपेक्षित मात्रा से अधिक मौजूदगी है। पेय पदार्थों में कीटनाशकों की अधिकता जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ है। सेण्टर फॉर साइंस एवं इन्वायरमेंट संस्था की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2003 और इस वर्ष भी शीतल पेय पदार्थों में कीटनाशकों के अधिक होने का मामला प्रकाश में आया। सेण्टर फॉर साइंस एवं इन्वायरमेन्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही कई राज्य सरकारों ने इन पेय पदार्थों पर प्रतिबन्ध भी लगा दिया है। केरल ने तो एक कदम आगे बढ़कर उसके बाटलिंग प्लांट पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया। मान्यवर, जनहित में कुछ बुद्धिजीवियों एवं मीडिया के लोग आगे आये और इन पेय पदार्थों की बिक्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में जबर्दस्त कमी आई। शीतल पेय कम्पनियां कह रहीं हैं कि आरोप निराधार है लेकिन सेण्टर फॉर साइंस एण्ड इन्वायरमेंट जैसी विश्वसनीय संस्था कह रहीं है कि इनमें बड़ी मात्रा में कीटनाशक पाए जा रहीं हैं तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप प्रश्न पूछें।

डॉ0 अजय कुमार-

मान्यवर, सरकार सही और गलत की जानकारी आम लोगों को दे कि क्या सही है और क्या गलत है ? मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेण्टर फॉर साइंस एण्ड इन्वायरमेण्ट की जो जांच रिपोर्ट है, वह क्या है ? और इतने गम्भीर प्रश्न पर जो उत्तर आया है, वह कन्ट्राडिक्ट्री भी है, ऐसे लोगों की भी खिंचाई हो जाए जिन्होंने इस तरह का उत्तर तैयार किया है। जो अधिकारी हैं और मंत्री हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, वह क्या पढ़ते हैं ? हमारा दूसरा प्रश्न है, आपने जो सवाल के जवाब में कहा कि नमूने संग्रह करने का कार्य किया जा रहा है तो अब तक कितने नमूने संग्रह किए गए, यह भी मंत्री जी बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने कई प्रश्न पूछे हैं, सेण्टर फॉर साइंस एण्ड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट अगस्त में आई है, यह एनालिसिस ऑफ पेस्टीसाइड पर रिपोर्ट है, संसद में इस पर चर्चा हुई है, उनकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता की परख के लिए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट में जो प्राविधान है, उसका जिक्र करके मैंने बताया है।

इसकी एक प्रयोगशाला मैसूर में है और एक दिल्ली में है। यही प्रयोगशाला जांच करके इसको बता सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल ऐक्ट है और उस ऐक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है। हम उन्हें पत्र भी लिख रहें है और नमूने भी भेज रहें हैं। अगस्त के महीने से रिपोर्ट आने के बाद से हमने अब तक 8 नमूने जांच के लिए भेजे हैं और उसके पहले पौने दो सौ नमूने जांच के लिए भेजे है। हम सतत प्रयत्नशील हैं और इसमें जवाब कन्ट्राडिक्ट्री नहीं है।

*श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रतिबंध लगाने का सवाल है। यह सही है कि केरल में प्रतिबन्ध लगाया गया था लेकिन हाईकोर्ट ने उसे नहीं माना। अगर सदन सहमत हो तो कोई रास्ता निकाला जा सकता है कि पेप्सी बिकना बंद हो। हम लोगों ने तो संघर्ष किया है। हमारी पार्टी आज भी संघर्ष कर रहीं है। अगर सदन सहमत हो तो कोई रास्ता निकाला जाएगा। हम लोग व्यापारियों से भी बात करेंगे कि यह बिकना बंद हो। अगर सदन सहमत हो तो हम तैयार हैं।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी गम्भीरता से प्रश्न को लिया है। सीधा सा प्रश्न था लेकिन पेचीदगी बढ़ी उत्तर से। बड़ा सीधा सा प्रश्न था। प्रश्न केवल इतना है कि यह जितने भी पेय हैं उसमें कीटनाशकों की मात्रा है या नहीं। आपने कहा कि मानक निर्धारित नहीं हैं। सवाल मानक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्धारण का नहीं है, सवाल यह है कि अगर किसी चीज में मिलावट है तो सरकार उसका नमूना लेकर परीक्षण कराये। वह यह तय नहीं कर सकती कि कितना होना चाहिए और कितना है। यह जरूर बता सकती है कि कीटनाशक है या नहीं। अगर कीटनाशक कम या ज्यादा है तो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जब इसका संज्ञान लेते हुए विधायकों की कैंटीन में इसे बंद किया हुआ है तो हम प्रदेश की करोड़ों जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए उसके नमूने लेकर उसका परीक्षण करा लें कि उसमें कीटनाशक का मिश्रण है या नहीं। अगर है तो कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री हुकुम सिंह जी कह रहें है कि परीक्षण करा लें। जब मैं पार्लियामेंट में था तो हमारे दल और भी दलों के साथियों ने मिलकर दोनों सदनों में जोर दिया कि इसको बंद किया जाये, और जहां तक जांच का सवाल है तो इसके जो मालिक हैं या व्यापारी जो बेचने वाले हैं। उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, विशेषाधिकार बन जाएगा। मान्यवर, एक कमेटी बनायी सदन की और उस कमेटी में हमारी पार्टी के प्रतिनिधि भी थे और कमेटी बनाकर जब बहुमत-अल्पमत का सवाल आया तो मेजारिटी ने उनके पक्ष में फैसला किया। हमारी पार्टी से अकेले अखिलेश ही गया था। वह परेशान था कि वह अकेला पड़ जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ठंडा बेचने वालों की इतनी बड़ी ताकत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुमत का सवाल आ गया, तो आज भी हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से आपके साथ है। यह सही है कि इससे स्वास्थ्य को हानि हो रही है। हमारे देशी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छे फल हैं और भी चीजें हैं इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा। हमारे हिमांचल के सेब खूब बिकेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

दूध, दही और मट्ठा भी हमारे पास है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह सही है कि खुद तो बनाने वाला पीता नहीं है, अमेरिका में तो प्रतिबन्ध लगा है और हमको पिला रहा है। यह सही है कि हम उसका परीक्षण करायें या न करायें लेकिन यह हानिकारक है। जो भी रास्ता आप बतायेंगे हम तैयार है। प्रतिबन्ध तो आप जानते ही हैं कि कितने हाथ है। हम आपके साथ पूरी तरह से तैयार हैं।

डॉ0 अजय कुमार-

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने खुले दिल से इस सच्चाई को स्वीकार किया है और स्वयं कह रहें हैं कि यह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यदि यह है तो फिर तुरन्त शीतल पेय पदार्थों पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा देते। जो होगा वह बाद में देखा जायेगा।

प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई पर नियंत्रण की योजना

*2-श्री मुंशी लाल गौतम तथा श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई मंहगाई पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

बढ़ती हुई मंहगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। इसके लिए अलग से नीति बानये जाने की आवश्यकता नहीं है।

* श्री विद्यासागर गुप्ता-

मान्यवर, दो सालों से चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहें हैं। खास तौर से जो स्टैपलड फूड है उनके दामों में ड्योढ़े से ज्यादा इजाफा हुआ है। एक तिहाई जनता गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली है, उनके लिए चावल, आटा, चीनी जैसी चीजों के रेट डेढ़ गुना से ज्यादा हो गये हैं। यही नहीं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में पचास प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। अरहर की दाल के दाम ज्यादा हो गये हैं वह तीस रुपये से पैंतालिस रुपये में हो गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने जवाब में यह कहा है कि 'बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। इसके लिए अलग से नीति बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।' तो क्या कदम उठाये गये हैं ? और अगर कदम उठाये गये हैं इस महंगाई को रोकने के लिए तो क्यों नहीं महंगाई रुक रहीं है ? क्यों बार-बार चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं ? इसका मतलब यह है कि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यही क्रम रहा तो रेट बढ़ते जायेंगे और गरीब आदमी जो एक टाईम का खाना खा रहा है उसे एक समय का भोजन भी मयस्सर नहीं होगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कदम उठाये गये हैं और क्या कार्यवाही की गयी है ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रति चिन्ता व्यक्त की है। तो जहाँ तक इनकी बात है तो इन्हें सुनिश्चित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है और सस्ते मूल्य पर निर्धारित है। इन्हें यह खाद्यान्न राशन की दुकानों से उपलब्ध कराया जाता है। मूल्य वृद्धि का इनमें किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ विशेष चीजों की तरफ इन्होंने ध्यान आकृष्ट किय. जैसे अरहर की दाल और स्टैपलड फूड की बात कही तो इसमें ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जो आंकड़े हैं वह बताते हैं कि अरहर की दाल का रेट 29 अगस्त, 2005 को 30 रुपये 28 पैसे प्रति किलो और मान्यवर, यही जुलाई, अगस्त 2006 में इसका रेट 32 रुपये 06 पैसे प्रति किलो है तो मान्यवर, एक रुपये, डेढ़ रुपये प्रति किलो का अन्तर एक वर्ष में आया अरहर दाल में। मान्यवर, दूसरी भी चीजें हैं उनके ऊपर भी जहां तक इन्होंने तेल, पेट्रोल, डीजल, मान्यवर आप जानते हैं कि यह सारा भारत सरकार के नियंत्रण में है ऐसेंसियंलसी कमोडिटीज ऐक्ट वह भी भारत सरकार का है, कन्ट्रोल आर्डर भी भारत सरकार का है और यह मान्यवर, सारी चीजों के मूल्य निर्धारित करने का यह अधिकार भी भारत सरकार के पास है और जहां तक मूल्य वृद्धि का माननीय अध्यक्ष जी आप स्वयं परिचित हैं कि आज यह ग्लोवल फेनेमिना है कि वैश्विक स्तर पर चीजों के दाम बढ़े हैं और सारे देश में इसलिए इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह सजग है कहीं पर इसके लिए कोई होर्डिंग न होने पाये जमाखोरी न होने पाये कहीं कोई किसी तरीके से लोग गड़बड़ी न करने पाये इसके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए प्रशासन पूरा चुस्त-दुरुस्त है और उत्तर प्रदेश में इस तरह की कहीं कोई सम्भावना नहीं है और जहां कहीं होगी वहां कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

*श्री विद्या सागर गुप्ता-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित हो रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह जो सेस लगा है उत्तर प्रदेश सरकार का है क्या सेस को खत्म करके इसके रेट घटाये नहीं जा सकते हैं, श्रीमन् अगर सेस ही आप घटा देंगें तो पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के रेट प्रदेश में घट जायेंगें, बाकी आपने जो यह कहा कि शत-प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे वाले कार्ड बने हैं, श्रीमन् इसकी इन्क्वारी करवा लें, यह सिर्फ कागजों के ऊपर है 25 प्रतिशत से ज्यादा, 25 प्रतिशत भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 25 प्रतिशत से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के कार्ड नहीं बने हैं आप लखनऊ का ही निरीक्षण करवा लीजिए मैं आपका आभारी रहूंगा।

डॉ0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, जो इन्होंने सेस की बात कही, मान्यवर, आज सभी राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में प्रदेश के विकास को दृष्टिगत रखते हुए डीजल, पेट्रोल के ऊपर सेस लगाने का काम किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली राज्यों में है जहां सबसे कम सेस लगाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है और वह जो भाजपा शासित राज्य हैं उनमें भी कहीं कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ डीजल के ऊपर अतिरिक्त वहां पर इसके लिए विकास शुल्क न लगाया गया हो या टैक्सेस न लगाये गये हों। तो यहां पर यह प्रश्न नहीं उठता है कि उत्तर प्रदेश का विकास और तमाम सारी विकासोन्मुखी योजनाओं को भी गतिशील बनाना है और उसके संसाधन जुटाने का भी काम रहा हूं। जहां तक गरीबी रेखा के नीचे तो मैंने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारकों को जो कार्ड धारक हैं उनको शत-प्रतिशत राशन दिया जा रहा है।

* श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे विद्वान मंत्री जी ने अरहर की दाल के दाम बता दिये लगता है बहुत दिन से आप बाजार गये नहीं और दाल खरीदे नहीं, उरद की दाल 65 रुपये किलो और अरहर की दाल 38 रुपये किलो बाजार में आज भी पता कर लीजिए क्या भाव इसका है ? और मान्यवर यह जो आप गरीबी की रेखा से नीचे की बात कर रहें हैं इसमें दाल नहीं है, प्रोटीनवाला मामला गरीब आदमी को भी चाहिए उसको दाल मिल जाय, दाल उसमें शरीक नहीं है, इसलिए मान्यवर, दूसरी बात आपने कही कन्ट्रोल आर्डर भी केन्द्र सरकार का है, कन्ट्रोल आर्डर प्रदेश सरकार का है, प्रदेश सरकार जब चाहे कन्ट्रोल आर्डर निकाल सकती है, लगा सकती है जहां जमाखोरी है उसको निकाल सकती है बाहर, तो मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करते हुए यह देखें कि गरीब आदमी को आम आदमी को जो आवश्यकता की चीजें हैं वह सही दाम पर मिल जायें, 65 रुपये किलो सही नहीं कहा जा सकता है, 38 रुपये सही नहीं कहा जा सकता है, मैं चाहूँगा कि इस पर पुनर्विचार आप कर लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डॉ0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, गरीबों की प्रति चिन्ता का जो सवाल है, यह सरकार वैसे ही इतना संवेदनशील और चिन्तित है, गरीबों के लिए हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किये जा रहें हैं। जहां तक दालों के मूल्य वृद्धि का सवाल है माननीय सदस्य स्वयं परिचित हैं, कृषि मंत्री भी रहें हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, कि दालों के उत्पादन में पूरे देश में कमी आयी है, किसानों की अभिरूचि दालों के उत्पादन में कम हुई है, बार-बार मौसम के परिवर्तन से भी दालों का उत्पादन प्रभावित हुआ है और इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजनायें चलाई हैं जिसमें हम दलहनी फसलों के लिए किसानों को विशेष प्रकार के अनुदान और छूट देने का काम कर रहें हैं और सरकार प्रयास करके दलहनी और तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों को अच्छे उन्नतशील बीज, मिनी किट, खाद-उर्वरक इत्यादि सारी चीजें देने का काम किया जा रहा है और इसके लिए दलहनी फसलों के लिए अलग से हमने पैकेज बनाया है जो किसान दलहनी फसलों का उत्पादन करेंगे उनको सारी चीजें उर्वरक, बीज और उसमें छिड़काव की मशीनें, एसटीसाई यह सारी चीजें हम उपलब्ध करा रहें है जिससे किसान दालों की फसलों की तरफ उन्मुख हों और दलों का उत्पादन बढ़े, जब दाल का उत्पादन बढ़ेगा तो दाल का मूल्य अपने आप नियंत्रित हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (ग) प्रश्न संख्या-1 श्री श्यामदेव राय चौधरी।

(नत्थी-ग तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने एवं प्रश्नकर्ता सदस्य श्री श्याम देव राय चौधरी के अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में 65 वर्ष से अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों के पेंशन बढ़ोत्तरी की मांग

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान में प्रदेश में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को रु0 150/- की धनराशि पेंशन के रूप में दिया जाता है, जिसमें केन्द्र सरकार का अंशदान 75/- रुपये का होता है ? क्या यह सत्य है कि उक्त अंशदान को बढ़ाकर 200/- रुपये की दर से दिये जाने का केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ? क्या उक्त निर्णय के सापेक्ष वर्तमान मंहगाई को देखते हुए राज्य सरकार अपने अंशदान की राशि में समतुल्य बढ़ोत्तरी कर कुल रु0 400/- की दर से पेंशन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (कुँ0 रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया")-

प्रदेश में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को रु0 150/- की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है परन्तु केन्द्र सरकार का रु0 75/- का अंशदान उसी प्रकरण में अनुमन्य होता है जिसमें वृद्धजन की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होती है।

जी हाँ।

कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद मण्डल के चारों जनपदों में गरीब सवर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की जानकारी

*2-कुँ0 भारतेन्द्र सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 2004-05 व 2006 में मुरादाबाद मण्डल के चारों जनपदों में गरीब सवर्णों को छात्रवृत्ति दी गयी है ? यदि हां, तो उसका जिलेवार विवरण क्या है ? क्या गरीब सवर्णों के योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी हाँ।

जनपद	वर्ष	वितरित धनराशि (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या
मुरादाबाद	2004-05	427.10	77110
	2005-06	415.00	73994
ज्योतिबाफुलेनगर	2004-05	150.87	26499
	2005-06	220.942	38654
रामपुर	2004-05	47.26	9010
	2005-06	77.00	14602
बिजनौर	2004-05	161.32	28211
	2005-06	181.83	27989

जी नहीं।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के सभी परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति अनुमन्य है। इस प्रकार योग्यता का मानक रखने का काई औचित्य ही नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट 137-149 पर।)

*श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, यह जो उत्तर हमें मिला है इसमें अलीगढ़ जिले की जानकारी मिली है जबकि जो प्रश्न था वह मुरादाबाद मण्डल का हमने लिया था। यही शिकायत मेरे से पहले प्रश्न में भी देखने को मिलती है कि उत्तर भिन्न मिल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ मुरादाबाद मण्डल के बारे में और उत्तर दिया जा रहा है अलीगढ़ जिले के बारे में। मान्यवर, उत्तर में 2005-06 में छात्र संख्या कम होना दिखाया गया है जबकि छात्र संख्या बढ़ रहीं है। मान्यवर, मैं बार-बार समाज कल्याण अधिकारी के पास गया हूँ कि यह संख्या बढ़ी है तो वह कहते हैं कि आप माध्यमिक शिक्षा विभाग के डी0आई0ओ0एस0 के पास जाईये जब उनके यहां जाते हैं तो वह कहते हैं कि यह विषय समाज कल्याण विभाग का है। तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह जो नीति सरकार की है यह जिले में नहीं चल रहीं है। मान्यवर, आप देखें जो आंकड़ा है वह पिछले साल के मुकाबले छात्र संख्या कम हो गयी है। जबकि छात्र संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। मान्यवर, इसमें आपको विभाग को नियंत्रित करना होगा। जो स्वर्ण जाति के छात्र हैं जिन्हें यह छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए उनके लिए अपने विभागों को आपको नियंत्रित करना होगा। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि अन्य विभागों में सरकार अपनी इस नीति को निर्धारित करवाने के लिए जो उनमें आपस में द्वन्द है, उसको समाप्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अवधेंश प्रसाद-

मान्यवर, जो इस सरकार की नीतियां हैं उसमें माननीय सदस्य को तो माननीय नेता सदन को बधाई देनी चाहिए थी कि यह हिन्दुस्तान में पहली सरकार है कि जिसने सवर्ण जाति के छात्रों को स्कालरशिप देने का फैसला किया है और बल्कि आज दे रही है। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, दूसरी बात लगती है कि आपने प्रश्नों को पढ़ा नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

और विकास के जितने काम हो रहे हैं वह देखे भी नहीं हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आपने यह पूछा था कि क्या गरीब सवर्णों के योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है। मान्यवर, इसमें मेरिट का सवाल नहीं है। सभी सवर्ण छात्रों को वजीफा देने का फैसला किया गया है चाहे वह फर्स्ट डिवीजन उत्तीर्ण हो या सेकेण्ड डिवीजन हों। मान्यवर, माननीय सदस्य जब सवाल पूछा करें तो देखें कि हमारा सवाल क्या है हमने उसका पूरा उत्तर दिया है। उनके पहले सवाल का उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय भारतेन्द्र सिंह जी पहले पूरा उत्तर आ जाने दीजिये। अभी बैठे।

श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपकी नीति अच्छी है लेकिन जो इसका उत्तर आया है वह आप देखें।

*श्री अवधेश प्रसाद-

इनको सवर्ण जाति के लोगों के वोट लेने की चिन्ता रहती है इनकी भी सरकारें कई बार रहीं हैं और आज मुझे खुशी हो रही है कि आपको नेता सदन को बधाई देना चाहिये कि यह हिन्दुस्तान की पहली सरकार है। आज तक किसी भी स्टेट के मुख्य मंत्री ने सवर्ण जाति के बच्चों को वजीफा नहीं दिया है। यह हिन्दुस्तान की पहली सरकार है कि पिछड़ी जाति के सभी बच्चों को, सवर्ण जाति के सभी बच्चों को केवल वजीफा ही नहीं और तमाम अनुमन्य सुविधाएं देने का फैसला किया है। आपने पूछा है कि क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 2004-05 व 2006 में मुरादाबाद मंडल के चारों जनपदों में गरीब सवर्णो को छात्रवृत्ति दी गयी है ? तो हमारा उत्तर है जी हाँ, फिर है यदि हाँ, तो उसका जिलेवार विवरण क्या है ? मान्यवर, जिलेवार विवरण हमने दे दिया। अब कहीं पर कोई गलती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कल सदन है हम कल 4.00 बजे से पहले-पहले कार्यवाही करके इस आदरणीय सदन में बता देंगे लेकिन यह माननीय सदस्य सवाल को पढ़े नहीं, पढ़कर आया करें।

कुंवर भारतेन्दु सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी उत्तर दे नहीं पा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने प्रश्न यह पूछा है कि मेरे जिले में समाज कल्याण अधिकारी कह रहे हैं कि आप डी0आई0ओ0एस0 से सूची उपलब्ध करवाइये। जो डी0आई0ओ0एस0 सूची देते हैं हम उसी को लिखकर दे देते हैं। अब डी0आई0ओ0एस0 के पास जाते हैं तो वह कहता है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है यह समाज कल्याण का है। अब यह बता रहे हैं कि 28 हजार से संख्या 27000 हो गयी है जबकि छात्र संख्या बढ़ गयी है। मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं।

*श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय सदस्य से मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी ने खुद ही अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उस गलती का सुधार कर लेंगे। यह एक अच्छी स्कीम है पहली बार देश में किसी सरकार ने लागू की है। अगड़े का पिछड़े का, छोटे का बड़े का, गरीब का अमीर का, अच्छे का बुरे का, मेरिट नान मेरिट का कोई विरोध नहीं है बल्कि हर पढ़ने वाले को मिलेगा। इसलिए कि हमारा संविधान इसके लिए मजबूर करता है हमें इसके लिए प्रतिबन्धित करता है कि हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए देश का। यह देश की पहली सरकार है जिसने संविधान की इस मूल भावना को महसूस करते हुए हर बच्चे को पढ़ाने का प्रयास किया है, कोई हो अब उससे जाहिर है कि जब एक नई शुरूआत हुई है तो कहीं न कहीं गलती हो सकती है आपने उसकी तरफ इंगित किया है मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि कल तक वह इस काम को जरूर करके आपको सूचित कर देंगे। इसके अलावा भी अगर प्रदेश में कहीं कोई कमी रह गयी है, कहीं किसी तरह का विरोध है तो उसकी जानकारी होना चाहिए और सही लाभ लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए किन्तु हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इसकी तरफ तवज्जह दिलाई है और इसको दूर किया जायेगा।

* श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, यह अच्छा संयोग है कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में है। सरकार की नीयत ठीक है कि छात्रों तक पैसा जाय और छात्रों तक जो यह एक खूबसूरत फैसला है हमारा इसमें थोड़ा सा सुझाव है। जो मैनेजमेन्ट के लोग है वह छात्रों को, उनके एकाउन्ट में पैसा जाता है और वह अपनी तरफ से आफिस से चेक बनवाकर छात्रों को देते है। इससे छात्रों का भारी मात्रा में शोषण हो रहा है। वह अगर 1800 रुपये की चेक दे रहे हैं तो कहते हैं कि एक हजार रुपया समाज कल्याण आफिस में खर्च किया है तो उनसे एक हजार रुपया एडवांस ले लिया जाता है तब उनको चेक दी जाती है। मान्यवर, हम आपको प्रमाण दे देंगे, कालेज का नाम बता देंगे जांच करवाइये अगर जांच गलत होगी तो चाहे दण्ड दे दीजिए। 50 प्रतिशत लोग कालेज चलाना बन्द कर देंगे अगर उनके हाथों में पैसा चला जायेगा तो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है, अगर उनकी जानकारी में हो तो बता दें, नहीं तो हम वैसे भी दिखवा लेगें, जाँच करा लेंगे अगर ऐसा किया गया होगा तो उनको जेल में जाना ही पड़ेगा। यह गंभीर बात है। अगर कहीं पता हो तो अभी बता दीजिये मैं अभी आदेश देता हूँ और अधिकारी को भेजकर, जाँच करा लेंगे। अगर कहीं इस तरह की खबर किसी माननीय सदस्य को मिलेगी तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा।

श्री राम इकबाल सिंह-

हम लिखकर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

यह विषय माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में आ ही गया, उस पर तो कार्यवाही होगी ही।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अगर जिले का नाम मालूम हो तो बता दें, कौन सा जिला है।

श्री राम इकबाल सिंह-

जनता इंटर कालेज नगरा, मेरी, कांस्टिटुवेंसी का इंटर कालेज है।

मत्स्य पालकों को ऋण उपलब्ध कराने की माँग

*3-श्री राम करन आर्य-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन हेतु ऋण उपलब्ध कराने की क्या नीति अपनायी गयी है ? क्या सरकार बैंक के अलावा मत्स्य विभाग से भी ऋण देने की व्यवस्था करेगी ताकी बैंक की परेशानी से बच सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य उत्पादन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम नारायण)-

जनपद स्तर पर स्थापित मत्स्य पालक विकास अभिकरणों द्वारा मत्स्य पालकों को तालाब सुधार, निर्माण तथा मत्स्य पालन प्रारम्भ करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

बैंकों से ऋण तथा मत्स्य विभाग स्तर से शासकीय अनुदान सुलभ कराये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश में पोलियो उन्मूलन हेतु कार्य योजना

*4-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा पोलियो उन्मूलन हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी हाँ

पोलियो के उन्मूलन हेतु प्रदेश में सघन पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं :-

1- पर्याप्त टीकाकरण कर्मी/पर्यवेक्षक/मोबाइल /ट्रांजिट टीमों एवं बूथों की व्यवस्था।

2- मुख्य सचिव द्वारा समय-समय पर वीडियो कान्फ्रेसिंग।

3- जनपद में पोलियो जागरूकता रैली।

4- संवेदनशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन।

5- "आशा" की तैनाती।

6- विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार।

7- शासन व राज्य मुख्यालय स्तर से प्रभावी पर्यवेक्षण।

8- अन्य सरकारी विभागों व गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग।

9- "एक्स" घरों को "पी" में परिवर्तन की विशेष रणनीति।

10- शीत श्रृंखला का रख-रखाव।

11- परफार्मेन्स इन्डीकेटर्स के आधार पर मूल्यांकन।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अन्धता निवारण हेतु कार्य योजना

*5-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अन्धता निवारण हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें उत्तर प्रदेश के निदेशक डॉ0 रक्षा गोस्वामी एवं वित्त नियंत्रक संध्या मोहन श्रीवास्तव के विरुद्ध सतर्कता जाँच की कार्यवाही

*6-श्री मदन चौहान-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सहायता से प्राप्त रु0 24.56 करोड़ का दुरुपयोग रु0 5.13 करोड़ की दवा खरीददारी में अनियमितता, दवाओं की आपूर्ति के पूर्व ही भुगतान कर दिये जाने तथा सम्बन्धित फर्मों से 40 प्रतिशत कमीशन लिये जाने के संदर्भ में आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें उत्तर प्रदेश के निदेशक डॉ0 रक्षा गोस्वामी एवं वित्त नियंत्रक संध्या मोहन श्रीवास्तव के विरुद्ध

सतर्कता जांच के आदेश विभागीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा दिनांक 5-5-2006 को दिये गये है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)-

जी हाँ।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

पूर्णकालिक विकलांग जन आयुक्त की नियुक्ति की माँग

*7-श्री परमजीत मलिक-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकलांगों के सामाजिक अधिकारों के प्रवर्तन व उचित संरक्षण के लिये अब तक पूर्णकालिक विकलांग जन आयुक्त की नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार विकलांगों के अधिकारों के उचित संरक्षण हेतु विकलांग जन आयुक्त पर पूर्णकालिक नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अथवा मुख्य सचिव स्तर के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के चयन हेतु पात्रता रखी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम नारायण-

उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण का पृथक एवं स्वतंत्र विभाग होने के कारण जो निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के सभी प्राविधानों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, अलग से पूर्णकालिक विकलांगजन आयुक्त की तैनाती की सम्प्रति आवश्यकता नहीं पायी गई है। यह कार्य अभी सचिव, विकलांग कल्याण द्वारा देखा जा रहा है।

जी नहीं। कार्यालय-ज्ञाप संख्या-945/65-2-98-129/98, दिनांक 18 सितम्बर, 1998 द्वारा वेतनमान रु0 18,400-22400/- में विकलांगजन आयुक्त का पद सृजित किया गया है, जो कि आई0ए0एस0 संवर्ग का पद है।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्धारित अर्हता पूर्ण न होने के कारण।

जनपद वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में ऐंटी रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता की जानकारी

*8-श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला अस्पताल तथा महानगरीय सरकारी अस्पतालों में ऐंटी रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सभी सरकारी अस्पतालों में इसकी उपलब्धता बनाये रखने के लिये कोई विशेष योजना बनायेगी ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता है।

9-श्री विद्या सागर गुप्ता-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*10-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

[चौथे बुधवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के आई0सी0डी0एस0 III कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा आधारित सेवायें बढ़ाये जाने के आदेश

1-श्री कौशल किशोर-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के आदेश संख्या-भा0स0-2 126/60-2-06-2/3 (2)96, दिनांक 20.4.2006 द्वारा विभाग के सेवा समाप्त कर्मियों को वापस लिये जाने के निर्देश राज्य परियोजना निदेशक को दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर से स्वीकृति/अनुमोदन भी प्राप्त किया गया है ? यदि नहीं, तो इस नियम विरुद्ध कार्यवाही हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

आई0सी0डी0एस0-III कार्यक्रम के दिनांक 31.03.06 को समाप्त होने के दृष्टिगत इसमें कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 30 जून, 06 तक यथावत् बनाये रखने एवं इनके वेतन का आहरण पूर्ववत किये जाने का अनुरोध भारत सरकार से पत्र दिनांक 09 मार्च, 06 एवं 29 मार्च, 06 द्वारा किया गया।

उक्त के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 06 द्वारा दी गई अनापत्ति के उपरान्त आई0सी0डी0एस0-III कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा आधारित सेवायें आदेश संख्या-भा0स0-126/60-2-06-2/3 (2)/96, दिनांक 20-04-06 द्वारा दिनांक 31-07-06 तक बढ़ाई गयीं।

उक्त आदेश के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के स्तर से अनुमोदन/कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्साधिकारियों को अन्य डिप्लोमा कोर्स की भाँति डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु भेजने की जानकारी

2-डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सकों को शासन द्वारा निर्धारित नियम के अन्तर्गत डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी (डिप0 कार्ड0) के अध्ययन हेतु मेडिकल कालेजों में अन्य डिप्लोमा कोर्स की तरह भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासनादेश सं0 4666/चिकि-4, दिनांक 10-07-92 के अनुसार अब तक किन-किन चिकित्सकों को कार्डियोलॉजी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संजय गांधी पी0जी0आई0 में भेजा गया है ? क्या सरकार इस शासनादेश के अनुसार चिकित्सकों को कार्डियोलॉजी में पी0जी0आई0 में प्रशिक्षण हेतु भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी, नहीं।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को अन्य डिप्लोमा कोर्स की भांति डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु पूर्व में भेजा जाता था। वर्ष 1991 में कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कोर्स समाप्त कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

डॉ0 अनिल कुमार श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी को उनके अनुरोध पर हृदय रोग में आब्जरवरशिप के रूप में प्रशिक्षण पर भेजा गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वेहन्दर, जनपद हरदोई से सेवानिवृत श्री इदरीस मोहम्मद के समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

3-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इदरीस मोहम्मद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वेहन्दर, जनपद-हरदोई से स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद से दिनांक 31.01.2006 को सेवानिवृत्त हुये थे ? क्या उनके समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अहमद हसन-

जी हाँ।

अनन्तिम पेन्शन, अनन्तिम ग्रेच्युटी तथा नगदीकरण का भुगतान कर दिया गया है। सामूहिक बीमा, जी0पी0एफ0 के भुगतान हेतु बीजक कोषागार में प्रस्तुत कर दिया गया है।

अवशेष भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।

अवशेष भुगतान कोषागार से बीजक पारित होते ही कर दिया जायेगा।

जनपद-हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला में क्रय की गई एक्सरे मशीन की अनियमितता करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

4-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला में विगत वित्तीय वर्ष 2005-2006 में क्रय करने के उपरान्त स्थापित करायी गयी एक्सरे मशीन 100 एम0एम0 की न होकर 60-60 एम0एम0 की होने के कारण सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रही है और आये दिन खराब रहती है, जिससे मरीजों को कठिनाई होती है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र अप्रैल, 2006 के अन्तिम सप्ताह में मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र की जांच किसी तकनीकी व्यक्ति से कराकर क्रय की गयी एक्स-रे मशीन में वित्तीय अनियमितता के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। सामु0स्वा0केन्द्र, सण्डीला जनपद हरदोई में 100 एम0ए0 की एक्स-रे मशीन वर्तमान में चालू हालत में है। इस मशीन से अब तक 597 एक्स-रे किये गये है।

जी हाँ।

जाँच के आदेश दे दिये गये है। कार्यवाही जांचोपरान्त जांच के निष्कर्ष पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला पर रात्रि आपातकालीन सेवा हेतु चिकित्सक उपलब्ध कराने की माँग

5-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद-हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में रात्रि आपातकाल सेवा पर अधिकतर चिकित्सक उपलब्ध न रहने के कारण मरीजों को आपातकालीन सेवाएं नहीं मिल पाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक केन्द्र पर रात्रि आपातकाल सेवा सुनिश्चित कराये जाने हेतु आदेश निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-सण्डीला पर रात्रि आपातकालीन सेवा हेतु चिकित्सक बराबर उपलब्ध रहते हैं तथा मरीजों को आपातकालीन सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

6-श्री अब्दुल मन्नान-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

7-डॉ0 अरूण कुमार मेहरोत्रा

[दूसरे सोम0 के अता0प्र0सं0-79 के अर्न्तगत स्थानान्तरित]

बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय में मौलिक रूप से नियुक्त लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की अनन्तिम कोटिक्रम सूची को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही

8-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डॉ0 सुशील चौधरी माननीय विधायक द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में तथा शासन के पत्र संख्या-3859/60-2-2005-2/6(5)/2005, दिनांक 02-09-2005 के क्रम में बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की अन्तिम कोटि क्रम सूची निर्गत कर दी गयी है। यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

लिपिक संवर्ग के मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों की अनन्तिम कोटिक्रम सूची को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय-पत्र दिनांक 07.04.04 द्वारा लिपिक संवर्ग की जारी अन्तिम ज्येष्ठता सूची, जिसमें नियम विरुद्ध नियुक्त 46 कर्मचारियों को मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों के नाम के ऊपर स्थान दिया गया था, को निरस्त करते हुए उन नामों को सूची से पृथक कर निदेशालय-पत्र दिनांक 13.10.04 द्वारा लिपिक संवर्ग की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी कर प्रत्यावेदन आमंत्रित किये गये हैं। लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर में डीजल घोटाले की जाँच के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

9-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर में डीजल घोटाला की जांच कराने हेतु आपके पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/146831/06, दिनांक 8.6.06 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रकरण में जाँच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

10-चौधरी महेन्द्र सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद अलीगढ़ में सामान्य जाति की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की माँग

11-चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य जाति के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिये वित्तीय वर्ष 2001-02 से 31 दिसम्बर, 2005 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलीगढ़ को छात्रवृत्ति की मद में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? प्राप्त धनराशि से जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ़ ने कक्षा 1 से 5 तक के किन-किन प्रबन्धकीय प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को धनराशि उपलब्ध करा दी गई ? क्या उक्त सभी विद्यालयों में बच्चों को धनराशि वितरित किये जाने का प्रमाण-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलीगढ़ से प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री अवधेश प्रसाद-

सामान्य जाति की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना शिक्षा सत्र 2004 से लागू हुई है। अतः शिक्षा सत्र 2001-02 से 2003-04 तक धन आवंटन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2004-05 व 2005-06 में जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलीगढ़ को निम्न विवरणानुसार छात्रवृत्ति धनराशि की स्वीकृति/आवंटन किया गया है :-

2004—05	रु0 1,19,21,000/-
2005—06	रु0 1,98,00,000/-

प्राप्त धनराशि से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सामान्य जाति के छात्र/छात्राओं के कक्षा-1 से 5 तक के वर्ष 2004-05 में 68 प्रबन्धकीय विद्यालयों को रु0 12,02,100/- तथा वर्ष 2005-06 में 273 प्रबन्धकीय विद्यालयों को रु0 35,60,700/- की छात्रवृत्ति धनराशि वितरित करायी गयी है। विद्यालयों की सूची मा0 सदन के पटल पर देखी जा सकती है।

कुल आवंटित धनराशि 1,18,21,000 व 1,98,00,000/- का उपभोग प्रमाण-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है।

वर्ष 2005-06 के लिये आवंटित रु0 80.00 लाख व 118.00 लाख की धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या-सी0-181-82 दिनांक 17-05-2006 के द्वारा और वर्ष 2004-05 का रु0 59.21 लाख व रु0 60.00 लाख की धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र संख्या-सी-23 दिनांक 19-08-2005 द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। उपरोक्त उपभोग प्रमाण-पत्र की प्रति जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या-760 दिनांक 22-08-2006 के साथ भी प्राप्त हुई है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के मुख्य चिकित्साधिकारी तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी के तैनाती की जानकारी

12-चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के कितने मुख्य चिकित्साधिकारी तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी तैनात हैं ? क्या आरक्षण नीति के अनुसार जनपदों में इनकी तैनाती की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्तमान समय में प्रदेश में अनुसूचित जाति के 03 मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा 60 उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं।

तैनाती में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के जिला चिकित्सालय में कार्यरत टेक्नीशियनों के स्थानान्तरण की माँग

13-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पैरा मेडिकल कर्मचारियों को पांच वर्ष तक एक स्थान पर तैनाती के उपरान्त स्थानान्तरण किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये हैं, जिसका अनुपालन सरकार द्वारा किया जा रहा हैं ? क्या यह सही है कि जनपद हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अधीन जिला चिकित्सालय, हरदोई में कार्यरत कई टेक्नीशियन पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत होने के उपरान्त भी उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

जनपद हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय के अधीन एक एक्सरे टेक्नीशियन श्री वाई0पी0शुक्ला जो दिनांक 16 अगस्त, 1997 से जिला चिकित्सालय, हरदोई में कार्यरत थे, का स्थानान्तरण नहीं किया गया था। संज्ञान में आने पर महानिदेशालय के आदेश दिनांक 06-09-2006 द्वारा इन्हें जिला चिकित्सालय, हरदोई से जनपद हरदोई में ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश एक्सरे टेक्नीशियन एसोसिएशन के पत्र दिनांक 12-09-2006 द्वारा यह संज्ञान में लाये जाने पर कि श्री वाई0पी0 शुक्ला अपने संघ के हरदोई शाखा के जिला सचिव हैं, महानिदेशालय द्वारा 05 वर्ष से अधिक समय से एक स्थान पर कार्यरत पैरा मेडिकल कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में निर्गत परिपत्र दिनांक 05-05-2006 के अन्तर्गत श्री शुक्ला का स्थानांतरण महानिदेशालय के आदेश दिनांक 29-09-2006 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद मण्डल में पल्स पोलियों के मामले में दोषी पाये गये कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

14-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पल्स पोलियो अभियान 2005-06 के दौरान मुरादाबाद मण्डल में पोलियों के कितने मामले पाये गये ? क्या सम्बन्धित जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा उक्त मामलों में जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

मुरादाबाद मण्डल में वर्ष 2005-06 में कुल 11 पोलियों के केस पाये गये।

जी, हाँ।

जी, हाँ। जांच में दोषी पाये गये मुख्य चिकित्साधिकारियों, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, 02 क्षेत्रीय उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों 03 प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों तथा 09 महिला स्वास्थ्य कार्यकत्रियों को निलम्बित किया गया। 06 स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) 01 स्वास्थ्य कार्यकत्री (महिला) को आरोप-पत्र दिये गये, 05 प्रभारी चिकित्साधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई तथा 02 महिला स्वास्थ्य कार्यकत्रियों को चेतावनी देते हुए वेतन की कटौती की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के ग्राम सभा-तरछापार की निवासी मुदुरी पत्नी श्री बोधाराम को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की जानकारी

15-श्री राम करन आर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा-तरछापार निवासी मुदुरी पत्नी श्री बोधाराम जो अनुसूचित जाति की हैं और काफी वृद्ध हैं को वृद्धा पेंशन दिये जाने विषयक एक पत्र विधायक जियाउद्दीन रिजवी द्वारा समाज कल्याण

मंत्री को दिनांक 18-07-06 को लिखकर भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हाँ-

श्रीमती मुटुरी पत्नी श्री बोधाराम को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कर पेंशन धनराशि लाभार्थी द्वारा खोले गये बचत खाता संख्या-9757 में प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड रतनपुरा ग्राम मेंउड़ीकला में अपात्र लोगों का राशन कार्ड बनाये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

16-श्री राम करन आर्य-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड रतनपुरा की ग्राम पंचायत मेंउड़ीकला में पात्र लोगों का राशन कार्ड न बनाये जाने व फर्जी लोगों का राशन कार्ड बनाये जाने विषयक शिकायती-पत्र दिनांक 15-05-06 जिलाधिकारी, मऊ को उक्त गांव के निवासी कमालुद्दीन, रहमतुल्लाह आदि लोगों द्वारा भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुँ0 रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया'-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, मऊ द्वारा शिकायती-पत्र की जाँच जिलापूर्ति अधिकारी, मऊ एवं उप जिलाधिकारी, सदर से कराई गई। जाँच आख्या के अनुसार ग्राम मेंउड़ीकला में अन्त्योदय अन्न योजना के 89 नये राशन कार्ड बनाये गये हैं। पुराने राशन कार्डों में से 16 राशन कार्ड निरस्त कर नये लाभार्थियों को राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं। जिन 16 व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त किये गये हैं, उनमें से 3 व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में पाये गये, इसलिए उन्हें पुनः राशन कार्ड जारी किया गया।

बी0पी0एल0 के 161 राशन कार्ड जारी किये गये हैं, जिसमें से 18 अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड दिनांक 18-07-2006 को निरस्त कर दिये गये हैं।

उपरोक्त त्रुटियों के लिए सम्बन्धित लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की मांग

17-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन का पत्र संख्या 3999/60-2-2004/2/1(125)/2003, दिनांक 5 जुलाई, 2004 जो निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को सम्बोधित है और जो लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हाँ।

जी नहीं। लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए मौलिक रूप से नियुक्त पात्र कार्मिकों की सूची तैयार कर ली गयी है। इसके आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद देवरिया के ग्राम पंचायत कुण्डौली के कोटेदार द्वारा राशन वितरण में की गयी अनियमियतता

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

18-क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया विकास खण्ड लार के ग्राम पंचायत कुण्डौली के कोटेदार द्वारा राशन वितरण में की गयी अनियमितता तथा अनुबन्ध-पत्रों की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उप जिलाधिकारी, सलेमपुर के पत्रांक-05-7/30 उ0जि0अ0-प्रवर्तन-06, दिनांक 02 मार्च, 2006 द्वारा दुकान को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं ? क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट कोटेदार का अनुबन्ध-पत्र निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुँ0 रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया'-

जी हाँ।

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को खाद्यान्न कभी नहीं बाँटा गया।

मिट्टी का तेल वर्ष में एक बार मात्र बड़े लोगों को ही बाँटा जाता है। गरीब लोगों को नहीं मिलता है। चीनी तथा एम0डी0एम0 का खाद्यान्न कभी नहीं वितरित किया गया।

उक्त दुकान का अनुबन्ध पत्र उप-जिलाधिकारी, सलेमपुर के आदेश संख्या-203/उ0जि0अ0/आपूर्ति-06, दिनांक 06, सितम्बर, 2006 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के समाज कल्याण कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच

19-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय समाज कल्याण शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने हेतु मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम-147513/06, दिनांक 20-06-06 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हाँ।

पटल सहायक को कठोर चेतावनी दी गयी है एवं पटल परिवर्तित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण विभाग में दृष्टिहीन कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

20-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-2007 की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत दृष्टिहीन/विकलांग कर्मचारियों को स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश हैं ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि महिला कल्याण विभाग में दृष्टिहीन कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये

गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानान्तरण करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राना)-

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति (2006-07) सम्बन्धित शासनादेश के प्रस्तर-10(5) में उल्लेख है कि विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक जिनके आश्रित परिवारजन विकलांगता से प्रभावित हो, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गंभीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायं। विकलांग कार्मिकों के द्वारा अनुरोध किये जाने पर पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

जी हाँ। क्राफ्ट प्रशिक्षक संवर्ग के कतिपय नेत्रहीन कर्मचारियों का स्थानान्तरण निदेशक, महिला कल्याण के स्तर पर गठित मानकीकरण समिति की संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कतिपय स्थानान्तरण उपरोक्त कारणवश किये गये हैं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम मेरठ मण्डल की प्रतिमाह की बिक्री एवं खर्चों के विवरण की जानकारी

21-श्री शहजिल इस्लाम-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलीय प्रबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम मेरठ मण्डल, मेरठ को निगम द्वारा दिये गये सचल वाहन की वर्ष 2005-06 की लॉग बुक, उसके द्वारा की गयी प्रतिमाह बिक्री एवं उससे प्राप्त लाभ एवं उस पर हुए खर्चों का विवरण मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त सचल वाहन का प्रयोग मण्डलीय प्रबन्धकों द्वारा प्राइवेट ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों में लगाकर दिल्ली, हरियाणा बार्डर पर किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुँ0 रघुराज प्रताप सिंह-

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 01-04-2005 से 30-11-2005 तक वाहन कलेक्ट्रेट डिपो, गाजियाबाद पर खड़ा रहा है। इस अवधि में वाहन से कोई व्यवसाय नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार का संचालन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कार्यालय आदेश दिनांक 25 फरवरी, 2000 के अनुसार वाहन खाली रहने की दशा में उसे लीज पर दिया जा सकता है। अतः दिनांक 01-12-2005 से एक वर्ष की अवधि के लिए वाहन अनुबन्ध के आधार पर मै0 लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट, गाजियाबाद को रू0 9000.00 प्रतिमाह पर दिया गया।

दिनांक 01-12-2005 से 31-03-2006 तक कुल आय रू0 36000.00 की हुई। इस अवधि में कुल रू0 33,292.00 का व्यय वाहन पर हुआ।

दिनांक 01-04-2005 से 30-11-2005 तक वाहन डिपो पर खड़ा रहा है तथा दिनांक 01-12-2005 से 31-03-2006 तक की अवधि में वाहन लीज पर था, इसलिए लॉग बुक नहीं बनाई गई।

जी नहीं। उक्त अवधि में वाहन ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश की सीमा में ही संचालित किया गया है, क्योंकि उसका परमिट उत्तर प्रदेश का ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, लखनऊ के विरुद्ध वित्तीय घोटाले की जाँच व स्थानान्तरण करने की मांग

22-श्री कौशल किशोर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डॉ0 ओ0पी0 तिवारी, क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, लखनऊ के विरुद्ध वित्तीय घोटाला की जांच तथा उनका स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में आलोक कुमार, पूर्व नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 20-10-2005 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ को पत्र भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री आलोक कुमार, पूर्व नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के पत्र दिनांक 20-10-05 शासन में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के स्वास्थ्य केन्द्र पर आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने की मांग

23-डॉ0 विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में चिकित्साधिकारी, आयुर्वेदिक एवं चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक/यूनानी के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को साक्षात्कार आयोजित किया गया था ? यदि हां, तो क्या परिणाम घोषित कर दिया गया ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जनपद गोण्डा में चिकित्साधिकारी आयुर्वेद एवं यूनानी एवं चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु नियुक्ति से सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेख तत्कालीन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ0 श्याम लाल ने कार्यालय से लेकर अपनी अभिरक्षा में रख लिया था। डॉ0 श्याम लाल को शासन द्वारा दिनांक 31-07-06 को चतुर्थ श्रेणी की अनियमित नियुक्ति करने पर निलम्बित कर दिया गया है। उनके निलम्बन के पश्चात् कार्यालय अभिलेखों की इन्वेन्ट्री बनवाई गई, उसमें संविदा के आधार पर भर्ती करने से सम्बन्धित पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है। डॉ0 श्याम लाल के विरुद्ध दिनांक 7-8-2006 को एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है। संविदा नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावली/अभिलेख प्राप्त होने पर स्थिति से अवगत कराया जायेगा।

बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष मा0 श्री कांशीराम के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब शोक प्रस्ताव होगा।

बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष मा0 श्री कांशीराम जी का 8/9 अक्टूबर, 2006 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे। मा0 श्री कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च, 1934 को गांव खवासपुर, जिला रोपड़ (पंजाब) में हुआ था। उन्होंने बी0एस0सी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। भारतीय राजनीति में दलित शक्ति के प्रतीक बनकर उभरे मा0 श्री कांशीराम जी दसवीं एवं ग्यारहवी लोकसभा के लिये निर्वाचित हुये थे। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिये अनेक आन्दोलनों का सफलतापूर्वक संचालन किया था। मा0 श्री कांशीराम जी जीवनपर्यन्त समाज के दबे-कुचले लोगों के लिये संघर्ष करते रहें। उन्होनें वर्ष 1981 में राजनीतिक फोरम डीएस-4 (दलित शोषित समाज संघर्ष समिति) की स्थापना की थी। उन्हें आजाद भारत के एक ऐसे नेता के रूप में भी याद किया जायेगा जो दलित समाज को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने के लिये प्रयासरत रहें परन्तु उन्होनें सत्ता में कभी कोई पद ग्रहण नहीं किया। उन्होनें 'बर्थ आफ वामसेफ' और 'एन इरा ऑफ द स्टूजेज' नामक पुस्तकें लिखी हैं। मा0 श्री कांशीराम जी देश में दलित राजनीति को ताकत और पहचान देने के लिये हमेशा याद किये जायेंगे। उनके चले जाने से एक समाजसेवी नेता चला गया।

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि कृपया दो मिनट के लिये मौन खड़े हों। (दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये।)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी की ग्राम घोसड़ा (तुलसीनगर) इलाहाबाद में माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा घोषित मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं। दूसरी सूचना श्री विनोद कुमार सिंह की जनपद जौनपुर के मान्यता प्राप्त इस्लामिया मकतबों को अनुदान सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद महानगर में कई वर्षों पूर्व निर्मित कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय ग्रामों में नहरों में पानी की अनुपलब्धता के बावजूद किसानों के विरूद्ध सिंचाई जमाबंदी में महसूल अंकित करने की जांच कराने तथा किसानों का उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में है। पाचवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की है, जो अनुपस्थित है। छठी सूचना श्री लालजी वर्मा की है, जो अनुपस्थित हैं। सातवीं सूचना श्री चन्द्र देव राम यादव की है, यह भी अनुपस्थित हैं। आठवीं सूचना श्री कौशल किशोर की लखनऊ जनपद के विकास खण्ड मलिहाबाद के ग्राम गांव झाऊबरिया मजरा रूसेना में नाले पर बने पुल के दोनों ओर मिट्टी की भराई कराने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की जनपद मेरठ के मेरठ गढ़ मार्ग का निर्माण कार्य धनराशि आवंटन के बावजूद पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना

श्री आर0एस0 कुशवाहा की जनपद खीरी में ग्राम तेलियार से बोकरिया तक कच्चे एवं टूटे मार्ग को पेंटेड कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23 से सिंचाई हेतु पानी न मिलने के बावजूद किसानों से की जा रही नाजायज वसूली रोकने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद भदोही के औराई में स्वीकृत पालीटेक्निक के भवन निर्माण हेतु शेष धन देकर तत्काल कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में वर्ष 2005-2006 में चौधरी चरण सिंह योजना अन्तर्गत कराये गये सड़क निर्माण/मरम्मत की उच्चस्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री कालीचरन राजभर की गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ढोतारी से भरपुरवा अमवा सिंह होते हुये सिउरी अमहट तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवी सूचना डॉ0 विनोद तिवारी की जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रानी का पुरवा, मौजा कचनाव निवासी पिन्टू पर हुये हमले के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है, उनके स्थान पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना की सूचनाएं ली जाती हैं। श्री भगेलू राम की सूचना अस्वीकार हुई।

(उपस्थित माननीय सदस्यों की स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

ग्राम धोसड़ा (तुलसीनगर) इलाहाबाद में माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा घोषित मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह बताना चाहता हूँ कि विगत कई वर्ष माननीय लोक निर्माण मंत्री ने दिनांक 03-12-2005 को ग्राम धोसड़ा (तुलसीनगर), इलाहाबाद में की गयी घोषणा के अनुपालन में शासन के पत्रांक 4321ए/23-01-05 दिनांक 01-01-2006, प्रमुख अभियन्ता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक 37 कैम्प/मु0अभि0(मु0-1)06 दिनांक 05-01-2006, मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्रय, लो0नि0वि0, इलाहाबाद के पत्रांक 371/3 यातायात (सा) इ0क्षे0/06 दिनांक 01-01-2006 के अनुपालन में आगणन आख्या दिनांक 18-02-2006 को सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी थी, परन्तु आज तक धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है जिससे क्षेत्रवासियों में अत्यधिक आक्रोश है। सम्बन्धित आख्या निम्नवत् है:- सरायदत्ते श्रीपतगंज वाया नसरतपुर तक मार्ग का निर्माण लम्बाई निर्माण लम्बाई 1.70 कि0मी0 लागत 27.99 लाख, 2-जमुवा-नसरतपुर-नहर के टेल तक मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.60 किमी0 लागत रू0 39.10 लाख, 3-तहरी से बिगहियां तक मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 लागत 29.36 लाख, 4-बरजी-चौहान बरनी-खरगोपुर तक मार्ग का निर्माण, लम्बाई 5.15 लागत रू0 80.66 लाख, 5-भानेमऊ-जुगुनीडीह वाया पिलखिनी नं0-40-कमलानगर-लहटी-कपूरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोदाम-घोसड़ा-किराँव-मऊआइमा मार्ग प्रमुख मार्ग घोषित, 7-सिकन्दरा-बहरिया-करनाईपुर-दान्दूपुर तक सड़क की मरम्मत लम्बाई 19.30 लागत रू0 82.13 लाख का आगणन तैयार करवाकर 5 प्रतियों में सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा गया था परन्तु आज तक धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत विकास खण्ड बहरिया से मुबारकपुर तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 5 किमी0 अत्यन्त जर्जर हालत में है। जिस पर आवागमन करना अत्याधिक कठिन हैं।

अतः इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।

जनपद जौनपुर के मान्यता प्राप्त इस्लामिया मकतबों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विनोद कुमार सिंह-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद जौनपुर मान्यता प्राप्त इस्लामियाँ मकतवों की तरफ ले जाना चाहता हूं। मान्यवर जनपद के मान्यता प्राप्त इस्लामियाँ मकतवों की अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है परन्तु अभी तक इस मकतवों को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया गया जिससे इन विद्यालयों के लोगों में रोष व्याप्त है।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की माँग करता हूँ कि जनपद जौनपुर के मान्यता प्राप्त इस्लामियाँ मकतवों को तत्काल अनुदान सूची में शामिल करके अनुदान दिलाने की कृपा करें तथा मुझे भी शीघ्र उत्तर दिलाने के कृपा करें।]

इलाहाबाद महानगर में कई वर्षों पूर्व निर्मित कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[मान्यवर, इलाहाबाद महानगर मे पिछले 10 से 30 वर्षों में सैकड़ों भवन एवं कालोनियां निर्मित हुई हैं, जो अभी तक नियमित नहीं हो सकी हैं। इस विषय में शासनादेश सं0 5097/9-आ-3-2001 (आ0व0) दिनांक 26 मई, 2001 द्वारा नगरीय क्षेत्रों में निर्मित अनाधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण हेतु गाइड लाइन जारी की गयी थी।

इलाहाबाद में ऐसी 81 कालोनियों को चिन्हित किया गया था, तथा इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्हें नियमित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी। परन्तु खेद की बात है कि 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद एक भी कालोनी का नियमितिकरण नहीं किया गया है।

इस संदर्भ में मैंने विधान सभा 08-08-2005 को तारांकित प्रश्न लगाया था, अन्य नियमों (नियम-51 के अन्तर्गत 17-03-05 को सूचना दी थी) में भी उक्त विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर चुका हूँ, परन्तु अभी तक शासन की ओर से कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है। समय-समय पर इलाहाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा उपरोक्त मकानों के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया जाता है तथा हजारों परिवार अपने आवासों में असुरक्षित महसूस करते हैं।

अतः उक्त विषय के लोक महत्व को देखते हुए नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय ग्रामों में नहरों में पानी की अनुपलबधता के बावजूद किसानों के विरूद्ध सिंचाई जमाबन्दी में महसूल अंकित करने की जांच कराने तथा किसानों का उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हुकुम सिंह-

[मान्यवर, जनपद सहारनपुर मुजफ्फरनगर एवं बागपत में लाखों कृषकों के लिए यमुना नहर सिंचाई का मुख्य साधन था परन्तु विगत 3 वर्षों से नहर में पानी नगण्य के बराबर उपलब्ध होता है परिणाम स्वरूप कृषकों ने सिंचाई के अपने-अपने साधन अर्थात निजी नलकूपों पर निर्भर होना पड़ रहा है परन्तु नहर में पानी न उपलब्ध होते हुए भी तथा वर्षों से रजवाहे व माइनर सूखे रहते हुए भी कृषकों के विरुद्ध सिंचाई जमाबन्दी में महसूल अंकित किया जा रहा है और अब वसूली भी आनी शुरू हो गयी है इसके पूर्व भी कई बार इस सम्बन्ध में सदन के माध्यम से सरकार को इस कठिनाई से अवगत कराया गया परन्तु कृषकों का उत्पीड़न अभी भी जारी है। विशेष रूप से जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम सिभालका, बधेव, गोहरनी, कसेरवा, टिटौली, कण्डेला भूरा, कैराना आदि की व्यक्तिगत जानकारी मुझको मिली है और कृषकों ने भी व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया है कि उनके खेतों में पूरे वर्ष भर में कोई सिंचाई नहर के द्वारा नहीं हुई परन्तु तहसील के कर्मचारी उनका उत्पीड़न करने में लगे हैं।

सदन के माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि सम्पूर्ण प्रकरण की पूरी जांच करा ली जाय तथा वसूली की उत्पीडनात्मक कार्यवाही अविलम्ब रोकी जाय।]

लखनऊ जनपद के विकास खण्ड मलिहाबाद के ग्राम झाऊबरिया मजरा रूसेना में नाले पर बने पुल के दोनों ओर मिट्टी की भराई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौशल किशोर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि लखनऊ जनपद के मलिहाबाद विकास खण्ड के गांव झाऊबरिया मजरा रूसेना में नाले पर बने पुल के दोनों तरफ की मिट्टी बरसात में बह गई है। जिसके कारण आवागमन ठप हो गया है। पुल के भी क्षतिग्रस्त हो जाने की सम्भावना बढ़ गई है। इसलिए उक्त नाले के पुल के दोनों तरफ मिट्टी की भराई आवश्यक हो गई है। यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय है।

अतः आपसे आग्रह है कि इस अत्यन्त लोक महत्व व जनहित तथा अविलम्बनीय मामले को नियम 301 में ग्राह्य करके उचित निर्णय करने की कृपा करें।]

जनपद मेरठ के मेरठ गढ़ मार्ग का निर्माण कार्य धनराशि आवंटन के बावजूद पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद मेरठ में मेरठ गढ़ मार्ग का निर्माण कार्य धनराशि आवंटन के बावजूद निर्धारित समय बीतने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। एक घंटे का कार्य 2 घंटे में पूरा हो रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनता को बहुत कष्ट है। अन्तिम संस्कार हेतु ले जाये जाने वाले शवों की भी शिकायत है, उनके शरीर का समाप्त प्रायः ले जाने में सड़क के कारण कष्ट हो रहा है, तथा उनके संस्कार में विलम्ब हो रहा है। अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रहीं हैं।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूँ ।]

जनपद खीरी में ग्राम तेलियर से बोकरिया तक कच्चे एवं टूटे मार्ग को पेन्टेड कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

[मान्यवर, जनपद खीरी की तहसील निघासन में ग्राम-तेलियर से बोकरिया तक कच्चा व टूटा हुआ मार्ग है जिससे बोकरिया ग्राम के किसानों को गन्ना ढोने में काफी परेशानी होती है। गन्ना ही रोटी का जरिया है।

अतः शासन से ग्राम बोकरिया से तेलियर तक मुख्य मार्ग को पेन्टेड मार्ग तत्काल बनाये जाने की मांग करता हूं तथा शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23 से सिचांई हेतु पानी न मिलने के बावजूद किसानों से की जा रही नाजायज वसूली रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र लालगंज जनपद-आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड-23 को शाखा ग्राम बहादुरपुर तथा लालगंज से निकल कर ग्राम चौकी गौजोर एवं अन्तिम ग्राम महोली तक गयी है। इस प्रकार इस शाखा के टेल तक के ग्रामों में रवि एवं खरीफ के फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार पचासों ग्रामों के किसान नहर के पानी से वंचित हो जाते हैं। इसके बावजूद इन ग्रामों के किसानों की फसलों का सिंचाई का पड़ताल किया जा रहा है जबकि एक बूंद पानी के लिए किसान तरस जाते हैं। किसानों से नाजायज वसूली हर साल होने से ऐसे किसानों में काफी आक्रोश व्याप्त है। क्योंकि इस सूखे में भी नहर का पानी किसानों को नहीं मिली। परन्तु पड़ताल हो रही है। किसान आन्दोलित हैं।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करते हुए नजायज पड़ताल हो रही है उसे भी रोकने की मांग करता हूं।]

जनपद भदोही के औराई में स्वीकृत पालिटेक्निक के भवन निर्माण हेतु शेष धन देकर तत्काल कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र-

[मान्यवर, भदोही जनपद के औराई में पालिटेक्निक की स्वीकृत 2001 में हुई थी जिससे भवन निर्माण हेतु पुर्वांचल राज्यांश से रू0 2.50 करोड़ तथा प्राविधिक विभाग से शेष राशि स्वीकृत की गई थी टोकेन मनी के रूप में 50 लाख रुपये तत्काल राजकीय निर्माण निगम को दे दिया गया था

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोटः-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसने अभी तक मात्र 3 फिट ऊँची चाहारदीवारी का ही निर्माण कर सकी है वह भी तेज आँधी में काफी हिस्सा ढह गया। इसके निर्माण न होने से जिले में नौजवान शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है इसकी जाँच कराई जाये तथा बिल्डिंग निर्माण हेतु शेष धन देकर तत्काल कार्य प्रारम्भ कराये जायें तथा जब तक बिल्डिंग नहीं बन पा रही है किसी प्राइवेट बिल्डिंग में प्राविधिक विद्यालय खोलकर शिक्षक नियुक्त करें ताकि जिले के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकें।।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि उक्त लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से कार्यवाही तत्काल करने के निर्देश देने की कृपा करें।

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में वर्ष 2005-06 में चौधरी चरण सिंह योजना अन्तर्गत कराये गये सड़क निर्माण/मरम्मत की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह योजना के अन्तर्गत कुछ सड़क विशेष मरम्मत निर्माण मध्य गंगा नहर की पटरी व अनूप शहर नहर की पटरी पर निर्माण मरम्मत कार्य किया गया जो कि 2005-06 के अन्तर्गत है भारी अनियमितता व धन दुरूपयोग किया गया है, गुणवत्ता बिल्कुल ध्वस्त की गई है। कृपया इन मार्गों की गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जांच कराकर सरकारी धन की रिकवरी सम्बन्धित अधिकारियों से कराने की कृपा करें। प्रश्न जनहित से जुड़ा तथा अविलम्बनीय है। मैं सरकार का ध्यान आर्किषत करना चाहता हूँ।।

गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ढ़ोतारी से भरपुरवा, अमवा सिंह होते हुए सिंडरी अमहट तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कालीचरन राजभर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो मार्ग ढ़ोतारी होते हुए नहर की पटरी से भरपुरवा से अमला शक्ती मोका स्थान होते हुए सिंडरी अमहट तक जाती है जो काफी क्षतिग्रस्त हो गयी है। अमवा सिंह में पर्वित मंदिर है जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पूजा करने जाते हैं। इस मार्ग के खराब हो जाने के कारण लोगों में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय माँग को ध्यान में रखते हुए सदन में चर्चा कराने तथा ढ़ोतारी से भरपुरवा से अमवा सिंह होते हुए सिऊरी अमहट तक मार्ग बनवाने की मांग करता हूँ।।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रानी का पुरवा मौजा कचनाव निवासी पिन्टू पर हुए हमले के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डॉ0 विनोद तिवारी-

[मान्यवर, पिन्टू पुत्र श्री मोहन लाल यादव निवासी ग्राम-रानी का पुरवा, मौजा कचनाव, तहसील मुसाफिरखाना, थाना-जगदीशपुर, जिला-सुल्तानपुर, के ऊपर दिनांक 14-08-06 को रात के 9.00 बजे उक्त गाँव के निवासी अमर बहादुर पुत्र बृजपाल यादव तथा बृजलाल यादव पुत्र राम बक्श

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यादव द्वारा कुल्हाड़ी, हसिया व लाठी द्वारा जानलेवा हमला किया गया जिससे पिन्टू पुत्र मोहन लाल यादव को अत्यन्त गम्भीर चोटें आयी थी।

उक्त घटना की एफ0आई0आर0 सं0-669451 जगदीशपुर थाने में दर्ज करायी गयी परन्तु पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, आरोपी अभी भी खुले घूम रहें हैं और पीड़ित तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जिससे गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है और किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर नियम 301 के अन्तर्गत तुरन्त कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत गोविन्दपुर स्केप (नाला) पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[मान्यवर मेरी विधान सभा क्षेत्र डलमऊ जनपद रायबरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड दीनशाह गौरा के ग्राम नरायनपुर बन्ना व धीरमपुर के मध्य स्थित गोविन्दपुर स्केप (नाला) पर पुल न होने से क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों को आवगमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा छोटे-छोटे बच्चे विद्यालय जाने से वंचित हो जाते हैं। ग्राम नरायनपुर बन्ना व ग्राम-धीरनपुर सम्पर्क मार्ग पर पुल का निर्माण न होने से क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त हैं।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

सुल्तानपुर के ग्राम अंगनाकोल में थानाध्यक्ष गोसाईगंज द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कर श्री शकील को गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

[मान्यवर, जनपद-सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम-अंगनाकोल में सूरज पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले शानू पुत्र मो0 यूनुस उम्र लगभग 10 वर्ष तथा मन्नान उम्र 9 वर्ष पुत्र मो0 हसीब के मध्य मार-पीट हुई। मारपीट के पश्चात् शानू के परिवारजन श्री शकील, रब्बूनिशा रफीकुल निशा जो शकील की मां व भाभी थी मन्नान के घर शिकायत लेकर गयी। शिकायत से आग बबूला होकर मन्नान के पिता हसीम, भुखन, सन्नो, पुत्रगण मो0 हबीब और उसके सहयोगी कमरूजमा, मलिकुजमा पुत्र आबिद हुसैन आदि ने शकील और उसके परिवारजनों पर लाठी डण्डों एवं पत्थरों से हमला बोल दिया जब यह लोग अपने को बचाकर भागने लगे तो हसीब असलहा से फायरिंग कर दी किसी तरह यह लोग जान बचाकर भाग गये और थाना गोसाईगंज में उसकी शिकायत की पुलिस हबीब को पकड़ कर थाने लाई और दोनों पक्षों का मुकदमा एन0सी0आर0 में दर्ज करके शान्ति भंग करने के अंदेशा में शकील तथा हबीब को गिरफ्तार कर दिनांक 28-08-06 को न्यायालय में भेज दिया जहाँ दोनों पक्षों की जमानत हो गयी। घटना के पश्चात् थानाध्यक्ष गोसाईगंज राजनैतिक दबाव व अनैतिक

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाभ के लिए दिनांक 20-08-06 को पुनः शकील को घर से बुलाकर उसकी रायफल भी घर से उठा ले गये और कानूनी ढंग से फर्जी मुकदमा अ0सं0 820/06 हसीब की तरफ से फर्जी मुकदमा 307 जिसमें किसी को चोट नहीं आयी है को दर्ज करके शकील को पुनः जेल भेज दिया।

एक ही घटना को एन0सी0आर0 दोनों पक्षों की ओर से दर्ज करने के पश्चात् दोनों पक्षों को शान्ती भंग करने के अंदेश में गिरफ्तार करने के पश्चात् उसी घटना की पुनः फर्जी मुकदमों राजनीतिक दबाव के तहत दर्ज कर शकील को पुनः गिरफ्तार कर जेल भेजने से गाँव के लोगों में असंतोष एवं रोष व्याप्त है। थानाध्यक्ष गोसाईगंज द्वारा इस फर्जी मुकदमें में शकील को गिरफ्तार करने की घटना से लोग आन्दोलित हैं तथा पुलिस की कार्यवाही से क्षुब्ध है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर फर्जी ढंग से शकील के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही के विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

गाँधी विचार प्रचार उ0 मा0 विद्यालय कुर्रिया कलां शाहजहाँपुर के बारे में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करने तथा साधिकार नियंत्रक को हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, गाँधी विचार प्रचार उ0मा0 विद्यालय कुर्रिया कला, शाहजहांपुर में साधिकार नियंत्रक को हटाकर प्रबन्ध समिति का चुनाव कराये जाने का आदेश मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा रिट पेटीशन सं0-21746/03 में दिनांक 11.05.2006 को अन्तिम आदेश दिया गया था, इसमें 3 माह में प्रबन्ध समिति का चुनाव कराने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के द्वारा कोई प्रक्रिया भी प्रारम्भ नहीं की गई। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जो समय निर्धारित किया गया था वह सीमा भी समाप्त हो गई। यह मा0 न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी बनती है।

मैं आपके माध्यम से इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर गाँधी विचार प्रचार उ0मा0 विद्यालय कुर्रिया कलां, शाहजहाँपुर के बारे में मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 11-05-2006 का अनुपालन करने तथा साधिकार नियंत्रण को हटाने की मांग करता हूँ। साथ ही तत्काल प्रबन्ध समिति के चुनाव कराने की मांग करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 में आज कुल 05 सूचनाएं प्राप्त हुई थी, इसमें से किसी भी सूचना को नहीं सुना जाएगा और न ही यह ग्राह्य है, यह सभी सूचनाएं अग्राह्य की गई।

(माननीय सदस्य, श्री सलिल विश्नोई, श्री राम इकबाल सिंह और श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाएं, माननीय राम इकबाल जी यह आश्वासन का मामला है। आप नियम-300 में ले आये हैं। मौर्या जी, मैंने आपकी सूचना पढ़ी है, आप हमारे कमरे में आकर कन्विंस कर लेंगे तो हम मान लेंगे। अब हमने अगला मद ले लिया है, आप लोग कृपया बैठ जाएं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 32वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 *

* राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 32वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 (01 अप्रैल, 2003 से 30 अक्टूबर, 2003 तक) को उत्तर प्रदेश रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1950 की धारा-33 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह सदस्य, विधान सभा के गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-83 दिनांक 05 अक्टूबर, 2006 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है:-

अधीक्षक, जिला कारागार रायबरेली ने अपने टेलेक्स दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 जो इस सचिवालय में दिनांक 09 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हुआ है, में यह सूचित किया है कि विचाराधीन बन्दी श्री अखिलेश कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा को अतिरिक्त जिला जज (चतुर्थ), रायबरेली के आदेश दिनाँक 05 अक्टूबर, 2006 के अनुपालन में चिकित्सीय आधार पर जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध किया गया है। उक्त माननीय सदस्य की गिरफ्तारी सम्बन्धी सूचना बुलेटिंग संख्या-74, दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 एवं बुलेटिंग संख्या-83, दिनांक 05 अक्टूबर, 2006 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है।

श्री शिवेन्द्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दिनांक 20 फरवरी, 2004 एवं 2 अगस्त, 2004 को ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा दिये गये केवल वक्तव्यों का संशोधित वक्तव्य

* ग्राम्य विकास मंत्री (श्री राजपाल त्यागी)-

दिनांक 16-02-2004 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित वक्तव्य:-

माननीय विधायक द्वारा विधान सभा के अन्तर्गत नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह विषय उठाया गया है कि जनपद-महराजगंज के ग्राम-टूटीयारी एवं मिठौरा में.....

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(संशोधित केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

---

* छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

["श्री शिवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2004 के दिनांक 16 फरवरी, 2004 एवं द्वितीय सत्र, 2004 के दिनांक 28-7-2004 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिनांक 20 फरवरी, 2004 एवं दिनांक 02 अगस्त, 2004 को दिये गये 'केवल वक्तव्य' के सम्बन्ध में 'उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (बारहवां संस्करण)' के निदेश संख्या-165/166 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना, दिनांक 09-08-2004 के सन्दर्भ में निदेश संख्या-166 (2) की अपेक्षानुसार कृत कार्यवाही की सूचना एवं शोधन केवल वक्तव्य"

सूचना	पूर्व में दिया गया केवल वक्तव्य	शोधन केवल वक्तव्य	गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
दिनांक 16-2-2004 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना का उद्धरण जनपद-महराजगंज के ग्राम टूटीबारी एवं मिठौरा में वर्ष 1999-2000 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दो अलग-अलग ग्रामीण समूह पेयजल योजनायें स्वीकृत की गई थीं जिन पर 10-10 लाख रुपये व्यय करके बोरिंग का कार्य पूर्ण कराया गया था। दोनों योजनायें क्रमशः 86-16 तथा	दिनांक 16-2-2004 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित वक्तव्य :- मा0 विधायक द्वारा विधान सभा के अन्तर्गत नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह विषय उठाया गया है कि जनपद-महराजगंज के ग्राम-टूटीबारी एवं मिठौरा में वर्ष 1999-2000 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वीकृत दो अलग-अलग ग्रामीण समूह पेयजल योजनाओं की अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने की तत्काल आवश्यकता है। 2-उल्लेखनीय है कि जनपद-महराजगंज के विकास खण्ड-निचलौल के अन्तर्गत टूटीबारी ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत	श्री शिवेन्द्र सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16-2-04 तथा दिनांक 28-7-04 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में वर्ष 1999-2000 में जनपद- महराजगंज के ग्राम-टूटीबारी एवं मिठौरा में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वीकृत दो अलग-अलग ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने की मांग की गई थी। 2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि टूटीबारी एवं मिठौरा ग्रामीण पेयजल योजना हेतु रु0 10-10 लाख की स्वीकृति न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (जिला योजना) के	त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता श्री बृजलाल प्रसाद के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश पत्र संख्या-वी0 आई0पी0-628/38-5-04, दि0 13-10-04 द्वारा प्रबन्ध निदेशक जल निगम को दिया गया था किन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04-11-04 को दिये गये स्थगन आदेश के

नोट :-- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

75-81 लाख की थीं। दोनों योजनाओं की शेष धनराशि अभी तक लगातार 4 वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी आवंटित नहीं होने से पाइप लाइन, पानी की टंकी का निर्माण रुका पड़ा है जिससे समय बीतने के साथ-साथ निर्मित बोरिंग भी क्षतिग्रस्त होती जा रही है। योजना का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा 21 नवम्बर, 2001 को होने के बाद धन के अभाव में निर्माण न होने से विकास की उपेक्षा को लेकर जन आक्रोश भी बढ़ रहा है। शासकीय धन जो व्यय हो चुका है उसकी बर्बादी रोकने एवं शेष धन स्वीकार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार	रु0 86.161 लाख तथा विकास खण्ड-मिठौरा के अन्तर्गत मिठौरा ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु0 75.817 लाख वर्ष 1999-2000 में विरचित की गई थी। वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रत्येक योजना हेतु रु0 10-10 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी जिससे एक-एक नलकूप का निर्माण कराकर धनराशि व्यय कर ली गई है। 3-वर्ष 2001-2002 से वर्ष 2003-04 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उक्त दोनों योजनाओं के लिए मांगी गयी धनराशि का जिला समन्वय समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण योजनाओं के शेष कार्य पूर्ण नहीं कराए जा सके। पुनः वर्ष 2004-05 की जिला योजना के अन्तर्गत मिठौरा ग्राम समूह पेयजल योजना के शेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु शेष सम्पूर्ण धनराशि रु0 65.817 लाख का प्रस्ताव जिला समन्वय समिति के समक्ष रखा गया था, जिसके सापेक्ष जिला समन्वय समिति द्वारा रु0 30.00 लाख का अनुमोदन किया गया है। टूटीबारी ग्राम समूह पेयजल योजना के शेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु शेष सम्पूर्ण धनराशि रु0 76.161	अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 18-02-1999 द्वारा निर्गत की गई थी। वित्तीय वर्ष 2001-02 में जिला समन्वय समिति द्वारा जनपद-महराजगंज में ग्रामीण पेयजल हेतु कुल रु0 100.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया गया था, जिसमें रु0 25.00 लाख का परिव्यय उक्त दोनों पाइप पेयजल योजनाओं हेतु सम्मिलित था। अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष रु0 25.00 लाख प्रथम किस्त स्वीकृत की गई थी, जिससे जनपद में 110 नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य कराया गया था। शेष 75.00 लाख की धनराशि ग्रामीण पेयजल सामान्य कार्यक्रम के स्थान पर प्राथमिक पाठशालाओं में हैण्डपम्प अधिष्ठापन के मद में स्वीकृत हो गई थी, जिसे सुधार करते हुए बाद में शासनादेश सं0-10/13-35-आ-2/93-21, दिनांक 22-02-02 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प की स्थापना के मद के स्थान पर ग्रामीण पेयजल सामान्य मद हेतु संशोधित स्वीकृति जारी की गई। उक्त धनराशि शासनादेश सं0-608/38-5-2002, दिनांक 27-03-02 द्वारा जिलाधिकारी, महराजगंज को	कारण श्री प्रसाद के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की गई, सम्प्रति सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, श्री बृजलाल प्रसाद को दिनांक 01-09-05 के अपराह्न से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है।

का वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।	लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2004-05 में बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत प्राविधानित किया जाना प्रस्तावित है।	अवमुक्त की गई थी, जिसमें से रु0 56.75 लाख की धनराशि जल निगम की महराजगंज शाखा को प्राप्त करायी गई थी। जिस शासनादेश द्वारा उक्त धनराशि स्वीकृत की गई थी उसके पैरा-4 के अनुसार उक्त धनराशि का उपयोग हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन तथा रिबोर के लिए किया जाना था तथा पाइप पेयजल योजनाओं पर न्यूनतम धनराशि व्यय की जानी थी, जिससे ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो। अतः उपलब्ध धनराशि रु0 56.75 लाख का व्यय हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन तथा रिबोर हेतु किया गया।	
दिनांक 28-7-04 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना का उद्धरण। जनपद-महराजगंज के ग्राम टूटीबारी एवं मिठौरा में वर्ष 1999-2000 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दो अलग-अलग ग्रामीण समूह पेयजल योजनायें स्वीकृत की गई थीं जिन पर	दिनांक 28-7-2004 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित वक्तव्य :- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड-निचलौल के अन्तर्गत टूटीबारी ग्राम समूह पेयजल योजना, अनु0 लागत रु0 86.161 लाख तथा विकास खण्ड-मिठौरा के अन्तर्गत मिठौरा ग्राम समूह पेयजल योजना, अनु0 लागत रु0 75.817 लाख वर्ष 1999-2000 में विरचित की गई थी जिनमें	3-वर्ष 2004-05 में टूटीबारी ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु रु0 37.03 लाख बी0ए0डी0पी0 के अन्तर्गत प्राविधानित किये जाने का प्रस्ताव था किन्तु शासन स्तर पर राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उक्त के सापेक्ष कोई परिव्यय अनुमोदित नहीं किया गया। वर्ष 2004-05 में मिठौरा ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों हेतु जिला	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10-10 लाख रुपये व्यय करके बोरिंग का कार्य पूर्ण कराया गया था। दोनों योजनायें क्रमशः 86-16 तथा 75-81 लाख की थी दोनों योजनाओं की शेष धनराशि अभी तक लगातार 4 वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी आवंटित नहीं होने से पाइप लाइन, पानी की टंकी का निर्माण रुका पड़ा है जिससे समय बीतने के साथ-साथ निर्मित बोरिंग भी क्षतिग्रस्त होती जा रही है।

योजना का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा 21 नवम्बर, 2001 को होने के बाद धन के अभाव में निर्माण न होने से विकास की उपेक्षा को लेकर जन आक्रोश भी बढ़ रहा है। शासकीय धन जो व्यय हो चुका है उसकी बरबादी

निम्नानुसार प्राविधान किया गया है :-

क्र0 सं0	विवरण	टूटीबारी ग्रा0स0पे0 यो0	मिठौरा ग्रा0स0पे0 यो0
1	सम्मिलित ग्राम	1-टूटीबारी 2-आरजी बैरिया 3-रामनगर	1-मिठौरा 2-जगदौर 3-भागाटार
2	नलकूप संख्या डिस्चार्ज	1 नग 1800 लीटर प्रति मिनट	1-नग 1800 लीटर प्रति मिनट
3	जल वितरण प्रणाली	17.50 कि0मी0	16.20 कि0मी0
4	शिरोपरि जलाशय क्षमता स्टेजिंग	450 किलोलीटर 18 मी0	350 किलोमीटर 18 मी0

वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रत्येक योजना हेतु रु0 10-10 लाख योजना के अन्तर्गत रु0 20.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी।

इस प्रकार दिनांक 31-3-05 तक मिठौरा एवं टूटीबारी ग्राम समूह पेयजल योजनाओं हेतु क्रमशः रु0 30.00 लाख तथा रु0 10.00 लाख की धनराशि ही उपलब्ध हो सकी थी।

4-मिठौरा तथा टूटीबारी ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक शेष धनराशि क्रमशः रु0 45.82 लाख तथा रु0 76.16 लाख हेतु वर्ष 2005-06 की जिला योजना में प्राविधान था, किन्तु शासनादेश की शर्तों के अनुसार 20 प्रतिशत की धनराशि वाटर क्वालिटी टैक्लिंग एवं भूजल रिचार्ज/वर्षा जल संचयन हेतु आरक्षित होने के कारण उक्त योजनाओं के कार्यों हेतु 20 प्रतिशत धनराशि वर्ष 2005-06 में कम प्राप्त हो सकी। अतः मिठौरा एवं टूटीबारी ग्राम समूह पेयजल

रोकने एवं शेष धन स्वीकार किये जाने की तत्काल आवश्यकता है विभिन्न स्तरों पर धन स्वीकार किये जाने के समस्त प्रभाव अभी तक मेरे स्तर से निष्फल रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।	की धनराशि प्राप्त हुई थी जिसमें एक-एक नलकूप का निर्माण करा कर धनराशि व्यय की गई। उक्त दोनों योजनाओं का शिलान्यास तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 21-11-01 को किया गया था। वर्ष 2001-2002 से वर्ष 2003-04 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उक्त दोनों योजनाओं हेतु जिला योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु जल निगम द्वारा प्रस्ताव किया जाता रहा है, परन्तु जिला समन्वय समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण योजनाओं के शेष कार्य पूर्ण नहीं कराये जा सके। पुनः वर्ष 2004-05 में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत मिठौरा ग्राम समूह पेयजल योजना के शेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु शेष सम्पूर्ण धनराशि रु0 65.817 लाख की मांग की गई थी, जिसके सापेक्ष जिला समन्वय समिति द्वारा रु0 20.00 लाख का अनुमोदन किया गया है। वर्ष 2004-05 में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल) के अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु जनपद-महराजगंज	योजनाओं के लिये वांछित रु0 9.16 लाख तथा रु0 15.24 लाख की धनराशि हेतु वर्ष 2006-07 की जिला योजना में प्राविधान किया गया, जिसके सापेक्ष वर्ष 2006-07 में शेष धनराशि स्वीकृत भी की जा चुकी है। इस प्रकार दोनों योजनाओं के कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक समस्त धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। 5-दोनों योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। मिठौरा तथा टूटीबारी ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्य क्रमशः लगभग 80 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत पूर्ण किये जा चुके हैं। मिठौरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से विद्युत संयोजन एवं अवर जलाशय के कार्य तथा टूटीबारी ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत विद्युत संयोजन, 3 कि0मी0 पाइप लाइन एवं अवर जलाशय के कार्य शेष हैं।	

	के लिये रु0 55.38 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। उक्त दोनों ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के शेष कार्यों को पूर्ण कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।	विद्युत संयोजन प्राप्त होने पर मिठौरा तथा टूटीबारी ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः सितम्बर, 06 एवं नवम्बर, 06 के अन्त तक सीधे पम्पिंग कर पेयजल की आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है।]	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

* कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

आज की कार्य-सूची की मद संख्या-7 पर ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा दिये गये संशोधित वक्तव्य के सम्बन्ध में गलत सूचना देने वाले अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अभी रहने दीजिए।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक मिनट सुन लिजिए, सदन की आवश्यकता है। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने एक संशोधित वक्तव्य दिया है।

श्री अध्यक्ष-

उसी समय कहना चाहिए था।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं वक्तव्य पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, वक्तव्य ठीक है। वक्तव्य में गलत सूचना देने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को जो दण्ड सदन में दी गयी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश दे दिया। विधान सभा की कार्यवाही के सम्बन्ध में जो लापरवाही थी उस सम्बन्ध में विधान सभा की नियमावली के अनुसार दण्ड दिया गया, उस पर मा0 उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश दिया है। कृपा करके उसका परीक्षण करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलीय नेताओं से बात करके इसका हल निकाला जायेगा। अगर यह परम्परा बन जायेगी तो ठीक नहीं होगा। उन लोगों को ही नहीं हम लोगों को निर्देश सीधे भेजा जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं विशेष उल्लेख के जरिये व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 *

लोक निर्माण,कृषि विदेश व्यापार, कृषि विपणन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूँ।

निकायों के चुनाव सम्बन्धी नामांकन के समय श्री जगदम्बिका पाल विधायक पर मुकदमा कायम करने का प्रकरण

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे।

* श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, विशेष उल्लेख के तहत दो मिनट सुन लें, आपसे ही सम्बन्धित है। श्री जगदम्बिका पाल जी इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं, इससे सभी अवगत हैं। परसों नामांकन के बाद उनकी पत्नी का नामांकन अवैध घोषित कर दिया गया, वह निर्वाचन से सम्बन्धित है, उससे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन एक फर्जी मुकदमा श्री जगदम्बिका पाल जी पर कायम हुआ है। इल्जाम क्या है ? इल्जाम यह है कि उन्होंने 1200 रुपये की डकैती की है। 1200 रुपये की डकैती का मुकदमा कायम किया जाए और वह कायम हो जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूँगा और मान्यवर, चूँकि आपका मण्डल है इसलिए आप भी संज्ञान में ले लें और मा0 मुख्य मंत्री जी से चाहूँगा कि वह इसको दिखवा लें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, किसी जमाने में यह आक्षेप लगता था कि थानों में रपटें नहीं लिखी जाती। हमने सरकार में आने के बाद आश्वासन दिया था कि कोई भी रपट दर्ज कराना चाहेगा तो उसकी रपट दर्ज होगी। प्रमोद कुमार जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा, उनका तो आदेश चलता है। प्रमोद कुमार जी ने मुकदमा वापसी के लिए कहा है, चार्जशीट के लिए तो नहीं कहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, वापसी तो चार्जशीट के बाद ही हो सकती है, उससे पहले नहीं।

---

* दिनांक 17-10-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात नेता सदन के संज्ञान में आ गयी है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, दोनों अपना कानूनी ज्ञान सही कर लें। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार एक केस रजिस्टर होगा। इन्वेस्टीगेशन होगा, इन्वेस्टीगेशन के बाद अगर सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि केस चलाने लायक नहीं है तो वापस ले लेती है। इन्वेस्टीगेशन आफीसर फाइनल रिपोर्ट भी लगा सकता है, स्पंज भी कर सकता है, चार्टशीट लगाकर वापस लेना अलग बात है, मुकदमा कायम करके वापस लेना, फाइनल रिपोर्ट लगाना अलग बात है। यह दोनों लोग डिग्री धारक जरूर हैं लेकिन पढ़ने लिखने से इनका वास्ता नहीं है। मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको हास्य व्यंग का विषय न बनाएं व मुख्य मंत्री जी हमारी बात का संज्ञान लें।

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में बात आ गई है।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को नियम-311 की दो सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लाल जी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर, श्री काली चरण राजभर, श्री प्रमोद कुमार, श्री श्याम सूरत उपाध्याय की प्रदेश में डेंगू, मस्तिस्क ज्वर, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यही सूचना नियम 311 में भी डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई व श्री राम इकबाल सिंह ने दी है। इनका आगे भी नाम है। इस पर सुबह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लगा था और इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर दो-दो मिनट में अपनी बात रख लें।

श्री धर्म पाल सिंह-

मान्यवर, मेरी भी महत्वपूर्ण सूचना थी। इससे महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि भारत सरकार ने बाल श्रम के सम्बन्ध में कानून को लागू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

बाल श्रम से सम्बन्धित कानून को भारत सरकार ने लागू किया है यह नियम 56 में किस तरह से आ गया। अभी तो यह कानून लागू हुआ है आगे कोई उसमें दिक्कत आएगी तब यहाँ पर सूचना दें जब आगे कोई विसंगति आए तब सूचना दें अभी बैठ जाएं।

श्री धर्म पाल सिंह-

मुझे दो मिनट सुन लें।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

हमारे क्षेत्र का महत्वपूर्ण मामला है। मान्यवर, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा के अवसर पर विवाद हुआ जिसमें दर्जनों निरपराध लोगों को जेल में बन्द किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैं सभी सूचनाओं को पढ़े दे रहा हूँ।

दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जनपद बुलन्दशहर कोतवाली में श्री रामसागर को गैर जमानती वारण्ट के गिरफ्तार किये जाने एवं उससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा के श्री मुरारी लाल फतेहपुरिया सर्राफा व्यापारी के पुत्र को बदमाशों द्वारा गोली मारे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत स्थित गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर को मान्यता न दिये जाने के सम्बन्ध में।

पाँचवी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद भदोही के श्री कपिलदेव मौर्य से पुलिस द्वारा छीनने एवं उसकी हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

छठी सूचना श्री महेश त्रिवेदी की विधायक पर असामाजिक तत्वों द्वारा प्राणघातक हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं। अतः अस्वीकृत हुईं:- श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा की नियम 311 में प्राप्त, श्री राम हेत भारती, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री कौशल किशोर, श्री संजीव दरियाबादी, श्री धर्म पाल सिंह, श्री रवीन्द्र पुण्डीर, डा0 सुशील चौधरी।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

अभी रुक जाइये। आपका बाद में लिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने डेंगू जैसी भयंकर बीमारी से सम्बन्धित समस्या पर नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सुनने का मौका दिया है इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय पूरा उत्तर प्रदेश डेंगू की चपेट में आ गया है। मान्यवर, जैसा कि अभी प्रश्नोत्तर काल में भी इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा हुई है और इसकी भयंकरता का इसी से एहसास किया जा सकता है कि आज प्रदेश के सभी जिले कमोवेश इसकी चपेट में आते चले जा रहे हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह कितनी तेजी से फैल रहा है। अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लखनऊ के ही आलमबाग, स्नेह नगर, आजाद नगर, गोमतीनगर, इन्द्रानगर, नील कंठपुरी, गीता पल्ली, हसनगंज, बालागंज, रकाबगंज, मौलवीगंज, माल ऐवेन्यू साकेतपुरी, बिरहाना आदि इलाकों से मरीज जनपद लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होने शुरु हो गये हैं। यद्यपि इस प्रकार की भयंकर बीमारियाँ समय-समय पर पैदा होती रही हैं और यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी प्रदेश सरकार को इस बात के लिये निर्देश दिये हैं कि 12 अक्टूबर तक इस बारे में कठोर से कठोर और उचित से उचित कार्यवाही करके अवगत कराया जाय। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बीमारी प्रदेश के सभी जनपदों में घर करती जा रही हैं और विशेष रूप से सरकार इसके प्रति चिन्तनशील है। परन्तु जैसा कि महानिदेशक स्वास्थ्य ने कहा कि इसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है जिस कारण इस पर ठीक से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एडिस इजिप्तियाई नामक मच्छर से पैदा होती है

और जैसा कि चिकित्सा विभाग के द्वारा भी समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं कि गंदे पानी में, कूलर के पानी में, नाली में जमा पानी में इस प्रकार से मच्छर पैदा होते हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार इसको बड़ी गम्भीरता से ले। मच्छरों के प्रकोप को खत्म करने के लिये क्योंकि यह एडिस इजिप्तियाई नामक मच्छर से फैलता है जगह-जगह पर जहाँ पर कि इस तरह के मच्छरों के पैदा होने की गुन्जाइश है वहाँ पर दवा का छिड़काव करें। इसके साथ ही साथ गैस भी छोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार दवा के छिड़काव और गैस के भी छोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि मच्छरों के प्रकोप को कम किया जा सके। जैसा कि अभी अम्बिका चौधरी साहब जी जवाब दे रहें थे कि इस तरह की दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि लखनऊ में मैं दारूलशफा में रहता हूँ। जबसे इस तरह की बीमारी की शुरूआत हुई है लखनऊ में कहीं पर भी किसी प्रकार की दवा का छिड़काव नहीं किया गया है न ही गैस को छोड़ने की व्यवस्था की गई हैं। इस गम्भीर बीमारी के प्रकोप से बचने के लिये दवाओं के छिड़काव की व्यवस्था की जानी चाहिए। यद्यपि यह बीमारी इस प्रदेश में ही नहीं है बल्कि देश के विभिन्न प्रदेशों में इसके मरीज ज्यादा तादात में हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश की स्थिति इससे बिगड़ने ना पाये, इसलिये इस बीमारी के प्रकोप से बचने के लिये जरूरी उपाय सुनिश्चित किये जाये।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैल रहीं है। इसमें न सरकार को संदेह है न प्रतिपक्ष को संदेह है भविष्य में यह महामारी का रूप न ले इसकी चिन्ता के साथ मैंने नियम 311 में सूचना दी थी। मैं चाहता यह हूँ कि सरकार का यह कहना कि हमारी तरफ से सारे आवश्यक उपाय कर लिए गये हैं लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने जिन कीट नाशकों का या सरकार जिन कैमिकल का फागिंग करा रही है सरकार के संज्ञान में यह तथ्य सामने आना चाहिए कि उस कीटनाशक से यह मच्छर रजिस्टेंस कर चुका है जहां फागिंग हो रही है वहां पर यह मच्छर बराबर उड़ता देखा जा रहा है इसके लिए सरकार ने कहा था कि जन सहयोग से एक कार्य योजना बनाकर सरकार जारी कर चुकी है 10 अगस्त को, लेकिन 10 अगस्त की कार्य योजना कहीं सड़क पर, क्षेत्रों में उतरती नहीं दिख रही हैं। मैं इसे चर्चा के माध्यम से कहना चाहता हूँ नियम 56 के माध्यम से कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह कि फॉगिंग मशीन सड़क पर उतारी नहीं गई हैं जितनी मात्रा में उपलब्ध हैं वह भी। इसके साथ अन्तिम बात कहना चाहता हूँ कि जन सहयोग की बात जो मंत्री जी ने कही है प्लेट्सलेट्स की, सेपरेशन यूनिट की जो बात है अगर कहीं आस-पास के क्षेत्र से, रक्त उपलब्ध कराया जा सकता है, अगर कहीं सेपरेशन यूनिट से प्लेट्स लेट्स लाई जा सकती है तो उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। श्रीमन् 32 जिलों में यह फैल चुका है। 52 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 800 से ऊपर लोग इससे प्रभावित हैं इसलिए इसको उल्लेख करते हुए मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की मांग कर रहा हूँ। सरकार के संज्ञान में एक तथ्य लाते हुए कि जो कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है या फागिंग में कैमिकल का इस्तेमाल हो रहा है उससे यह मच्छर रजिस्टेंट कर चुका है इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। तो अन्य कीटनाशक खोजकर इसका प्रयोग होना चाहिए।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कई हिस्सों में डेंगू का प्रकोप अपने चरम पर है जैसा मौसम आ रहा है यह हमारी आँख खोलने के लिए काफी था कि 21वीं शताब्दी में रहने वाले लोग बेबस होकर लोगों को मरते हुए देखते रहे। उनके लिए उपचार की व्यवस्था नहीं कर पाये आंकड़े जो कहते हैं उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के 32 जनपदों में इसका प्रभाव है, प्रकोप है। 259 लोगों की जान प्रभावित है और 10 लोग मर चुके हैं। मान्यवर, यह तो वह आंकड़े हैं जो संज्ञान में आए हैं। मैं कह सकता हूँ कि ग्रामीण अंचलों में दूरदराज के इलाकों में बहुत से लोग डेंगू से मर गये हैं जिनका संज्ञान कोई नहीं ले सकता है क्योंकि वह अस्पताल की ड्योढ़ी तक नहीं पहुँच पाए हैं। मान्यवर मेरी चिन्ता इस बात की है आज भी हम खड़े होते हैं तो जवाब यही है कि इसके लिए कोई वैक्सीन या दवाई नहीं है। यह उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है। कई प्रदेश इससे प्रभावित हैं और सर्वाधिक प्रदेश जो प्रभावित हैं वह दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा सभी है। मान्यवर, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बचाव ही इसका मुख्य लक्षण है मुख्य उपचार है हम बचाव कर लें तभी कुछ संभव हो सकता है मैंने पहले भी सुझाव दिया था अब भी दे रहा हूँ और इस पर बल देता हूँ कि सिर्फ प्रदेश के दो हिस्सों में इसका टेस्ट हो यह पर्याप्त नहीं हैं। कम से कम प्रदेश को चार हिस्सों में बांट कर मंडल स्तर पर हर मंडल मुख्यालय पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और इसमें धन की कमी नहीं आनी चाहिए। अभी हमें उत्तर मिला था कि प्रदेश में दो स्थानों पर इसकी व्यवस्था है मान्यवर हर मंडल स्तर पर डेंगू के उपचार के अलावा इसकी जानकारी होनी चाहिए इसके लिए जन जागरण अभियान अवश्य चलाया जाए जो जन जागरण अभियान चला था वह पर्याप्त नहीं था। अगर वह पर्याप्त होता तो लोगों में जागरूकता आती और सरकार को जन सहयोग के साथ छात्रों को, कर्मचारियों को, राजनीतिज्ञों को लेकर डेंगू के खिलाफ विषद अभियान को चलाना चाहिए इसका बचाव ही इसका उपचार है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही लोक महत्व का विषय है अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है इस पर सदन की चर्चा कराई जाए। उचित तो यह होगा कि आज इसका उत्तर न दिलाकर इसमें आज या कल मंत्री जी को पूर्ण उत्तर के साथ सदन में रखना चाहिए। एक दो घंटे में सूचना तैयार नहीं हो सकेगी।

मान्यवर, मैं आग्रह करूँगा कि आज इसे आप सुन लें, कल तक सरकार विस्तृत रूप से तैयार हो जाए और सदन को अवगत करा दे, एक स्पष्टीकरण के माध्यम से। आलोचना करने का मेरा मकसद नहीं है बल्कि इस बीमारी से निजात दिलाने और इसे रोकने का है। मान्यवर, इस बीमारी के कारण लोगों में जो भय व्याप्त हो गया है, वह कैसे निकाला जाए, कैसे इसे रोका जाए, इस पर एक वक्तव्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है, इसलिए मैं इस पर बल देता हूँ।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस बीमारी से सत्ता पक्ष और विपक्ष तथा पूरा प्रदेश चिन्तित है। गाँव-गाँव में एक चर्चा हो रही है, डेंगू की बीमारी के बारे में। आप सदन में इस पर चर्चा करा दें। मान्यवर, मैं इतना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानना चाहता हूँ, अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि उपचार हेतु औषधियाँ सभी जनपदों में उपलब्ध करा दी हैं। यह 11 अगस्त को सेन्सेटिव हुई है और 11 अगस्त को ही सब कुछ कर दिया, सभी जनपदों में दवाएँ उपलब्ध करा दी हैं। एक तरफ कह रहें हैं कि इसकी दवा नहीं बन पायी है। आप जाकर स्वयं देख लें, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ पी0जी0आई0 में एक मरीज ने डाक्टरों की लापरवाही के कारण छत से गिरकर आत्महत्या कर लिया। के0जी0एम0यू0 के बारे में भी रोज फोटो छप रही हैं, जिस प्रकार से मरीजों के साथ लापरवाही हो रही है, वह एक गम्भीर विषय बना हुआ है। आप औचक निरीक्षण कर लें, आप के0जी0एम0यू0, पी0जी0आई0 या और किसी अस्पताल में जाकर देख लें, किसी सदस्य की टीम वहाँ भेज दें, तमाम मरीज हैं, वहाँ उनके साथ लापरवाही हो रही है। मान्यवर, डाक्टरों की रिपोर्ट आई है कि यह क्रोसीन से ठीक हो जायेगा, पेरासीटामाल से ठीक हो जायेगा, एन्टीबायोटिक दवा बन्द कर दी जाए, यह अखबारों में छपा है। मान्यवर, यदि यह क्रोसीन से ठीक हो सकता है, पैरासीटामाल से ठीक हो सकता है तो क्या यही दवा आपने सभी जिलों में भेजा है। दादरी में इस बीमारी के 190 मरीज हैं, 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। मंत्री जी आपकी जो भी व्यवस्था है, मैं उसे शिरोधार्य करता हूँ लेकिन अस्पतालों में लापरवाही हो रहीं है, वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं और डेंगू तथा चिकनगुनिया बीमारी से लोग भयभीत हो गये हैं। आप अस्पतालों को निर्देश दें, कड़ाई करें, मैं गारण्टी के साथ कह रहा हूँ कि अस्पतालों में मरीजों के साथ लापरवाही हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मंत्री जी ने जो दवा उपलब्ध कराने की बात कही है, वह इस सदन में बता दें उन्होंने कौन सी दवा उन्होंने उपलब्ध कराई है ?

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोल रहें हैं, चर्चा पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, 40-50 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो चुकी है, 400-500 लोग इससे ग्रसित हैं, कितने ही लोगों की लापरवाही की वजह से मृत्यु हो रहीं है। मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय और लोकमहत्व का प्रश्न है, आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष-

राम इकबाल जी, आप कुछ कहेंगे ?

*श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 56 के तहत बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। डेंगू का होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार संवेदनहीन है। पूरे प्रदेश में डेंगू महामारी के रूप में फैल रहा है। हमारे राजस्व मंत्री जी हँस रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मई महीने में दवाइयां आवंटित हो गयी हैं, फागिंग के खर्चे आवंटित हो गये हैं। यह सरकार का विरोधाभास है और यह सरकार संवेदनहीन है अगर फागिंग होती तो डेंगू न पैदा होता। इतने मच्छर पैदा नहीं होते। लेकिन यह कार्रवाही तब होती है जब 20-25 लोग कालकलवित हो जाते हैं। अगर सरकार सजग होती तो यह नौबत न आती। सरकार ने तीन साल से ढिंढोरा पीटा कि हमने 8 रुपये का पर्चा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1 रुपये में कर दिया। लेकिन आपने सुविधाएँ तो नहीं दीं। मान्यवर, शिक्षा और स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन के मूल आयाम हैं। मान्यवर, आप जिस इलाके के हैं। इंसेफेलाइटिस की वजह से हजारों लड़के मर गये। यह सरकार स्वास्थ्य के प्रति मम्भीर नहीं है। 17 करोड़ की आबादी में केवल दो जगहों पर ब्लड कम्पोनेंट सैपरेटर मशीन लगी हैं। जो विकसित देश हैं वह रेबीज और इन मच्छरों पर कन्ट्रोल पा चुके हैं। 17 करोड़ की आबादी में केवल एक जगह उपचार है। बलिया से लेकर लखनऊ तक के लोग लखनऊ में जुटेंगे तो क्या उपचार होगा।

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, देहातों में भी अनेकों ऐसे गाँव है जिनकी आबादी 15-20 हजार है। मेरे क्षेत्र में नगला, खजुरा ऐसे गाँव हैं जिनकी आबादी 15-20 हजार है। यहाँ पर मच्छरों की भरमार है। वहाँ पर कैसे फागिंग होगी। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों के लोगों की भी जिंदगी है, उनके भी बच्चे हैं। इनकी जिंदगी बचाने के लिए गाँव में भी फागिंग मशीन का उपयोग किया जाये और ब्लड कम्पोनेंट सैपरेटर मशीन बलिया में लगायी जाये और इस गम्भीर विषय पर चर्चा की मांग करता हूँ।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। वास्तव में इसकी गम्भीरता से इंकार नहीं किया जा सकता और सबने स्वीकार किया है कि यह राजनीतिक मामला नहीं है। कुछ जानकारी वास्तविक हैं, कुछ वास्तविक नहीं भी हैं। इसलिए जो बातें आयी हैं इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

इसकी अगर आतंकी स्थिति चर्चा में फैला देंगे तो इससे लोगों को भयभीत करने के अलावा दूसरा और कुछ नहीं कर पायेंगे। इससे भयभीत करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वाधिक उपयोग की बात तो प्रमोद कुमार जी ने कही है, लोगों के जन जागरण की। मान्यवर, प्रदेश भर में डेंगू के 259 केसेज हैं जो बहुत ज्यादा नहीं है। यह इतनी बड़ी महामारी नहीं है जो लोग इसको महामारी का नाम दे रहें है। मैं मीडिया के लोगों से भी कहूँगा कि जो छोटी समस्याएं हैं उन्हें आतंकी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आतंकी करार देकर प्रसारित कराना जनता के हित में नहीं है। लोगों को अपनी कूलर की सफाई रखनी चाहिए, गन्दा पानी नहीं रहने देना चाहिए। चिकनगुनिया और डेंगू में वायरस का अंतर नहीं है। यह ऐडीस मच्छर से फैलता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्रातः 9.00 बजे से 12.00 बजे तक और सायं 4.00 बजे से 7.00 बजे के बीच काटता है।

श्री प्रमोद कुमार-

वह यही समय क्यों चुनता है ? मान्यवर, यह मच्छर का आचरण किससे मिलता जुलता है ? मुझे लगता है कि यह लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी के आचरण से मिलता जुलता है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

इसका आचरण सदन का समय खाने वाले से मिलता जुलता है न कि बाजपेयी जी के आचरण से।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अम्बिका चौधरी-

तो यह चिकैनगुनिया और डेंगू में वायरस में अन्तर नहीं है। इनके लक्षण में भी ज्यादा अन्तर नहीं है। डेंगू में तेज बुखार आता है, लाल चकत्ते पड़ते हैं, नाक, मलद्वार इत्यादि से रक्त स्राव होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जबकि चिकनगुनिया में लाल चकत्ते नहीं पड़ते हैं, रक्त स्राव नहीं होता है, इसमें जोड़ों में सूजन हो जाती है और सूजन के अलावा इसमें दर्द भी होगा तो यह अन्तर है। एक ही मच्छर इस बीमारी का वाहक है और दोनों का उपाय यह हो सकता है कि सफाई रखी जाय। टंकी में, कूलर में यह मच्छर अण्डे न देने पायें। सरकार अपना काम कर रही है। यह कोई असाध्य रोग नहीं है। सुखदेव राजभर जी ने क्रोसीन और पैरासीटामाल की बात कही है। मान्यवर, इसमें यह कहना चाहूँगा कि इसमें कोई स्पेशल दवा नहीं बनी है। जिस दिन बन जायेगी मैं उनके ब्लाक में सबसे पहले भिजवा दूँगा।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

इनके लिए यह दवा भिजवायेंगे या डेंगू के लिये ?

श्री अम्बिका चौधरी-

इनकी दवा का इन्तजाम दूसरा है। तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि दवा का कोई संकट नहीं है और दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसका जिक्र प्रमोद कुमार जी, सुखदेव राजभर जी न करें। इस पर प्रश्नकाल में काफी चर्चा हो गयी है और इस समय भी पर्याप्त उत्तर आ गया है इसलिए इस नोटिस को अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रस्तुत सूचना पर श्री मौर्या जी, श्री सुखदेव राजभर जी, डॉ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी, प्रमोद कुमार जी, राम इकबाल सिंह जी और माननीय मंत्री जी को सुना। इसमें व्यापक चर्चा हो गयी है प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में और इसके संदर्भ में भी। अब इसमें और चर्चा की आवश्यकता नहीं बची है, सारे तथ्य आ गये हैं इसलिए मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इसमें आपकी तरफ से कुछ निर्देश हो जायें।

श्री अध्यक्ष-

निर्देश देने का आपका सुझाव है, मैं सरकार से जरूर यह अपेक्षा करूँगा कि इसके नियंत्रण पर सतत् नजर रखें और यह सही है कि यह शहरों तक सीमित है, यह कहीं गाँवों में न पहुँच जाय, शहरों में तो तत्काल दवा उपलब्ध हो जाती है, गाँवों में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। दूसरा विषय बाजपेयी जी का है, वह अपने बात कहें।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियम-56 में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। मान्यवर, 05 अक्टूबर, 2006 को बुलन्दशहर में थाना कोतवाली में एक सागर नाम के नौजवान को उसके घर से उठाकर कोतवाली थाने पर लाया गया और लाने पर जब उसके परिवार वालों ने पूछा कि इसको किस विषय पर लाये हैं, जब उसके परिवार वालों ने थाना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोतवाली के इन्चार्ज से यह पूछा कि आप हमारे लड़के को किस बात पर उठाकर लाये हैं तो यह बताया कि इसके विरुद्ध किसी न्यायालय का गैर जमानती वारण्ट है। गैर जमानती वारण्ट पर यदि किसी अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार करके थाने लाती है तो उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है कि 24 घण्टे के भीतर अगर शाम को लाइये तो अगले दिन न्यायालय को उसको उपस्थित कर देती है फिर न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसको जेल भेजना या उसकी जमानत हो जाये तो उसको घर जाने दिया जाता है, लेकिन बुलन्दशहर कोतवाली की पुलिस ने इस लड़के के साथ वह किया जो नियम के विरूद्ध है और पुलिस की निरंकुशता का प्रदेश का यह सबसे बड़ा उदाहरण बन गया मान्यवर, पता नहीं किन अज्ञात कारणों से किसके दबाव में उसके साथ मार-पीट की गयी और मार-पीट भी इस सीमा तक की गयी कि वह मृतप्राय हो गया और तब घबड़ा कर जब कि कोर्ट के नॉनबेलिबल वारण्ट पर पुलिस को जमानत देने का अधिकार नहीं लेकिन पुलिस ने दबाव बनाकर उसके परिवार वालों को उसको जमानत दे दी और जमानत देकर उससे कहा कि इसको गाजियाबाद ले जाओं इलाज के लिए और गाजियाबाद ले जाते समय उसकी रास्ते में मृत्यु हो गयी। पुलिस ने गैर जमानती वारण्ट के आधार पर घर से सागर नाम के नौजवान को उठा कर बुलन्दशहर कोतवाली लाना और लाने के बाद उसको मारना और मारने के बाद उसकी यह परिस्थिति पैदा करना कि जमानत देकर गाजियाबाद जब उसको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। सीधे-सीधे बुलन्दशहर कोतवाली ने हत्या की है यह, मैं इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय साथ ही साथ यह भी मांग करता हूँ कि सरकार यदि इस मामले पर मौन रहें तो आप इस लोकतंत्र के रक्षक हैं उत्तर प्रदेश में, इस सदन की भावनाओं के हमारे सबके संरक्षक हैं, पुलिस की निरंकुशता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है किसी नौजवान की हत्या थाने पर करके मृतप्राय करके उसको नर्सिंग होम भेजना और उसके परिवार में अंधेरा कर देना, इस पर मैं आपसे न्याय मांगता हूँ और सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् इसके तथ्य अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जो आपके निर्देश होंगे हम उन निर्देशों का पालन करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप इसकी एक उच्चस्तरीय जाँच करा कर जाँच आख्या सदन के पटल पर रखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

ठीक है श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष-

तीसरा है जगन प्रसाद गर्ग जी का।

*श्री जगन प्रसाद गर्ग-

आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार दावा कर रही है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेंगे लेकिन मेरे अंदाज से आगरा अपराधियों का नगर बनता जा रहा है। हम लोग गाँव छोड़कर शहर में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए आये थे कि हम वहां पर सुरक्षित रहेंगें लेकिन वहां हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। पुलिस के अधिकारी, बड़े-बड़े अधिकारी चार-चार साल से वहां टिके हुये है बहुत निष्क्रिय है और वह केवल धन बटोरने में लगे हुए हैं, सटोरियों से, जुआ वालों से, भू-माफियाओं से, अपराधियों से धन बटोरने में उनकी दिलचस्पी ज्यादा है, अपराधियों को पकड़ने में नहीं है, अपराधी भय-मुक्त है और यह समझ लो कि आगरे में बहुत दहशत है अध्यक्ष जी मैं चाहता हूँ कि वहाँ से उन अधिकारियों को हटाया जाय और जो दहशत व्याप्त हो गयी है उसको दूर किया जाये वरना आगरा में जो पर्यटक आते हैं देश-विदेश के वे आने बन्द हो जायेंगे यहां भुखमरी फैल जायेगी इसलिए अध्यक्ष जी वहां पर दूसरे पुलिस अधिकारी भेजे जाये और आगरा में जो पाँच तारीख को सूर्य नगर में लूट हुई है उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, छः तारीख को चर्च रोड पर लूट हुई है उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जेबरा हाउस में व्यवसायी को गोली मारी गयी है और सात तारीख को भगवान टाकीज में 25 हजार रुपये लूट लिये गये हैं, शाहगंज में जेवरों से भरे हुए थैले को छीन लिया गया है, सात तारीख को न्यू आगरा में महिला की चैन छीन ली गयी है।

मान्यवर, इसी प्रकार 08 तारीख को.....

श्री अध्यक्ष-

आपकी जो यह सूचना थी उसमें है कि एक व्यक्ति को गोली मारी गयी उसी तक अपने को सीमित रखें। आप क्या चाहते हैं वह इसमें कहें।

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

मान्यवर, मैं यह चाहता हूँ कि वहां की कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है। वहां के पुलिस अधिकारियों को हटाया जाय और सक्षम अधिकारी वहां पर भेजे जायें। तब जाकर वहां शांति व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त होगी। मान्यवर, जो 08 तारीख की घटना है मेरे दामाद के साथ गोलीकाण्ड हुआ है। वहां के लोग कह रहें हैं कि जब विधायक के दामाद को गोली मारी गयी और पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा है तो आम आदमी का क्या होगा। इसलिए इन अधिकारियों को वहां से हटाकर सक्षम अधिकारियों को वहां पर रखा जाय ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति वहां पर कायम हो सके।

*श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, यह बड़ी गंभीर घटना है। जिनका बेटा था वह आगरा से सांसद का चुनाव लड़े थे। जो हमारे विधायक के दामाद हैं वह दुकान से उतर रहा था कि कुछ लोगों ने घेर करके उसे गोली मार दी है। यह आगरा के अखबार में बकायदा सारी टाइमिंग्स दी हुई है कि 09 बजकर 21 मिनट पर बदमाशों ने गोली मारी और 11.30 बजे चौकी के प्रभारी वहां पर पहुंचे। आप मान्यवर इसका विश्लेषण करें कि पुलिस आज कितनी निरंकुश हो गयी है। उसके ऊपर आपका कोई दवाव नहीं रह गया है। जब जनप्रतिनिधियों के साथ यह सब हो रहा है तो आम आदमियों की हालत क्या हो रही होगी इसका अंदाजा आप लगा लें। मान्यवर, विधायक के दामाद के ऊपर हमला हुआ और पुलिस ढाई घंटे बाद वहां पर पहुंची है यह कोई मामूली घटना नहीं है। मान्यवर, अगर इसमें सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करती है तो आप इस सदन के संरक्षक हैं आप विधायकों के गार्जियन हैं आप इस पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी व्यवस्था दें। उन पुलिस अधिकारियों को कोई न कोई सजा देनी चाहिए, इस पर आप व्यवस्था दें। यह बहुत गंभीर विषय है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियम 56 की जो सूचना दी गयी है उस सूचना को आप कृपया देखने का कष्ट करें। मान्यवर, माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में उल्लेख भी किया है, और उसमें एक साथ 12-13, 14-15 घटनाओं का जिक्र है।

*श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, यह उसे घुमाने की बात न करें। अगर सदन के किसी भी सदस्य के साथ ऐसा होता है तो फिर हमारा सदन में बैठना बेकार है। यह रेफरेंस दिये है कि आगरा में आज अपराध की स्थिति क्या है। एक हफ्ते में कितनी घटनायें हुई है। यह आप किसे समझा रहें हैं, यह आप इस तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहें हैं। एक घटना है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने बताया है और यह रेफरेंस दिया है कि एक हफ्ते के अन्दर कितनी लूटपाट की घटनाएं हुई हैं और एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है। वहां पर पुलिस क्या कर रही है। इसके बजाय आप यह बताना चाह रहें हैं कि इसमें एक से अधिक विषय हैं इसलिए ग्राह्य नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कदाचित् माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाया। हम लोग उनसे सीखते हैं। मैंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया और आपने मेरा आशय समझ लिया। यह आपका स्नेह है। इसलिए दुबारा से कहना चाहता हूँ कि आप इस सूचना को पढ़ लें और माननीय सदस्य ने जो कहा है वह आप दोनों कार्यवाहियों को देख लें। उन्होंने इसमें एक साथ इतनी घटनाओं का उल्लेख किया है कि इसका नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह उसमें आ ही नहीं सकता है। नियम 56 की अनिवार्यता है कि घटना सुनिश्चित होनी चाहिए घटनाएं नहीं। इस ग्राउन्ड पर यह नोटिस ग्राह्य नहीं हो सकती है। लेकिन प्रश्न दूसरा है। यह नोटिस नहीं भी देते बिना किसी लिखा पढ़ी के यह बात कह देते तो भी बात महत्वपूर्ण हो जाती। मान्यवर, अगर किसी माननीय सदस्य के साथ या उसके परिवारजन के साथ कोई घटना हो जाती है, उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष उसका उल्लेख कर देते तो स्वयं नेता सदन, पूरी सरकार इसको गंभीरता से लेती। इसको गंभीरता से न लेने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन इस नोटिस पर मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है। यह नोटिस ग्राह्य है ही नहीं। आप मान्यवर इसका संज्ञान कतई न लें। लेकिन जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके दामाद के साथ घटना हो गयी है।

यह शहर में है साधारण आदमी का जनजीवन कैसे सुरक्षित होगा यह वाक्य अपने आपमें अत्यन्त महत्वपूर्ण है और हम इसको बहुत गम्भीरता से दिखवायेंगे और माननीय नेता प्रतिपक्ष को अवगत भी करायेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है और जो समुचित कार्यवाही होगी, वह समुचित कार्यवाही इस सम्बन्ध में की जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह जो विषय था, आपका विषय था गर्ग साहब का 8-10-2006 दिन रविवार की घटना के सम्बन्ध में।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा यह कहना था कि मैंने अपना अनुरोध कर लिया बाकी अब आपका निर्णय है।

श्री अध्यक्ष-

8-10-2006 की घटना है और गोली मारी गयी है इस घटना पर आप पूरी तरह से जांच कराकर और जो कार्यवाही हो उसको नेता विपक्ष को और सदन को भी अवगत करा दें।

इसे मैं अग्राह्य करता हूँ।

डॉ0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पूरनपुर विधान सभा क्षेत्र में गन्ना कृषक महाविद्यालय 1994 में स्थापित हुआ था जिसे गन्ना किसानों ने अपनी कटौती करके 46 लाख रूपये से निर्मित कराया था। बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि उसकी जो प्रोविजनल मान्यता थी वह शासन द्वारा समाप्त कर दी गयी है। इस साल 10-11 अक्टूबर हो गया है अभी तक 1300 बच्चों के एडमीशन फार्म जमा किये गये हैं लेकिन बच्चों का एडमीशन नहीं लिया गया है। बच्चे दर-दर भटक रहे हैं। चाहे युवक कॉंग्रेस हो, एआईबीपी हो, चाहे समाजवादी युवजन सभा हो सारे दलों के यूथ विंग ने चक्का जाम किया है और मांग की है कि गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर को मान्यता दी जाय ताकि बच्चों का एडमीशन हो सकें। मान्यवर, अक्टूबर माह चल रहा है अगर गन्ना कृषक महाविद्यालय को मान्यता नहीं दी जाती तो प्रदेश में उन बच्चे-बच्चियों को प्रवेश कहां दिया जायेगा। इसलिए मैं इस ग्राह्यता पर बल देते हुए आपसे मांग करूँगा कि गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर को मान्यता दिलाई जाये। मान्यवर, दूसरा यह भी संदर्भ देना चाहूँगा कि 1994 में 46 लाख रुपये दिये गये थे निर्माण एजेन्सी ने विद्यालय का भवन बनाकर दे दिया लेकिन अभी तक हस्तांतरित नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मान्यता तक सीमित रखिये।

श्री राम इकबाल सिंह-

इसलिए मैं ग्राह्यता पर बल देते हुए आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि इस विषय पर सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् माननीय विनोद तिवारी जी ने जो नोटिस दी है उसमें प्रश्न और उत्तर दोनों लिख दिये है। इसलिए ज्यादा कठिनाई नहीं है। इन्होंने स्वयं यह लिख दिया कि विद्यालय अभी तक हस्तांतरित नहीं है तो विद्यालय की अनुपस्थिति में मान्यता कैसे दी जा सकती है। इसलिए आप तो भिज्ञ हैं और नियमों से भी वाकिफ है 94 से लेकर 12 वर्ष बीत गये। इन 12 वर्षों में स्थाई मान्यता तो पहले हो जानी चाहिए थी अगर सारी शर्तें पूरी थी तो हम इसको दिखवा लेंगे कि किन कारणों से

यह कदम उठाया गया है। चूँकि यह नियम 56 की परिधि में नहीं आता दो विषय भी हैं, बिल्डिंग के हस्तांतरण का भी मामला है, मान्यता का भी मामला है, इसलिए नियम 56 अग्राह्य कर दें बाकी हम दिखवा लेंगे मान्यता क्यों नहीं मिली मान्यता अगर पहले थी, तो मान्यता मिलनी चाहिए।

डॉ0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, इसमें जो व्यवधान था वहाँ पर शिक्षित प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं थी तो यहाँ से निर्देश दिया गया कि नियुक्ति आप करें तो प्रबन्ध समिति ने उन शिक्षक की नियुक्ति कर दिया है।

(डा0 विनोद तिवारी के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

देखिये मान्यता का मामला महामहिम राज्यपाल जी के कार्यालय से सम्बन्धित है। शासन सिर्फ आपकी पत्रावली भेजता है तो आप सीधे यह पता करिये कि आपकी पत्रावली यदि शासन में है तो भिजवा लीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियमों में अनुमन्य होगा तो दिया जायेगा। अगर शर्तें पूरी होंगी और नियमों में मान्यता की अनुमन्यता होगी तो अवश्य दिया जायेगा।

डॉ0 विनोद तिवारी-

पत्रावली प्रमुख सचिव, शिक्षा के यहाँ पड़ी है वहाँ से राज्यपाल जी के यहाँ नहीं भेजी जा रहीं है। तो मेरा आग्रह है कि राज्यपाल जी के यहाँ संस्तुति के साथ भेजी जानी चाहिये, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो।

श्री अध्यक्ष-

आपको मैंने सुना और माननीय मंत्री जी ने कहा कि सारी शर्तें पूरी होगी तो भेज दी जायेंगी। प्रश्न का उत्तर भी आ गया, मैं अब इसे अग्राह्य करता हूँ।

अगली सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की है।

*श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसी घटना की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ जो शासन और प्रशासन पर बदनुमा धब्बा लगा हुआ है। भदोही जनपद के रजपुरा निवासी कपिलदेव मौर्य, जो बी0ए0 तृतीय वर्ष का छात्र था, मैकेनिक का भी काम करता था। 12 सितम्बर को वह 40 हजार रूपया लेकर सामान खरीदने के लिये बनारस गया। घर से वह यह कहकर भी गया कि उसने 15 हजार रुपया किसी को नौकरी के लिये दिया है, उसके यहाँ भी तगादे के लिये मैं जाऊँगा । मान्यवर, 12 तारीख को कपिलदेव मौर्या बनारस जाते हैं और 13 तारीख को सुबह बनारस जनपद के ही कपसेटी थानान्तर्गत रेलवे ट्रैक के किनारे उसका शव प्राप्त होता है। कपिलदेव के पास मोबाइल फोन भी था, घर के लोगों ने जब फोन पर उसको कांटेक्ट किया तो जहाँ पर उसकी लाश थी, वहीं पर उसकी जेब से फोन की आवाज आई तो गाँव के लोगों ने उसके फोन पर ही उन लोगों को यह सूचना दी कि जिसकों आप फोन कर रहें हैं, उसका शव यहाँ पर पड़ा है। घर के लोग वहाँ पर गये और दुर्घटना मानकर उसका पंचनामा कपसेटी थाने पर करवाया और लाश को पोस्टमार्टम कराने के लिये बनारस ले गये। जब वह लोग दाह संस्कार करके घर लौट रहें थे तो कपिलदेव के मोबाइल के कवर के अन्दर एक कागज प्राप्त हुआ जिस पर लिखा था कि थाना महमूरगंज की पुलिस ने 40 हजार रुपया ले लिया और डेढ़ बजे से मुझे बंद रखा गया था कुछ लिख पढ़ भी नहीं रहे हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस के लोग और कह रहें हैं कि मैं तुम्हारी हत्या को आत्महत्या दिखाऊँगा और मुझे चोरी का इल्जाम लगाकर थाने पर बिठा रखा गया है। ऐसा लिखकर उसने अपना हस्ताक्षर भी बना दिया था। घर के लोगों ने यह नोट देखा तो एस0एस0पी0 के यहाँ गये, पहले तो कोई कार्यवाही नहीं हुयी, जब जनता का दबाव पड़ा तो उसके आधार पर एस0एस0पी0 ने थाना कपसेठी में एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी। लेकिन इसके बाद सारे पुलिसकर्मी उसके भाई और पिता पर यह दबाव बनाने लगे कि तुम यह कह दो कि यह कपिलदेव का लिखा नोट नहीं है। मान्यवर, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उसके भाई को जबरदस्ती लालच देकर, जबरदस्ती यह कहलाने का प्रयास किया गया कि पैसा लेकर यह कह दो कि यह कपिलदेव मौर्या का लिखा नोट नहीं है और धमकी भी दी गयी कि यदि तुम यह नहीं लिखते हो कि यह उसका लिखा नोट नहीं है तो तुम्हें भी जेल जाना होगा और तुम्हारे ऊपर यह आरोप होगा कि तुमने ही कपिलदेव की हत्या की है। मान्यवर, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी स्थिति भदोही जनपद में चौथी हो गयी है। एक साल के अन्दर पुलिसकर्मियों द्वारा हत्या करने की यह चौथी घटना है। पहले 14 अक्टूबर को गिरीश पाण्डे की हत्या हुयी, चौरी थाना में डी0एम0 का गनर ए0के0-47 की गोली चला दिया और गिरीश पाण्डे का भेजा उड़ गया। दूसरी घटना गुलाब बिन्द की है उसे ऊज थाने में ले जाया गया बिना किसी एफ0आई0आर0 के और एक डाक्टर के कहने पर गुलाब बिन्द की हत्या कर दिया दरोगा ने।

श्री अध्यक्ष-

इसी तक आप सीमित रखें, वह सब घटनाएं क्यों बता रहें हैं ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जो हालात है वहाँ पर वह बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

जो अपने 12 सितम्बर की घटना बतायी, वही रहने दें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैं वहीं ले रहा हूँ, जो सच्चाई है। तीसरी घटना राजेश जो कि दलित है, जिसे पुलिस ने मार दिया, चौथी घटना कपिल देव मौर्य की है, जिसका कि कोई अपराध नहीं था, फिर भी उसकी हत्या पुलिस ने पैसा ले करके, पैसे के लालच में कर दी। आन्दोलन चला, पूरे बनारस के अखबारों में यह हेडिंग बनी कि पुलिस इस घटना को काला धब्बा मानकर लीपापोती करना चाहती है। मैं माँग करता हूँ कि पुलिस से घटना सम्बन्धित होने के कारण उस गरीब परिवार को न्याय मिलने की सम्भावना कम है, ऐसी स्थिति में यदि सरकार कार्यवाही करना चाहती है तो इस मामले की सी0आई0डी0 जाँच करायें, जब तक सी0आई0डी0 जाँच नहीं होगी, उस गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आपने अपनी बात कह दी, अब सरकार का भी पक्ष आ जाने दीजिए।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, थाने वालों ने बयान दे दिया कि यह महमूदाबाद थाने में बन्द ही नहीं हुआ, इस प्रकार से पुलिस मार रही है। अम्बिका जी हँस रहे हैं, हँसिये मत।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, यह पत्र है, हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मिश्रा जी ने पत्र पढ़कर सुना दिया है, अब वह सदन के संज्ञान में आ गया है, आप बैठ जाएं। मिश्रा जी विद्वान सदस्य हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप सरकार को निर्देश दें कि उस गरीब परिवार को पाँच लाख रुपये का मुआवजा दे, वह 22 साल का नौजवान छात्र था और मैकेनिक भी था तो मान्यवर, उसकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब रही होगी, इससे यह अंदाजा आसानी से लग जाता है। मान्यवर, वह छात्र होते हुए भी मैकेनिक का काम करता था और मशीन खरीदने के लिए गया हुआ था। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस घटना की सी0आई0डी0 से जाँच करायी जाए, तभी उस गरीब परिवार को न्याय मिल सकेगा और सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करायी जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मिश्रा जी ने जो अनेक घटनाएं बतायी हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

केवल एक घटना बतायी है जो कि कपिलदेव से सम्बन्धित है, उस पर कार्यवाही करने का आश्वासन न दे करके आप हीला-हवाली कर रहें हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ और अगर आप पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं, तो उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। अभी मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ, जिन अनेक घटनाओं का आपने जिक्र किया है और यह साबित करने का प्रयास किया है कि पुलिस कॉंट्रैक्ट किलर हो गयी है और लोगों को मार रही है। मान्यवर, एक छात्र जो इतना गरीब है कि पढ़ने के साथ-साथ मैकेनिक का भी काम करता था, बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता था, उसको मारने के लिए पुलिस को कितना कॉंट्रैक्ट मिला होगा। अगर यही स्थिति ठेकेदारी में होती, एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार को मारने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करता तो बात कुछ समझ में आती लेकिन मान्यवर, जो मुश्किल से पेट पालता था, क्या उसके लिए कॉंट्रैक्ट किलर की जरूरत हो सकती है ? मैं नहीं कह रहा हूँ।

(श्री रंगनाथ मिश्र जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, मंत्री जी की बात सुन लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, रंगनाथ जी को उनकी ही बात सुना रहा हूँ। आपने जो कहा है उसी का संज्ञान सरकार लेगी। मान्यवर, इतनी बड़ी पुलिस को कॉंट्रैक्ट किलर की आवश्यकता हो गयी है और एक ऐसा व्यक्ति जो छात्र है, पेट पालने के लिए मैकेनिक का काम करता है, उसके लिए कॉंट्रैक्ट लेगी पुलिस ? यह रंगनाथ जी का कहना है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, यह जो मर गया है, जिसकी रक्षा करने का दायित्व आप पर था वह व्यक्ति कह रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, रंगनाथ जी का जो आरोप है वह अपने आप में कितना मजबूत नजर आ रहा है, यह आप स्वयं देख लेंगें। जिस किसी की भी हत्या हो, वह दुःखद है, हत्यारे को हर हाल में दण्ड

मिलना चाहिए। हमारी जो स्थापित न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार जो समुचित कार्यवाही होनी है वह हम करेंगे। वह जमाना नहीं है।.....

(श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा बीच में यह कहने पर कि उसकी सी0आई0डी0 से जाँच कराइये।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह कोई तरीका नहीं है कि हर लाइन के बाद खड़े हो जायेंगे। मैंने धैर्यपूर्वक आपको सुना है। यह कोई तरीका नहीं है, अगर आपको ही बोलना है तो मैं बैठ जाता हूँ, आप कह लीजिए।

(श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा पुनः टोकने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं अपनी बात कहूँगा। इस सदन में जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मुझे भी है। इसलिए पूरे धैर्यपूर्वक आपकी बात को सुन रहा था। इतने अधीर क्यों हो रहें हैं, वह जमाना चला गया जब सरेआम हत्यायें होती थी और मुकदमा पंजीकृत नहीं होता था। आज कोई बहुत बड़ा ओहदेदार क्यों न हो, अगर उस पर आरोप होगा तो एफ0आई0आर0 लिखी जायेगी, उस पर कार्यवाही होगी, उसकी तफतीश की जायेगी। जो भी आपने दिया है, हम उसका संज्ञान लेते हैं, समुचित कार्यवाही करायेगें और जो भी दोषी होगा वह दण्डित होगा।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैं सी0आई0डी0 से जाँच कराने की माँग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने अपना वर्जन रख दिया, मैंने आपकी भी बात सुनी।....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सीधे-सीधे इस सूचना के माध्यम से रंगनाथ मिश्र जी ने आरोप लगाया है कि कपिल देव का 40 हजार रुपया लेने की वजह से पुलिस ने हत्या करके लाश को रेलवे लाइन पर डाल दी और एक चिट लिखकर उसके मोबाइल कवर के अन्दर डाल दिया जो साजिश का खुलासा करती है और पुलिस कर्मी इसमें खुद इन्वाल्व हैं। इसमें कॉंट्रेक्ट किलर का प्रश्न नहीं उठता है। कपिलदेव का 40 हजार रुपया पुलिस हथियाये बैठी है। इसलिए सी0आई0डी0 जाँच की माँग की जा रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

एक स्टोरी नेता बहुजन समाज पार्टी ने खारिज कर दी और दूसरी स्टोरी ले आये। श्रीमन्, इस तरीके की जितनी भी स्टोरी आयेगी उन सबकी जाँच होगी। मेरा कहना यह है कि सदन में यूँ तो वाक् स्वातन्त्रय है लेकिन कहने वाले को क्षण-क्षण में अपना आधार बदलने की स्वतन्त्रता नहीं हैं।

(इसी बीच श्री रंगनाथ मिश्र सदन की वेल में आ गये)

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैंने यह कहा है कि भदोही जनपद में ऐसा हो रहा है। मैंने कॉंट्रेक्ट किलर नहीं कहा है, चार-चार घटनायें हुई जिसमें पुलिस ने हत्यायें की हैं। इसलिए इन घटनाओं की बात कही है कि जैसे लगता है कि पुलिस कॉंट्रेक्ट किलर हो गयी है।....

(घोर व्यवधान के मध्य)

इसकी सी0आई0डी0 जाँच हो जाये। इसमें कौन सी परेशानी है। मैं सी0बी0आई0 जाँच की बात तो कर नहीं रहा हूँ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जो भी हत्यारे हों उनको सजा दिलाई जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया अपने आसन पर जायं।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी कदाचित हमारी बात सुन नहीं पाए। मैंने कहा कि इसकी पूरी गम्भीरता के साथ जाँच कराई जायेगी जो भी दोषी होगा चाहे वह दरोगा हो, सिपाही हो या कोई दूसरा बड़ा अधिकारी जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

सी0आई0डी0 जाँच में भी विलम्ब लगता है। मंत्री जी ने कह दिया है कि जो भी जाँच में दोषी होगा उसे दंडित करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जहाँ पर पुलिस कर्मियों ने ही जघन्य अपराध किया हो वहाँ पुलिस जाँच कैसे निष्पक्ष होगी इसलिए सी0आई0डी0 जाँच करवा लें।

श्री महेश त्रिवेदी-

इसी तरह की सूचना मैंने नियम 56 में दी है।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो सूचना दी है उसको मैंने सुनने के लिए लिया है। मौर्य जी यह सही है कि यह घटना गम्भीर है इसीलिए मंत्री जी ने भी कहा है कि इसकी पूरी जाँच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जायेगा।

श्री रंगनाथ मिश्र-

इसकी सी0आई0डी0 जाँच करवा लें।

श्री अध्यक्ष-

सी0आई0डी0 जाँच से ऐसा नहीं है कि तथ्य बदल जाएंगे। सी0आई0डी0 जाँच में विलम्ब हो सकता है। मंत्री जी इसकी एक सप्ताह में जाँच कराकर उसकी जाँच आख्या मुझे उपलब्ध करा दें।

(फ्लोर पर आये हुए सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, मेरी सूचना को अपने नियम-311 में कन्वर्ट किया है।

श्री अध्यक्ष-

हाँ कन्वर्ट किया है। आपको कुछ कहना है ? वैसे तो यह मामला न्यायालय में चला गया है। संक्षेप में अपनी बात कहनी हो तो कह लें। आज बहुत चर्चा लगी है। आपका प्रतिमा वाला था। मैं

चाहता हूँ कि नियम-56 खत्म करके 2 विधेयक लेकर मद संख्या-24 को ले लिया जाये ताकि जिन अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। एक महत्वपूर्ण बात होने जा रहीं है, उसका निस्तारण हो जाय। नियम-56 तो रोज होते रहते हैं।

(किसी सदस्य के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे इनकी सूचना है। महिला सदस्य हैं, इन्होंने सूचना दी है। बोल रही हैं, इनको बोलने दीजिये।

*श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, आपने नियम-311 में मुझे सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देती हूँ। मान्यवर, घटनाक्रम अनूपगंज सहादतगंज की है। वहाँ पर पिछले वर्ष दुर्गा जी की प्रतिमा की स्थापना हिन्दू और मुस्लिम दोनों सम्प्रदाय के लोगों ने मिलकर की थी और मुख्य मार्ग से ले जाकर उसका विसर्जन भी किया था और कोई विवाद नहीं हुआ था लेकिन इस वर्ष जब दुर्गा प्रतिमा की स्थापना का समय आया तो एक वर्ग ने जो कि वहाँ पर 85 प्रतिशत मुस्लिम वर्ग और 15 प्रतिशत हिन्दू वर्ग के लोग है। 85 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हम इस वर्ष प्रतिमा की स्थापना नहीं करने देंगें। और यदि प्रतिमा की स्थापना की जायेगी तो हमारी शर्तों और नियमों पर होगी और हम जिधर से कहेंगे आपको उधर से मूर्ति विसर्जन का मार्ग तय करना पड़ेगा। मान्यवर, यह विवाद चलता रहा और जिला प्रशासन से कहने के बाद भी इस विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया। दुर्गा जागरण समिति के लोग शासन प्रशासन में एप्रोच करते रहें लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। दुर्गा प्रतिमा स्थापना का समय आने तक जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो लोगों में जनाक्रोश फैलने लगा और दुर्गा जागरण समिति के लोगों ने प्रतिमा की स्थापना निर्विवाद जगह पर कर दी। इन लोगों के प्रतिमा स्थापना करने से पुलिस वर्ग चिढ़ गया और उन्होंने प्रतिमा को ट्रक में ले जाकर जबरदस्ती थाने में रख दिया। दुर्गा जागरण समिति के लोग वहाँ गये और माँग करने लगे कि प्रतिमा हमको वापस कर दी जाय, यह हमारा धार्मिक कृत्य है, हम लोग धार्मिक उत्सव मना रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने मनाया था तो कोई मना नहीं किया गया था इसकी सी0डी0 भी बनी है। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी इस वर्ष एक वर्ग विशेष की आपत्ति के कारण रोका जा रहा है जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। जब इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया तो शाम होते होते तक उन्होंने दूसरी प्रतिमा को स्थापति कर दिया। उस समय तक प्रशासन ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया था। पता नहीं किस दबाव के कारण नहीं लिया और यह जो दुर्गा जागरण समिति के लोग थे यह सब माननीय उच्च न्यायालय चले गये। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिमा की स्थापना कराई जाये और दुर्गा जागरण समिति के लोग एक मार्ग बनाकर दें जिससे जिलाधिकारी लॉ एण्ड आर्डर के अनुसार प्रतिमा का विसर्जन करायें। इस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया और 2 अक्टूबर जो महान दिवस था। महात्मा गाँधी का जन्म दिवस, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिन, रमजान का महीना, दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन और उसी दिन दशहरे का मेला भी था। इतने महत्वपूर्ण दिन पर भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लेते हुए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों की भावनाओं का ध्यान न रखते हुए कुछ लोगों को संज्ञान में लेकर एक समिति जो उनकी थी राम लीला समिति सहादतगंज की उसके अध्यक्ष को कस्टडी में लेकर प्रतिमा को ट्रक में भरकर जबरदस्ती विसर्जन के लिये ले जा रहें थे। इससे लोगों में उत्तेजना फैल गई और लोगों ने उस प्रतिमा को रोका तो वहीं से पुलिस ने बल प्रयोग करके माहौल बिगाड़ा। मसौली से जहाँ 60-65 प्रतिमाएं विभिन्न गाँवों में जो रखी जाती थी वे सब विसर्जन के लिये ले जाई जा रहीं थीं कि तब ही एक अफवाह लोगों में फैली अनूपगंज की प्रतिमा को पुलिस ने जबर्दस्ती विसर्जन कर दिया इस बात को लेकर मसौली के लोगों ने वहीं रास्ते में प्रतिमा रख दी और मांग करने लगे कि पहले अनूपगंज की प्रतिमा को लाकर विसर्जित कराए जाए, तब हम विसर्जित करेंगे। मान्यवर, यह कार्यक्रम शाम को 6-7 बजे तक चलता रहा। मान्यवर, पहले दो तीन कम्पनी पी0ए0सी0 लगती थी लेकिन इस बार प्रशासन ने कोई सुरक्षा का पी0ए0सी0 का ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं किया कि ऐसी महत्वपूर्ण दिवस पर कोई ऐसी घटना न घटे। क्योंकि 1951 में एक बार अनूपगंज में दंगा भड़क चुका है जिसमें तीन हिन्दू मारे गये थे। बहुत मुश्किल से वहां हिन्दू मुस्लिम का सौहार्द हो पाया था। मान्यवर, इस घटना के बाद रात को 11-12 बजे रात को जाम लग गया तो कुछ अराजक तत्व घुस आए अंधेरे का मौका निकालकर, उन्होंने बसों को फूँका। जब दिक्कतें हुईं तब जाकर जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। मूर्ति का विसर्जन हुआ। इसमें एक तरफा हिन्दुओं को जेल में बन्द किया गया है। इसमें मान्यवर, दो रिपोर्टें दर्ज हुई हैं एक तो सआदतगंज काण्ड को लेकर, और दूसरा मसौली के काण्ड को लेकर। मान्यवर, नारायण धर पाण्डेय है उनको पुलिस दिन भर कस्टडी में रखे रही उन्हें सआदतगंज के काण्ड में भी रखा गया और मसौली के काण्ड में भी उनको दिखाया गया है। सिर्फ एक घंटे का अंतराल हैं जब मैं जेल में मिलने गई तो पता लगा वहां एक व्यक्ति अपनी बहन का करवा लेकर गया, उसको जेल में बंद कर दिया गया। उसने कहा कि मैं तो करवा लेकर गया था मुझे जेल में बन्द कर दिया इसमें एक तरफा हिन्दुओं को जेल में बन्द कर दिया गया है। एक भी मुस्लिम व्यक्ति को जेल में बन्द नहीं किया गया है मेरा मतलब कोई सौहार्द बिगाड़ने से नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। यह इतना बड़ा धार्मिक उत्सव है इसको हल्के से लेकर कार्यवाही की गई है। बाद में लोगों को पकड़-पकड़ कर जेल में डाला गया है विभिन्न धाराओं में। इसमें सरकार उच्चस्तरीय कमेटी से जाँच करा ले और जो एक तरफा लोगों को बन्द किया गया है जो गरीब हैं, जो पकड़े गये है, उन्हें छोड़ें। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर वहां भेजी जाए। आज भी लोग गांव से भागे हुए हैं। पलायन किए हुए हैं पुलिस गाँव में दहशत पैदा कर रहीं है लोगों को जबर्दस्ती नाम रख रहीं है। कल चर्चा थी कि साढ़े तीन सौ लोगों के नाम उसमें रखे गये हैं। वह पकड़ लिए जाएंगे। इस तरह की जो अफवाह फैली है इसमें आप गम्भीरता से संज्ञान लेकर वहां पर शान्ति व्यवस्था कायम कराने के लिए निर्देश देने का कष्ट करें।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

माननीय सदस्या ने संज्ञान में लाया है अवश्य संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन एक बात बड़ी फिक्रमंदी की है कि अभी तक कोई मुसलमान नहीं पकड़ा गया है तो कुछ मुसलमानों के नाम दे दें उनको पकड़वा दें। वैसे तो आपने देश भर के मुसलमानों के नाम दिये हुए हैं आपने पकड़ने के लिए,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगाइए। क्योंकि आप एक माँ भी हो सकती है और होगी। तो मुसलमानों के नाम मिल जाते वैसे तो मैंने कह रखा है कि पूरे देश के मुसलमानों के नाम आपने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

अगर हिम्मत होती तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह घटना घटित न होती वहां प्रशासन पंगु बना हुआ है यह मैं कह रहीं हूँ।

श्री मुहम्मद आज़म खाँ-

यकीनन आप जितना प्रशासन को दोष दें, सही है लेकिन आप सदन में बैठकर इस तरह के शब्द इस्तेमाल करें और यह भाषा इस्तेमाल करें तो क्या संदेश दुनिया में जाएगा क्या हमारे बारे में राय कायम होगी कि हम किस हद तक लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाने में लगे हुए हैं। हमें किसी से शिकायत हो सकती है लेकिन कानून और कानूनी व्यवस्था से शिकायत नहीं होनी चाहिए। हम इंगित करके किसी धर्म के लोगों के लिए यह कहें कि कोई मुसलमान नहीं पकड़ा गया कोई हिन्दू नहीं पकड़ा गया यह निन्दा का विषय है।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, माननीय टण्डन जी गये थे। जिला प्रशासन ने जाने नहीं दिया। वहां हथगोले फेंके गये उन हथगोलों की जाँच कराई जाए यह लोगों ने मांग किया है। लोग भाग रहें हैं। लोग पलायन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

राजलक्ष्मी जी आपने अपनी बात कह दी है आप सुन लें।

श्री मुहम्मद आज़म खाँ-

मैं तो आपकी सारी बात सही कह रहा हूँ कि आपकी सारी बात शत प्रतिशत सही होगी। इस समय आपकी भी मजबूरी है चुनाव का वक्त है। नगर निकाय के चुनाव हैं। कुछ न कुछ आपको चाहिए फिर विधान सभा के चुनाव भी आने वाले हैं तो अगर आप यह माहौल नहीं बनाएंगी। यह माहौल बनाना तो आपकी मजबूरी है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, केवल एक लाइन पकड़ ली, अगर किसी का नाम नहीं लेते, जिन लोगों ने हथगोले चलाये, उनको नहीं पकड़ा गया, छोड़ दिया। हमें जो पीड़ा है, हम किसी वर्ग का नाम नहीं लेते लेकिन जिन लोगों ने हथगोले चलाये हैं, और सारे माहौल को खराब किया है, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों सारे का सारा जिला प्रशासन पंगु होकर रह गया ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी को पीड़ा है, मुझे भी पीड़ा है। हुकुम सिंह जी को एक बात अच्छी लगी, लेकिन जो बात बुरी लगनी चाहिए थी, वह नहीं लगी। मान्यवर, मुरादाबाद की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की गई और इस तरह की स्थिति पर सरकार नजर रखे हुए है, अगर कोई भी इस प्रकार की अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। शासन, प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और किसी को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं होगी।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

अध्यक्ष जी, जो अपनी बहन को करवा लेकर गया था।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यदि कोई कमी रह गयी है, कोई माहौल खराब करने वाला बच गया है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसमें आपकी तरफ से कुछ निर्देश हो जाए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, सरकार के संज्ञान में आ गया है, जो उचित कार्यवाही होगी, वह की जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह-

आपने कहा है कि जो भी माहौल बिगाड़ने का काम करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? जिसने हथगोले फोड़े, उनको पकड़ा नहीं और जो करवा लेकर जा रहा था, उसे जेल में बन्द कर दिया।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, पिछले साल जिस सड़क से विसर्जन हुआ था और शांतिपूर्ण रूप से विसर्जन हुआ था, उसे क्यों रोक दिया गया ?

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह दी, मंत्री जी ने कहा कि इसकी जांच करा लेंगे।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

अध्यक्ष जी, जो लोग भूखों मर रहे हैं, जो लोग रोज काम करते हैं, तब पेट भरते हैं, उनको जेल में बन्द कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको सुना, संसदीय कार्य मंत्री को सुना, सम्पूर्ण बात आपने कह दी। संसदीय कार्य मत्री ने कहा कि वह इसकी जांच करा लेंगे और जो दोषी होगा, वह दण्डित होगा। मैं इस पर पुनः शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ, सरकार इसकी जांच करा लें और जो उचित हो, कार्यवाही करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अवश्य।

(श्री महेश त्रिवेदी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

त्रिवेदी जी की जान को खतरा हो गया है ?

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरी बात भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपका मैंने नोटिस पढ़ा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 25 लोग गिरफ्तार किए गये हैं और एक दर्जन से ज्यादा धाराएँ उन पर लगी है। अगर आज समय नहीं है तो कल मुझे सुन लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, गौर साहब ने कल का प्रस्ताव दिया है, कल सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, कल सुन लेंगे।

*श्री महेश त्रिवेदी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कानपुर देहात टाउन एरिया रसूलाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, 9.30 बजे हम वहाँ पहुँचे तो कुछ अराजक तत्वों ने हमारी गाड़ी पर हमला किया, हमारे ऊपर भी हमला किया।

मान्यवर, वहाँ पर हमारा एक कार्यकर्ता था उनका रिवाल्वर भी छीन लिया गया। जब पुलिस को विषय बताया गया तो पुलिस ने एफ0आई0आर0 भी नहीं लिखी और अभी तक कोई कार्यवाही भी नहीं हुयी है। मान्यवर, जान तो ऐसी चीज है जो जाना तो निश्चित है। उसका खतरा हम महसूस नहीं कर रहें है। लेकिन हमारे साथी का जो रिवाल्वर चला गया और अराजक तत्वों ने जो कार्य किया उसमें निश्चित रूप से कार्यवाही की जाये और हमारे कार्यकर्ता का रिवाल्वर जो गया है वह भी पुलिस बरामद कराये।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, गम्भीर मामला है। बड़ी हिम्मत की और फिर मान्यवर, रिवाल्वर वाले का रिवाल्वर छिन जाये तो पहले यह सोचना पड़ेगा कि उन्हें यह रिवाल्वर क्यों दिया गया था।

श्री महेश त्रिवेदी-

मान्यवर, एक व्यक्ति पीछे रह गया था और इस बीच उन्हें पकड़कर रिवाल्वर छीन लिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ऐसे ढीले आदमी को तो लाइसेंस वैसे भी नहीं मिलना चाहिए। मान्यवर, यह गम्भीर मामला है जो भी कार्यवाही सम्भव होगी, वह होगी। इसको गम्भीरता से लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर संसदीय कार्य मंत्री और त्रिवेदी जी को सुनने के बाद इसे अग्राहय करता हूँ। श्री रामहेत भारती, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री कौशल किशोर, श्री संजीव दरियाबादी, श्री धर्मपाल सिंह, प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर, डॉ0 सुशील चौधरी की सूचना को अस्वीकृत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, वैसे तो इस विधेयक में कुछ है नहीं। केवल तनख्वाह बढ़ा रहे हैं और लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के वेतन बढ़ाने के मामले पर मेरा मतभेद या असहमति भी नहीं है। लेकिन इस विधेयक के अवसर पर इस संशोधन के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के पदों के सृजन या लोक आयुक्त के रूप में तैनाती के बाद और लोक आयुक्त के कार्यालय के द्वारा अपेक्षानुरूप काम किया गया ? जिस भावना से यह किया गया था क्या उस भावना से काम किया और क्या सरकार उसके साथ सहयोग कर रही है और इस व्यय का उपयोग क्या हो रहा है ? आपकी सरकार के पास लोक आयुक्त के कार्यालय से कितनी सिफारिशें प्राप्त हुयीं और उनमें से कितनी स्वीकार कर कार्यवाही कीं और कितनी स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं ? और प्रतीक्षा में हैं तो क्यों और कार्यवाही क्यों नहीं कीं और कितने मामले लोक आयुक्त के यहाँ कितने दिनों से लम्बित हैं ? मैं इतना जानना चाहता हूँ। वेतन बढ़ाने से और विधेयक की मूल भावना से मेरा कोई मतभेद नहीं है। लोक आयुक्त के द्वारा की गयी कार्यवाही और नहीं की गयी कार्यवाही कितनी हैं ? यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, बाजपेयी जी तो विद्वान हैं। इसका कोई और समय रख लें।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इसके लिए यह समय उचित नहीं है। इसके लिए आप और समय रख लें। मेरा अनुरोध है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने इस संशोधन को जिस उद्देश्य से रखा था वह पूरा हो गया है। मैं इसे वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह संशोधन प्रस्ताव, जो माननीय सदस्य ने वापस ले लिया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैं :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

2-उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में लोक आयुक्त के वेतन की दर से सम्बन्धित प्रविष्टियों में अन्त में आने वाले शब्द "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति" रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1975 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाये ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगें। मान्यवर, इसमें मेरी सैद्धान्तिक आपत्ति है। अभी सरकार ने थोड़े ही दिन पहले सदन में राजस्व संहिता विधेयक, 2006 पारित किया था और इस व्यवस्था से सम्बन्धित जितने भी पुराने कानून थे उन सबको

मिलाकर वह एक विधेयक बना लायी थी। एक अधिनियम बन गये और वह विधान सभा से पारित होकर विधान परषिद् में भी पारित हो गया महामहिम की स्वीकृति के लिए है उसके बाद वह अधिनियम लागू हो जायेगा। तो फिर सरकार को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? और फिर इसमें यह संशोधन सरकार लायी है और यह कहा है कि जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण जनहित में किया गया तो वहाँ ऐसे अन्तरण को इस उपधारा के अधीन जुर्माने के भुगतान से छूट दे दी जाय। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब राजस्व संहिता विधेयक, 2006 पारित हो गया और कुछ दिनों बाद यह अधिनियम बन जायेगा तो फिर इसको लाने का उद्देश्य, सरकार किसी पाक साफ उद्देश्य से नहीं ला रही है, किसी न किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ला रहीं है, किसी की जमीन का हस्तान्तरण हुआ होगा, उसका जुर्माना बहुत कड़ा बैठ रहा होगा, किसी बड़ा सेठ या उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए ला रही है। इसलिए मैं यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप उसका नाम बता दें मैं इस संशोधन विधेयक को वापस ले लूँगा, अन्यथा मैं अपने इस प्रस्ताव पर बल दूँगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय बाजपेयी जी, जो बातें मुझसे, इस सभा मण्डप से बाहर की हैं उसका इससे सम्बन्ध भी होगा तो भी मैं उल्लेख नहीं करूंगा। हमारे मित्र है और पुराने साथी हैं। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह बहुत छोटा सा संशोधन है और छोटा सा संशोधन मात्र इस कारण से है कि राजस्व संहिता अधिनियम के कुछ प्राविधान ऐसे हैं जो विचारार्थ हैं। इसको विधान परिषद् ने भी पारित किया और उस पर बहुत अच्छे नोट्स के साथ उसने बधाई भी दी, लेकिन शायद इसको महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ भेजना पड़े क्योंकि कुछ सक्सेशन ऐक्ट है, ट्रान्सफर ऑफ प्रापर्टीज ऐक्ट की कुछ धारायें उससे आकृष्ट हो रही है, इसमें कुछ समय लग सकता है, इस कारण से इसमें आवश्यकता है।

(इस समय 2 बजकर 4 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बंशीधर राज पीठासीन हुए।)

साढ़े बारह एकड़ से ऊपर की जमीन ट्रान्सफर होगी तो उसमें पच्चीस प्रतिशत जो दण्ड लगाने की व्यवस्था थी उसको माफ करने का प्राविधान ऐसा नहीं था ऐक्ट में जिसमें सरकार को अधिकार हो, इसलिए यह इनेबलिंग क्लाज है। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जनहित में यह किया गया है और जनहित के सवाल पर सरकार के साथ रहना चाहिए। आपसे आग्रह है कि इस संशोधन को वापस ले लें।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जब मैंने संशोधन प्रस्तुत किया था तो यह बात कही थी कि राजस्व संहिता विधेयक पारित हो चुका है.....

महामहिम श्री राज्यपाल को जायेगा, 10-05 दिन में वह अधिनियम बन जायेगा तब क्या ऐसी अर्जेन्सी सरकार के सामने आयी कि उस कानून को जिसको वह नये अधिनियम के माध्यम से एबालिश करने जा रही है उसमें संशोधन ले आयें और मैंने एक संदेह व्यक्त किया था कि सरकार किसी न किसी बड़े उद्योगपति या सेठ को फायदा पहुँचाने, उस पर होने वाले जुर्माने को बचाने के लिए या उसके जुर्माने को माफ करने का अधिकार अपने पास रखने के लिए विधेयक लायी है।

माननीय मंत्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया और उन्होनें कहा कि साढ़े 12 एकड़ से अधिक यदि किसी की लैण्ड ट्रांसफर हुई है और उसमें जुर्माना लग गया है और जुर्माने की स्थिति आ गयी है उसको माफ करने के लिए है, इसका मतलब साढ़े बारह एकड़ जमीन किसी गरीब आदमी को ट्रांसफर नहीं होगी। साढ़े बारह एकड़ या उससे ऊपर की जमीन किसी न किसी बड़े उद्योगपति को या किसी बड़े व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए ट्रांसफर के लिए लाभ पहुँचाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैंने सरकार से कहा था कि अगर सरकार पाक-साफ हो तो उस व्यक्ति का नाम बता दे जिसको लाभ पहुँचाने के लिए यह विधेयक लाया गया है तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लूँगा, और अगर सरकार नाम नहीं बताती तो मैं अपने संशोधन पर बल देता हूँ।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जुर्माने की उक्त धनराशि साढ़े बारह एकड़ से अधिक भू-क्रय कर चुके हों, जुर्माने की उक्त धनराशि भुगतान करने की स्थिति में नहीं है यदि उनके द्वारा क्रय की गयी भूमि जनहित में उपयोग की जानी है, अतः विनिश्चय किया गया है तो उक्त धारा में संशोधन करके नियम में उक्त धारा के अधीन जुर्माने के भुगतान में छूट प्रदान करने के लिए राज्य सरकार सशक्त और व्यवस्था की जायेगी। वह जुर्माना को अदा करने की स्थिति में नहीं रह गया हो जो इस तरह का लिया हो, मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ उसका मानक, कैसे उसको एसेसमेन्ट करेंगे कि वह इस स्थिति में नहीं पहुँचा है और वह जनहित में जमीन क्या ट्रांसफर कर रहा है, तो यह चीजें जरा क्लियर कर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह हमने एक ट्रांजेक्शन के लिए है इसमें व्यक्ति के लिए नहीं है और मैं आपको सरकार की तरफ से पूरी तरह आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को फायदा पहुँचाने के लिए या जैसा आपने कहा कि किसी उद्योगपति को फायदा पहुँचाने के लिए ऐसा कोई प्राविधान लाने का कोई उद्देश्य नहीं है जनहित का कोई ऐसा जिससे कि शताब्दियों तक लोगों का लाभ होता रहे आगे आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य आलोकित होता रहें इस तरीके का कोई एक बड़ा उद्देश्य कोई पवित्र उद्देश्य होगा उसी के लिए इसका प्रयोग किया जायेगा यह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इसलिए आप अपना संशोधन वापस ले लीजिए और मान्यवर, इसको सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

वापस लेंगे ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

वापस नहीं लेगें कारण यह है कि अगर सरकार को इतनी कम समय में जब नया राजस्व संहिता विधेयक अधिनियम बननें वाला है, इसको लाने की आवश्यकता पड़ी तो कोई न कोई स्पेशिफिक कारण सामने है। सरकार केवल जनरलाइज करके क्यों नहीं लायी है ? कि ऐसी परिस्थिति होगी तो हम इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह कानून बना रहें है। अगर कोई स्पेशिफिक कारण है तो बता दे सरकार अगर नहीं बता रही है, छुपा रहीं है तो मैं अपने संशोधन पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन 3 माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 154 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम् 1950 की धारा 154 में उपधारा (3) में, वर्तमान में विद्यमान प्रतिबंधात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा,

"अग्रतर प्रतिबंध यह है कि जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई अंतरण जनहित में किया गया है वहां वह ऐसे किसी अन्तरिती को इस उपधारा के अधीन जुर्माने के भुगतान से छूट दे सकती है।"

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री शारदानन्द अंचल-

मान्यवर, मैं आपकी अुनमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, इस विधेयक को लाने के पीछे जो उद्देश्य है, निश्चित तौर पर यदि उसी नीयत से यह विधेयक लाया गया है जो नीयत इसमें दिखायी गयी है, तो यह एक स्वागत योग्य है। मान्यवर, इसमें यह बताया गया है कि सहकारी समितियों में प्रशासकों की नियुक्ति न हो, उनकी किसी दशा में बहाली न हो और उनमें लोकतंत्र की बहाली हो इस वजह से यह विधेयक लाया गया है।

मान्यवर, जो फर्जी समितियां सहकारिता के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई हैं जिनके आधार पर कुछ लोग तो लखनऊ तक उसकी एपेक्स स्तर की सहकारी समिति में कब्जा करते हैं, इन फर्जी सहकारी समितियों की जांच कराके उन्हें समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही गयी है। एम0डी0 की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में विधेयक में कोई बात नहीं आयी है। मान्यवर, वे संचालक मण्डल पर हावी रहते हैं। संचालक मण्डल, निदेशक मण्डल के विवेक पर कार्यवाही करता है। उनका कार्य यदि कार्यवाही का लेखन हो तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की बहाली हो पायेगी। विधेयक की मंशा के अनुसार यदि इनमें लोकतंत्र की बहाली का परिणाम प्राप्त हो और जो हमने आपत्ति व्यक्त की हैं अगर सरकार उनका निराकरण कर दे तो मैं अपने संशोधन को वापस लेने पर विचार कर सकता हूँ।

श्री शारदानन्द अंचल-

मान्यवर, जो आशंकायें माननीय बाजपेयी जी ने व्यक्त की हैं उनका निराकरण इस विधेयक से हो जाता है। मान्यवर, जब पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी उस समय भी हम लोगों ने इस बारे में प्रयास किया था कि जिस लोकतांत्रिक चुनावों के आधार पर हम लोग यहां चुनकर आये हैं उसी आधार पर सहाकरी समितियों में भी लोकतंत्र के आधार पर चुनाव हों और वहां लोकतंत्र की बहाली हो। लेकिन जब इनकी सरकार आयी तो लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं और सारी परम्पराओं पर आपने कुठाराघात कर दिया और उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस बार जब हम लोग आये है फिर चाहा कि लोकतांत्रिक मर्यादायें स्थापित हों। सहकारी समितियों में चुना हुआ संचालक मण्डल कार्य करें। संचालक मण्डल के अधिकार किसी अधिकारी को न दें, किसी प्रशासक को न दें। इसमें मंशा हमारी स्पष्ट है। सरकार की पूरी मंशा है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बहाली हो। आपको तो इस संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए। आपकी जो आशंकायें हैं उसको

हम निर्मूल करेंगे। एम0डी0 हों या अन्य कोई अधिकारी हों उनकी स्वेच्छाचारिता इस विधेयक के बाद नहीं चलने वाली है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरी आशंकाओं को निर्मूल बताते हुए कहा है कि वह सब इस विधेयक के बाद की प्रक्रिया के बाद समाप्त हो जायेंगी। मान्यवर, निर्वाचित संचालक मण्डल को अधिकार सौंप दें और उनके समय पर चुनाव करा लिये जाये यही हम सबकी भावना है। मान्यवर, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों और ग्रामीण स्थानीय निकायों में समय से निर्वाचन कराने का प्राविधान किया गया और यह कहा गया कि उनकी समय समाप्ति से पूर्व चुनाव करा लिये जायें जिससे निर्वाचित सदन अपने अधिकार निर्वाचित सदन को सौंप दें और निर्वाचित मेयर, निर्वाचित मेयर को कार्यभार दे दें, वह आपस में एक दूसरे से चार्ज ले लें। लेकिन माननीय न्यायालय का सहारा लेकर किस तरह से सरकार ने उन चुनावों को टलवाने का प्रयास किया यह सबको विदित है। मान्यवर, अगर माननीय उच्च न्यायालय उस पर अडिग न रहता तो सरकार तो स्थानीय निकायों के चुनावों को टलवाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहीं थी। इस विधेयक के बनने के बाद क्या भरोसा फिर रह जाता है कि निर्वाचित संचालक मण्डल ही निर्वाचित संचालक मण्डल को चार्ज देगा।

मान्यवर, सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है तत्काल का दृष्टांत हमारे सामने हैं। इसलिए मैं अपने संशोधन पर बल देता हूँ।

श्री शारदानन्द अंचल-

मान्यवर, सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। हमारे नेता का स्पष्ट कहना है कि जो चीज हम कहते हैं उसको कर के दिखाते हैं और यह चीज हमने हर स्तर पर किया है। इसलिए सहकारी समितियों के संचालन उसकी व्यवस्था में लोकतांत्रित मान्यता स्थापित करना हमारा धर्म है, हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है। इसलिए आदरणीय बाजपेयी जी से निवेदन करूँगा कि अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें और इसे पास होने दें।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 3 माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए-

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-29 में,- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन 1966 की धारा 29 का संशोधन

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

(3) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिए निबन्धक के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन, विहित रीति से, प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व निर्वाचन पूरा करा लिया जायेगा और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर जिसका कार्यकाल उपधारा (2) के अधीन समाप्त हो गया है, स्थान ग्रहण करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी असाधारण परिस्थिति के कारण प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन पूरा न करा लिया गया हो, या पूरा न किया जा सका हो, निबन्धक अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, पदावरोही प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल में इस प्रकार विस्तार कर सकता है कि कोई एक विस्तार तीन मास से अधिक का नहीं होगा और कुल विस्तार छः मास से अधिक नहीं होगा और निबन्धक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस प्रकार विस्तार किये गये कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व प्रबन्ध कमेटी को पुनर्गठित कराये और नव पुनर्गठित प्रबन्ध कमेटी अपने पुनर्गठन के दिनांक से पदावरोही प्रबन्ध कमेटी को, जो उक्त दिनांक से कार्य नहीं करेगी, प्रतिस्थापित करेगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक या प्रशासक कमेटी, जैसी वह उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2006 के पूर्व विद्यमान थी, प्रबन्ध कमेटी की शक्ति का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन इस अधिनियम के अधीन प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने या 31 दिसम्बर, 2006 तक इनमें जो भी पहले हो, करती रहेगी।

(ख) उपधारा (5), (6) एवं (7) निकाल दी जायेंगी।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शारदानन्द अंचल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006

दुग्ध विकास राज्य मंत्री(स्वतन्त्र प्रभार)(श्री दिनेश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, सिनेमा अनुरक्षण शुल्क को डेढ़ रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये, कोई आपत्ति नहीं है केवल एक मांग है और उस मांग को करने के लिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया। इस सिनेमा अनुरक्षण शुल्क में जो मदें सिनेमा मालिकों को उपयोग में लाने के लिए निर्धारित हैं आज विद्युत की जो स्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए डीजल के जनरेटर से उनको सिनेमा चलाना पड़ रहा है और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हो गयी है तो बिजली की अनुपलब्धता और डीजल के जनरेटर से सिनेमा को चलाने की उनकी अनिवार्यता इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरा एक सुझाव है कि सिनेमा अनुरक्षण शुल्क में जो निर्धारित मदें हैं उसमें यदि बिजली का बिल जितना भी आता है और जनरेटर चलाने की कास्ट को यदि सरकार शामिल कर देगी तो जो सरकार ने मरते हुये सिनेमा उद्योग को बचाने का प्रयास डेढ़ रुपये से तीन रुपये करके किया है, वह निश्चित रूप से सफल होगा, एक बात तो मुझे यह कहनी थी। दूसरा विषय मुझे यह कहना था क्योंकि निर्बाध आपूर्ति बिजली की नहीं हो पा रही है, साल में हिसाब का एक बार प्राविधान है कि सी0एम0सी0 का हिसाब साल में एक बार चार्टर्ड एकाउन्टेंट से वेरीफाई होकर जिलाधिकारी के पास जायेगा और मार्च माह का उपयोग चूँकि उस महीने में नहीं हो पाता है इसके लिये सरकार ने वर्ष 2002 में शासनादेश के माध्यम से एक व्यवस्था की थी कि वह अगले वित्त वर्ष के पहले तीन महीने में उसका उपयोग करके उसका हिसाब किताब दे देंगे। तो मेरा यह निवेदन है और ऐसा अनुमान है कि सरकार चार्टर्ड एकाउन्टेंट से वेरीफाई कराकर साल में एक बार हिसाब देने की व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार कर रही है और फिर वही प्रणाली रजिस्टर व्यवस्था, इंस्पेक्टर राज को लगाकर इस मरते हुए उद्योग को एक और लात मारने का प्रयास अधिकारी लोग कराने की कोशिश कर रहें हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से इस संशोधन के माध्यम से दो आग्रह कर रहा हूँ कि एक तो यह चार्टर्ड एकाउन्टेंट वाली जो व्यवस्था है, इसके माध्यम से इंस्पेक्टर

राज से मुक्ति पाकर यह उद्योग पनप सके जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप यथावत व्यवस्था को लागू करें और एक सिनेमा अनुरक्षण शुल्क में जो निधारित मदें हैं, उसमें बिजली का बिल और जनरेटर से चलाने की कास्ट को शामिल करने पर सरकार विचार करे तो सरकार अगर इस पर सहमति देगी तो मैं अपने संशोधन को वापस लेने पर विचार करूँगा।

* श्री दिनेश सिंह-

मान्यवर, बाजपेयी जी ने सरकार के सहयोग के लिये कुछ सुझाव दिये हैं। उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के अधीन सिनेमा मालिक सिनेमा दर्शकों से डेढ़ रुपये का अनुरक्षण अधिभार शुल्क वसूल करता चला आ रहा है और यह पूर्व में 2000 में जब माननीय हुकुम सिंह जी मंत्री थे आप भी उस समय मंत्री थे तो यह डेढ़ रुपये का प्रस्ताव सरकार के माध्यम से आया था और वह डेढ़ रुपया सिनेमा मालिक दर्शकों से प्रति टिकट के हिसाब से वसूल कर रहा है। अनुरक्षण शुल्क आवश्यक आवश्यकता आज के दृष्टिकोण से पिक्चरं हालों के लिये बनी है। क्योंकि पिक्चर हालों के लिये आप भी समस्या को बहुत गंभीरता से एहसास कर रहे हैं, उनमें बहुत सी कुव्यवस्थायें हैं। अभी तमाम बीमारियों के सवाल खड़े हुये, डेंगू की बात आई। सिनेमाहालों पर जो स्थिति आज पैदा हुयी है, उससे ऐसा लगता है कि सिनेमा से लेकर तमाम मनोरंजन के साधनों से सिनेमा के हालात पर प्रभाव पड़ा है और चलचित्र सिनेमा जगत में सिनेमा हमारा मनोरंजन का प्रमुख केन्द्र रहा है। ऐसे में 1979 में सरकार ने अधिनियम बनाकर जो डेढ़ रुपये अधिभार का पास किया, उसके तहत अनुरक्षण में इसे डेढ़ रुपये से और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि सिनेमा मालिकों की लगातार माँगें उठी हैं। माननीय बाजपेयी जी ने सिनेमा मालिकों की परिस्थितियों पर मुझसे कहा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अनुरक्षण जो आपने डेढ़ रुपया किया था, माननीय मुलायम सिंह जी की सरपरस्ती की सरकार ने डेढ़ रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये अनुरक्षण शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया है और वह प्रस्ताव के रूप में आपके समाने आया है। अनुरक्षण शुल्क लिया जायेगा लेकिन इसका सदुपयोग होना चाहिये। यदि सदुपयोग नहीं हुआ तो दर्शकों की भावना हमारी सरकार के निर्णय पर सवाल खड़ा करेगी। इस नाते अनुरक्षण शुल्क जो डेढ़ रुपये प्रति टिकट से बढ़ाकर तीन रुपये किया जा रहा है, उसका सदुपयोग हो, उसमें जेनरेटिंग की व्यवस्था क्या है, उसमें बिजली की व्यवस्था क्या है, यह आपका सवाल है और आपने एक सवाल और रखा है, चार्टर्ड एकाउन्टेंट का। अगर अनुरक्षण शुल्क से सम्बन्धित इसमें जो भी व्यवस्थायें हैं तो अनुरक्षण को गंभीरता से लिया जायेगा और सिनेमा मालिकों को अनुरक्षण से अलग नहीं किया जायेगा। डेढ़ रुपये का जो शुल्क वसूल कर रहें हैं, जिस स्थिति में कर रहें हैं, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा रहा है केवल डेढ़ रुपए से तीन रुपए करने का प्रावधान आया है, मैं समझूँगा कि बाजपेयी जी इसको एहसास करेंगे और संशोधन को पारित करने में सहयोग प्रदान करेंगे और अपने संशोधन को वापस लेंगे। आप भी एक विचारधारा की पार्टी के नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं और सिनेमा मालिकों और दर्शकों के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। आपने हमारी सरकार के लिए जो सुझाव दिये हैं मैं उनका सम्मान करते हुए चाहूँगा कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लें और इसे पारित हो जाने दें। यह एक जनहित का प्रस्ताव है और मनोरंजन से सम्बन्धित

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्ताव है, इसमें अनुरक्षण शुल्क तीन रुपए किया गया है और उसे बेहतरी से प्रस्तुत किया गया है, मैं चाहता हूँ कि बाजपेयी जी हमारे प्रस्ताव को आम सहमति से पारित कर दें।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैंने इसका स्वागत किया है, मैं केवल इतना आश्वासन चाहता हूँ कि जो अनुरक्षण शुल्क डेढ़ रुपए को तीन रुपए किया जा रहा है, उसमें आप सिनेमा मालिकों की एसोसिएशन से बात कर लें, यदि वह सहमति देते हैं तो क्या सरकार बिजली और जेनरेटिंग की जो कास्ट है, उसे अनुरक्षण शुल्क की मदों में शामिल करने पर विचार करेगी ?

श्री दिनेश सिंह-

मान्यवर, मैंने उल्लेख किया है, हुकुम सिंह जी मंत्री थे और आप भी मंत्री थे, डेढ़ रुपए आपने बढ़ाया था, जिसके लिए आपने बढ़ाया, उसमें मैंने कोई संशोधन नहीं किया था। जिन मदों में आप खर्च करते रहे हैं, उसी में मैंने डेढ़ रुपए को बढ़ाकर तीन रुपए कर दिया है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो रहा है और जो अनुरक्षण शुल्क वसूल किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता-

क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

डॉ लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं तो समर्थन कर रहा हूँ। मैं आग्रह कर रहा हूँ, उस समय की आवश्यकता के अनुरूप उस समय किया गया था। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि क्या आप उस निर्धारित मदों में डीज़ल, जेनरेटिंग और बिजली की दरों को भी शामिल करने के लिए सिनेमा मालिकों के सहमत होने के बाद विचार करेंगे।

श्री दिनेश सिंह-

मेरी सिनेमा एसोसिएशन से वार्ता हुई, सिनेमा एसोसिएशन ने इसका स्वागत किया है। इस अनुरक्षण शुल्क का पूर्ण रूप से सदुपयोग होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होगी और बिजली, जेनरेटिंग की व्यवस्था में काम हो रहा होगा तो उसमें कोई रद्दोबदल नहीं करेंगे।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह स्वागत योग्य कदम है, सिनेमा उद्योग को बचाने का प्रयास है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात आपको नहीं समझा पा रहा हूँ फिर भी मैं इस अपेक्षा के साथ अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले रहा हूँ कि सरकार उन निर्धारित मदों में डीजल, जेनरेटिंग और बिजली की दर को भी शामिल करने पर विचार करे, क्योंकि यह आज की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जब 'ना' की आवाज नहीं आयी तो जरूरी नहीं कि डायस पर जो लिखकर रख दिया गया है वही पढ़ा जाए। यह संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2-उत्तर प्रदेश आनोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 3-क में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में शब्द "एक रुपया पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "तीन रुपये" रख दिये जाएंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 3-क का संशोधन

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दिनेश सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा करने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चूँकि माननीय समाज कल्याण मंत्री जी इस पर बहुत संवेदनशील हैं और इस सदन में इसके पूर्व भी इस समस्या के सम्बन्ध में बातें उठ चुकी हैं, जिसमें मा0 अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में दलीय नेताओं के साथ विभागीय मंत्री जी द्वारा भी बैठक में भाग लिया गया और उस समय मा0 समाज कल्याण मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकारा कि किन्हीं कारणों से पूरे प्रदेश में इसका समुचित वितरण नहीं हो पाया है लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि इसका समुचित वितरण शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करा लिया जाए। यह पूरे प्रदेश के विकास में पिछड़े हुए अन्तिम छोर पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के हितों से सम्बन्धित मामला है और मामला गम्भीर इसलिए है चूँकि यह गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति की व्यवस्था मात्र इसलिए की गयी जिससे पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई-लिखाई बाधित न हो, शिक्षा बाधित न हो। समाज में शिक्षित होकर अपने स्वाभिमान और सम्मानपूर्वक स्थान हासिल कर सकें। इसी नीयत से इस प्रकार की व्यवस्था सरकारों ने की थीं। लेकिन तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर कभी-कभी किन्हीं न किन्हीं कारणों से व्यवधान उत्पन्न हो जाया करता है इससे कल्याणकारी योजनायें हैं उस पर सवालिया निशान उठने लगता है। इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूँगा मिसाल के रूप में पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है। माननीय सदस्यगण बैठे हैं, अपने-अपने जिलों से सम्बन्धित समस्याओं को वह स्वयं प्रस्तुत करेंगे। जनपद रायबरेली का मिसाल लेता हूँ। सन् 2004-2005 में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 8.5 करोड़ रुपये की माँग की गयी थी, लेकिन इस मांग के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र 6.5 करोड़ रुपए की धनराशि निर्गत करने का काम किया यानी 2 करोड़ रुपये केवल वर्ष 2004-05 में जनपद रायबरेली में छात्रवृत्ति से सम्बन्धित पैसा नहीं गया। इसी तरह से वर्ष 2005-06 में 8 करोड़ 75 लाख की मांग की गई थी जिसके सापेक्ष शासन ने 7 करोड़ की धनराशि भेजने का काम किया यानी एक करोड़ 75 लाख रुपये की धनराशि नहीं गई। इसी तरह से अम्बेडकर नगर में वर्ष 2004-05 में 2.16 करोड़ रुपये की धनराशि वहाँ की माँग के अनुरूप नहीं गई। जो मांग के सापेक्ष 2.16 करोड़ की धनराशि वहाँ जानी चाहिए थी वह नहीं जा पाई। इसी प्रकार से वर्ष 2005-06 में वहाँ पर 4.27 करोड़ के सापेक्ष 1.65 करोड़ रुपये दिए गये यानि 2.62 करोड़ रुपये नहीं दिये गये या अवशेष रहे। इसी तरह से मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आजमगढ़ जिले में 22.83 करोड़ की डिमाण्ड थी जिसके सापेक्ष मात्र 15.86 करोड़ धन दिया गया आजमगढ़ जिले में 7.35 करोड़ रुपये अवशेष रहे। यह तो मैंने चन्द जनपदों की मिसाल दी जिससे इसकी गम्भीरता को विभागीय मंत्री जी संज्ञान लेते हुए तत्काल समुचित कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। इसी सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वर्ष 2003-04 में 19.70 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के मद में जो नहीं पहुँच सके इससे प्रदेश के तमाम छात्र प्रभावित हुये हैं। वर्ष 2005 में इस मद का 56 करोड़ रुपया अवशेष रह गया जो छात्रवृत्ति के लिए जाना चाहिये था वह नहीं जा पाया है। वर्तमान सत्र चल रहा है इसमें भी ऊहा पोह की स्थिति बनी हुई है। इस सम्बन्ध में मैंने प्रदेश सरकार के मंत्री जी से वार्ता की है तो मंत्री जी ने केन्द्र पर इस बात का आरोप लगाया कि केन्द्र द्वारा जितना धन दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया इसलिए यह वितरण नहीं हो सका। लेकिन यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह छात्रवृत्ति वितरित करे। साथ ही साथ केन्द्र से धन लाने की जिम्मेदारी भी प्रदेश सरकार की बनती है। पता नहीं किन-किन कारणों से प्रदेश के तमाम वंचित, गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के वह गरीब

छात्र जिनकी छात्रवृत्ति के अभाव में पढ़ाई बाधित हो रही है। यह प्रदेश व्यापी समस्या है। प्रदेश की आम जनता विशेष रूप से वह 85 फीसदी लोग जो गांवों में खेत खलिहान में मजदूरी, किसानी करके अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की नीयत से आगे पढ़ाते हैं। यह सोचते हैं कि सरकार हमारे साथ है सरकार सहयोग देती रहेगी लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसमें व्यवधान बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यह जो अति संवेदनशील और साथ ही साथ अति गम्भीर समस्या गरीब छात्रों से जुड़ी हुई है इसका संज्ञान लेकर विभागीय मंत्री से मेरी दरख्वास्त है कि यह प्रदेश व्यापी समस्या है मैंने तो केवल रायबरेली, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ के आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं।

अपने विधान सभा क्षेत्र डलमऊ के कुछ विद्यालयों की सूची देना चाहता हूँ। जिस सूची को बी0एस0ए0 और डी0आई0ओ0एस0 ने फारवर्ड करके धन की माँग की लेकिन अभी तक यह सत्र समाप्त होने आ रहा है और अभी तक इन विद्यालयों को छात्रवृत्ति का धन निर्गत नहीं किया जा सका है। गौरव पब्लिक इण्टर कालेज, रायपुर जनता हवेली डलमऊ, राम मनोही इण्टर कालेज, नेहरू इण्टर कालेज डलमऊ, किसान इण्टर कालेज डलमऊ, माँ कमला शिक्षा संस्थान डलमऊ, आदर्श शिक्षा निकेतन डलमऊ, शांति मनोहर बाई इण्टर कालेज मुराई बाग डलमऊ, आदर्श शिक्षा निकेतन मुराई बाग डलमऊ, गौतम बुद्ध विद्यालय कसौली डलमऊ, सावित्री बाई फूले हाई स्कूल, मौनी बाबा इण्टर कालेज माधोपुर डलमऊ, नीमसार गौरा, गौतमबुद्ध विक्रमादित्य विद्यालय दौलतपुर ऊँचाहार, शिवनारायण सिंह विद्या मंदिर विद्यालय, डॉ0 अम्बेडकर हाई स्कूल, डॉ0 भीमराव इण्टर कालेज सवैया गढ़ी और मान्यवर, इसी तरीके से राम लाल जायसवाल हाई स्कूल सवैया रोहनिया, बी0एन0विद्यालय रोहनिया, लाल बहादुर सारा जूनियर हाई स्कूल खरौली, द्वारिका प्रसाद बालिका विद्यालय धर्मापुर खैरी। मान्यवर, इसी तरह से प्राथमिक विद्यालयों की मेरे विधान सभा क्षेत्र की लगभग 120 प्राथमिक विद्यालयों की सूची मौजूद है मान्यवर, अगर मैं उनको एक-एक करके पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जायेगा। लेकिन इनके माध्यम से मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि न तो प्राथमिक विद्यालयों में, न तो माध्यमिक विद्यालयों में कही भी छात्रवृत्ति का वितरण समुचित तरीके से नहीं हुआ है। जिससे आज पूरे प्रदेश में गरीब लोगों में घोर असन्तोष है। आज गरीब छात्रों की पढ़ाई छात्रवृत्ति के अभाव में बाधित हो रही है और साथ ही साथ वह छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण से किताब कापियों के लिये भी मोहताज हो रहे हैं। इसलिये आपके माध्यम से इस गम्भीर प्रकरण पर चर्चा प्रारम्भ करता हूँ और इस चर्चा के माध्यम से आपसे माँग भी करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस पूरे प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें और साथ ही साथ ऐसे दोषी अधिकारीगण जो छात्रवृत्ति के वितरण में अभी तक घोर लापरवाही किये हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें। इसके साथ ही मैं इस तरह से इस चर्चा की शुरूआत करते हुये माननीय मंत्री जी से छात्रवृत्ति वितरण की माँग करता हूँ।

मान्यवर, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में जो चर्चा की है उसमें आपने मुझे सम्मिलित होने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, निश्चित रूप से देश में अनुसूचित जाति के लोग आजादी के

59 साल के बाद भी आज सबसे गरीब और सबसे वंचित बने हुये हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये ही हमारे संविधान में अनुसूचित जाति के उत्थान के लिये व्यवस्था की गयी थी कि उनके विकास के लिये अलग से धन मुहैया कराकर उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। मान्यवर, अनुसूचित जाति के छात्रों को दो तरह से छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। एक तो दसवें से नीचे की कक्षाओं के लिये जो अनिवार्य रूप से दी जाती है और दूसरी दशमोत्तर कक्षाओं के लिये जिसमें अनिवार्य नहीं है लेकिन एक निश्चित आय वर्ग के लोगों को जिसमें आय का प्रतिबन्ध है कि एक लाख की आय के अन्दर रहने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाय लेकिन यह छात्रवृत्ति अभी तक नहीं दी गई है। वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 में और यह वर्ष 2006-2007 का चल रहा है। मान्यवर, 2004-2005 में बड़े पैमाने पर अधिकांश कालेजों में दसमोत्तर के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं कराई गयी। अम्बेडकरनगर जिले का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ पर जितने भी इण्टर कालेज हैं, डिग्री कालेज हैं जिनमें 10वीं से ऊपर के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था थी वहां किसी भी महाविद्यालय में छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का काम नहीं किया गया है। इसी तरह से किसी भी इण्टर कालेज में छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं की गई। जब हम लोगों ने जिला समाज कल्याण अधिकारी से बात करने का काम किया तो उन्होंने कहा कि हमने जिलाधिकारी के माध्यम से डिमान्ड भेजने का काम किया लेकिन जितनी हमारी अपेक्षा थी, डिमाण्ड थी उसके अनुरूप हमको अभी तक छात्रवृत्ति की धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गयी है। जो धनराशि प्राप्त हुई उसको पहले आने वाले जो छात्र थे उनको उपलब्ध कराने का काम करें। इसी तरह से जैसा माननीय मौर्या जी ने आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम किया अम्बेदकर नगर जिले में वर्ष 2004-05 में 4 करोड़ 27 लाख की छात्रवृत्ति की अपेक्षा थी उसके सापेक्ष 2 करोड़ से भी कम छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का काम किया गया। इसी तरह से 2005-06 में 5 करोड़ की आवश्यकता थी छात्रवृत्ति के लिए उसके सापेक्ष 1 करोड़ 95 लाख रुपया छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध कराने का काम किया। जिसकी वजह से रमाबाई राजकीय डिग्री कालेज के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली श्रीमन् 100 से ऊपर डिग्री कालेजों के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। इसी तरह से निजी प्रबन्धन के इण्टर कालेज जो हैं, राजकीय इण्टर कालेज हैं इसमें 80 फीसदी लोगों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का काम नहीं किया गया। जब मैंने यहां सवाल किया तो मंत्री जी ने कहा कि डिमान्ड नहीं आई थी। इसलिए छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। ऐसा कहकर हास्यास्पद स्थिति बनाने का काम किया। इससे लगता है यह सरकार जानबूझकर अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को पढ़ने से रोकने के लिए यह काम कर रही है। उनकी छात्रवृत्ति काटने का काम किया जा रहा है। इसमें हम चाहते हैं मंत्री जी इस बात का उत्तर दें तो इस बात का जिक्र करें कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति की कितने जिलों से डिमान्ड थी और कितनी डिमान्ड थी उसके सापेक्ष कितना धन इसके लिए उपलब्ध कराने का काम किया। अगर नहीं उपलब्ध कराया गया तो उसके क्या कारण हैं ? संसदीय कार्य मंत्री जी ने किसी प्रश्न के उत्तर में जबाव दिया था तो कहा था कि इस सरकार के पास खजाने में पैसे की कमी नहीं है। हर काम के लिए वर्तमान सरकार के पास खजाना है। और सरकारों की तरह खजाने की कमी का रोना रोने का काम यह सरकार नहीं कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर अन्य किसी के लिए पैसे की कमी नहीं है तो अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं, दशमोत्तर के छात्र-छात्राओं के साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है ? इनके खजाने में

पैसे की कमी नहीं है फिर भी पैसा उपलब्ध कराने का काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जो दशमोत्तर के छात्र-छात्रायें अनुसूचित जाति के हैं जो छात्रवृत्ति की श्रेणी में आते हैं उनको छात्रवृत्ति दिलवाने का कष्ट करें।

*श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में जो चर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रखी है उस पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को संस्थाओं द्वारा वहन किये जाने वाले खर्चों की प्रतिपूर्ति समाज कल्याण द्वारा की जाती है ट्यूशन, खेल, शिक्षा, पुस्तकालय, इक्युपमेंट, एजुकेशन, स्याही आटोविजुअल, मैगजीन, विज्ञान, मंहगाई, विकास आदि यह व्यवस्था इसलिए की गयी है कि वह छात्र गरीब परिवार से निकलकर आते हैं। जो गरीब परिवार से निकलकर आते हैं उनकी व्यवस्था में क्या अन्तर है। एक बच्चा वह पढ़ने के लिए आता है जिसकी चड्डी फटी है, नेकर फटा है, शर्ट के बटन नहीं हैं और टाट बगल में दबाकर स्कूल में जाता है और ऐसे समय पर जाता है जब उसको समय से नाश्ता नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है और जब स्कूल पहुँच जाता है पहुँचने के बाद घर पर वापिस आता है तो ऐसी स्थिति में आता है जब उनका पिता उनकी माँ को पकड़कर खींच रहा होता है कहीं बच्चे को पीट रहा है। कहीं बच्चे को कान पकड़कर दण्ड बैठक लगवा रहा है कि तू क्या बनेगा, डायरेक्टर बनेगा। आगे क्या बनेगा, क्या भविष्य होगा न उसके पास किताब की व्यवस्था है न कापी की व्यवस्था है और एक बच्चा वह स्कूल में पढ़ने जाता है टाई पहनकर जाता है तीन बार दिन में कपड़े बदलता है। गाड़ी में जाता है मम्मी पापा दोनों किस लेते हैं दोनों उसका इंतजार करते हैं लौटकर आता है। अलग-अलग विद्यालय भी हैं।

मान्यवर, ऐसी स्थिति में पढ़ाई करने वाला बच्चा यदि 30, 40 या 50 परसेन्ट भी नम्बर लाता है या ग्रेस से पास होता है जिसके परिवार का रहन-सहन ठीक न हो, हर समय लड़ाई-झगड़े होते हों, समय से फीस जमा न होती हो, उसका कोई ट्यूटर न हो तो अच्छे वातावरण में रहकर पढ़ाई करके 60 परसेन्ट नम्बर लाने वाले बच्चे से कई गुना अच्छा होता है। इसीलिए उसको अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति या सामान्य जाति के गरीब छात्र-छात्रओं को छात्रवृत्ति उनके भविष्य तथा उनके परिवार की सामाजिक सेवा के आधार पर दी जाती है जिससे समाज में सभी को बराबरी के दर्जा के साथ-साथ पढ़ने का अधिकार मिल सके। मान्यवर, एक बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है, जो सरकारी है, सरकारी विद्यालयों को तो आप जानते ही हैं, वहाँ कैसे पढ़ाई होती है और एक बच्चा है जो पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। मान्यवर, मैंने इसे नियम-56 में भी उठाया था आज तक दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। जो डिग्री कालेज हैं, जो बी0एड0 के छात्र हैं, उनकी फीस आज तक जमा नहीं हो पायी है।

(इस समय 2 बजकर 53 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसी प्रकार जो आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0/पी0सी0एस0 की कोचिंग होती है, छात्रवृत्ति न मिलने के कारण वह भी नहीं कर पाए हैं। एक जो टाइपिस्ट और शार्टहैण्ड की कोचिंग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होती थी, उनकी फीस भी जमा नहीं हो पायी है। इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज के बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, उनके रिजल्ट रोक दिये गये हैं और उनके एडमीशन भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि 2-3 साल से उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। शिक्षण संस्थाओं ने कह दिया है कि पहले फीस जमा करो, तब आपका प्रवेश होगा। ऐसे में उनके सामने भविष्य को लेकर अंधकारमय वातावरण बना हुआ है, वह कहाँ जायें। तीन वर्ष से छात्रवृत्ति न मिलने के कारण बच्चे इधर-उधर भटक रहें हैं और उनके प्रवेश नहीं हो पा रहें हैं, परिणाम स्वरूप होनहार बालक भी घर पर बैठ गये हैं। मान्यवर, यदि छात्रवृत्ति समय से विद्यालयों में जमा हो जाती तो यही बच्चे अच्छी पढ़ाई करके आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 बनकर देश की सेवा करते। आज आप देखें, बुलन्दशहर में मुकर्रम इण्टर कालेज है, जनता इण्टर कालेज, बोहिच है, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सूरजभान इण्टर कालेज, श्यामलाल डिग्री कालेज, शम्भूनाथ इण्टर कालेज, डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, माँ भगवती इण्टर कालेज, गणेशानन्द हाई स्कूल आदि सभी शिकारपुर के विद्यालयों सलेमपुर, जटपुरा, सरावा, सिवाली तथा आई0टी0आई0 सहकारी नगर, बुलन्दशहर के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। मान्यवर, इसी प्रकार से अनेक छात्र मारे-मारे घूम रहें हैं और उनको प्रवेश नहीं मिल पा रहा है और जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो आई0टी0आई0 आदि हैं, उनमें भी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। छात्र परेशान हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, चर्चा जारी रखें।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलते रहिये।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, छात्रवृत्ति घोटाले के सम्बन्ध में मैं अलीगढ़ जनपद का उदाहरण देता हूँ, वहाँ सैकड़ों विद्यालय कागजों पर चल रहें हैं और इन विद्यालयों में जो बच्चे बुलन्दशहर से आते हैं, वहाँ उनका नाम तो लिखा जाता है लेकिन वहाँ विद्यालय नहीं चल रहे हैं, न वहाँ पर फर्नीचर की कोई व्यवस्था है, न बैठने की व्यवस्था है, न रजिस्टर है। उनका काम केवल छात्रवृत्ति का घोटाला करना है, वह छात्रवृत्ति का पैसा ले रहे हैं, लेकिन छात्रों को नहीं दे रहें हैं। अगर इसकी जांच कराई जाए तो जो छात्रवृत्ति का घोटाला है, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। मान्यवर, कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति के नाम पर प्रवेश पाते हैं लेकिन उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। सैकड़ों विद्यालय, जो प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल हैं, जो ग्रामीण व शहरों में मान्यता प्राप्त विद्यालय खुले हैं, लेकिन उनमें वह बच्चे पढ़ नहीं पा रहें हैं। जिन विद्यालयों को मान्यता नहीं मिली है, वह अपने यहाँ के बच्चों का एडमीशन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में करा देते हैं, वह उन बच्चों की छात्रवृत्ति तो निकाल लेते हैं लेकिन उन बच्चों को छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल पाता है जिनके नाम वहाँ लिखे हैं। इस प्रकार छात्रवृत्ति का घोटाला पूरे जोर पर है।

मान्यवर, जो गरीब छात्र हैं उसे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अभी उत्तर में माननीय मंत्री जी कहेंगे कि केन्द्र सरकार ने हमें छात्रवृत्ति नहीं दी है इसलिए हम नहीं दे रहें हैं। दशमोत्तर कक्षा के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम केन्द्र सरकार का है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि केन्द्र में

सरकार किसकी है। काँग्रेस की सरकार है। अगर केन्द्र में सरकार काँग्रेस की है तो उसको समर्थन बसपा और सपा का है। क्यों उन्हें समर्थन दे रखा है और यहाँ भी इस सरकार को किसका समर्थन है। बसपा के नीले झण्डे पर इन्हीं गरीब लोगों के वोट से चुनकर आये और बसपा को छोड़कर गये विधायकों के दम पर यह सरकार चल रही है और कांग्रेस इस सरकार को समर्थन दे रही है। अगर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तो इसके लिए दोषी बसपा भी है। जब हमारी केन्द्र में सरकार थी और प्रदेश में माननीय श्री कल्याण सिंह जी और फिर श्री राजनाथ सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तो किसी भी छात्र की छात्रवृत्ति नहीं रुकी थी। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हम बोलना चाहते हैं लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस चर्चा को जारी रखा जाये।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा 2.30 पर शुरू हुयी है और यह चर्चा एक घण्टे की है और अभी आधा घण्टा हुआ है और आधा घण्टा का समय बाकी है। आप बोल लें अगर जारी रखने की जरूरत होगी तो जारी रखा जाएगा।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और यह विदित है कि जिन वर्षों का उल्लेख किया है वर्ष 2004-2005, 2005-2006 इन वर्षों में आप जनपदों को देख लें तो आपको छात्रवृत्ति की स्थिति पता चल जाएगी। इंजीनियरिंग कालेजों में पहले पैसा जमा करा लेते हैं, जितनी उनकी छात्रवृत्ति बनती है वह पैसा जमा कराकर एडमीशन दिया जाता है और बाद में वह वापस भी नहीं किया जाता है। छात्रवृत्ति अहम मसला है। इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे आगे जारी रखा जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। अब आगे के मद लेते हैं।

प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा तथा प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-21 और मद संख्या-22 इन मदों पर माननीय बाजपेयी जी ने आग्रह किया है कि इन्हें स्थगित किया जाये। इन्हें स्थगित किया जाता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के द्वारा उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार के प्रस्ताव का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-23 इसे भी स्थगित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति 2005-2006 के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करने विषयक डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-24 इसे भी स्थगित किया जाता है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या-6172 (एम0बी0) ऑफ, 2006 श्रीमती ओमवती देवी बनाम मा0 अध्यक्ष, विधान सभा उत्तर प्रदेश एवं श्री शिवपाल सिंह यादव रिट याचिका सं0 6173 (एम0बी0) ऑफ, 2006 श्री सुन्दर लाल, श्री कल्याण सिंह दोहरे एवं श्री रतन लाल अहिरवार बनाम मा0 अध्यक्ष, विधान सभा उत्तर प्रदेश एवं श्री शिवपाल सिंह यादव में दिये गये अन्तरिम आदेश के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-25 यह लेंगे लेकिन पहले सदन को एक सूचना देनी है।

श्री शिवपाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा, प्रदेश महासचिव, समाजवादी पार्टी तथा मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत मेरे विचारार्थ श्रीमती ओमवती देवी (निर्वाचन क्षेत्र संख्या-4, नगीना, अ0जा0, जनपद-बिजनौर) श्री सुन्दर लाल (निर्वाचन क्षेत्र संख्या-77, सफीपुर, अ0जा0, जनपद-उन्नाव) श्री कल्याण सिंह दोहरे (निर्वाचन क्षेत्र संख्या-292, कन्नौज, अ0जा0 जनपद-कन्नौज) एवं श्री रतन लाल अहिरवार (निर्वाचन क्षेत्र संख्या-313, बबीना, अ0जा0, जनपद-झांसी) सदस्यगण, विधान सभा के विरुद्ध दिनांक 23 जून, 2006 को याचिकायें दी गयी थीं। उक्त याचिकाओं के सम्बन्ध में याची तथा प्रतिपक्षीगण को सुनने के उपरान्त मैंने अपने आदेश दिनांक 19 अगस्त, 2006 द्वारा सभी प्रतिपक्षीगण को संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-2(1) (ए) के अन्तर्गत निरर्हित घोषित कर दिया था, जिसकी सूचना सदन को दिनांक 22 अगस्त, 2006 के उपवेशन में दी गयी थी।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ ने रिट याचिका संख्या-6172 (एम0बी0) ऑफ, 2006, श्रीमती ओमवती देवी बनाम मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश एवं श्री शिवपाल सिंह यादव तथा रिट याचिका संख्या-6173 (एम0बी0) ऑफ, 2006, श्री सुन्दर लाल, श्री कल्याण सिंह दोहरे एवं श्री रतन लाल अहिरवार बनाम मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश एवं श्री शिवपाल सिंह यादव में अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 27 सितम्बर, 2006 द्वारा मेरे आदेश दिनांक 19 अगस्त, 2006 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया है और यह आदेश पारित किया है कि उक्त याचीगण निरर्हित नहीं माने जायेंगे तथा वे विधायक को अनुमन्य सभी सुविधाएं एवं भत्ते आदि प्राप्त करने के हकदार होंगे और वे विधान सभा सत्र में उपस्थित हो सकेंगे परन्तु न्यायालय के अग्रिम आदेश तक उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने एवं मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

मा0 विधान सभा सदस्य, डॉ0 पी0 के0 राय द्वारा जिलाधिकारी, कुशीनगर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय डॉ0 पी0 के0 राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा जिलाधिकारी, कुशीनगर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 17 फरवरी, 2006 में निर्णय ले लिया गया है।

उपर्युक्त मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना अग्राह्य कर दी गयी है।

उक्त सूचना पर मेरे द्वारा दिया गया निर्णय सदन के आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

[माननीय डॉ0 पी0 के0 राय, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, कुशीनगर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 17 फरवरी, 2006 को अभिसूचित की है।

माननीय सदस्य का कथन है कि उनकी जानकारी में लाया गया कि उनके विधान सभा क्षेत्र के दुदही विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख ने मिलकर बगैर विकास कार्य कराये ही कार्य का सारा धन निकालने हेतु अग्रिम भुगतान के चेक काट रहे हैं। जागरूक लोगों द्वारा विरोध किया गया कि कार्य-सत्यापन के बाद ही भुगतान कराया जाय। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने दिनांक 15 फरवरी, 2006 को जिलाधिकारी, कुशीनगर से सरकारी धन की लूट को रोकने हेतु शिकायतकर्ता की बात सुनकर कार्यवाही करने के लिए टेलीफोन पर अनुरोध किया किन्तु सायंकाल उन्हें ज्ञात हुआ कि उक्त के सम्बन्ध में शिकायतकर्ताओं को बी0डी0ओ0 की फर्जी शिकायत पर जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा बन्द करा दिया गया है एवं हरिजन उत्पीड़न की धारा लगा दी गयी है। माननीय सदस्य ने दिनांक 15 फरवरी, 2006 की रात को आठ-दस बार फोन करके डी0 एम0 से बात करने का प्रयास किया लेकिन जिलाधिकारी के घर पर रहने के बावजूद उन्होंने माननीय सदस्य से बात नहीं की। इससे माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हुआ है। माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना विषयक उक्त सूचना के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी जो विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 1880/दो-5-2006-22(48)/76, दिनांक 29 मई, 2006 द्वारा प्राप्त हुई है। विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति विभाग के माध्यम से जिलाधिकारी, कुशीनगर, श्री प्रभु दयाल श्रीवास ने अपने स्पष्टीकरण में यह कहा है कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 15 फरवरी, 2006 को माननीय सदस्य द्वारा की गयी शिकायत पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उन्होंने खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध जिला विकास अधिकारी को स्थलीय जाँच के आदेश दिये और कहा कि यदि कोई धन अवैध

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तरीके से निकाला जा रहा है, तो उसे अविलम्ब रोक कर यह वित्तीय अनियमितता करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये जिसके फलस्वरूप खण्ड विकास अधिकारी, दुदही का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण कर दिया गया और जांच प्रारम्भ कर दी गयी। माननीय सदस्य द्वारा भेजे गये शिकायतकर्ता जब जिलाधिकारी के पास बैठे ही थे, उसी समय तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, दुदही भी लगभग रोते हुये आये और उक्त शिकायतकर्ताओं द्वारा अपने साथ किये गये अमानवीय व्यवहार की तथ्यात्मक शिकायत की, जिसकी पुष्टि उक्त शिकायतकर्ताओं के साथ आये कुछ निष्पक्ष लोगों द्वारा की गयी। खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जा चुके थे, परन्तु अनधिकृत रूप से खण्ड विकास अधिकारी के साथ अमानवीय व्यवहार एवं प्रताड़ित करने वाले उक्त लोगों के विरुद्ध यदि जिलाधिकारी द्वारा फौरी कार्यवाही न की जाती तो इससे सरकार की छवि धूमिल होती इसलिए उनके द्वारा खण्ड विकास अधिकारी की शिकायत पर माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा भेजे गये उक्त शिकायकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के आदेश दिये गये, जो विधि संगत थे। इस समय मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि दिनांक 15 फरवरी, 2006 को माननीय सदस्य द्वारा उनके कार्यालय में स्थापित टेलीफोन पर एवं उनके मोबाइल पर कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण माननीय सदस्य से बात नहीं हो पायी। शासन द्वारा जिलाधिकारी को सीधे प्रदत्त टेलीफोन नं0 जिसे जिलाधिकारी स्वयं उठाते हैं, उस पर भी माननीय सदस्य का टेलीफोन नहीं आया और न ही उनके मोबाइल पर उनका संदेश प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी ने आगे स्पष्ट किया है कि दिनांक 15 फरवरी, 2006 को माननीय सदस्य से बात हुई और इससे पूर्व एवं बाद में भी कई बार बात हो चुकी है। माननीय सदस्य से जिलाधिकारी के मधुर सम्बन्ध रहे हैं। अन्त में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि माननीय सदस्य की शिकायत गलतफहमीवश हो सकती है। उन्होंने उक्त सूचना को वापस कराने हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा से अनुरोध किया है।

डॉ0 पी0 के0 राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित प्रश्नगत सूचना एवं सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त जिलाधिकारी, कुशीनगर के स्पष्टीकरण में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है।]

अतः प्रश्नगत मामले को मैं अग्राह्य करता हूँ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर एवं डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचनाओं पर उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जाँच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार का प्रस्ताव

*डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, दिनांक 15 फरवरी, 2006 को चैनल 7 पर सी0एन0एन0, आई0बी0एन0 एवं डिग द्वारा "नेता बिकता है" नाम से स्टिंग आपरेशन द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री श्री महबूब अली एवं केराकत से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री सोमारू राम, तथा राजगढ़ से ब0स0पा0 विधायक श्री अनिल कुमार मौर्य के संदर्भ में पैसे लेते हुए या गम्भीर आरोपों में लिप्त दिखाया जा रहा है।

जिस प्रकार प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री श्री महबूब अली ने सौदेबाजी की है और प्रतिबंधित मादक पदार्थ हीरोइन जैसे ड्रग्स को अपनी सरकारी गाड़ी द्वारा बाराबंकी से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिल्ली ले जाने का वादा करते हैं तथा रु0 एक करोड़ का मादक पदार्थ ले जाने के लिए रु0 बीस लाख की मांग करते हैं वह असंवैधानिक, अनैतिक एवं पूरी तरह से गैर कानूनी है। बसपा के विधायक श्री अनिल कुमार मौर्य रु0 5000/- लेते हुए कैमरे के सामने दिखाये जाते हैं और हवाला तथा प्रतिबंधित चीतल जैसे जानवरों की बातें करते दिखाये जाते हैं तथा श्री अनिल कुमार मौर्य रु0 5/- लाख से 50/- लाख में पार्टी का टिकट बेचने की बात करते हैं। इसी तरह से केराकत से भा0ज0पा0 विधायक श्री सोमारू राम एक फर्जी एन0जी0ओ0 की मदद करने के लिए रु0 5000/- रिश्वत स्वीकारते हुए दिखाये जाते हैं, उपरोक्त तथ्यों के खुलासा से उत्तर प्रदेश की विधान सभा के शानदार एवं गरिमामय इतिहास पर कलंक लगा है इससे प्रदेश की जनता में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास बढ़ा है तथा उनमें चिन्ता व्याप्त है। अतः नियमों को निलम्बित करके इस पर सदन में चर्चा करायी जाय। इसमें 17 फरवरी को विधान सभा में चर्चा करायी। इसमें सभी राजनैतिक दल एवं माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये। यह इतना गम्भीर प्रकरण था और सदन एक मत का था कि इसमें जाँच होनी चाहिए। इसमें ग्यारह सदस्यीय एक जाँच समिति बनायी गयी और इसके सभापति डा0 पी0के0 राय जी को चुना गया। मैं भी इसका एक सदस्य था। क्योंकि यह महत्वपूर्ण मसला था इसलिए मैंने सभी तरह से अपना जो सहयोग होना चाहिए था वह दिया। देश की सबसे बड़ी विधान सभा उत्तर प्रदेश है और यह विधायिका की गरिमा की बात है। इसमें जितनी भी बैठकें हुई 24 अप्रैल, 2006, 02 मई, 03 मई, 10 मई, 18 मई, 31 मई, 2006, 01 जून, 20 जून, 21 जून, 2006, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 17 जुलाई, 2006 तक सभी बैठकों में मैंने पूरी तरह से भाग लिया। हम लोगों की चिन्ता थी कि इसमें एक उचित निर्णय लिया जाय जो सदन के सामने आये। मान्यवर, 17 जुलाई तक जितनी भी बैठकें हुई हैं, इसमें जितने भी सदस्य उपस्थित थे सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। हमने जितने भी इलेक्ट्रानिक्स मीडिया के लोग थे जो लोग बुलाये गये थे साक्ष्य के लिए तीन विधायक भी साक्ष्य के लिए बुलाये गये थे, सबका साक्ष्य लिया गया। उसके बाद 17 जुलाई को बैठक होती है।

उस 17 जुलाई की बैठक में, उसके पहले माननीय सभापति जी भी उपस्थित थे, यह बात आई कि बार-बार इसके जो मुख्य चीफ एडीटर हैं श्री राजदीप सरदेसाई, वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं और मूल जो सीडी है वह भी नहीं आ रही है लेकिन इसके पहले जो हम लोगों को सीडी उपलब्ध थी उसको कई बार देखा, अवलोकन किया और उसके बाद हम लोगों ने सेन्ट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, डायरेक्ट्रेट ऑफ फारेंसिक साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम एफेयर्स, गर्वनमेण्ट ऑफ इण्डिया को उसकी सत्यता की जांच के लिए भेजा, मान्यवर, 16-05-2006 को उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, मान्यवर, चूंकि यह प्रस्तुत हो चुका है, इंग्लिश में है इसलिए मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ- रिजल्ट ऑफ एक्ज़ामिनेशन आन दी बेसिक ऑफ दी एनालसिस ऑफ दी वीडियों इन एक्स-वन एण्ड एक्स-टू, इट इज रिवील्ड दैट।

1-दी आइडेन्टीफाइड वीडियों सूट्स ऑफ रिलेवेन्स ऑर हैविंग सूट-ट्रान्जीशन्स इट इज नाट पॉसिबिल टू से दैट दीज शौट-ट्रान्जीशन्स आन दी वीडियों सूट्स शोइंग सेम सीन आर विद दी इन्टेन्शन ऑफ डिलेशन ऑर अदरवाइज अनटिल दी ओरिजनल वीडियो रिकार्डिंग कजलिस प्रोवाडेड फॉर एक्ज़ामिनेशन इन दी लबोरेटरी हाउएवर आन-दी बेसिस ऑफ फ्रेम-टू फ्रेम एक्जामिनेशन दी वीडियो सूट्स बिटवीन टू कन्सीक्यूटिव ट्रान्जीशन्स ऑर फ्री आफ एनी फोम ऑफ आल्टरनेशन ऐज फार ऐज सिक्सूएन्स ऑफ वीडियो फ्रेम्स आर कन्सर्न्ड।

दी डैनामिक ऑफ लिप्स मूवमेन्ट मूकमेण्ड इज ऑबजर्ब्ड टू लबी इन सिन्चर अनाइजेशन विद दी स्पोकन फोनीम्स इन दी साउण्ड ट्रैक ऑफ दी वीडियों रिकार्डिंग ऐट इन्स्टेन्सेज वियर लिप्स आर क्लीअरली विजिबल।

दी वीडियो इज दी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटेड वर्जन फार क्लीपिंग इन दी न्यूज देयर इज नो इन्डीकेशन टू से दैट दी वीडियों इमेजेज इन दी रिलेवेन्ट सूट्स आर नाट एथेन्टिक।

श्री अध्यक्ष-

इसका पूरा संक्षेप में आप सार हिन्दी में कर दें।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओरिजनल सी0डी0 होती तो उचित था लेकिन ओरिजनल सी0डी0 नहीं है फिर जो इन्होंने परीक्षण किया उसमें कहीं कोई विसंगति नहीं दिखाई दे रही है और जो लिप्स का मोमेण्ट है उससे भी लगता कि जो सी0डी0 में दिखाया गया वह सही है। मुख्यतः मान्यवर, इसका सारांश यह है।

श्री अध्यक्ष-

नम्बर-4 भी आप पढ़ियें न।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह रिपोर्ट तो सबके सामने है, हमें जितना रिलेवण्ट पोर्शन है, मैं समझता हूँ वह मैं पढ़ रहा हूँ। पूरा पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से हो जायेगा मान्यवर, इसलिए मान्यवर, मैंने जितना जरूरी था उतना पढ़ दिया।

मान्यवर, 17 जुलाई को हमारी समिति की बैठक हुई उसमें 11 में से आठ या नौ सदस्य उपस्थित थे। मान्यवर, उसमें यह बात आई कि इतनी बैठकें हो गयी क्योंकि जब आपने जांच समिति बनाई तो उसमें था कि पिछला सत्र चल रहा है उसी के अन्तर्गत रिपोर्ट आ जाय उसमें रिपोर्ट नहीं आयी बहुत लम्बा हो रहा है, तो हम लोगों ने विचार किया कि चीफ एडीटर को कई बार बुलाया गया, मेन सीडी को मांगा गया, वह भी नहीं मिली, अब क्या करना चाहिए तो वहां पर सर्वसम्मति से राय आयी क्योंकि हम लोगों ने कई बार सीडी को देख लिया था और प्रथम दृष्टया हम सभी को यह देखने में ही लगता है कि इसमें जो आरोप लगाये गये हैं वह सही हैं। तो सभापति और हम लोग जनरल बात कर रहे थे, तो इम्पारटेण्ट यह है कि सभापति ने जितने सदस्य उपस्थित थे एक-एक करके सबसे राय ली, मान्यवर, यह खेद की बात है 25 जुलाई को किसने क्या कहा यह तो लिखा गया लेकिन 17 जुलाई को इस प्रतिवेदन में बहुत छोटा सा लिख दिया गया। मेरी मांग है मान्यवर, आपके माध्यम से, पारदिर्शिता मांग करती है कि जितने सदस्य थे उन्होंने क्या कहा वह इसमें आना चाहिए था, यह क्यों नहीं यहां पर प्रस्तुत किया गया ? मान्यवर, जितने भी वहां पर सदस्य उपस्थित थे हर एक ने यह बात कही कि प्रथम दृष्टया हमारें साथी विधायक मैं किसी पर डिफेंस या कार्यवाही हुई मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सदन की गरिमा का सवाल था, सबने एक-एक करके कहा कि प्रथम दृष्टया तीनों विधायक जो आरोप लगे हैं, वह दोषी हैं, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, कार्यवाही की भी बात लोगों ने की।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, वहां पर सबने कहा कि तीनों की सदस्यता समाप्त कर दी जाय, सबने एक-एक करके कहा। एक बात इसमें नहीं आयी। चीफ एडीटर को इतनी बार बुलाया गया वह नहीं आये। यह बात आयी कि यह सदन की अवमानना है इसमें विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आपने अपनी पूरी बात कह ली है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैंने अपनी इसमें सूचना दी है आप पांच-दस मिनट बोल लेने दें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय सदस्य, इलाहाबाद ने कहा था कि वे अपने इस्तीफा का कारण प्रस्तुत करना चाहते हैं इसलिए उतना ही पोरशन चर्चा में आना चाहिए था।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वह बात नहीं है मैंने चर्चा करने के लिए कहा था।

श्री लाल जी वर्मा-

ठीक है, फिर तो हम लोगों को भी अवसर इसमें मिलना चाहिए।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हम लोगों ने कहा कि यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है उन पर जो भी कार्यवाही हो वह की जाय। तीसरी बात यह कही गयी कि इसमें एक हवाला का प्रकरण है और एक में तस्करी की बात सामने आयी है उसकी अलग से जांच करायी जाय। हम लोगों ने कहा कि हम लोग माननीय सभापति जी को प्राधिकृत करते हैं कि वह इस सम्बन्ध में समिति की रिकमेंडेशन बनवा लें और वह माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी जाय। तो उन्होंने कहा कि यह बहुत ही सेन्सेटिव मेटर है इसका ड्राफ्ट बना लिया जाता है चार बजे इसकी बैठक पुनः होगी। चार बजे इसकी मीटिंग होती है इसको दिखाकर हम लोगों को सुनाया गया सबने उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया सभापति जी भी उपस्थित थे। उसमें हम लोगों ने तीन संस्तुतियां की थीं, वह मैं बता रहा हूँ शब्दों में कुछ हेर-फेर हो सकता है। पहला था कि तीनों विधायकों की सदस्यता समाप्त की जाय। दूसरा था कि दो सदस्यों पर तस्करी एवं हवाला, जैसे गम्भीर आरोप हैं अतः इसकी अलग से जांच करायी जाय। तीसरा था कि सी0एन0एन0- आई0बी0एन0 के मुख्य संपादक श्री राजदीप सरदेसाई के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना की कार्यवाही की जावे। यह मान्यवर ड्राफ्ट आया था जिसे हम लोगों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था हम लोगों ने माननीय सभापति को प्राधिकृत किया कि वे माननीय अध्यक्ष को इसे यथाशीघ्र भेज दें। यह सब करके हम लोग चले गये।

श्री अध्यक्ष-

यह जो अन्तरिम प्रतिवेदन है उस पर कुछ बोलिये। आपने घटनाक्रम बताया कि यह हुआ यह हुआ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मैं मान्यवर प्रतिवेदन पर ही बोल रहा हूं। मान्यवर, जो 17 जुलाई के बारे में उल्लेख किया, उसमें जो कहा उसमें लीपा-पोती की गयी। इस प्रतिवेदन में निर्णय कुछ लिखा जाता है। वह निर्णय क्यों नहीं लिखा गया। यह घोर आपत्ति है। 17 जुलाई को निर्णय हुआ वह सर्वसम्मति से हुआ। हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया कि वे अध्यक्ष जी को रिपोर्ट सौंप दें। चार घंटे बाद मैं इलाहाबाद पहुंचता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये। आपने सारी बात कह ली है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, फैक्ट इसमें गलत है। फिर 18 तारीख के लिए फोन जाता है कि बैठक पुनः है। मैंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, फिर 25 तारीख को पुनः बैठक होती है। मैं उसमें उपस्थित होता हूँ। 25 जुलाई की बैठक में क्या-क्या कहा गया वह सब इसमें लिखा हुआ है। 17 जुलाई को मान्यवर जो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि माननीय अध्यक्ष जी को अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। फिर उसमें विचार होता रहा। 17 जुलाई को जो सर्वसम्मति से विचार-विमर्श हुआ था वह 18 जुलाई को अखबार में लीक हो गया। सभापति जी ने कहा कि हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है इस तरह से हम लोग काम नहीं कर सकते हैं हम लोगों ने भी उनसे कहा कि हम सब आपके साथ हैं, त्याग-पत्र देने पर चर्चा हो गयी। उसमें बात आयी कि मत विभाजन कराया जाय। यह कहा गया कि इसमें सर्वसम्मति से बातें होती हैं मत विभाजन नहीं होता। जो भी हो सर्वसम्मति से राय आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप करिये आपकी पूरी बात आ गयी है जो आप कहना चाहते थे अब क्या बाकी बचा है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ पहला यह कि 17 जुलाई को संपन्न संपूर्ण कार्यवाही, सदस्यों की राय, स्वीकृत ड्राफ्ट प्रपोजल को प्रतिवेदन में सम्मिलित कर सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। तभी प्रतिवेदन में पारदर्शिता रहेगी, दूसरा, सीडी को सदन के अंदर सभी सदस्यों को दिखाई जाये। तीसरा, विधायिका व विधायकों की छवि को बनाये रखने हेतु भ्रष्टाचार में लिप्त विधायकों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे, चौथा यदि सदन चाहे तो सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 को सौंप दे। मान्यवर, अन्तिम बात है यह जो प्रतिवेदन में अंत में कहा गया है जिसने मान्यवर, भ्रष्टाचार को उजागर किया है उसको आपने कटघरे में खड़ा कर दिया लेकिन जो भ्रष्टाचार किया हैं उनको क्लीनचिट दे दी है। मेरा मानना है मैं मांग करता हूँ आज भ्रष्टाचार को मान्यवर, कौन उजागर करेगा मैं उसको बधाई देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

उसमें क्लीनचिट कहाँ दे दी। आप गुमराह मत करिये, क्लीनचिट कहाँ दिया जांच जारी है, आप पढ़िये तो। आप घुमाकर बात कह रहें हैं।

*श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं पहली व्यवस्था यह चाहता हूँ कि माननीय गौर जी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करते हैं उसको क्लीनचिट दी गयी। मान्यवर, भ्रष्टाचार कौन करता है जब तक ओरिजिनल सीडी नहीं है। जब तक सर देसाई को बार-बार अवसर देने के बाद उसमें मास्टर सीडी को दिखाने का काम नहीं किया तो यह कैसे सुनिश्चित हो गया कि यह भ्रष्टाचारी हैं। पहले मान्यवर, माननीय गौर जी नें कहा कि जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं किया चूँकि भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ इसलिए यह बात कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। दूसरी बात माननीय गौर जी ने यह बार-बार जिक्र किया कि उसमें इस तरह के तथ्य आये हैं इस तरह की जांच आई है। मान्यवर, हमारे सामने भी इस तरह के तथ्य रखने का काम किया गया है उसमें यह कहा गया है कि इसके अतिरिक्त सेंट्रल फौरेंसिक साइंस लैबोरेट्री, चण्डीगढ़ की रिपोर्ट में अन्य बातों के अतिरिक्त यह कहा गया है कि वीडिओ रिकार्डिंग को पूर्ण रूप से तभी प्रमाणित किया जा सकता है जब वीडिओं रिकार्डिंग की ओरिजनल वीडिओ टेप उपलब्ध कराई जाय। अगर ओरिजनल टेप को कई बैठकों के बाद भी उपलब्ध कराने का काम नहीं किया गया और मास्टर टेप सीडी सहित उपलब्ध नहीं हुये तो उसको प्रमाणित कैसे मान लिया जायेगा। मान्यवर, हमारी आपकी वार्ता कई सेंस में होती है हम आपके सामने बात करते हैं, पैसे का भी जिक्र आ सकता है। पैसा किस सेंस में किस रूप में उसका उल्लेख आया इस बात का उल्लेख तभी सही माना जा सकता है जब ओरिजनल सीडी में पूरी वार्ता उसमें निहित हो। चूँकि पूरी वार्ता की एडीटिंग की गयी है, तो जो जिस मकसद की चीजें थी उसको ले लिया गया। जैसा अभी माननीय गौर जी पढ़ रहे थे माननीय प्रमोद कुमार जी ने यह कहा माननीय प्रमोद कुमार जी ने वह कहा अगर यह शब्द निकाल दिया जाता कि माननीय प्रमोद कुमार जी ने यह कहा तो यह माना जाता कि इन्होंने इस बात को कहा उसी तरह से मान्यवर, जब तक ओरिजनल सीडी नहीं आती निश्चित रूप से इस पर विचार करना ही उचित नहीं है। इसलिए कि किसी एडीटिंग की हुई सूची पर विचार करना इस सदन की गरिमा के अनुकूल ही नहीं होगा इसलिए यदि बार-बार अवसर देने के बाद ओरिजनल सीडी उपलब्ध कराने का कार्य नहीं किया गया है तो निश्चित रूप से इस अध्याय को समाप्त करके और निश्चित रूप से समिति के सामने जो सर देसाई जी नहीं आये हैं इसको समिति की अवमानना मानते हुए बाकी चीजें तो अपने आप समाप्त मान लेना चाहिए इसलिए कि यदि गवाह को बार-बार अवसर देने के बाद भी वह गवाही के लिए नहीं उपलब्ध होता है तो निश्चित रूप से यह माना जायेगा कि उसको गवाही नहीं देना है इसलिए मान्यवर, उस गवाही को पूरी तरह से समाप्त करते हुए बल्कि समिति के सामने न आने के कारण जो संस्तुति की गयी है अवमानना की उसके लिए निश्चित रूप से सदन को विचार करके और अवमानना की कार्यवाही किया जाना निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा के अनुकूल होगा, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(डॉ0 पी0 के0 राय का नाम पुकारे जाने पर)

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

पहली सूची में डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के बाद मेरा ही नाम अंकित है। यह तो सभापति हैं, इनके नेतृत्व में ही सब किया धरा है।

श्री अध्यक्ष-

वह समिति के चेयरमैन हैं और कुछ कहना चाहते हैं।

डॉ0 पी0के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि माननीय नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी द्वारा मेरा नाम कई बार लिया गया है, वह बहुत ही सम्मानित और बहुत विद्वान सदस्य हैं। मैं उनकी किसी बात का प्रतिकार नहीं करना चाहता। लेकिन जो बातें कही गयी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब-जब बैठकें हुयी हैं आप उन बैठकों में उपस्थित रहें हैं और समय से उपस्थित रहे हैं और अपने विचार भी प्रकट किये हैं। मैं इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, 18 अप्रैल को और पहली बैठक 24 अप्रैल को हुयी और 24 अप्रैल से लेकर इस अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक करीब 18 बैठकें हुयीं। 17 जुलाई की बैठक के बाद माननीय गौर साहब ने कहा, मुख्यतः उसके ऊपर ही आपका इशारा भी था जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, उसका उन्होंने उल्लेख किया कि वह अन्तरिम रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन 18 तारीख की बात आपने इस सदन में नहीं रखी। 17 जुलाई को जो समिति ने फैसला किया था वह सारे का सारा वरबेटम बिल्कुल शब्दशः अखबार में लीक हो गया और इससे समिति की गोपनीयता भंग हुयी और 18 तारीख को जो बैठक हुयी उसमें इसको गंभीरता से लिया गया और फिर यह निर्णय लिया गया कि चूँकि 18 तारीख को सभी सदस्य उपस्थित नहीं थे इसलिये 25 तारीख को पुनः इसकी बैठक की गयी। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 25 तारीख की बैठक में यह बात आई और यह बात सही है कि मैंने अपनी असमर्थता व्यक्त की और मैनें कहा कि जिस मीडिया और जो हमारे सम्मानित विधायक हैं, इन दोनों लोगों के विरूद्ध जाँच करने का दायित्व समिति के ऊपर सौंपा गया था और समिति के सम्मानित सदस्य इतनी भी दूरी इतने कम समय के लिये भी बनाकर नहीं रख सके और 17 तारीख को ही जाकर किसी ने पूरी की पूरी रिपोर्ट अखबार को दे दिया। रिपोर्ट अभी प्रस्तुत भी नहीं हुयी थी आपके पास और जब तक रिपोर्ट आपको प्रस्तुत नहीं होती है, तब तक उस रिपोर्ट में किसी तरह का भी कोई संशोधन और उसके ऊपर पुनर्विचार करने का अधिकार समिति का होता है। 25 तारीख को जो बैठक हुयी, उस बैठक में यह विचार आया कि अगर यह रिपोर्ट शब्दशः अखबारों में आ गयी है तो उस रूप में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाना ठीक नहीं है। यहाँ हमारे कई माननीय सम्मानित सदस्य बैठे हैं। संभवतः यह सुझाव माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का भी था और उसमें बहुमत से यह निर्णय हुआ था कि इस संस्तुति के ऊपर पुनर्विचार किया जाय और पुनर्विचार के उपरान्त दो बातें सामने आई एक हैं व्यवहारिक और दूसरा है विधिक। व्यवहारिक रूप से तो जो सी0डी0 देखी गयी है, वह सी0डी0 सभी लोगों ने देखी है। कोई नहीं ऐसा है जिसने वह सी0डी0 न देखी हो। लेकिन समिति के ऊपर यह जिम्मेदारी दी गयी थी कि उस सी0डी0 को देखने के बाद जो उसके तकनीकी पहलू है, उसके ऊपर भी निगाह जानी चाहिये और इस उद्देश्य से ही इस सी0डी0 का परीक्षण चंडीगढ़ की फारेन्सिक लेबोरेटरी से कराया गया।

माननीय गौर साहब ने वहां तक तो बताया लेकिन चौथे नम्बर पर जो लिखा गया है कि "वीडियो रिकार्डिंग एक्जामिनेशन फॉर एथेन्टिकेशन कैननाट बी परफोर्म्ड आन दी वीडियों रिकार्डिंग इन सीडीस मार्कड एक्स-वन एण्ड एक्स-टू एस दी इवीडेन्स विडियो इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड आन वीडियो कैसेट इन ओरीजनल इट इज अबजर्व्ड दैट दी एक्जामिनेशन फॉर एथेन्टिकेशन ऑफ वीडियों रिकार्डिंग इन टोटैलिटी कुड बी पासिबिल ओनली इफ दी ओरिजनल वीडियों रिकार्डिंग आन वीडियोटेप्स आर प्रोवाइडेड।"

यह सारा कुछ देने के बावजूद भी उन्होंने यह कहा कि जब तक ओरिजिनल सी0डी0 नहीं मिलती है, तब तक इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आरोप लगाने वाले ने आरोप लगाया लेकिन आरोप लगाने वाले ने आरोप को प्रमाणित करने में बार-बार लिखने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की। सी0एन0एन0 का एक प्रतिनिधि केवल एक बार आया है, इस स्टिंग आपरेशन को अंजाम दिया है डिग ने और डिग के अमिताभ ठाकुर जब आये दिल्ली से उनसे जब सी0डी0 की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि मेरा तो कॉंट्रैक्ट था सी0एन0एन0 से और जो मास्टर सी0डी0 है वह हमने सी0एन0एन0 को दे दिया है इसलिए यह सी0डी0 सी0एन0एन0 के पास है और यह सी0एन0एन0 के द्वारा ही मिल सकती है और सी0एन0एन0 के एजेण्ट जब आये तो उन्होंने कहा कि यह सी0डी0 हम नहीं दे सकते हैं, इसे हमारे एडिटर इन चीफ दे सकते हैं। सरदेसाई को कई बार मौका दिया गया और उसके बाद समिति में यह जो विचार आया है कि विधिक और वैधानिक पहलू को देखते हुए, तकनीकी पहलू को देखते हुए, जिससे कि जो रिकमण्डेसंस हों, उन्हें किसी कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके। इस उद्देश्य से बहुमत से तय हुआ कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और उसी दिन सबसे वरिष्ठ सदस्य माननीय गौर साहब ने 25 तारीख को कहा कि अगर समिति इसके ऊपर पुनर्विचार करने की बात करती है तो मैं इस समिति से त्याग-पत्र दे दूँगा और उसके बाद से गौर साहब उस समिति की बैठक में नहीं आये। समिति ने निर्णय लिया है कि अन्तरिम रिपोर्ट दे करके पहले जिसने आरोप लगाया है, उस व्यक्ति को आरोप प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए क्योंकि उसे पहले आरोप को प्रमाणित करना होगा। यह कार्यवाही अभी रूकी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि यह रिपोर्ट अन्तिम है यह अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, जाँच प्रक्रिया अभी चल रही है लेकिन यहाँ पर वह दिन याद कीजिए जिस दिन इस सदन में इस पर चर्चा हो रही थी, हर तरफ से सम्मानित नेतागण आक्रमण कर रहें थे मीडिया के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, चाहे वह आपके नेता रहे हों या बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हों, यहाँ तक कि नेता सदन ने भी इसी तरह से कहा। नेचुरल जस्टिस के लिए आवश्यक है कि जिसने आरोप लगाया वह आरोप लगा करके घर में क्यों बैठ गया, उसने आरोप को प्रमाणित क्यों नहीं किया, इसलिए माननीय सदस्य का यह आरोप कि आरोपित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हुई और जिसने छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया गया, मान्यवर, छोड़ने वाले समिति के लोग हैं, इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, सम्भवतः आपका यही इशारा था। मान्यवर, उसके लिए सहर्ष हम तैयार हैं। अन्त में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि बार-बार उदाहरण दिया गया कि लोकसभा में इसी तरह से जाँच समिति बनी और उस समिति ने 8 दिन के अन्दर ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी तो मान्यवर, वहाँ लोक सभा के सांसद लोगों के आचरण का मामला था, वह आचरण सीधे तौर पर लोक सभा की कार्यवाही को प्रभावित करता था,

विधायी कार्य को प्रभावित करता था। उसमें सीधे तौर पर लोक सभा की अवमानना का विषय था। यहाँ दूसरी तरह का आचरण था, यहाँ पर आपराधिक कृत्य कहे जा सकते हैं लेकिन सदन की कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं था, विधायी कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं था और इससे सदन की अवमानना का कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता था। इसके बावजूद यहाँ समिति गठित हुई। सम्बन्धित चैनल से वीडियो रॉ फुटेज उपलब्ध कराने को कहा गया, लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया। विधान सभा द्वारा बनायी गयी समिति थी परन्तु उसको गम्भीरता के साथ मीडिया के लोगों ने नहीं लिया। उनके नॉन-कोआपरेशन की वजह से यह अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। किसी को भी बचाने का और किसी को बिलावजह जबरदस्ती फंसाने का उद्देश्य समिति के किसी सदस्य का नहीं रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री किरण पाल कश्यप-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले इस समिति का सभापति मुझे नियुक्त किया गया था परन्तु माननीय हुकुम सिंह, डॉ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी और नेता विरोधी दल ने विरोध किया कि मैं नया सदस्य हूँ। इसके बाद अध्यक्ष जी, मैंने अपना इस्तीफा आपके यहाँ भेजा लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया इसलिए मैंने 25 जुलाई तक किसी बैठक में भाग नहीं लिया। 25 जुलाई को जिस दिन अखबार में पढ़ा कि स्टिंग ऑपरेशन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पहले अखबारों में प्रकाशित हो गयी तब मैं समिति की बैठक में आया। यह सदन अदालत है, संवैधानिक व्यवस्था है। दो मुकदमेंदार हैं, एक तरफ आरोपी है, दूसरी तरफ मुद्दई है। एक तरफ नेता है तो दूसरी तरफ मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। मुकदमा आया नेता और मीडिया के बीच, दोनों में जो मुद्दई है उसने दिखाया कि नेता बिकता है उसको पूरे विश्व में देखा गया। सभी दलों के सम्मानित नेताओं ने देखा, सबको लगा कि जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर कुठाराघात है। यह समझ करके आपने सभी दलों के सम्मानित जनप्रतिनिधियों की समिति गठित की। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि मुझे समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, मैं जूनियर विधायक हूँ। एक बार ऑपरेशन हुआ तब मीडिया ने सभी नेताओं पर हमला किया। दूसरा तब हुआ जब आपकी स्टिंग ऑपरेशन का खुद का ऑपरेशन कर दिया। मेरा तो दोष नहीं है क्योंकि मैं 25 जुलाई की बैठक में शामिल हुआ हूँ, दोष हमारे किसी साथी या कर्मचारी का है, जिस पर रिपोर्ट दे रहे हैं, संज्ञान ले रहें हैं पूरी की पूरी रिपोर्ट जो अध्यक्ष जी को प्रस्तुत करने जा रहे थे वह पूरा का पूरा ऑपरेशन करके छाप दिया गया और सुबह पूरे हिन्दुस्तान के समाचार पत्रों में छपा। जब मैं बैठक में शमिल हुआ तो सबसे पहला मैं विधायक हूँ जिसने कहा कि पुनर्विचार करो। जो मुद्दई है मूल सी0डी0 के साथ उपस्थित ही नहीं हुआ और सजा भी सुना दी। पुनर्विचार कर नोटिस दी कि मीडिया के प्रतिनिधि आखिरी बार मूल सी0डी0 के साथ आयें और अपनी बात रखें। उसके बाद भी श्री राजदीप सरदेसाई नहीं आये। तब एक बैठक हुई और उस रिपोर्ट को आपके सम्मुख प्रस्तुत होने से 25 जुलाई को रोक दी गयी, और गम्भीरता से विचार हुआ और मा0 गौर साहब उस बैठक में नहीं आये। जैसा कि सभापति जी श्री राय साहब ने बताया मैं इस्तीफा दे दूँगा या इस्तीफा देने जा रहा हूँ। उसके बाद बैठक में शामिल नहीं हुये। उसके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाद भी हमारा केवल इतना कहना है कि सम्मानित विधायक हैं, सम्मानित प्रेस के लोग हैं, कोई मुल्जिम तब होता जब मीडिया के लोग मूल सी0डी0 के साथ आ करके गम्भीरता से सिद्ध करते और यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा और लोकतंत्र का अपमान हुआ है, इस सदन का अपमान हुआ है।

जब तक उसके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करके कार्यवाही नहीं होती है तब तक विधायकों के ऊपर कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं बनता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देते हुए कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी इसमें सभापति जी ने कुछ भी नहीं छिपाया है एक-एक शब्द लिखा गया है जो आरोपित हैं उनको बचाने की बात नहीं है लेकिन जो मुद्दई है जिसने आरोप लगाया है सबसे पहले उसने सदन की अवमानना की है पहले उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए फिर विधायक के खिलाफ कार्यवाही हो। सदन के सामने पूरी बात आनी चाहिए जो इतनी बड़ी स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी समिति बनी वह जो रिपोर्ट पेश करने जा रही थी उसी का आपरेशन हो गया इससे गम्भीर मामला लोकतंत्र में लोक शाही में दूसरा नहीं हो सकता। इसमें मीडिया द्वारा लोकतंत्र का मजाक किया गया है। अध्यक्ष जी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत हो जाती उसके बाद चाहे वह प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रानिक मीडिया में छपती लेकिन रिपोर्ट आपको प्रस्तुत होने के पहले ही रात ही में उसका आपरेशन कर डाला गया। मैंने भी नियम पढ़े हैं मीडिया के अधिकार पढ़े हैं किसी को यह अधिकार नहीं है कि बाथरूम में नंगे नहाते हुए किसी की फोटो छापे यह अखबार को अधिकार कहाँ है। इसमें ओरिजनल सी0डी0 नहीं मिली मुझे संदेह है कि जो कुछ दिखाया गया वह सही नहीं है इसलिए जब तक मूल सी0डी0 न मिल जाय तब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है। अध्यक्ष जी मेरा निवेदन है कि जब तक मूल सी0डी0 के साथ राजदीप सरदेसाई प्रस्तुत न हो जायं पहले उन पर सदन की अवमानना की कार्यवाही की जाये उसके बाद अन्य लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री जगदीश नारायण राय-

अध्यक्ष जी मैं भी इस समिति का सदस्य रहा हूँ आपके द्वारा मैं भी नामित किया गया था। मैंने भी करीब हर बैठक में उपस्थित होकर समिति के कार्य में पूरा सहयोग दिया है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया काफी बातें साफ थी लेकिन न्याय के दृष्टिकोण से किसी को सजा देने से पहले इवीडेंस की जरूरत होती है, किसी गवाह की जरूरत होती है जो नियम हैं, कानून हैं। उसके तहत इस मामले में केवल दो गवाह आये एक तो अमिताभ ठाकुर दूसरे जिन्होंने इसको दिखाया उनसे जब पूछा गया कि ओरिजनल सी0डी0 कहाँ है तो उन्होंने कहा कि मुझे जो सी0डी0 प्राप्त हुई है वह ओरिजनल सी0डी0 नहीं है जिसने खबर प्रस्तुत की उसने भी यही कहा कि हमें जो सी0डी0 मिली वह हमने दिखा दी कोई भी प्रमाणित तथ्य दोनों गवाहों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया सभी ने यह कहा कि मूल सी0डी0 सी0एन0एन0 के पास है जिसकी समिति को आवश्यकता थी। मूल सी0डी0 के लिए सी0एन0एन0 को कई बार लिखा गया उन्होंने जो समय मांगा वह समय भी दिया गया लेकिन समिति को मूल सी0डी0 उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने समिति की अवमानना की है और विधान सभा के सम्मान को गिराने का काम किया है जब तक वह मूल सी0डी0 के साथ समिति के समक्ष नहीं आते हैं तब तक आरोप

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिद्ध होना मुश्किल है। जो भी कार्यवाही हो वह नियम कानून के तहत होनी चाहिए। समिति की जो अन्तरिम रिपोर्ट है वह सारे सदस्यों की सहमति से है। इस पर किसी प्रकार का विरोध होना उचित नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर-

अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण जब सदन के सामने लाया गया है तो प्रथम दृष्टया सी0डी0 टी0वी0 पर दिखाकर हमारे सदस्यों को आरोपित किया गया है। यह विषय जब सदन के सामने आया तो इस पर सदन में तय हुआ कि इसकी जाँच के लिये एक समिति बनाई जाय। मान्यवर, आपके निर्देशानुसार एक समिति बनी और उस समिति ने इस विषय पर कार्य करना प्रारम्भ किया। किस तरह से प्रथम दृष्टया टी0वी0 पर दिखाया गया और उसके आधार पर हमारे सदस्यों को आरोपित किया गया। इस समिति ने जो अपनी इंटरिम रिपोर्ट दी है उसके आधार पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है उस चैनल पर जिसने इसको टी0वी0 पर दिखाया है। मान्यवर, समिति के माध्यम से बार-बार उस चैनल वालों को कहा गया कि वो ओरिजनल सी0डी0 के साथ समिति के समक्ष उपस्थित हों और यह साबित करें कि यह जो कुछ टी0वी0 पर दिखाया गया वह सही है उसमें कोई तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत नहीं किया गया है लेकिन इतनी बार उनको तलब करने के बाद भी वे यहाँ प्रस्तुत नहीं हुए।

मान्यवर, यह इस सदन की, विधान सभा की समिति के विशेषाधिकार का प्रश्न है। एक आदमी 10 बार 20 बार इस तरह का चित्र टी0वी0 पर दिखाकर घर पर खामोश बैठा रहे। बुलाये जाने पर भी समिति के समक्ष उपस्थित न हो तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। और इसके तहत जितनी भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सकती है की जानी चाहिए। जो शख्स टी0वी0 पर इस तरह का फिल्मांकन करके अपने घर बैठ जाय। हमारी समिति ने दिन रात इस बारे में बैठकें की हैं इस तरह से यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके जिस तरीके से कार्यवाही की जा सकती है की जानी चाहिए। इंटरिम रिपोर्ट को महत्व देते हुए जब तक ओरिजिनल सी0डी0 नहीं आ जाती है आप जो निर्णय लेना चाहें विशेषाधिकार का प्रयोग होना चाहिए। तलब करने के बाद भी यदि वे नहीं आते हैं तो जो कार्यवाहीं उनके खिलाफ बनती है वह सब की जानी चाहिए।

मद सं0-26 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री वसीम अहमद बोलने के लिये खड़े हो गये।

श्री वसीम अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, जो यह प्रकरण उठा है उसके लिये जो समिति बनी थी उसका मैं भी सदस्य रहा हूँ और करीब-करीब सभी मीटिंग्स में उपस्थित रहा हूँ। जिस रोज हम लोगों ने टी0वी0 पर यह देखा था जिस तरह से हमारे लोगों को प्रचारित किया गया था टी0वी0 पर और हमारी बिल्डिंग को जिसको हम अपना पवित्र स्थान मानते हैं राजनीति में। बार-बार उसको दिखाया गया और कहा गया कि नेता बिकता है। इसको देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गये थे, शर्म से गर्दन झुक गई थी। बार-बार हमारी इस बिल्डिंग को दिखलाया गया बाहर से दिखलाया गया और विधान सभा को दिखलाकर प्रचारित किया गया कि नेता से बड़ा बेईमान कोई नहीं, नेता से बड़ा चोर कोई नहीं। बार-बार मीटिंग में उनको चैनल वालों को लिखकर बुलवाया गया कि वो ओरिजनल सी0डी0 के साथ उपस्थित हो लेकिन इसके बाद भी वे उपस्थित नहीं हुए। बार-बार यह कहा जाता रहा कि लोक सभा

में 8 दिन में फैसला हो गया। वहाँ पर 8 दिन में फैसला हो गया क्योंकि वहाँ मीडिया के लोगों ने पूरा-पूरा सहयोग दिया था। उन्होंने एक दिन में ही सारा डाक्यूमेंट ले जाकर पेश करने का काम किया था। यहाँ पर 20-25 बैठकों के बाद भी वे ओरिजनल सी0डी0 लेकर प्रस्तुत नहीं हुए। जो साक्ष्य हमारे पास थे उनको जब हमने चण्डीगढ़ भेजा परीक्षण के लिये तो वहाँ से भी यही बात आई थी कि जब तक ओरिजनल सी0डी0 वो नहीं देख लेंगे तब तक कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। जो इंटरिम रिपोर्ट यहाँ पेश हुई। हम कहना चाहते हैं कि आपके बीच में, सदन में रहकर ही नहीं, बाहर भी कहना चाहते हैं। मीडिया के लोगों में अगर हिम्मत हो तो चलों हमारे यहां, एक भी चोरी पकड़कर दिखा दोगे तो हम विधान सभा से त्याग-पत्र देकर उसी दिन चले जायेंगे, लेकिन इस तरह से हमारी अवहेलना करना, हमारे सभी सदस्यों की अवहेलना करना, हमारे इस पवित्र मंदिर की अवहेलना करने का काम मीडिया के लोगों ने किया है। इसमें हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले उनको बुलाकर यहाँ, पर जो सजा हो सकती है वह दी जानी चाहिए।

महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बुहत धन्यवाद। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। चूँकि समिति ने इस पर विस्तृत विचार किया है इस मुद्दे पर, और अपना निर्णय भी दिया है लेकिन इससे ज्यादा जरूरी पूरे प्रदेश के हित में चिन्तन करना सदन की जिम्मेदारी हैं जहां इतना बड़ा वृहद प्रदेश, जहां विभिन्न मानसिकता के लोग हैं और इस प्रजातंत्र को जिस तरह से मीडिया के कतिपय लोगों ने, शायद मैं समझता हूँ कि मीडिया के लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उनके वर्ग में, उनकी वेदना भी है, वह कहते भी हैं, इस बात को, कुछ लोग ऐसे प्रवेश कर गये हैं जिनसे उनका मनोबल, उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से घटी और इस पर चिन्तन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आम नागरिक की जिम्मेदारी हैं सदन की इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी है कि सदन कानून बनाता है, नियम बनाता है प्रदेश में तय करता है कि कैसे व्यवस्था चलेगी। यह मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है इसकी उपेक्षा करना इसके ऊपर हम लोगों का चिन्तन न करना, इसको हास-परिहास में उड़ाना भविष्य के लिए दुखद होगा। मैं सहमत हूँ, गौर साहब ने बात कही है अगर आरोप में सत्यता है तो निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन अगर आरोप लगाने वाला व्यक्ति उपस्थित होने की मारल्टी नहीं रखता है, इतनी हिम्मत नहीं रखता है, उसके अन्दर इतनी नैतिकता नहीं है तो वह किस आधार पर आरोप लगा रहा है, आखिर क्या गलती है उनकी, आप जानते है एक भैंस सारे तबेले को गन्दा करती है, यदि एक सदस्य ने गलती कर दी तो आप सबकी बेइज्जती करोगे ? सबका सम्मान छू-मंतर कर दोगे ? समाज के सामने सबको नंगा करके खड़ा कर दोगे। [x x x] अपमानित करना चाहते हैं। आप जिलों में जाइए, देखिए [x x x] कि वह एक कैमरा, एक माइक लिए हुये पूरे जिले में एक-एक नेता, एक-एक अधिकारी का इन्टरव्यू करेगा। आप पूछिए, उनसे क्या वेतन भत्ते हैं ? क्या उनके नियम कानून हैं ? उनके चैनल ने कौन सा कोड आफ कन्डक्ट बनाया है, उनके काम करने के लिए। मुझे मालूम है मेरे जनपद में एक आपरेशन ऐसा ही हुआ है, सहारनपुर में। स्थानीय पुलिस का बहुत अच्छा, बहुत नेक, ईमानदार,

---

नोट :-[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अधिकारी जिसको कई बार पुलिस पदक मिल चुके हैं, उसने उस एक ऐसे आपरेशन को पकड़ा। उसमें क्या था, [x x x] इससे ज्यादा बड़ा क्या अपराध को सकता है प्रदेश के नागरिकों के साथ प्रदेश के लोगों के साथ उनका कहीं कोई परिचय-पत्र नहीं। कोई अधिकार-पत्र नहीं जहां कोई चाहेगा जबरन घुस जायेगें क्या ?

मान्यवर, हम बहुत सारी चीजें ऐसी जानते हैं, मैं किसी द्वेष भावना से बात नहीं कहता हूँ, हर आदमी बहुत पढ़ा-लिखा नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता है। यह लोकतत्र है, इसमें अंगूठा टेक आदमी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री बनने की अर्हता रखता है। कोई पढ़ा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें आई0क्यू0 नहीं है, पढ़ना-लिखना अलग चीज है। अध्यक्ष जी, आप अवसर दीजिए, यह महत्वपूर्ण इश्यू है, इसके लिए सदन कोई नियमावली बनाये और प्रदेश के 70 जिलों के लिए कोई न कोई ऐसी आचार संहिता, कोड और कन्डक्ट बने ताकि यह पता चले कि यह अधिकार प्रेस का है। हम दफ्तर में बैठें हैं, कोई अनजान महिला चली आ रही है, [x x x] कोई किसी भी अखबार के नामपर चला आ रहा है, ऐसे-ऐसे मीडिया के लोग आ जाते हैं जिनके चैनल का नाम ही कभी नहीं सुना है। मालूम करिये, सचिवालय में इनके पास कैसे जारी होते हैं ? एक चैनल ने इस प्रदेश सरकार के खिलाफ पूरा षड़यन्त्र चलाया, मैं खुली चुनौती देता हूँ। मैंने भी मीडिया/अखबार में काम किया है। [x x x] मान्यवर, विधान सभा से सम्बन्धित मामलों को, जनप्रतिनिधियों से सम्बन्धित मामलों को देखने के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिये और जब तक स्टैंडिंग कमेटी पास न कर दे, जन प्रतिनिधि की बात न सुन ले, उसकी सत्यता को न समझ लें, तब तक उसको प्रसारित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मान्यवर, यह आज नहीं तो कल, आपको करना ही पड़ेगा। देश के एक मंत्री के साथ खुलेआम मजाक हुआ, षड्यन्त्र करके एक अपराधी के साथ उन्हें वार्ता करते हुए दिखाया गया। आपने सुना है कि सेल फोन पर देश के एक बड़े मंत्री को जेल में बार-बार बात करते हुए दिखाया गया। जब जांच हुई तो मीडिया झूठी साबित हुई। मंत्री जी के बेटे भी होंगे, उनका क्षेत्र भी होगा, जहाँ 40 साल काम किया है, कैसे उन्होंने सफाई दी होगी। मान्यवर, यह कोई मजाक की बात नहीं है, यह मेरी वेदना है, मैंने देखा है, एक [x x x] किस तरह से धन्धा चलाता है, अपराधों में शामिल होता है, इनका एक करेक्टर रोल ही छपवा दीजिये। कोई प्रेस कान्फ्रेन्स बुलाइये, [x x x] मान्यवर, इसके लिए कोई बाई लाज तो होना चाहिए, कोई ऐसे ही विधायक और सांसद नहीं बन जाता है, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान की बात है ? एक मंत्री जी यह पूछ रहे थे कि लीज क्या होती है ? मान्यवर, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल शब्द हैं जो रोज लाइफ में आते हैं और जिनके मायने हम भी नहीं जानते हैं। मान्यवर, इस तरह की बहुत सी बातों को हम लोग नहीं जानते हैं। मान्यवर, न जाने मीडिया का कौन आदमी आकर किस तरह की बात शुरू कर दे। मान्यवर, पिछले दिनों पार्लियामेंट के बारे में कहा गया कि पार्लियामेन्ट के मेम्बर 5-5 हजार रूपये में प्रश्न पूछते हैं ? मुझे यह संभव नहीं लगता।

नोट :-[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस पर राज्य स्तर पर 15 सदस्यों की एक समिति बना दे जिसमें राजनीतिक और मीडिया के बुद्धिजीवी शामिल हों और वह इस तरह से प्रजातंत्र का मजाक न बनने दें। आपने एक समिति बना दी और वह समिति राजदीप सरदेसाई को बार-बार बुला रही है लेकिन वह नहीं आये। यह सदन का अपमान है मेरा कहना है कि श्री सरदेसाई को हथकड़ी लगाकर यहाँ उपस्थित करायें और उनसे पूछें कि उसने कैसे विधान सभा का अपमान किया, उनका अपना परिवार है। स्मगलिंग का आरोप लगाया, [x x x] और जनप्रतिनिधि पर "नेता बिकता है" का आरोप लगा रहा है। मान्यवर, कितना संघर्ष करके विधायक बनते हैं। जब कभी हार जाता है तो सारा अरमान उसका चला जाता है। कभी हारता है कभी बन जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित करके आपस में विचार-विमर्श करके उत्तर प्रदेश के मीडिया के अच्छे लोगों जिनकी मीडिया में अच्छी साख हो, सम्मान हो, से विचार-विमर्श करके उनसे पूछें कि इस मर्यादित पेशे को और कैसे मर्यादित कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी आड़ में अगर वह गलत काम करने की कोशिश करेंगे तो ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया जाये।

मान्यवर, 15 फरवरी को स्टिंग आपरेशन के अन्तर्गत "नेता बिकता है" देखा गया। 16 फरवरी को यहाँ 311 की सूचना पर सदन ने विचार किया। उसके बाद 18 फरवरी को एक समिति का गठन किया गया और उसके बाद 19 अप्रैल को समिति का पुनर्गठन हो गया और समिति ने अपनी कार्यवाही प्रारम्भ की। नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से अगर किसी के ऊपर प्रोसीक्यूशन के द्वारा कोई आरोप लगते हैं तो आरोपित व्यक्ति को सफाई का अवसर दिया जाता है। समिति ने सबसे पहले सी0डी0 उपलब्ध कराने का प्रयास किया। उस सी0डी0 की प्रमाणिकता के लिए उसे चण्डीगढ़ फोरेंसिक लैब भेजा गया। उसका संज्ञान लेते हुए तथा समिति के समक्ष विचाराधीन स्टिंग आपरेशन के माननीय सदस्यों, माननीय मंत्री को बुलाकर उनका मौखिक साक्ष्य लिया गया। प्रत्येक ने लिखित और मौखिक साक्ष्य दिया और आग्रह किया कि अगर हमें मूल सी0डी0 दिखा दी जाये तो उसके रिफरेंस के आधार पर हम अपना उत्तर देने में सक्षम होंगे।

चन्डीगढ़ की फोरेन्सिक लैब में यह था कि हम ओरिजनल सीडी के बिना अन्तिम रिपोर्ट देने की स्थिति में नहीं है। समिति जो गठित की गयी थी, लोकतंत्र के दो स्तम्भ पर, विधायिका और पत्रकारिता और इन दोनों के सहयोग से लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। अच्छे आदमी पत्रकारिता में भी है और विधायिका में भी है। गलत आदमी पत्रकारिता में भी है और विधायिका में भी है। आज

नोट :-[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इस "स्टिंग आपरेशन" की जांच करने के लिए सदन की स्टिंग आपरेशन समिति बनी और उसने जाँच करायी और जाँच कराने के बाद समिति ने आरोपित व्यक्तियों से लिखित और मौखिक साक्ष्य लिये जिससे यह बात निकलकर आयी कि ओरिजनल सीडी दिखायी जाय तब हम अपनी बात कह सकेंगे। तब फिर देश का कौन सा ऐसा कानून है जो आरोपित व्यक्ति को सफाई का अवसर दिये बिना दोषी मानकर उसको दण्डित करे। इसके अलावा जिस भी व्यक्ति ने इतना बड़ा आरोप लगाया, लोकतंत्र पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया इस विधान भवन का चिन्ह दिखाकर, प्रश्न यह उठता है कि इस चिन्ह को दिखाने की इजाजत किसने उनको दी ? इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। विधान सभा का चित्र दिखाकर उन्होंने समस्त विधायकों के ऊपर यह आरोप लगा दिया है कि "नेता बिकता है" और आरोप लगाने के बाद आरोप सिद्ध करने के लिए सदन की समिति के समक्ष बुलाया जाय तो पहली बार कहते हैं कि अगली तिथि दे दी जाय, उसके बाद फिर अगली बार उनके प्रतिनिधि समाचार लेकर पहुंचते हैं कि सरदेसाई साहब विदेश में हैं, तीसरी बार भी प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं और वह उपस्थित होकर कहते हैं, कि एडीटेड सीडी दिखायी गयी है। यह उनके बयान में है। जब एडीटेड सीडी दिखायी गयी है तो फिर आरोपित माननीय विधायक और माननीय मंत्री और चण्डीगढ़ के फोरेन्सिक लैब का बिन्दु संख्या-4 दोनों आकर्षित होते हैं। उस तरफ की जब एडिटेड सीडी है तो फिर मूल सीडी की अवश्यकता है उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए। अब मूल सीडी मांगी जा रही है। हर बार पत्र भेजा जाता है कि साक्ष्य के लिए आप आयें।

एक बार डी कम्पनी के आये उन्होंने कहा कि हमने कुछ रूपयों के आधार पर कितना बताया, दो लाख उन्नीस हजार बताया उसके आधार पर हमारा समझौता हुआ था सी0एन0एन0 आई0बी0एन0 और चैनल 7 से हमने वह सीडी दे दी और अपना पैसा ले लिया। उसके प्रतिनिधि आते हैं और सदन की समिति के समक्ष कहते हैं कि हमारे चैयरमैन निर्णय करेंगे कि ओरीजनल सीडी दी जाय या न दी जाय। तीन-तीन बार बुलाने पर नहीं आते हैं। मान्यवर, उनके चैयरमैन को 10 मई को बुलाया गया तो उन्होंने समय मांगा, ठीक है समय मांगना उनका अधिकार था, उन्हें समय दिया गया। उसके बाद 20 जून को बैटक के लिए बुलाया गया। उनको सूचना हो गयी और जवाब आया कि विदेश में हैं। फिर 8 तारीख को सूचना गयी, 8 तारीख को सूचना व्यक्तिगत रूप से सरदेसाई साहब को मिली। उसके बाद 10 जुलाई की बैटक में भी नहीं आये। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केन्द्र दिल्ली में प्रतिनिधि खालिद साहब हैं, उनसे सूचना सरदेसाई साहब को प्राप्त कराने के लिए, जो सूचना यहाँ से समिति के माध्यम से, विधान सभा सचिवालय के माध्यम से भेजी गयी थी यह सरदेसाई साहब को प्राप्त करा दीजिये। मैं यह पत्र पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि "आपके निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, विधान सभा का 15 फरवरी, 2006 को टेलीविजन के चैनल-7 पर "सी0एन0एन0", "आई0बी0एन" एवं डिग द्वारा प्रसारित 'नेता बिकता है' नामक स्टिंग आपरेशन में उत्तर प्रदेश विधान सभा के तीन माननीय सदस्यों पर लगाये गये भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों के प्रकरण की जाँच विषयक श्री राजदीप सरदेसाई, मुख्य सम्पादक, सी0एन0एन0 आई0बी0एन0 को प्रेषित पत्र संख्या-793/वि0स0/संसदीय/ 40(1)/2006, दिनांक 10 अगस्त, 2006 को श्री राजदीप सरदेसाई, मुख्य सम्पादक, सी0एन0एन0 आई0बी0एन0 को दिनांक 11 अगस्त, 2006 को व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध करा दिया गया है। व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध पत्र

का जवाब इस सदन की समिति के समक्ष न आना और अगर कोई और कारण था तो फैक्स भेज सकते थे, समय मांग सकते थे लेकिन समय भी नहीं मांगना यह सीधे-सीधे समिति के प्रति अवमानना है। समिति किसकी है यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की है। और एक तरीके से समिति लघु सदन मानी जाती है। लघु सदन की बैठक के रूप में बैठ कर माननीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में निर्देश प्राप्त होने के बाद भी उसका पालन न करना, सीधे-सीधे सदन का अपमान है और सदन के विशेषाधिकार का हनन है एक बात। दूसरी बात यह अधिकार इस लोकतंत्र में किसी को नहीं मिला हुआ है कि किसी के विरूद्ध आप आरोप लगा कर सार्वजनिक कर दीजिए और फिर जब आरोप प्रमाणित करने के लिए आपको बुलाया जाय तब आरोप प्रमाणित करने के लिए आप आइये ही नहीं। तो यह अधिकार लोकतंत्र में किसी को नहीं मिला है, दूसरा बिन्दु। तीसरा बिन्दु कि अगर समिति उन सदस्यों को आरोपित मान कर दण्डित कर भी दे तो क्या हम उन माननीय सदस्यों का न्यायालय में जाने का अधिकार भी रोक लेंगे और वह हमारी समिति के निर्णय के विपरीत माननीय उच्च न्यायालय में चले जायें और माननीय उच्च न्यायालय तब सरदेसाई को नोटिस इश्यू करें, तब क्या सरदेसाई साहब वहां जाकर साक्ष्य देने से मना कर देंगे ? और अगर नहीं मना करेंगे तो जिस सदन के द्वारा बनाये कानूनों की समीक्षा और कानूनों के आधार पर न्याय करने का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय को मिला हुआ है अगर उसके बुलाने पर उनको आना अनिवार्य बाध्यता है तो इस सदन से और सदन की समिति द्वारा बुलाये जाने पर उनको आरोपित सदस्यों के प्रति आरोप सिद्ध करने के लिए सदन में आना चाहिए था, समिति के समक्ष आना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आये। नहीं आये तब फिर कोई अधिकार उनको इस बात का प्राप्त नहीं होता कि उनकी किस बात पर हम आरोपित सदस्यों को मानें। मान्यवर, एक बात और मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ, इस सदन के माध्यम से सारे प्रदेश की जनता के सामने इस भ्रम का भी निवारण करना चाहता हूँ कि अभी समिति की कोई रिपोर्ट, अन्तिम रिपोर्ट नहीं है अभी हमने किसी को निर्दोष या दोषी नहीं माना है, निर्दोष या दोषी सिद्ध करने के लिए जो मूल-भूत आवश्यकता है, वह ओरिजनल सीडी की और ओरिजनल सीडी के प्राप्त न होने के कारण अभी समिति अपना न्यायपूर्वक निर्णय करने पर असमर्थ हुई है और नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से आरोपित व्यक्ति का जो अधिकार है उसको देने में समिति असमर्थ रही है। उस असमर्थता के नाते हम इस अन्तरिम रिपोर्ट के माध्यम से आये हैं कि हमारी इस असमर्थता के लिये जिन्होंने परिस्थितियां पैदा की उनको इस सदन में बुलाकर, उनसे यह कहा जाये कि आपने सदन का अपमान किया है उसका जो दण्ड निर्धारित करे सदन, वह दण्ड उन्हें दिया जाय और फिर उनसे ओरिजनल सीडी लेकर दोषी या निर्दोष इसको समिति अभी जिन्दा है, समिति अपना काम कर रही है उसका निर्णय किया जाय और अगर फिर मूल सीडी को देखने के बाद दोष प्रमाणित होता है तो शायद इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो इस बात का हामी नहीं होगा कि किसी दोषी को हम छोड़ दें, लेकिन साथ ही साथ किसी निर्दोष को हम गलत फंसा दें या बिना किसी प्रमाण के आधार पर हम किसी को दोषी साबित कर दें यह औचित्यपूर्ण नहीं है। एक अन्तिम बात मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, कि न्यायालय में भी जब मुकदमा चलता है और अगर प्रासीक्यूशन के द्वारा आरोप नहीं लगाये जाते हैं, आरोप प्रमाणित नहीं किये जाते हैं तो माननीय न्यायालय भी संदेह का लाभ देते हुए आरोपित व्यक्ति को बरी करता है नम्बर एक, नम्बर दो एक बात और कहना चाहता हूँ कि अलग-अलग जुर्म है, अलग-अलग तरीके के आपरेशन हैं, अलग-अलग

कार्यवाही है मान्यवर, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस पर लगाये गये प्रश्नचिन्ह को या तो प्रमाणित करना होगा या तो इसे मिटाना होगा, प्रमाणित होगा तो दोषी विधायकों को दण्ड दिया जाना चाहिये और अगर प्रमाणित नहीं कर पाते हैं या प्रमाणित करने से वह भागते रहते हैं तो निश्चित तौर पर वह आरोपी होंगे। एक बात और संसद की बात का बार-बार उदाहरण दिया जाता है केवल एक बात और कहना चाहता हूँ संसद में उन्होंने ओरिजनल सीडी उपलब्ध कराई थी तो तत्काल उस पर निर्णय हो गया, जो भी निर्णय हुआ यह वहां की कार्यवाही जाने। हमें भी अगर ओरिजनल सीडी इस सदन की समिति को उपलब्ध हो जायेगी, ओरिजनल सीडी की जैन्यता का परीक्षण हो जायेगा, जैन्य परीक्षण के आधार पर फोरेंसिक लैबोरेटरी यह कह देगी कि हां ओरिजनल सीडी और एडीटेड सीडी में कोई अंतर नहीं है या ओरिजनल सीडी में सम्बन्धित सदस्य के जो लिप्स का ऐक्शन है सब सेम आ रहा है तो निश्चित तौर समिति कार्यवाही की संस्तुति करेगी, समिति किसी को बचायेगी नहीं, ऐसी मंशा समिति की नहीं है, इसलिए समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन पर मान्यवर मेरा निवेदन है विचार करने का मैंने प्रस्ताव रखा है। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है सदन इस पर एक मत होकर बिना किसी पक्ष-विपक्ष के आरोप सिद्ध करने की चुनौती करें, आरोप सिद्ध करने का आह्वान श्री सरदेसाई से करना चाहिए और अगर आरोप सिद्ध करने के लिए वह मूल सीडी के साथ आ जायें तो कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहिए।

मान्यवर, यदि आरोप सिद्ध करने के लिए मूल सी0डी के साथ वे नहीं आते हैं तो जनता की अदालत में इस बात को छोड़ दिया जाना चाहिए। मान्यवर, इतनी तपस्या के बाद एक जनप्रतिनिधि बनता है और उसकी साख को इस तरह से मिनटों में समाप्त करने का अधिकार किसी को नहीं है। मान्यवर, यह सदन सर्वसम्मति से 'स्टिंग आपरेशन' सम्बन्धी इस प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से स्वीकार करे और स्वीकार करके अपने उस दायित्व का निर्वहन करे जो न्याय दिलाने के काम के अन्तर्गत इस सदन का है। मान्यवर, अगर किसी प्रकार का उन्होंने किया, गलत काम है तो वह आतताई है। उनसे रक्षा करने का काम सदन का है। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से स्वीकार कर, कार्यवाही करें। और, यदि वह ओरिजनल सी0डी0 उपलब्ध कराते हैं और उसमें सत्यता प्रमाणित होती है तो फिर उसके अनुसार कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश चौदहवी विधान सभा की 'स्टिंग आपरेशन' सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न पर सदन द्वारा निर्णय ले लिया जाये कि श्री राजदीप सरदेसाई को स्टिंग आपरेशन की मूल अनएडिटेड सी0डी0 के साथ किस तिथि को बुलाया जाय। सदन की सहमति हो तो श्री सरदेसाई को मूल सी0डी0 के साथ पुलिस अभिरक्षा में बुलाया जाय ताकि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके और सदन का समय अनावश्यक रूप से नष्ट न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

* संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर यह सब तो हो गया। सब सहमत हैं और यह बिल्कुल सच्ची बात है कि सबकी अपनी हदें होनी चाहिये। लोकतंत्र में, विधायिका की, चौथा बड़ा जो स्तम्भ है उसकी। मान्यवर, उसमें इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया हैं। मान्यवर, यह दुःख का विषय है कि जैसे-जैसे दुनिया ने तरक्की की है, प्रिन्ट मीडिया की जगह किसी हद तक इलेक्ट्रानिक मीडिया ने ले ली है और उससे बहुत सारे सवालात नये खड़े होने लगे हैं। मान्यवर, जब इतिहास देखा जायेगा, समझा जायेगा, आने वाली सदियों तक समझा जायेगा तो इलेक्ट्रानिक मीडिया की क्या स्थिति होगी ? मान्यवर, प्रिन्ट मीडिया तो इस तरीके से है कि पानी हिला दिया तो तस्वीर खत्म हो जायेगी। मान्यवर, आप देखे प्रिन्ट मीडिया से शिकायत लोगों की नहीं के बराबर हैं इलेक्ट्रानिक मीडिया की जो बात है क्योंकि यह एक कारोबार भी है, जिसे टकसाली जुबान में धन्धा कहते हैं। इसलिए वह अपने ढंग से काम करते हैं। मान्यवर, लेकिन उसमें कुछ लोग अपने धन्धे को सामने रखकर, अपनी हदों से भी आगे चले गये हैं। मान्यवर, माननीय नेता जी ने मुझे राज्य सभा में भेजा था वहां एक बहस हुई थी जिसमें यह बात उभर कर आयी थी कि अब कभी-कभी यह लगता है कि शायद टी0वी0 के पर्दे के सामने बैठना किसी शादी शुदा जोड़े के लिये भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। मान्यवर, समाचार पत्र बहुत पवित्र हुआ करते थे और परिवार के सदस्य उसे देखते थे। जवान बेटी के साथ, बहू के साथ बैठकर कम से कम परिवार के लोग समाचार जरूर देख सकते थे। लेकिन आज हालात यह हैं कि इलेक्ट्रानिक मीडिया में, समाचार पत्रों में भी जो विज्ञापन आते हैं। पति-पत्नी भी साथ बैठकर उन विज्ञापनों को नहीं देख सकते हैं। जवान बेटी के साथ नहीं देख सकते हैं। मान्यवर, जो यह स्थिति बनी है उसमें आपसे सबसे मिला-जुला निवेदन यह है कि कम से कम सबको इस पर जरूर विचार करना चाहिए। मान्यवर, इलेक्ट्रानिक मीडिया ने अगर हमारी पूर्व की मान्यताओं को, हमारे भारतीय इतिहास को, हमारी परम्पराओं को, हमारी सभ्यता को, हमारी इंसानियत को, हमारी संजीदगी को, हमारे पर्दे की जिन्दगी को, जो पूरी दुनिया में अपनी एक अहमियत रखती थी, पूरी दुनिया में जिसका लोहा मनवाया था, वह अब क्या हो गया है, उसको बिखेर कर रख दिया है।

मान्यवर, आप पूरी दुनिया के चैनल देखिये, विदेशों के चैनल देखिये, ज्यादा से ज्यादा विदेशों के चैनल में होता है चुम्बन। लेकिन हमारे जिस तरह से कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है जिससे शरीर के अमुक अंग को दिखाया जाता है। सांसों के उतार-चढ़ाव को दिखाया जाता है, टांगों का उभार दिखाया जाता है। कपड़ों के अन्दर का शरीर दिखाया जाता है। मान्यवर, पूरी दुनिया में जो आज बहुत-बहुत ऊंचे पहुंच चुके हैं। जिन्हें हम यह कहते हैं ये शराफत को खो बैठे हैं लेकिन टेलीविजन के पर्दे पर उस खोई हुई शराफत के लोगों का भी अगर आप हाल देखेंगें तो उनका हाल हमसे बदर्जः बेहतर है। हम बहुत नीचे जा रहें हैं, हम शराफत के गड्ढे में गिरे जा रहें हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। इसलिये मान्यवर, जिस तरह से इलेक्ट्रानिक मीडिया ने अपनी मान्यता को खोने की शुरूआत शुरू कर दी है। मैं समझता हूँ कि वह भी इस पर विचार करेंगे। सारी जिन्दगी हमारी, मान्यवर, सही कहा सदस्य ने, आसानी से कोई चुनकर नहीं आ जाता, आसानी से कोई विधायक नहीं बन जाता, फिर विधायक, फिर विधायक, फिर विधायक नहीं बन जाता, कोई नेता विरोधी दल, कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता सदन, कोई मंत्री आसानी से नहीं बन जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, न जाने कितने अंगारों से गुंजरना पड़ता है न जाने कितने कांटों से गुजरना पड़ता है तब सदन का मुँह देखता है।

मान्यवर, ऐसे भी साथी है आज भी मान्यवर, ऐसे साथी हैं, देखा है इस सदन में आये थे पूर्व विधायक, दिल रो दिया था नेता सदन का और इसी सदन में घोषणा करनी पड़ी थी उन सूजे हुये पैरों को देखकर जो विधायक कभी कानून बनाया करते थे और आज अपने शरीर का इलाज नहीं कर सकते दिखाया किसी चैनल ने ? "नेता बिकता है" यह दिखाया इस सदन की तस्वीर के साथ लेकिन कितने चैनल्स और कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने उन विधायकों के सूजे हुये पैर दिखाये होते जिनके पास आज अपने शरीर का इलाज करने के लिये कौड़ी नहीं है, बहुत कम हैं ऐसे लोग जो हमारी व्यवस्था को शर्मिन्दा करते है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी लोकतंत्र और देश की मान्यता को बचाये हुये हैं। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं क्या साबित करना चाहते हैं ? ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें नेताओं को, हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को, हमारे चुने हुये लोगों को मंत्रियों को दहशतगर्द दिखाया जाता है। लोगों में आज नहीं तो कल हमारे सिस्टम से नफरत पैदा हो जायेगी। लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से नफरत करने लगेंगे और लोग इससे छुटकारा पाना चाहेंगे फिर कहाँ जायेगें लोग ? मान्यवर, अगर लोग हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से नफरत करने लगेंगे तो क्या रास्ता बचता है ? वहीं रास्ता जहाँ से हम निजात करके आये है वहीं सात समुन्दर पार की गुलामी लोग उसे अच्छा कहने लगेंगे। अगर हमारे ही अपने हाथ-पैर हमारे ही स्तम्भ यह चाहते हैं कि हम गुलामी के उस अंधेरे दौर में वापस चले जांय तो जाहिर है कि वह देश का भविष्य नहीं होगा। इसलिए भी मान्यवर, बहुत संजीदगी से इस पर विचार करने की जरूरत है और राजेन्द्र सिंह राणा जी ने जो सुझाव रखा है, यकीनन ऐसी समिति बननी चाहिये अच्छे पत्रकार अच्छे इलेक्ट्रानिक मीडिया के बन्धु, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, सदन के लोग इसके अलावा भी अगर देश भर से अच्छे लोग शामिल करने के बाद कोई एक समिति बनाकर एक विचार रखा जाय और सुधार लाया जाय। हमारी अपनी गल्तियों का भी हिसाब होना चाहिए और दूसरी तरफ से जो गल्तियां हुई हैं, एक शख्श गलती करता है उसकी तरफ इंगित होना चाहिए। कानून क्या कहता है हमारे देश का अगर एक शख्स, अगर 100 में 99 लोग छूटते हैं शुबह की बुनियाद पर तो वह छूट जांय लेकिन एक बेगुनाह अगर सजा पा रहा है तो उसको उस बेगुनाही की सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति गलती करता है और पूरी व्यवस्था को गाली दी जाती है यह कहाँ का न्याय है ? इसलिये जो एक होड़ लगी है कारोबार की एक होड़ लगी है पैसा कमाने की इस पर कहीं न कहीं अंकुश होना चाहिये। मैं अपनी व्यक्तिगत नाराजगी के तौर पर नहीं कह रहा हूँ गौर साहब ने यकीनन वकालत की है मीडिया की, अच्छी राय भी दी है, पूरे सदन की राय एक तरफ होगी गौर साहब की राय दूसरी तरफ होगी। गौर साहब कल सबसे ज्यादा छापे जायेंगे। इलेक्ट्रानिक मीडिया में सबसे ज्यादा जिक्र गौर साहब का किया जायेगा लेकिन गौर साहब को यह याद रखना चाहिये कि आप जिस काले इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं वह काला इतिहास एक दिन आपके ही गिरेबान तक हाथ लेकर जायेगा और उस दिन शायद इस सदन में खड़े होकर आपको यह कहते हुये शर्मिन्दगी होगी कि आपने उन लोगों की हिमायत की थी जो लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाने वाले लोग थे। नुकसान पहुंचाने वाले।

श्री अध्यक्ष-

श्री सरदेसाई को 27 अक्टूबर को बुलाया जाय, क्या इससे सदन सहमत है ?

(सदन ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की।)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, ऐसी सूचना है और इस तरह के काम अगर होने लगेगें लोकतंत्र में। कोई भी चैनल गुप्तचर एजेन्सी नहीं है और न सरकार ने गुप्तचरी के लिये कोई लाइसेंस दे रखा है। मान्यवर, यहाँ पूरे राजनैतिक हलके में यह खबर बड़ी तेजी से गशत कर गयी कि सात चैनल दिल्ली से, चैनल 7 नहीं, बल्कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात चैनल मिलकर आये हैं, एक ग्रुप बनाकर स्टिंग आपरेशन के लिये और उनका यही काम होगा कि लोगों की कमजोरियों को पकड़े हर पार्टी के दफ्तर में और कमजोर व्यक्ति को और कमजोर बनाने की कोशिश करें। मान्यवर, यकीनन घूस लेना गुनाह है लेकिन घूस लेने के लिये दावत देना, और बार-बार उससे यह कहना रख लीजिये, ले लीजिये, जरूरत पड़ सकती है, आपके काम आयेगें, मान्यवर, यह कहने वाला भी उतना ही गुनहगार है, जितना कि लेने वाला। इस स्टिंग आपरेशन को अगर आप मान्यवर, मूलतः देखेंगे तो इसमें बार-बार यह कहा गया है कि रख लीजिये, घुसेड़े दे रहें हैं मुँह में, नोट घुसेड़े दे रहे हैं, रख लीजिये, काम आयेंगे, मना कर रहा है सदस्य नहीं-नहीं भाई जरूरत नहीं है, नहीं नहीं भाई रखो इधर रखो, नहीं नहीं साहब आपके काम आयेंगे। मान्यवर, कहीं न कहीं अच्छे से अच्छे इन्सान के अन्दर भी एक शैतान छिपा होता है वह अपने चरित्र से उस शैतान को दबाता है लेकिन जब आप उसकी कमजोरियों का, उसकी मजबूरियों का फायदा उठायेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी न किसी लम्हा उसके अन्दर की वह मजबूरी उभर कर सामने आ जाये, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, बहू है, जिन्दगी है, गरीबी है, बीमारी है, मकान है, एक हजार मजबूरियाँ हैं, इंसान लड़ता है मान्यवर, हमारे यहाँ न जाने कितने माननीय सदस्य ऐसे होंगे, जिनके साथ जिन्दगी की तमाम बेशुमार जरूरतें होंगी लेकिन चरित्र को साबित करने के लिये, समाज के लिये कुर्बानी देते हैं वह, अपनी मजबूरियों को नकारते हैं वह, उन्हें चाहिये अच्छा मकान, उन्हें चाहिये अच्छी सवारी, उन्हें चाहिये अच्छे कपड़े, उन्हें चाहिये अच्छा इलाज, माँ का इलाज चाहिये, पिता का इलाज चाहिये लेकिन सिर्फ अपना व्यक्तिगत चरित्र बनाये रखने के लिये समाज में अच्छी शक्ल बनाये रखने के लिये न वह अच्छे मकान की ख्वाहिश करते हैं, न अच्छी सवारी की, न खेत-खलिहान की, न बाग की लेकिन जब हम उन्हें मजबूर करेंगे कि नहीं साहब लीजिये यह सौ एकड़ बाग के कागज हैं, दस्तखत कर दीजिये इस पर, बार-बार कहेंगे हो सकता है कि कहीं न कहीं उससे गलती हो जाय तो यह जो शख्स उसे प्रेशराइज कर रहा है, उसे दबाव दे रहा है, आमादा कर रहा है जुर्म करने के लिये, कोई शख्स चला जा रहा है खाली हाथ हैं उसके, एक शख्स आता है उसके पीछे से, उसके हाथ में एक तमंचा देता है वह मना करता है लेकिन वह बार-बार कहता है कि नहीं लो, वह जा रहा है, वह है टारगेट तुम्हारा, वह सामने तुम्हारा दुश्मन जा रहा है, नहीं भई नहीं मुझे नहीं झगड़ा करना, कैसे झगड़ा नहीं करना, कोई नहीं देख रहा है, अंधेरा है लो हथियार, चलाओ गोली, बार-बार कहेगा, इंस्टीगेट करेगा, प्रेशराइज करेगा हो सकता है कि वह शख्स जो जुर्म नहीं करना

चाहता है क्योंकि दुश्मन सामने चला जा रहा है इस षड़यंत्रकारी से हथियार लेकर हथियार चला देगा और अपराधी बन जायेगा। चुनांचें वह कम गुनहगार है जिसने हथियार चलाया है, और जिसने हथियार चलाने के लिये मजबूर किया है वह ज्यादा बड़ा गुनहगार है। ऐसे ही हालात इस स्टिंग आपरेशन में पैदा हुये हैं। आप उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं।

*नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, इस प्रकरण के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि जिन मेम्बर्स के खिलाफ आरोप लगाये गये थे।

श्री अध्यक्ष-

वह तो प्रकरण समाप्त हो गया।

श्री लालजी टण्डन-

वह तो हो गया, दूसरा प्रकरण जो है जिसमें सरदेसाई को यहाँ पर बुलाये जाने का प्रकरण है, इसमें मेरा सुझाव है कि इस पर आप पुनर्विचार कर लें। इसलिये कि यह जो लोकतंत्र का चौथा खम्भा है, वह कभी गलती कर सकता है। उसके ऊपर कार्यपालिका का इतना दबाव नहीं होना चाहिये कि वह भी कहीं निष्पक्ष...

श्री अध्यक्ष-

अब यह प्रकरण समाप्त हो गया। पूरे सदन ने प्रस्ताव पारित कर दिया, इसलिये माननीय नेता विरोधी दल मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण को समाप्त करें।

श्री लालजी टण्डन-

मैं देर से आया था, इसलिये मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

वह तो आपको कहने का अधिकार है लेकिन अब यह विषय समाप्त हो गया।

श्री लालजी टण्डन-

मैं इसमें कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ। मेरा दोष मात्र यह है कि मैं विलम्ब से आया हूँ लेकिन मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं उसके खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, जो प्रस्ताव पास कर दिया गया है वह सदन का प्रस्ताव है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात पर आप पुनर्विचार कर लें कि क्या उन्हें इस सदन में बुलाया जाना उचित है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विपक्ष ने जो कहा संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक गम्भीर बात की और सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। वह बात यह है कि स्टिंग आपेरशन के लोग भारी संख्या में बाहर से आये हैं और इस कार्य में लगे हैं। जैसा कि सदन को बताया गया कि वह स्टिंग आपेरशन करके माननीय सदस्यों को जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने का या भ्रष्ट साबित करने का प्रयास करेंगे, इस सम्बन्ध में मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के नेताओं से बात करूँगा। आज इस पर विचार किया जाना चाहिये क्या यह लोग स्टिंग आपरेशन जब चाहे तब कर सकते हैं या इसके लिये विधायक निवास या मंत्रियों के घरों में जाने के लिये परमीशन की आवश्यकता हैं इस पर विचार करने के लिये मैं नेता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलीय नेताओं से विचार करूँगा कि इस पर एक नियम बना दिया जाय।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मान्यवर, पश्चिमी देशों में ऐसा ही है, अगर किसी के खिलाफ आपरेशन करना होता है तो परमीशन लेनी होती है और अगर परमीशन मिल जाती है तभी वह आपरेशन करता है अन्यथा नहीं।

श्री अध्यक्ष-

इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री और सभी लोगों के साथ मिल करके इस प्रकार के कुछ नियम बना दिये जाये, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगायी जा सकें।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

अध्यक्ष-

अब मुझे सदन को सूचना देना हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 की बैठक में विधान सभा में दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 से 27 अक्टूबर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की हैं:-

(1) दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 से 26 अक्टूबर, 2006 तक सदन के उपवेशन न हों।

(2) दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 को सदन का उपवेशन हो तथा उस दिन निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनाएं भी ली जायं।

(3) आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 की सदन की कार्य-सूची की स्थगित मदें दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 को ली जायं।

(4) दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 से दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय:-

अक्टूबर, 2006

12 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
13 शुक्रवार	
14 शनिवार	
15 रविवार	
16 सोमवार	
17 मंगलवार	
18 बुधवार	
19 गुरुवार	
20 शुक्रवार	
21 शनिवार	
22 रविवार	
23 सोमवार	
24 मंगलवार	
25 बुधवार	
26 गुरुवार	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

27 शुक्रवार

1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना,

2-विधायी कार्य-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं उसका पारण (आधा घण्टा)

3-11 अक्टूबर, 2006 की विधान सभा की कार्य-सूची की स्थगित की गयी मदें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, सदन 27 तारीख को न करें।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

जो निर्णय लिया गया है वह सर्वसम्मति से लिया गया है।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य-मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव, जो संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार की प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संस्कृत भाषा की शिक्षा देने वाले स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदानित किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। दूसरी सूचना श्री आर0एस0 कुशवाहा की जनपद खीरी में असामाजिक तत्वों द्वारा ग्राम दुबहा निवासी चन्द्रपाल सिंह व उनके साथी की ट्रक से कुचलकर हत्या किये जाने से सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। तीसरी सूचना श्री डा0 पी0के0 राय की तहसील तमकुहीराज स्थित गण्डक नदी में नाव पलट जाने से हुई व्यक्तियों की मृत्यु एवं उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। चौथी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ नगर निगम क्षेत्र में डेंगू के प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। पाँचवी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहाँपुर में 5 व 7 किलोमीटर हाटमिक्स प्लांट से बनने वाली सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 2005-2006 व 2006-2007 का कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। छठी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की लखनऊ स्थित अलीगंज सेक्टर-एच में अवैध रूप से चलने वाली कोचिंग को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। सातवीं सूचना डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद शहर के अलोपीबाग मोहल्ले में मध्यमवर्गीय हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत 1957-58 में निर्मित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवासों के विक्रय आधार पर निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। आठवीं सूचना श्री उदयराज यादव की जनपद लखनऊ के पुलिस लाइन में आपराधिक छवि के पुलिस आरक्षियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर को सूखे के कारण सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद चित्रकूट में सिंचाई विभाग द्वारा संचालित सिरावल माफी पम्प कैनाल एवं राजापुर पम्प कैनाल लो वोल्टेज के कारण न संचालित किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, ग्यारहवीं सूचना श्री भगेलू राम की जनपद सुल्तानपुर के ग्राम राईबीगों में आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री धर्मपाल सिंह, श्री रामहेत भारती, डॉ0 विनोद तिवारी, श्री कालीचरण राजभर, श्री सुखदेव राजभर, मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री मदन गोपाल वर्मा, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री राकेश पाण्डेय, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री अनीस अहमद खाँ, श्री मदन चौहान, श्री संजीव दरियाबादी, श्री द्वारिका प्रसाद, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर एवं श्री कौशल किशोर।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम रासेपुर धनेहरी में पशु अस्पताल की स्थापना कराये जाने विषयक श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा रासेपुर धनेहरी में पशु सेवा केन्द्र पूर्व से ही संचालित है....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[जिससे क्षेत्रीय पशुपालकों को चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में ही स्थित पशु चिकित्सालय, मेहनगर और पशुचिकित्सालय, सिंहपुर द्वारा भी क्षेत्रीय पशुपालकों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त हो रही हैं।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा पशु सेवा केन्द्र रासेपुर धनेहरी को उच्चीकृत करके पशु चिकित्सालय की स्थापना कराये जाने का प्रस्ताव जिला योजना में वर्ष 2006-07 में अनुमोदित हुआ है। पशु सेवा केन्द्र रासेपुर धनेहरी को उच्चीकृत करके पशु चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है। पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु वांछित धनराशि रु0 14.91 लाख की व्यवस्था होते ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी जायेगी।]

नोट :-- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद भदोही स्थित ऊँज थाने के थानेदार द्वारा एक कम्पाउण्डर की हत्या थाने में किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

दिनांक 16-09-06 को सायं 20.45 बजे वादी श्री सुभाष चन्द्र पुत्र स्व0 तुलसी राम जनपद संत रविदास नगर भदोही द्वारा मु0अ0सं0-406/06 धारा-307 भा0द0वि0, थाना ऊँज, जनपद संत रविदासनगर भदोही पर विरुद्ध नामजद....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[अभियुक्त अवधेश कुमार सोनी पुत्र आशाराम सोनी निवासी वरईपुर, थाना ऊँज, जनपद संतरविदास नगर भदोही व दो व्यक्ति और नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र राय को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना अभियुक्त गुलाबधर बिन्द पुत्र बलदेव बिन्द निवासी मुगरहा प्रकाश में आया जिसको तत्कालीन थानाध्यक्ष ऊँज श्री कपिल देव यादव व हमराही आरक्षियों द्वारा दिनांक 17-09-06 को समय 12.10 बजे वहवाले रपट नं0-15 गिरफ्तार कर थाना ऊँज पर दाखिल किया गया। इसी दिन समय 14.30 बजे रपट नं0-17 रोजनामचा आम थाना ऊँज पर सूचना बावत मृत्यु अभियुक्त गुलाबधर बिन्द सम्बन्धित मुकदमा उपरोक्त बजरिये फांसी लगा कर अंकित किया गया। मृतक गुलाबधर बिन्द का पंचायतनामा उप जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानपुर श्री डी0एस0 पाण्डेय द्वारा भरा गया तथा शव का पोस्टमार्टम दो डाक्टरों के पैनल द्वारा दिनांक 18-9-06 को दिन में किया गया। इसी घटना के सम्बन्ध में मृतक गुलाबधर बिन्द के भाई भागीरथी बिन्द पुत्र बलदेव बिन्द निवासी मुगरहा, थाना ऊँज, जनपद संतरविदास नगर द्वारा थाना ऊँज पर दिनांक 18-09-06 को समय 11.30 बजे मु0अ0सं0-407/06 धारा 302 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया। जिसमें (1) डॉ0 सुभाष बिन्द दीप नर्सिंग होम वहीदानगर, (2) थानाध्यक्ष ऊँज अन्य सिपाही तथा (3) क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस अभियोग में आरोपित किया गया है कि वादी के भाई गुलाबधर बिन्द को दिनांक 16-09-06 रात्रि 11.00 बजे थानाध्यक्ष ऊँज व अन्य सिपाहियों द्वारा डॉ0 सुभाषचन्द्र बिन्द के साजिश पर थाने ले जाया गया। जहाँ थानाध्यक्ष समेत क्षेत्राधिकारी, ज्ञानपुर ने प्रताड़ना देकर थाने के लाकप में गुलाबधर की हत्या कर दी तथा थाने के लाकप के अन्दर ही फांसी पर लटका दिखा दिया गया। इस मुकदमें की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी जनपद संतरविदास नगर भदोही को सुपुर्द की गयी है। मृतक गुलाबधर बिन्द

नोट :-- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुयी जिसमें मृतक की मृत्यु का कारण "काज आफ डेथ ड्यू टू एसफिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग" अंकित है।

सम्बन्धित प्रकरण में तत्कालीन थानाध्यक्ष उँज श्री कपिल देव यादव को उनके द्वारा बरती गयी लापरवाही के सम्बन्ध में दिनांक 17-09-06 को निलम्बित कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट, संतरविदास नगर भदोही द्वारा प्रकरण में मजिस्ट्रीयल जांच आदेशित की गयी।

शासन द्वारा उपर्युक्त अभियोग की विवेचना शासनादेश दिनांक 20-09-2006 द्वारा सी0बी0सी0आई0डी0 को हस्तान्तरित की गयी है जिसके सम्बन्ध में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि विवेचना से सम्बन्धित विवेचक द्वारा पुलिस से सम्बन्धित आभिलेख आदि प्राप्त कर लिये गये हैं तथा प्रश्नगत प्रकरण में साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। सम्बन्धित विवेचक को प्रश्नगत प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दे दिये गये हैं।]

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पर कुछ कहना चाह रहा हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में बैठे हैं। वक्तव्य में यह आया है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा 16 तारीख को एफ0आई0आर0 8.30 बजे रात होती है और एक व्यक्ति नामजद होता है और दो अज्ञात होते हैं। नामजद व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया। उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिससे मतलब नहीं था, उसको रात में उठाया गया, दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और परिवार के लोग स्पष्ट रूप से कहा कि मार करके लटकाया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सी0बी0सी0आई0डी0 से जाँच के लिये आदेश कर दिया है, इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यदि उस गरीब आदमी को दो लाख रुपये का मुआवजा मिल जाये तो आपकी बड़ी कृपा होगी। गरीब आदमी है, कुछ पैसे मिल जायेंगें तो उसका भरण-पोषण हो जायेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूँगा कि पुलिस इंस्पेक्टर ने हत्या की है इसलिये उसको कुछ मुआवजा मिल जाये। मान्यवर, यही निवेदन है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नेता सदन का कहना है कि मुआवजा दे दिया है और अगर नहीं पहुँचा है तो उसे देख लेंगे। नेता सदन को धन्यवाद तो दे दीजिये।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैंने पहले ही सी0बी0सी0आई0डी0 से जाँच के लिये धन्यवाद दिया और पुनः धन्यवाद देता हूँ।

जनपद बिजनौर में विद्युतीकरण, नये उपकेन्द्रों की स्थापना किये जाने हेतु एक निजी कम्पनी द्वारा ठेके पर कार्य लिये जाने एवं कार्य पूर्ण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुंवर भारतेन्द्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

जनपद बिजनौर में विद्युतीकरण, नये उपकेन्द्रों की स्थापना किये जाने हेतु एक निजी कम्पनी द्वारा ठेके पर कार्य लिये जाने एवं कार्य पूर्ण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि .....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[जनपद बिजनौर का कार्य मेसर्स यू0बी0 इंजीनियरिंग को आवंटित किया गया है। प्रमुख कार्य जो फर्म द्वारा कराये जाने थे, उसमें 395 ग्रामों का विद्युतीकरण, 5 नये उपकेन्द्र का निर्माण एवं 7 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की जानी है। फर्म के साथ दिनांक 09-07-2005 को अनुबन्ध कर कार्य को आवंटित कर दिया गया था। कार्य कराये जाने की अवधि अनुबन्ध की तिथि से 18 माह तक है। इस प्रकार मेसर्स यू0बी0 इंजीनियरिंग को उपरोक्त आवंटित कार्य को दिसम्बर, 2006 के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।

मेसर्स यू0बी0 इंजीनियरिंग द्वारा कृत कार्यों की दिनांक 30-09-06 तक की प्राप्त प्रगति आख्या के अनुसार जनपद बिजनौर में कुल 107 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है एवं 40 ग्रामों का कार्य प्रगति पर है। फर्म द्वारा विद्युतीकृत किये गये कुल ग्रामों के लक्ष्य का प्रतिशत 25.34 हैं। इसका गहन अनुश्रवण विद्युत वितरण निगम स्तर एवं कारपोरेशन स्तर लखनऊ पर निरन्तर किया जा रहा है। फर्म द्वारा प्रगति विवरण प्रति सप्ताह प्रेषित की जा रहीं है। अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण का लक्ष्य 30-12-2006 तक निर्धारित है।

जहाँ तक अनुबन्ध के अनुसार फर्म द्वारा निर्मित किये जा रहे 5 नये उपकेन्द्रों के निर्माण का प्रश्न है, नये उपकेन्द्रों का निर्माण का कार्य 55 प्रतिशत पूर्ण होना अवगत कराया गया है एवं उनके ऊर्जीकरण होने की तिथि दिनांक 30 नवम्बर, 2006 निर्धारित है। विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की स्थिति यह है कि दो उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का कार्य पूर्ण होने की तिथि 31-10-2006 तक एवं अवशेष उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का कार्य 30-11-2006 तक निर्धारित है। अवशेष कार्यो को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समय-सीमा के भीतर पूर्ण करा लिया जायेगा।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तरवां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों की उपस्थिति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

सुश्री विद्या चौधरी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21-09-06 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[उनके विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्रामसभा ऐराकलां विकास खण्ड तरवां में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 1990 का स्थापित हुआ है लेकिन वहां किसी प्रकार की सुविधा जनता को नहीं मिलती है। डाक्टर कभी भी अपनी ड्यूटी समय से नहीं करते हैं। डाक्टर अपने घर बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास सांसद स्व0 ईशदत्त यादव व पुत्र गुड्डू यादव उर्फ नन्द किशोर यादव का स्थानी निवास है। उनके घर व अस्पताल जाने के कोई रास्ते नहीं है। कोई वाहन वहां पहुंच नहीं पाता है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड तरवा में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-ऐरा खुर्द (ऐरा कला) स्थापित है। यहां पर डा0 ए0पी0 गुप्ता, चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा उनके द्वारा उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर नियमित उपस्थित रहकर क्षेत्रीय जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रहीं है। जहां तक उक्त अस्पताल तक आने-जाने के रास्ते का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सांसद स्व0 श्री ईशदत्त यादव के स्थाई निवास से उक्त स्वास्थ्य केन्द्र तक आने-जाने हेतु रास्ता है, जिस पर खड़ंजा लगा हुआ है। चार पहिया छोटे वाहन आसानी से आ जा सकते है।]

जनपद पीलीभीत में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा विभागीय टेण्डर नियमानुसार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

दिनांक 21-09-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत डॉ0 विनोद तिवारी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा सदन में यह सूचना दी गयी थी कि जनपद पीलीभीत में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में विगत लगभग दो वर्षों से.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[विभिन्न ब्लाकों पूरनपुर, बरखेड़ा, बिलसण्डा, ललौरी खेड़ा, अमिरिया में बाल पोषाहार ढुलाई कार्य नियमानुसार सन्तोषजनक ढंग से किया जाता रहा है, परन्तु 2006 हेतु जो दिनांक 18-04-06 को बाल पुष्टाहार ढुलाई के ठेकों का कार्य सम्पन्न हुआ है वह नियमानुसार नहीं है। दिनांक 30 मार्च, 2006 को टेण्डर हेतु समाचार-पत्र में विज्ञप्ति दी गयी है। टेण्डर मांगे जाने पर पुराने लोगों को टेण्डर फार्म नहीं दिये गये। दिनांक 18-04-06 को विभागीय अधिकारियों की सांठ-गांठ के चलते व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने हेतु गोपनीय तरीके से जिला कार्यक्रम अधिकारी के आवास पर टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-55/60-2-2000-2/3(11)/97, दिनांक 24-05-2000 के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी द्वारा टेण्डर आमंत्रित करने हेतु दिनांक 18-04-06 की तिथि निर्धारित की गयी। जिला कार्यक्रम अधिकारी, पीलीभीत के पत्र संख्या-सी-1449, दिनांक 27-03-06 को निविदा प्रकाशन हेतु दैनिक जागरण एवं समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रेषित की गयी। निविदा दिनांक 30-3-06 को दैनिक जागरण समाचार-पत्र में प्रकाशित की गयी । दिनांक 18-04-06 को ही 12.30 बजे विकास भवन में निविदायें खोलने की कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष सम्पादित की गयी। यह कथन सही नहीं है कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से गोपनीय तरीके से जिला कार्यक्रम अधिकारी के आवास पर टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी।

3-निविदा में प्राप्त दरों को निविदा दाताओं के समक्ष पढ़कर सुनाया गया जिस पर उपस्थित निविदा दाताओं के हस्ताक्षर एवं समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। 07 परियोजनाओं के लिये 21 निविदा दाताओं द्वारा निविदायें डाली गयीं सभी निविदा दाताओं द्वारा 0.84 पैसे की दर पर सहमति प्रदान की गयी। श्री परमवीर सिंह, सूरजपुर फार्म मछौला, पूरनपुर अमरिया, पीलीभीत (विगत वर्ष के ठेकेदार) द्वारा इस वर्ष भी टेण्डर डाला गया। इसी प्रकार गत वर्ष के ठेकेदार द्वारा श्री सोहन लाल निवासी कल्याणपुर नौगदा, पीलीभीत के द्वारा यह लिख कर दिया है कि उनके द्वारा टेण्डर नहीं डाला गया। अतः उनकी धनराशि वापस की जाय। अतः यह कहना सही नहीं कि टेण्डर फार्म पुराने ठेकेदारों को नहीं दिये गये।

4-जहाँ कि अर्नेस्टमनी रु0 2000/- प्रति निविदा की राशि निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात् पिछली तिथियों में जमा करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि निविदा राशि दिनांक 18-04-06 को ही जमा की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा वरिष्ठ कोषाधिकारी से आख्या मांगी गयी। पुनः दिनांक 29-8-06 को भी पीलीभीत को पत्रावली न भेजे जाने के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि श्री जयराम वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 15-05-06 को रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की गयी थी जिस पर जिलाधिकारी, पीलीभीत को पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा कतिपय पृच्छायें की गयी हैं जिसके सम्बन्ध में शासन स्तर से भी जिलाधिकारी, पीलीभीत से स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-उल्लेखनीय है कि पूर्व ठेकेदारों श्री हरी प्रकाश, श्री दिनेश गुप्ता, श्री गजपाल सिंह, श्री नत्थूलाल वर्मा के द्वारा जो शिकायतें की गयी उस सम्बन्ध में अपर परियोजना प्रबन्धक, मुख्यालय द्वारा दिनांक 15-06-06 को प्रस्तुत अपनी जांच आख्या में यह अवगत कराया गया है कि पूर्व ठेकेदारों द्वारा की गयी शिकायत कान्ट्रेक्ट अवधि समाप्त होने के पूर्व न्यूनतम दर पर कार्य करने की सहमति पर सक्षम अधिकारी को न दिये जाने और जब पोषाहार की ढुलाई के सम्बन्ध में टेण्डर आदि की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी तो इस प्रकार की शिकायत करने से यह परिलक्षित होता है कि द्वेषभावना वश यह शिकायत की गयी है जो निराधार एवं तथ्य से परे है।

6-मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत द्वारा दिनांक 15 मई, 2006 को जिलाधिकारी को सम्बोधित अपने पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि निविदा की कार्यवाही गुप्त रूप से किये जाने की बात सही नहीं है उनके द्वारा यह भी लिखा गया है कि विगत वर्षों में डीजल की दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप दरें बढ़ना स्वाभाविक है। टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् यह कहना उचित नहीं है कि पुराने ठेकेदार, पुराने दरों पर कार्य करने को तैयार थे। अतः ढुलाई के सम्बन्ध में टेण्डर की कार्यवाही नियमानुसार की गयी।]

जनपद फतेहपुर को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

श्रीमती कृष्णा पासवान, मा0 सदस्या, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 21-09-2006 को दी गयी सूचना में कहा गया है कि जनपद फतेहपुर को वर्ष 2004 में सूखाग्रस्त घोषित था।.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[तथा वर्ष 2005 में ओलावृष्टि से प्रभावित था और अब वर्ष 2005-2006 में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। मा0 सदस्या द्वारा जनपद फतेहपुर के किसानों की समस्याओं को देखते हुये सरकारी ऋण माफ करने तथा जनपद फतेहपुर को सूखाग्रस्त जनपद घोषित करने के सम्बन्ध में दी गयी सूचना में वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-जिलाधिकारी, फतेहपुर ने अवगत कराया है कि जनपद फतेहपुर में वर्ष 2004 एवं वर्ष 2005 में जो दैवी आपदाओं से प्रभावित था, उस सम्बन्ध में जो सुविधायें नियमानुसार देय थीं वह सुविधायें किसानों को उपलब्ध करायी जा चुकी हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष 2006 में खरीफ में लगभग 30 प्रतिशत फसलों का नुकसान हुआ है। जनपद के कुछ क्षेत्रों में सूखा का असर 30 प्रतिशत से थोड़ा अधिक भी हुआ है परन्तु जनपद में अभी तक 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान नहीं हुआ है। इस कारण जनपद को सूखाग्रस्त नहीं घोषित किया गया। जहाँ तक ऋण वसूली का प्रश्न है, जिन काश्तकारों का ऋण एक लाख रुपये से कम है, उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है।|

श्रीमती कृष्णा पासवान-

मान्यवर, मैंने जनपद फतेहपुर को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिये नियम-51 में सूचना लगायी थी। पूर्व में वर्ष 2004 में फतेहपुर सूखाग्रस्त घोषित हुआ था, वर्ष 2005 में भी ओले पड़े थे, जिससे मुख्य रूप से जहानाबाद, हंसवा और किशुनपुर प्रभावित थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पूर्व में कहा था कि इलाहाबाद मण्डल में फतेहपुर ऐसा जिला है जहाँ बारिश नहीं हुई है लेकिन जो वक्तव्य आया है उसमें कहा गया है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल प्रभावित नहीं हुई हैं।

हमारे यहाँ जमुना पार की पूरी बेल्ट में डेले पड़े हुये है। इलाहाबाद मण्डल में फतेहपुर जनपद सूखाग्रस्त है। मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं वह कुछ घोषणा कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

इसके लिये अलग से देखा जा सकता है।

प्रदेश में पोलियो ड्राप श्रृंखलाबद्ध तरीके से पिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद कुमार तो हैं नहीं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

उत्तर प्रदेश में पल्स पोलियो कार्यक्रम को अधिक प्रभावी व श्रृंखलाबद्ध....

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

(अनेक सदस्यों द्वारा वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[तरीके से निष्पादित करने हेतु विशेष रणनीति बनायी गयी है, जिसके अन्तर्गत कोई भी 5 वर्ष का बच्चा पोलियो ड्राप पीने से वंचित न रहने पाये, की प्रतिबद्धता सम्मिलित है, जिसके लिये प्रभावी कार्यक्रम एवं रणनीति निम्नवत् है:-

1-उत्तर प्रदेश जैसे वृहद् राज्य में प्रत्येक पल्स पोलियो अभियान में पांच वर्ष तक के लगभग 4 करोड़ बच्चों को पोलियो खुराक पिलायी जाती है। इतने बड़े कार्यक्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अतिरिक्त आई0सी0डी0एस0, शिक्षा, पंचायती राज, राजस्व, ग्रामीण विकास, नगर

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास एवं स्वयं सेवी संस्थाओं आदि के कर्मी लगाये गये हैं जिनका विशेष योगदान रहता है। उक्त सभी कर्मी बूथ दिवस एवं घर-घर टीकाकरण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तथा सभी विभागों के पर्यवेक्षकों द्वारा भी टीका कर्मियों के कार्य की गहन समीक्षा की जाती है।

2-वर्तमान में ग्रामीण स्तर पर एक स्थानीय महिला "आशा" की तैनाती की जा रही है, जो उस गांव के सभी 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्राप से आच्छादित करने के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। आशा द्वारा 5 वर्ष के सभी बच्चों की अभियान से पूर्व सूची तैयार की जायेगी, तत्पश्चात् उन बच्चों को अभियान के दौरान पोलियो की खुराक से आच्छादित करना सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को पूर्व में ही निर्देश भेजे जा चुके हैं जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रत्येक बूथ क्षेत्र के लाभार्थियों की सूची नवम्बर माह के चरण से बूथ पर भी रखी जायेगी, जिससे की बूथ, दिवस पर प्रत्येक लाभार्थी को आच्छादित कर सूची में निशान लगा दिया जाये तथा शेष छूटे हुये बच्चों को उसी सूची के आधार पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से "ए" टीम, "बी" टीम तथा महिला स्वास्थ्य कत्री/ऑगनवाड़ी/आशा द्वारा घर-घर जाकर शत-प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया जा सके।

3-जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड में पोलियो खुराक से आच्छादित बच्चों का तिथिवार अंकन किये जाने के निर्देश समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजे गये हैं साथ ही इस बात का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये गये हैं कि जिन लाभार्थियों के पास उक्त कार्ड उपलब्ध है, वे उस कार्ड को बूथ दिवस पर अवश्य लायें, जिन लाभार्थियों के पास पुराने कार्ड उपलब्ध न हो उन्हें बूथ दिवस पर ही नये कार्ड बनाकर पोलियों ड्राप से आच्छादित करने की तिथि अंकित की जाय, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा पोलियो ड्राप पीने से वंचित न रहे एवं शत-प्रतिशत आच्छादन हो सके।

4-अभियान के पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार आकाशवाणी, दूरदर्शन, सांस्कृतिक दलों द्वारा तथा क्षेत्र में पोस्टर बैनर आदि द्वारा किया जाता है जिससे जन जागरूकता पैदा की जा सके तथा कोई भी बच्चा पोलियो खुराक पीने से वंचित न रहें।

5-प्रदेश में नियमित टीकाकरण प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को आयोजित किये जाते हैं उसमें भी महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री द्वारा पोलियो की खुराक से बच्चों को आच्छादित किया जाता है। दिनांक 9 से 15 अक्टूबर, 2006 तक टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। माह अक्टूबर, 2006 में टीकाकरण, माह नवम्बर, 2006 में पोलियो टीकाकरण तथा दिसम्बर, 2006 में टीकाकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि सभी बच्चों को टीकाकरण से आच्छादित किया जा सके।

6-प्रत्येक अभियान से पूर्व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, मण्डलीय अपर निदेशकों, मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ सीधे बातचीत के द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की जाती है। पोलियो अभियान में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु मण्डल/जनपद आवंटित किये जाते हैं जिससे अभियान का प्रभावी पर्यवेक्षण/अनुश्रवण किया जा सके।

उक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश में पोलियो अभियान/नियमित टीकाकरण अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा तथा कोई भी बच्चा पोलियो ड्राप पीने से वंचित नहीं रह पायेगा।]

बंगलादेशी घुसपैठियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 विधायक द्वारा जनपद मेरठ में बंगलादेशी घुसपैठियों द्वारा नजूल भूमि पर अवैध कब्जा....

(अनेक सदस्यों द्वारा वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[किये जाने, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराये जाने तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा प्राप्त आख्या के आधार पर जनपद मेरठ में नजूल भूमि पर बंगलादेशी नागरिकों का कहीं भी झोपड़ी डालकर निवास करना या अन्य किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं है तथा बंगलादेशी राष्ट्रिकों द्वारा किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाया जाना प्रकाश में नहीं आया है।

मतदाता सूची में अवैध रूप से बंगलादेशी राष्ट्रिकों द्वारा नाम दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत की संविधान की धारा-324 के तहत मतदाता सूची की तैयारी व पुनरीक्षण आदि का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। संविधान के अनुसार यह कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निदेशन, अधीक्षण एवं पर्यवेक्षण में किया जाता है। निर्वाचक नामावली तैयारी के सम्बन्ध में लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 विद्यमान है, जो संसद द्वारा पारित अधिनियम हैं तद्नुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये जाते हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है। जिलाधिकारी, मेरठ के आख्यानुसार जनपद में किसी भी बंगलादेशी नागरिकों को राशनकार्ड उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। जनपद में किसी भी बंगलादेशी नागरिक को राशनकार्ड जारी नहीं किया गया है।]

जनपद झाँसी में चिकनगुनिया नामक भयंकर बीमारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि उत्तर प्रदेश....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(अनेक सदस्यों द्वारा वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लाखों लोग चिकुनगुनियां नामक भयंकर बीमारी से ग्रसित है तथा इस बीमारी से निपटने के लिये पर्याप्त दवायें उपलब्ध नहीं है। समय से समुचित मात्रा में इलाज न मिलने के कारण इस बीमारी से ग्रसित लोगों की हालत प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इस बीमारी से सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड के लोगों में चिन्ता एवं भय व्याप्त है।

चिकुनगुनिया रोग एक मच्छर जनित वायरल रोग है, जो एडिस एजिप्टाई मच्छर द्वारा मनुष्य में फैलता है। यह बहुत कुछ डेंगू रोग से मिलता जुलता है। इसमें अचानक तेज बुखार के साथ सिरदर्द, मितली, उल्टी, ठंडक लगना तथा जोड़ों में दर्द तथा सूजन और कभी-कभी त्वचा पर चकत्ते पाये जाते हैं। जोड़ों में सूजन तथा दर्द, असहनीय पीड़ा के साथ होता है। इस रोग में मृत्यु की सम्भावना कम होती है तथा रोगी 3 से 5 दिनों में स्वास्थ्य लाभ कर लेता है परन्तु जोड़ों का दर्द तथा सूजन कुछ दिनों तक स्वास्थ्य लाभ के बाद भी बना रह जाता है। इस रोग के निदान हेतु रक्त की जांच कराई जाती है, जिससे इस रोग की पुष्टि होती है। इस रोग के बचाव हेतु कोई टीका नहीं है और न ही कोई विशेष रूप से चिकुनगुनिया सम्बन्धी दवा है। लक्षणों के आधार पर दवायें दी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड से झांसी जनपद में चिकुनगुनिया के सम्भावित रोगियों के पाये जाने की सूचना दैनिक समाचार पत्रों/मीडिया के द्वारा प्राप्त होते ही मुख्यालय द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, झांसी मण्डल झांसी से विस्तृत सूचना तत्काल मंगाई गई तथा मण्डल के सभी जनपदों क्रमशः झांसी, ललितपुर, जालौन तथा बांदा के मुख्य चिकित्साधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिये गये। प्राप्त सूचना के अनुसार क्षेत्र में बुखार के रोगी अवश्य पाये गये गये हैं परन्तु चिकुनगुनिया रोग से पीड़ित होने की तत्काल पुष्टि नहीं हुई थी। चिकुनगुनिया रोग के लक्षणों को ध्यान में रखते हुये मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल तत्काल गठित करा दिया गया तथा स्थिति पर निरन्तर नियंत्रण रखने हेतु निर्देशित भी किया गया। झांसी तथा ललितपुर के विशेषज्ञ दल द्वारा 1 सितम्बर, 2006 से विभिन्न स्थानों पर लगातार कैम्प लगाकर रोगियों को उपचारित किया जा रहा है। दिनांक 28-09-2006 तक की सूचना के अनुसार जनपद झांसी, ललितपुर तथा जालौन के क्रमशः ज्वर के कुल 11098, 19767 तथा 1388 रोगियों को उपचारित किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा में क्रमशः 2442, 18532, 414 तथा 153 रक्त पट्टिकायें बनाई गईं। मण्डल के समस्त जनपदों में पर्याप्त मात्रा में दवायें उपलब्ध हैं।

नोट :-। ।यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चिकुनगुनिया रोग के सम्भावित प्रसार को देखते हुये प्रदेश मुख्यालय के संचारी रोग शाखा से भी एक तीन सदस्यीय चिकित्सक दल को दिनांक 24-09-2006 को झांसी, ललितपुर तथा जालौन जनपदों के सर्वेक्षण हेतु भेजा गया जहाँ पर उक्त दल द्वारा सभी कृत कार्यवाहियों की समीक्षा की गयी। प्रभावित क्षेत्रों में चिकुनगुनिया बुखार जैसे लक्षणों के मरीज अवश्य पाये गये हैं, जिनको सम्भावित चिकुनगुनिया बुखार को दृष्टिगत रखते हुये उन रोगियों के सीरम सैम्पल जांच कराने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिसके अनुसार एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ तथा एन0आई0सी0डी0, दिल्ली को सीरम सैम्पल भेजा गया, जिनका विवरण निम्नवत् है-

1-जनपद झांसी (14 सैम्पल)- एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ-08 सैम्पल
एन0आई0सी0डी0, दिल्ली -06 सैम्पल

2-जनपद जालौन (16 सैम्पल)-एन0आई0सी0डी0, दिल्ली-16 सैम्पल

उपरोक्त के अतिरिक्त निरन्तर सम्भावित रोगियों के सीरम सैम्पल जांच हेतु निर्देशित किया गया है। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सकीय दल द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव एवं अन्य निरोधात्मक कार्यवाहियों को सुनिश्चित किया जाये। एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा सूचित किया गया है कि भेजे गये सीरम सैम्पल्स में कुल 04 सैम्पल्स धनात्मक पाये गये हैं तथा 01 सैम्पल में डेंगू धनात्मक पाया गया है।

स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, प्रभावित क्षेत्रों में निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है, जिनका सतत् अनुश्रवण किया जा रहा है। अभी तक किसी रोगी के मृत्यु की सूचना प्राप्त नही है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।]

मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत पशु वधशालाओं में हो रही अनियमितताओं के कारण प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मेरठ जनपद में स्थापित पशु वधशाला हापुड़ रोड, मेरठ में स्थित है जिसका संचालन नगर निगम द्वारा किया जाता है....

(अनेक सदस्यों द्वारा वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[पशु वधशाला में दैनिक लगभग 700 से 800 पशुओं की स्लाटरिंग का कार्य किया जाता है। स्लाटरिंग के कार्य से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना नहीं की गयी है तथा प्रदूषित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह मेरठ ड्रेन में निस्तारित किया जाता है जो

नोट :-। ।यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अंततः काली नदी (पूर्वी) में मिलता है। पशु वधशाला में जनित ठोस अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित निस्तारण हेतु रेन्डिरिंग प्लाण्ट की स्थापना नहीं की गयी है। पशु वधशाला द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

पशु वधशाला का स्थल आबादी के मध्य में है। इसकी पूर्व दिशा में जाकीर कोलोनी, एवं पश्चिम दिशा में आशियाना कालोनी स्थित है। प्रश्नगत पशु वधशाल के विरुद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 24-2-05 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किये गये हैं, परन्तु वर्तमान समय में मेरठ नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत स्थित प्रश्नगत पशु वधशाला मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-53782/2004 अल्फहीम मीट एक्सपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 29-03-2006 को पारित निर्णय/आदेश के अन्तर्गत चल रहीं हैं नगर निगम द्वारा मा0 उच्च न्यायलय के उपर्युक्त निर्णय/आदेश के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या-सिविल 1174/2006 संस्थित की गयी है। इसमें दिनांक 10-07-2006 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुये सुनवाई के लिये दिनांक 04-09-2006 की तिथि निश्चित की गयी थी परन्तु उत्तरदाता की ओर से समय की याचना किये जाने पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु दो सप्ताह का समय प्रदान किया गया है। इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय/आदेश तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के लम्बित होने के कारण सम्प्रति अग्रेतर कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है।]

गोरखपुर में करोड़ों रुपये के जाली दस्तावेजों के पकड़े जाने के बाद भी सी0बी0आई0 की जाँच न कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के अनुसार गोरखपुर में.....

(अनेक सदस्यों द्वारा वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[करोड़ों के जाली स्टाम्प, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, अदालती टिकट, बैंक ड्राफ्ट बाजार में उतार कर भारत की पूरी अर्थ व्यवस्था को चोट पहुंचाने वाली 05 अभियुक्त गोरखनाथ पाण्डेय, जहीरुद्दीन, शकील अहमद खान, वकील अहमद खान तथा नुरूलहुदा अन्सारी गोरखपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये। पूछताछ से यह बात उभर कर आयी है कि यह गिरोह सिर्फ गोरखपुर तक

नोट :-।]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ही सीमित नहीं है बल्कि इसका नेटवर्क मऊ, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज तक फैला हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नशीली दवाओं के व्यवसाय में आई0एस0आई0 की सक्रियता को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहले भी स्वीकारते रहे हैं। करोड़ों के फर्जी दस्तावेज काण्ड के प्रमुख रणनीतिकारों के नेपाल भाग जाने की भी सूचनायें है। इस पूरे प्रकरण की जांच भारत सरकार की उच्चस्तरीय जांच एजेन्सी सी0बी0आई0 से कराये जाने की मांग की गयी है।

2-उक्त प्रकरण की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर से करायी गयी। जांच में पाया गया कि दिनांक 27.08.2006 श्री सीताराम, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, गोरखपुर अपने हमराही पुलिस बल के साथ क्षेत्र में मौजूद थे जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि बक्शीपुर चौराहे के पास स्थित उमेश स्वीट हाउस के सामने एक व्यक्ति भारी मात्रा में जाली स्टाम्प पेपर लेकर मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर के प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा मय पुलिस बल के उक्त स्थान पर पहुंच कर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से 45,000 रुपये का जाली स्टाम्प पेपर बरामद किया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम जहीरुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन निवासी-पिपरापुर थाना-तिवारीपुर, जनपद-गोरखपुर बताते हुये अपने साथ इस धन्धे में लिप्त शकील अहमद, वकील अहमद, नुरूलहुदा, गोरखनाथ पाण्डेय तथा इशरत का भी नाम बताया। इस आधार पर विभिन्न स्थानों पर छापा मार कर उक्त सभी को गिरफ्तार किया गया तथा इन सभी के कब्जे से भारी मात्रा में जाली स्टाम्प पेपर, के0वी0पी0, एन0एस0सी0 और अदालती टिकट, एफ0डी0आर0, कम्प्यूटर, सी0पी0यू0 आदि बरामद किया गया। पकड़े गये अभियुक्तों से गहराई से पूछताछ किये जाने पर उनके द्वारा अपने साथ इस धंधे में लिप्त अन्य 05 लोगों के भी नाम बताये गये हैं। इस सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अभियुक्तगण के पास से कुल तीन करोड़, चार लाख, छिहत्तर हजार, छः सौ पांच रुपये की उपरोक्त सामग्री बरामद की गयी है तथा अब भी शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। उपरोक्त अभियोग की विवेचना प्रचलित है। गिरफ्तार किये गये उपरोक्त 06 अभियुक्तों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा धारा-3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करके विवेचना की जा रही है।]

दिल्ली सोनौली परिवहन निगम के परिचालक श्री आशिक अली की अपराधियों द्वारा सरकारी पैसा छीनने के प्रयास में हत्या किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 पी0 के0 राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उक्त सूचना में यह कहा गया है कि दिनांक 15/16 सितम्बर, 2006 की रात दिल्ली से सोनौली....

(अनेक सदस्यों द्वारा वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[परिवहन निगम के परिचालक श्री आशिक अली पुत्र स्व0 श्री कासिम अली की मुरादाबाद के पास कुछ अपराधियों द्वारा सरकारी पैसा छीनने के प्रयास में हत्या कर दी गयी। श्री आशिक अली की हत्या सरकारी दायित्व निर्वहन के दौरान हुयी उसका परिवार बेसहारा हो गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये मृतक के परिजनों की आर्थिक सहायता शीघ्र देने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 15-09-2006 को निचलौल डिपो की दिल्ली-सोनौली मार्ग पर संचालित बस संख्या-यूपी-53/टी-2489 के चालक श्री मार्कण्डेय एवं धर्मराज त्रिवेदी तथा परिचालक श्री आशिक अली थे। बस में मुरादाबाद से सवार कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मुरादाबाद-रामपुर के मध्य मूड़ा पाण्डे नामक स्थान पर लगभग 22.30 बजे पहुँचने पर बस के परिचालक से मार्ग-पत्र एवं निगम कैश लूटे जाने का प्रयास किया गया, जिसका परिचालक द्वारा विरोध किये जाने पर परिचालक श्री आशिक अली को गोली मारकर घायल कर दिया गया। उपचार हेतु अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना मूड़ा पाण्डे, जनपद मुरादाबाद में मु0अ0सं0-1052/06 धारा 394/302 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान श्री अबरार पुत्र श्री इतवारी, श्री हामिद पुत्र श्री वहीद श्री महबूब पुत्र श्री रहमान, श्री नासिर पुत्र श्री जाहिद प्रकाश में आये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग विवेचनाधीन है। इनके परिवारजनों को तात्कालिक सहायता राशि रु0 5,000.00 (रु0 पांच हजार मात्र) का भुगतान दिनांक 18-09-2006 को किया गया।

परिवहन निगम में ड्यूटी के दौरान डकैती/आतंकवादियों द्वारा लूटपाट के फलस्वरूप चालकों परिचालकों की मृत्यु की दशा में नियमानुसार रु0 1.00 लाख (रु0 एक लाख मात्र) आर्थिक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान है। उक्त के अनुक्रम में मृतक परिचालक श्री आशिक अली के आश्रितों को रु0 1.00 (रु0 एक लाख मात्र) स्वीकृत आर्थिक सहायता की धनराशि में से तात्कालिक सहायता राशि रु0 5,000/- (रु0 पांच हजार मात्र) का समायोजन करते हुए अवशेष धनराशि रु0 95.000 (रु0 पन्चानबे हजार मात्र) का भुगतान इनके आश्रितों को दिनांक 27-09-2006 को कर दिया गया है।]

जनपद बलिया के थाना बैरिया के अन्तर्गत सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार करने एवं उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा 51 नियम के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित होने के उपरान्त जानकारी होने पर.....

(अनेक सदस्यों द्वारा वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेने का अनुरोध करने पर)

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

टीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा क्षेत्राधिकारी बैरिया, थानाध्यक्ष बैरिया एवं चौकी प्रभारी बैरिया से छानबीन कराये जाने पर पाया गया कि कुमारी गीता पुत्री सुरेन्द्र शाह, उम्र लगभग 16 वर्ष ग्राम-अरजल, पोस्ट-कोल्हुआ, थाना-पचरुखी, जिला-सीवान (बिहार) की रहने वाली है। इसका लगभग पिछले 04 वर्षों से मानसिक सन्तुलन खराब है जिसके कारण इसके परिजनों द्वारा हथकड़ी लगायी गयी थी जिसे कुमारी गीता हटाकर पिछले 02 माह से फरार थी। यह लड़की विक्षिप्तावस्था में ट्रेन द्वारा छपरा (बिहार) से सुरेमनपुर, जिला-बलिया आयी थी तथा विक्षिप्तावस्था में घूम रही थी। समाचार-पत्रों के माध्यम से जानकारी होने पर चौकी प्रभारी बैरिया द्वारा 06-09-2006 को प्रातः ग्राम-अरजल, थाना-पचरुखी, जिला-सीवान जाकर छानबीन व पूछताछ की गयी। पूछताछ में कुमारी गीता की माँ श्रीमती कलावती देवी और गाँव के मुखिया प्रधान व गाँव के अन्य लोगों द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया कि कुमारी गीता मानसिक रूप से विक्षिप्त है तथा इसका बड़ा भाई बाहर नौकरी करता है। शेष भाई उम्र में बहुत ही छोटे हैं। कुमारी गीता की माँ द्वारा अवगत कराया गया कि उसका कोई लड़का कुमारी गीता के साथ ट्रेन से कहीं नहीं गया था। वह अकेले विक्षिप्तावस्था में भाग कर लगभग डेढ़ माह से घूम रही है। छानबीन से बलात्कार की घटना नहीं पायी गयी। इस सम्बन्ध में न तो कुमारी गीता थाने पर गयी थी और न हीं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना दी गयी। वर्तमान में कुमारी गीता के परिजन उसे घर वापस ले गये हैं तथा वह अपने घर पर मौजूद है। कुमारी गीता के परिजनों द्वारा भी अभी तक किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गयी है।]

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को विगत चार वर्षों से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चौधरी मस्त राम एडवोकेट द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

प्रश्नगत सूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों की हालत अत्यंत दयनीय हो गयी है, उनका...

(अनेक सदस्यों द्वारा वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

टीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है, बच्चे शिक्षा से वंचित हो गये हैं, क्योंकि उन्हें 04 वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है निगम की दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों को बिक्री के लाभांश से वेतन दिया जाता है लेकिन निगम द्वारा बिक्री लाभांश बढ़ा दिये जाने के कारण बाजार मूल्य और निगम डिपो के मूल्य में अन्तर नहीं रह जाता है जिससे उपभोक्ता बजार से ही सामान क्रय कर लेते हैं और निगम की आमदनी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। सरकार द्वारा 05 निगमों के उत्थान के लिये 337 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परन्तु अभी तक उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को पैसा प्राप्त नहीं हुआ है पूर्व में निगम के डिपो से दोपहिया वाहन की बिक्री की जाती थी, परन्तु बिक्री पर प्रतिबन्ध लगे होने के कारण भी निगम की आय पर प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है।

2-उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना वर्ष 1965-66 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत की गयी थी। इसका उद्देश्य राज्य कर्मचारियों को व्यापार कर सहित सस्ते मूल्य पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निगम द्वारा इस समय प्रदेश में कुल 168 डिपो संचालित किये जा रहे हैं, जिनके माध्यम से निगम राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपभोक्ता वस्तुएं निश्चित लाभांश पर प्राप्त कर उपलब्ध कराता है। इस लाभांश से ही निगम के स्थापना व्यय की पूर्ति की जाती है।

3-यह सही है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2002 से निगम के माध्यम से राज्य कर्मचारियों को बिक्री कर रहित दुपहिया वाहनों की बिक्री बन्द होने से निगम के लाभांश में भारी कमी आयी है और यह अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं दे पा रहा है। निगम द्वारा लाभांश बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जिससे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सम्भव हो सके। इस क्रम में 11 ख्याति प्राप्त फर्मों के उत्पादों पर लाभांश में वृद्धि की गयी है। जिससे रु0 38.43 लाख का अतिरिक्त लाभांश अर्जित हुआ है।

4-इसके अतिरिक्त उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु पुनर्वास पैकेज के अन्तर्गत निगम के व्यापार उन्नयन हेतु रु0 2.00 करोड़ का अनुदान (चार छमाही किश्तों में) स्वीकृत किया गया है, जिसमें से रु0 50 लाख की प्रथम किश्त स्वीकृत/अवमुक्त की जा चुकी है। निगम को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि रु0 50.00 लाख की धनराशि का उपभोग केवल व्यापार उन्नयन हेतु केन्द्रीयत व्यवस्था के अन्तर्गत निगम मुख्यालय द्वारा किया जायेगा। इस धनराशि से ख्याति प्राप्त फर्मों के अतिशीघ्र बिकने वाले उत्पादों का चयन करके 01 अगस्त, 2006 से बिक्री हेतु डिपोज को सामग्री आपूर्ति कराई जा रही है। माह अगस्त, 2006 में उपरोक्त स्वीकृति की धनराशि से रु0 1.50 करोड़ का व्यापार किया गया, जिससे करीब रु0 15.00 लाख का अतिरिक्त लाभांश अर्जित किया गया। इसी प्रकार माह सितम्बर, 2006 में उपरोक्त स्वीकृत रु0 50.00 लाख की धनराशि से लगभग 1.60 करोड़ का व्यापार करते हुए अनुमानतः रु0 15.00 का लाभांश अर्जित

नोट :-। ।यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होगा। रु0 50.00 लाख की स्वीकृत धनराशि से एक या डेढ़ टर्न ओवर ही सम्भव था, लेकिन निगम द्वारा प्रयास करके 03 टर्न ओवर करके अधिक लाभ अर्जित किया गया।

5-उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में पुनर्वास योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु कुल 80 कर्मचारियों को दिनांक 31-8-2006 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त कर दिया गया है। शासन द्वारा निगम के 80 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रथम चरण में रु0 31.14 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 80 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के उपरान्त निगम 49 डिपोज पर कर्मचारियों को शत-प्रतिशत वेतन भत्तों के भुगतान करने की स्थिति में आ गया है।

6-निगम में माह अप्रैल, 2006 से अगस्त, 2006 तक इसी अवधि में गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष रु0 453.31 लाख की वृद्धि बिक्री में हुई है। इससे करीब रु0 38.43 लाख का अतिरिक्त लाभांश अर्जित किया गया है तथा निगम द्वारा रु0 5.16 करोड़ औसतन प्रतिमाह बिक्री की जा रही है। बिक्री बढ़ाने में और अधिक प्रयास किया जा रहा है तथा इस बिक्री को लगभग रु0 6.00 करोड़ प्रतिमाह लाने का प्रयास किया जायेगा। इस प्रकार रु0 6.00 करोड़ की बिक्री निगम द्वारा प्राप्त कर ली जाती है तो करीब 90 डिपो पर अक्टूबर माह में कर्मचारियों का शत-प्रतिशत वेतन भत्तों आदि का भुगतान करने में सक्षम हो पायेगा। इस प्रकार निरन्तर स्थिति में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं, जिनके परिणाम भी आ रहे हैं।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 35 मिनट पर शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 11 अक्टूबर, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता0प्र0सं0-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर।)

कक्षा 1 से 5 तक (वर्ष 2004.05) के सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति सूची

क्रम0 संख्या	विद्यालय का नाम	छात्रों की संख्या	धनराशि
1	2	3	4
1	वन्दना पब्लिक स्कूल कोंछोड अलीगढ़	10	3000
2	आर0पी0एम0 ग्रीन पब्लिक स्कूल अलीगढ़	7	2100
3	श्रीमती सकेदोदेवी आर्दश विद्या मन्दिर मथना कीलपुर	2	600
4	लीलावती पूर्व माध्यमिक वि0 विकास खण्ड धनीपुर	10	3000
5	सत्यम शिवम सुन्दरम बाल वि0 हैबतपुर	6	1800
6	सरस्वती ज्ञान मंन्दिर मादक पो0 अमरौली	50	15000
7	जी0आर0 प्राथमिक वि0 अमरौली	110	33000
8	जी0आर0 प्राथमिक वि0 अमरौली	28	8400
9	गाँधी शिशु ज्ञान मंदिर पोहिना	60	18000
10	गायत्री बाल वि0 विजयगढ़	16	4800
11	मनोरमा शर्मा बाल विकास वि0 शफीपुर	4	1200
12	अजय ज्ञमारक बाल वि0 बझेड़ा, अर्राना	2	600
13	प्रेमवती बाल वि0 बिलौटी	4	1200
14	श्री विश्म्बर सहाय आर्य कन्या वि0 काजिमाबाद	3	900
15	श्री राधेश्याम पराशर पब्लिक स्कूल नगला झाऊ	56	16800
16	पं0 रामलाल मैमोरियल वि0 जवार	3	900
17	नव ज्योति बाल वि0 अण्डला	32	9600
18	डॉ0 राजेन्द्र वार्ष्णेय प्राथमिक वि0 गोपी	3	900
19	सुपर स्टार जू0हा0 स्कूल गूलर रोड अलीगढ़	63	18900
20	श्री लक्ष्मीनारायण प्राथमिक वि0 अलहदादपुर जी0टी0 रोड अलीगढ़	40	12000
21	श्री राधाकृष्ण बाल वि0 नगला रजुआ	29	8700
22	श्रीमती मुन्नी देवी प्रा0 वि0 कलियानपुर रानी	112	33600
23	आर0पी0 सिंह प्रा0 वि0 बहादुरपुर	125	37500
24	लालाराम श्रीदेवी प्रा0वि0 भुडिया	86	25800
25	श्री शान्तीदेवी प्रा0 पा0 राजमार्गपुर	121	36300
26	एस0के0 प्रा0वि0 नगला राज खाँ	124	37200

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम0 संख्या	विद्यालय का नाम	छात्रों की संख्या	धनराशि
27	बाल विकास प्रा0 वि0 नरौना नं0-12	126	37800
28	रामदयाल आर्दश प्रा0 वि0 अतरौली	110	33000
29	हरिप्यारीदेवी आर्दश प्रा0 वि0 गिजरौली रोड अतरौली	95	28500
30	प्रकाश प्रा0 वि0 दादों	120	36000
31	विवेका नन्द बाल वि0 छरौ	211	63300
32	टोडीसिंह प्रा0 वि0 बसई	96	28800
33	मुन्नीदेवी प्रा0 वि0 शिवाजी नगर अतरौली	120	36000
34	रघुनाथ प्रसाद प्रा0 वि0 बहादुरनगर अतरौली	128	38400
35	महर्षि दयानन्द प्रा0 वि0 बृहमनपुरी अतरौली	120	36000
36	लकी स्टार प्रा0 वि0 गाँधीगली अतरौली	82	24600
37	पं0 दीन दयाल उपाध्याय प्रा0 वि0 मोहसनपुर	78	23400

कक्षा 1 से 5 तक (वर्ष 2004-05) के सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति सूची

38	मोइल्ड प्रा0 वि0 अतरौली	109	12700
39	श्रीमती बिव्वा देवी ग्राम वि0प्रा0 वि0 अतरौली	106	31800
40	गुलजारी लाल प्रा0 वि0 पालीमुकीमपुर	125	37500
41	पं0 खूबीराम प्रा0 वि0 तेबथू	74	22200
42	वी0एन0 पराशर मैमोरियल प्रा0 वि0 छर्रा	6	1800
43	श्री शंकरलाल प्रा0 पा0 हरदोई	30	9000
44	श्री शंकरलाल पू0मा0 वि0 हरदोई	42	12600
45	टीकाराम सिंह शि0सं0 वि0 खुशीपुरा	42	12600
46	टीकाराम सिंह पू0मा0 वि0 खुशीपुरा	41	12300
47	श्री शंकरलाल पू0मा0 वि0 हरदोई	42	12600
48	श्री शंकरलाल प्रा0 पा0 हरदोई	30	9000
49	मुन्शी सिंह प्रा0 वि0 चितकुरा, गंगीरी	41	12300
50	सुनीता देवी प्रा0 वि0 देवी नगला रोड़ अलीगढ़	70	21000
51	के0एस0 शिक्षण संस्थान प्रा0 देवी नगला, अलीगढ़	80	24000
52	मधुरिया बाल वि0 मथुरिया नगर नगला बरौला	31	9300
53	इण्टर नेशनल पब्लिक स्कूल बैंकुन्टनगर अलीगढ़	50	15000
54	गांधी शिशु शिक्षा निकेतन बेगमबाग, अलीगढ़	95	28500
55	अलीगढ़ सिटी वि0 अम्बेडकर कालोनी, अलीगढ़	130	39000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम0 संख्या	विद्यालय का नाम	छात्रों की संख्या	धनराशि
56	किशोर बाल वि0 अम्बेडकर कालोनी, अलीगढ़	122	36600
57	श्रीमती दयावतीदेवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल छर्रा	95	28500
58	स्वामी विवेकानन्द बाल वि0 खिरीरी मस्तीपुर दादों	36	10800
59	स्वामी दयानन्द सरस्वती पब्लिक स्कूल दादों	38	11400
60	श्री आर्दश बाल वि0 दादों	35	10500
61	चौ0 महेन्द्रसिंह प्रा0 वि0 खेड़ा सत्तू	15	4500
62	मार्डन पब्लिक स्कूल बसई मांती	30	9000
63	अजय स्मारक बाल वि0 बझेड़ा, अर्राना	2	600
64	प्रेमवती बाल वि0 बिलौठी	4	1200
65	श्री राधेश्याम पराशर पब्लिक स्कूल नगला झाऊ	56	16800
66	नव ज्योति बाल वि0 अण्डला	32	9600
67	डॉ0 राजेन्द्र बार्ष्णेय प्राथमिक वि0 गोपी	3	900
68	श्री विश्म्बर सहायक आर्य कन्या वि0 काजिमाबाद	3	900

(वर्ष 2005-06) की छात्रवृत्ति की सूची

क्रम0 संख्या	रजि0 क्र0	विद्यालय का नाम	कक्षा 1 से 5 तक	छात्रों की संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	30	सं सं बाल विद्या मन्दिर दादों	1-5	151	46300
2	31	शर्मा अनुपम विद्या विकास समिति प्रा0पा0 छर्रा गंगीरी	1-5	120	36000
3	32	शर्मा अनुपम विद्या विकास समिति प्रा0पा0 छर्रा गंगीरी	1-5	103	31500
4	37	सॅ0 सॅ0 शिक्षा सदन छर्रा	1-5	55	16500
5	38	सोनियादेवी बाल वि0 संगम बिहार अलीगढ़	1-5	19	5700
6	39	जी0एस0के0बाल वि0 नं0 श्यामबिहारी अलीगढ़	1-5	25	7500
7	40	आर्दश सरस्वती शिक्षा मंन्दिर भगवान जवां	1-5	8	2400
8	41	श्री गिरराज कु0 बाल वि0 मंन्दिर गभाना	1-5	2	600
9	43	सतगुरू देवजी महाराज आर्दश प्रा0वि0 रसैनी	1-5	10	3000
10	46	मनोरमा शर्मा पू0मा0 वि0 शफीपुर बिजोली	1-5	11	3300
11	51	गायत्री पू0 मा0 वि0 विजयगढ़	1-5	37	11100
12	57	राजीव बाल वि0 न्यू भटटा बेंगमबाग अलीगढ़	1-5	22	6600
13	59	आर्दश बाल वि0 मन्दिर जिरौली धू सिंह	1-5	2	600

क्रम0 संख्या	रजि0 क्र0	विद्यालय का नाम	कक्षा 1 से 5 तक	छात्रों की संख्या	धनराशि
14	61	राजीव बाल वि0 चंदनिया अलीगढ़	1-5	10	3000
15	63	मंगला प्रा0 स्कूल पिसावा	1-5	2	600
16	65	श्रीमती शीला गौतम पू0मा0 वीरपुरा	1-5	1	300
17	67	श्री राजेन्द्रपाल सिंह शिक्षण संस्थान पू0मा0मेहशपुर बाई पास रोड अलीगढ़	1-5	22	6600
18	68	जय हनुमान पब्लिक स्कूल बापू कम्पाउन्ड क्वार्सी बाई पास रोड, अलीगढ़	1-5	14	4200
19	69	शशी बाल वि0 जु0हा0 खैर रोड अलीगढ़	1-5	19	5700
20	71	गौरव पब्लिक स्कूल खेर रोड, अलीगढ़	1-5	18	900
21	72	चौधरी हीराला प्रा0 वि0 कलूपुरा इमलौट	1-5	9	2700
22	73	श्रीमती चम्पादेवी प्रा0वि0 समस्तपुर कोटा	1-5	43	12900
23	74	जनता बाल वि0 चण्डौस	1-5	42	6600
24	75	नवीन आर्दश बाल वि0 गूलर रोड अलीगढ़	1-5	72	21600
25	76	श्रीमती सुनीतादेवी जू0हा0 डोरीनगर, अलीगढ़	1-5	11	3300
26	77	नीवन आर्दश बाल वि0 गूलर रोड अलीगढ़	1-5	57	17100
27	80	ए0एस0 आर्दश प्रा0वि0 भजनविहार कालोनी, किशनपुर	1-5	5	1500
28	83	लवकुश शिशु मन्दिर पब्लिक मो0 कटरा कोटी अतरौली	1-5	6	1800
29	84	अतरौली पब्लिक स्कूल डाबाजार अतरौली	1-5	8	2400
30	86	मदर टेरेसा चिल्ड्रन स्कूल विष्णुपुरी, अलीगढ़	1-5	10	3000
31	87	सी0वी0आई0 डॉ0वी0आर0अ0 प्रा0वि0 बरला छर्रा	1-5	22	6600
32	88	श्री श्यामलाल सिंह प्रा0पा0 बीसोरा	1-5	25	7500
33	98	बोहरे हरीसिंह बाल वि0 रामनगरिया इगलास	1-5	52	15600
34	100	ग्राम विकास जनहित पा0वि0 नं0 तुला मण्डलपुर	1-5	162	48600
35	101	डी0एस0 धीरज बाल वि0 धनीपुर	1-5	125	37500
36	102	सिटी पब्लिक स्कूल नगला पटवारी बरौली रोड	1-5	120	36000
37	103	गांधी शिशु ज्ञान मन्दिर पोहिना	1-5	89	26700
38	104	सरस्वती ज्ञान मन्दिर अमरौली	1-5	82	24600
39	105	सरस्वती ज्ञान मन्दिर गडराना	1-5	116	34800
40	106	श्री कृष्ण वा0वि0 नं0 परसी दादों	1-5	100	30000

क्रम0 संख्या	रजि0 क्र0	विद्यालय का नाम	कक्षा 1 से 5 तक	छात्रों की संख्या	धनराशि
41	107	सें0सें0 शिक्षा सदन छर्रा	1-5	90	27000
42	108	सें0सें0 शिक्षा सदन छर्रा	1-5	100	30000
43	109	के0डी0 शर्मा शिक्षण संस्थान जलाली	1-5	180	54000
44	113	आर्दश प्रा0 पा0 आर्दश नगर अलीगढ़	1-5	95	28500
45	122	आर्दश ज्ञानदीप कन्या प्रा0 पा0 डोरी नगर	1-5	25	7500
46	123	आर्दश ज्ञानदीप कन्या प्रा0 मा0 डोरी नगर	1-5	30	9000
47	128	भारतीय बाल एवं जू0हा0 डोरी नगर	1-5	85	25500
48	131	डॉ0 राममनोहर लोहिया प्रा0 पा0 जूनपुर प्यावली	1-5	110	33000
49	134	रामश्री प्रा0 वि0 भीकमपुर, अलीगढ़	1-5	71	21300
50	136	समाजीकरण बाल वि0 विरखी, नगला	1-5	137	41100
51	138	श्रीमती रामकटोरी वार्ष्णेय बाल वि0 सासनीगेट, अलीगढ़	1-5	97	29100
52	139	फ्लाई बर्ड प्रा0 स्कूल सूतमील, अलीगढ़	1-5	160	48000
53	140	चंचल पब्लिक स्कूल बरोला अलीगढ़	1-5	63	18900
54	141	इण्डियन पब्लिक स्कूल सूतमील अलीगढ़	1-5	118	35400
55	143	श्री मदन मोहन पब्लिक स्कूल भरतरी जी0टी0 रोड	1-5	148	44400
56	144	मुल्लोदेवी बहोरी सिंह स्मृति प्रा0वि0 ना0 कोठी भीकमपुर	1-5	148	44400
57	145	समाज सेवा बाल वि0 गिरधरपुर, अलीगढ़	1-5	107	32100
58	146	चौधरी चरन सिंह बाल वि0 नं0 नाहरसिंह कासिमपुर	1-5	70	21000
59	147	समाज सेवा बाल वि0 गिरधरपुर, अलीगढ़	1-5	60	18000
60	148	बाल विकास प्रा0 पा0 नं0 खन्जी	1-5	110	33000
61	149	बाल विकास प्रा0 पा0 सलगवां	1-5	103	30900
62	150	महात्मा गांधी बाल वि0 कासिमपुर	1-5	115	34500
63	151	कुवंरजी प्रा0 पा0 दादो	1-5	120	36000
64	152	समाज सेवा बाल वि0 लहरा गिरधरपुर, अलीगढ़	1-5	105	36000
65	153	ग्रामोद्धार शिशु निकेतन नगला अंचला आलमुपर	1-5	95	28500
66	154	जय मां प्रा0पा0 अटा	1-5	98	29400
67	155	बोहरे प्रा0पा0 दादो	1-5	198	59400
68	156	प्राइमरी स्कूल आफ किडस छर्रा	1-5	87	26100
69	157	ग्रामोद्धार प्रा0पा0 गालिवपुर	1-5	152	45600

क्रम0 संख्या	रजि0 क्र0	विद्यालय का नाम	कक्षा 1 से 5 तक	छात्रों की संख्या	धनराशि
70	158	सामाजिक प्रा0पा0 बहादुरपुर	1-5	139	41700
71	159	पूजा पब्लिक स्कूल खोर का नगला	1-5	119	35700
72	160	मां विद्यादेवी नत्थूसिंह जू0हा0स्कूल दादा	1-5	108	32400
73	163	श्रीमती मोहनदेवी पीतम्बरसिंह पू0मा0वि0 दादों	1-5	65	19500
74	174	देवी आहिल्या बाई पब्लिक स्कूल सिहानी फरीदपुर	1-5	122	36600
75	175	डा0 राममनोहर लोहिया पब्लिक स्कूल गंगावल	1-5	110	33000
76	176	अतरअली मेमोरियल बाल विकास विद्यालय नरुपुरा	1-5	16	4800
77	177	कलावती देवी प्रा0वि0 रायपुर खास	1-5	40	12000
78	178	राधाकृष्ण पब्लिक स्कूल सूतमील अलीगढ़	1-5	138	41400
79	180	श्री वी0एस0 पाराशर मैमोरियल पब्लिक स्कूल छर्रा	1-5	20	6000
80	181	डी0एस0 पब्लिक स्कूल अवतार नगर अलीगढ़	1-5	9	2700
81	182	अन्नत कान्वेन्ट स्कूल अलीगढ़	1-5	8	2400
82	199	सिद्धार्थ जनता बाल विद्यालय धिरौलिया दाउदखां	1-5	2	600
83	133	विक्रम बाल वि0 मोहननगर बन्नादेवी अलीगढ़	1-5	20	6000
84	134	श्री दाताराम प्रा0पा0 सराय गुलरिया अलीगढ़	1-5	26	7800
85	135	श्री आशाराम गौतम मेमोरियल बाल वि0 पचावरी गोण्डा	1-5	18	5400
86	136	श्री भगवान सहाय वि0 मन्दिर दत्तावली गंगीरी	1-5	23	6900
87	137	रानी लक्ष्मीबाई बालिका वि0 दत्तावली	1-5	18	5400
88	138	श्री भीमसेन जनता पब्लिक स्कूल प्रेमपुर	1-5	2	600
89	139	श्रीमती विद्यावती बाल वि0 पलसेड़ा	1-5	6	1800
90	140	चन्द्रलोक शिक्षा निकेतन टप्पल	1-5	18	5400
91	141	एम0डी0 प्रा0 स्कूल सालपुर	1-5	42	12600
92	142	सर्वोदय प्रा0वि0 खैर रोड अलीगढ़	1-5	29	8700
93	143	मा0 सत्यवती बाबूलाल सरस्वती बाल निकेतन छर्रा	1-5	25	7500
94	145	श्रीमती राजवतीदेवी पा0वि0 छबीलपुर अलीगढ़	1-5	14	4200
95	208	विक्रम बाल वि0 मोहननगर बन्नादेवी अलीगढ़	1-5	18	5400
96	209	अजय स्मारक बाल वि0 बझेड़ा अरोना	1-5	3	900
97	210	मिलियन एकेडमी खैर	1-5	4	1200
98	211	गीता बाल वि0 हैबतपुर खैर	1-5	57	17100

क्रम0 संख्या	रजि0 क्र0	विद्यालय का नाम	कक्षा 1 से 5 तक	छात्रों की संख्या	धनराशि
99	212	सत्यम शिवम सुन्दरम बाल वि0 हैबतुपर	1-5	17	5100
100	213	श्रीमती सरोजदेवी प्रा0वि0 जरारा खेर	1-5	55	16500
101	215	अवन्तीबाई शिक्षा निकेतन चूहरपुर बन्नादेवी अलीगढ़	1-5	17	5100
102	218	श्री कृष्ण पू0मा0वि0 गोविन्दनगर कालोनी अलीगढ़	1-5	30	9000
103	219	जय हनुमान पब्लिक स्कूल बापू कम्पाउन्ड एटा बाईपास रोड अलीगढ़	1-5	8	2400
104	220	जय हनुमान पब्लिक स्कूल बापू कम्पाउन्ड एटा बाईपास रोड अलीगढ़	1-5	6	1800
105	222	स्वामी विवेकानन्द बाल विद्यालय संजयगांधी कालोनी अलीगढ़	1-5	10	3000
106	223	कृष्ण बाल मन्दिर गोविन्द नगर कालोनी, अलीगढ़	1-5	15	4500
107	225	शान्ती मेमोरियल पब्लिक स्कूल डोरीनगर अलीगढ़	1-5	105	31500
108	226	एल0डी0एस0 शान्ती निकेतन बाल वि0 मन्दिर तेहरा मोड कसेरी, अलीगढ़	1-5	126	37800
109	227	सिटी बाल मन्दिर स्कूल अशोक नगर अलीगढ़	1-5	63	18900
110	228	आदर्श विद्या मन्दिर स्कूल मित्रनगर अलीगढ़	1-5	195	58500
111	229	विद्या मन्दिर स्कूल अलीगढ़	1-5	10	3000
112	230	विद्या मन्दिर स्कूल अलीगढ़	1-5	28	8400
113	231	विद्या मन्दिर स्कूल अलीगढ़	1-5	7	2100
114	232	विद्या मन्दिर स्कूल सराययौल अलीगढ़	1-5	8	2400
115	233	विद्या मन्दिर स्कूल सराययौल अलीगढ़	1-5	6	1800
116	234	बाल विद्या मन्दिर स्कूल अलीगढ़	1-5	58	17400
117	238	अवन्तीबाई शिक्षा निकेतन चूहरपुर बन्नादेवी अलीगढ़	1-5	17	5100
118	240	सिटी विद्या मन्दिर फायर स्टेशन कालोनी, अलीगढ़	1-5	53	15900
119	242	श्रीमती केला दीक्षित मेमोरियल प्रा0वि0 किनुहा अलीगढ़	1-5	10	3000
120	244	राधाकृष्ण देव आदर्श प्रा0वि0 पखोदना	1-5	22	6600
121	245	सुगन्धा पब्लिक स्कूल कालीदह विराट अलीगढ़	1-5	11	3300
122	246	श्री दयाव सिंह पब्लिक स्कूल नुनेरा गोण्डा	1-5	18	5400
123	247	बानोबेगम मेमोरियल प्रा0वि0 नूरपुरा	1-5	21	6300

क्रम0 संख्या	रजि0 क्र0	विद्यालय का नाम	कक्षा 1 से 5 तक	छात्रों की संख्या	धनराशि
124	248	आदर्श बाल विद्यालय हीरपुर हुसैनपुर	1-5	5	1500
125	249	सरस्वती विद्यालय खेर अलीगढ़	1-5	2	600
126	250	श्रीमती अशर्फीदेवी पला वाजीदपुर अलीगढ़	1-5	12	3600
127	252	ग्राम विकास बाल वि0 जरारा खेर	1-5	18	5400
128	253	केलावती देवी प्रा0वि0 दयालनगर अलीगढ़	1-5	9	2700
129	254	चौ0 चरणसिंह स्मारक प्रा0वि0 भैया अलीगढ़	1-5	22	6600
130	255	खूबीराम प्रा0वि0 तेबथू	1-5	10	3000
131	258	भगवान सहाय बाल वि0 रजानगर अवतार नं0 अलीगढ़	1-5	17	5100
132	259	भगवान सहाय शिक्षण संस्थान रावण टीला अलीगढ़	1-5	21	6300
133	264	यू0एस0डी0 पब्लिक स्कूल नोरगंबाद अलीगढ़	1-5	22	6600
134	266	मोहन एवं जू0 हा0 बेगपुर अलीगढ़	1-5	15	4500
135	267	गंगा बालक जू0हा0 स्कूल अलीगढ़	1-5	8	2400
136	270	मां गायत्री देवी बाल विद्यालय बरौला जाफराबाद	1-5	28	8400
137	272	ज्ञान सरोवर जू0हा0 स्कूल त्रिमूर्तिनगर अलीगढ़	1-5	18	5400
138	273	बासुदेव प्रा0पा0 मित्रनगर अलीगढ़	1-5	30	9000
139	276	किशोर बाल विद्यालय अम्बेडकर कालोनी अलीगढ़	1-5	146	43800
140	277	किशोर बाल स्कूल भदेशी रोड अलीगढ़	1-5	111	33300
141	286	एम0एम0 प्रेसीडेन्सी पब्लिक स्कूल नवीननगर	1-5	7	2100
142	287	एम0एम0 जू0हा0 स्कूल नवीननगर	1-5	7	2100
143	305	श्री आदर्श जू0हा0 स्कूल ज्ञानसरोवर कालोनी अलीगढ़	1-5	23	6900
144	307	सं0सं0 शिक्षा मन्दिर दादों	1-5	40	12000
145	310	शास्त्री बाल वि0 महेन्द्रनगर अलीगढ़	1-5	41	12300
146	311	गंगा बालक जू0हा0 स्कूल अलीगढ़	1-5	8	2400
147	312	जी0आर0 पब्लिक प्रा0वि0 अमरौली	1-5	58	17400
148	313	नवज्योति पब्लिक स्कूल अमरोली	1-5	23	6900
149	314	श्रीमती रामवतीदेवी प्रा0वि0 पोहिना	1-5	55	16500
150	315	डी0 एन0 पब्लिक स्कूल रामबाग कालोनी अलीगढ़	1-5	7	2100
151	316	रवि स्मारक पं0उ0 वि0 रुपनगर विसावा	1-5	21	6300
152	317	आउम शान्ती बाल वि0 डोरीनगर, अलीगढ़	1-5	5	1500

क्रम0 संख्या	रजि0 क्र0	विद्यालय का नाम	कक्षा 1 से 5 तक	छात्रों की संख्या	धनराशि
153	322	शशी बाल विद्यालय चिन्ता की नगरिया	1-5	12	3600
154	323	आदर्श बाल विद्यालय कमडलपुर गोण्डा	1-5	43	12900
155	325	बाल किशन गौतम शिक्षा सदन वा0वि0 गोण्डा	1-5	22	6600
156	326	आदर्श बाल विद्यालय कैमथल	1-5	12	3600
157	327	श्रीमती दुलारीदेवी बाल वि0 धारा की गढ़ी	1-5	21	6300
158	329	जे0एस0 प्रा0वि0 नयाबांस गोण्डा	1-5	11	3300
159	331	महर्षि दयानन्द सरस्वती विद्या आश्रम भैया	1-5	25	7500
160	332	श्री कालीचरन बाल वि0 रामपुर	1-5	40	12000
161	334	सुशीना देवी कन्या बाल वि0 गंगीरी	1-5	12	3600
162	336	बाबा शिवचरन लाल पब्लिक स्कूल पखोदना	1-5	70	21000
163	338	मन्जू लता प्रा0वि0 कलुआ रेलवे स्टेशन अलीगढ़	1-5	45	13500
164	340	नव ज्योति बाल वि0 अण्डला	1-5	124	37200
165	342	डा0 राममनोहर लोहिया बाल वि0 विजयगढ़	1-5	32	9600
166	343	श्री बलवन्त सिंह स्मारक बाल विद्यालय विजयगढ़	1-5	28	8400
167	344	ओमवती बाल विद्यालय विजयगढ़	1-5	24	7200
168	345	नवीन नेशनल पब्लिक स्कूल सूथी बिहार कालोनी, अलीगढ़	1-5	12	3600
169	346	जे0बी0एम0 पब्लिक स्कूल राठीनगर, अलीगढ़	1-5	9	2700
170	347	श्रीमती रामकूर्तिदेवी पब्लिक स्कूल कुंवरनगर अलीगढ़	1-5	12	3600
171	348	श्री देशराज सिंह आदर्श प्रा0पा0 सिहावली	1-5	12	3600
172	349	रामधाकृष्ण प्रा0वि0 स्कूल रामघाट रोड अलीगढ़	1-5	10	3000
173	351	पं0 ब्रहमदेव शास्त्री बाल वि0 महावीरगंज, अलीगढ़	1-5	10	3000
174	352	एस0एस0डी0 स्कूल रामनगर कालोनी खेर रोड अलीगढ़	1-5	61	18300
175	353	आदर्श शिक्षा समिति बाल वि0 कसेरी	1-5	95	28500
176	354	भगवतीदेवी बाल वि0 आई0 टी0 आई0 रोड अलीगढ़	1-5	17	5100
177	356	आर0जी0एस0 कन्या बाल वि0 आगरा रोड अलीगढ़	1-5	5	1500
178	357	आर0जी0एस0 बाल वि0 पला रोड अलीगढ़	1-5	8	2400
179	358	महावाल विकास मन्दिर निकट काली मन्दिर महेन्द्ररनगर अलीगढ़	1-5	15	4500

क्रम0 संख्या	रजि0 क्र0	विद्यालय का नाम	कक्षा 1 से 5 तक	छात्रों की संख्या	धनराशि
180	363	ज्योतिबा फुलेनगर प्रा0 पा0 अम्बेडकर कालोनी अलीगढ़	1-5	18	5400
181	364	रानी अवन्तीबाई बाल वि0 मन्दिर प्रकाश कालोनी अलीगढ़	1-5	11	3300
182	366	ग्रीनलैण्ड पब्लिक स्कूल हनुमानपुरी महेन्द्रनगर अलीगढ़	1-5	60	1800
183	368	दुर्गा विद्या मन्दिर स्कूल अलीगढ़	1-5	25	7500
184	369	श्री रघुवीर बाल विकास वि0 कृष्णविहार पला रोड अलीगढ़	1-5	50	15000
185	371	मनीष बाल वि0 शिक्षक नगर अलीगढ़	1-5	20	6000
186	373	सरस्वती शिक्षा निकेतन मुख्य बाजार विजयगढ़	1-5	10	3000
187	375	जवाहर बाल विद्या मन्दिर बरौला जाफराबाद अलीगढ़	1-5	15	4500
188	376	गांधी शिशु शिक्षा निकेतन बेगम बाग अलीगढ़	1-5	40	12000
189	378	श्रीमती सुशीलादेवी बाल वि0 नौरंगाबाद अलीगढ़	1-5	49	14700
190	379	श्रीमती सुशीलादेवी बाल वि0 देवीनगर अलीगढ़	1-5	41	12300
191	382	अनुपम बाल वि0 हनुमानपुरी अलीगढ़	1-5	51	15300
192	384	एस0जी0डी0 स्कूल कालीदेह रोड पला अवतार नगर अलीगढ़	1-5	38	11400
193	385	श्यामकमल शिक्षा संस्थान डोरी नगर अलीगढ़	1-5	43	12900
194	387	मिलेनियम एकेडमी खैर रोड अलीगढ़	1-5	49	14700
195	388	बी0बी0एम0 बाल वि0 नगला मसानी अलीगढ़	1-5	59	17700
196	391	श्री परमसुख बाल वि0 घनश्यामपुरी	1-5	10	4000
197	392	धीरज पब्लिक स्कूल भमोला स्कूल अलीगढ़	1-5	53	15900
198	393	ऋतिक पब्लिक स्कूल महेन्दर नगर, अलीगढ़	1-5	22	6600
199	394	सरस्वती शिशु मन्दिर, विजयगढ़	1-5	17	5100
200	395	आर0एस0 गोल्डन बर्ड पब्लिक स्कूल, अलीगढ़	1-5	30	9000
201	396	आभा बाल वि0 नगला पला, अलीगढ़	1-5	22	6600
202	398	एस0एस0 निकेतन प्रा0 स्कूल रामघाट रोड, अलीगढ़	1-5	12	3600
203	399	प्रदीप बाल लि0 डोरीनगर, अलीगढ़	1-5	20	6000
204	401	पंचशील सिटी स्कूल खैर रोड, अलीगढ़	1-5	27	8100
205	402	आदर्श ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल मेलरोज, अलीगढ़	1-5	20	6000
206	403	संस्कार पब्लिक स्कूल कुजलपुर, अलीगढ़	1-5	20	6000

क्रम0 संख्या	रजि0 क्र0	विद्यालय का नाम	कक्षा 1 से 5 तक	छात्रों की संख्या	धनराशि
207	404	मनोरमा सिटी पब्लिक स्कूल रामनगर खेर रोड, अलीगढ़	1-5	22	6600
208	405	मार्डन पब्लिक स्कूल बसई मांती, अलीगढ़	1-5	48	14400
209	411	न्यू एस0वी0एस0 स्कूल आगरा रोड, अलीगढ़	1-5	149	44700
210	412	एस0बी0बी0एम0 स्कूल अलीगढ़	1-5	171	51300
211	413	विनोद बाल वि0 नगला तिकोना, अलीगढ़	1-5	150	45000
212	414	मीरा सन्त पब्लिक स्कूल रामरतन कालोनी, अलीगढ़	1-5	30	9000
213	415	विनोद बाल मन्दिर, अलीगढ़	1-5	120	36000
214	425	श्रीमती इन्दिरा सिंह प्रा0वि0 जिरौली डोर, अलीगढ़	1-5	50	15000
215	427	भगवती देवी बाल वि0आई0टी0आई0 रोड, अलीगढ़	1-5	32	9600
216	428	भगवती मेमोरियल बाल वि0 सरायगढ़ी, सासनीगेट	1-5	8	2400
217	430	चौ0 होतीलाल शि0सं0 चंदनियाना रामपुर अलीगढ़	1-5	40	12000
218	431	दुर्गा प्रा0वि0 हरनोट, भोजपुर	1-5	39	11700
219	432	डा0 अम्बेडकर प्रा0 वि0 नं0 अथैया	1-5.	35	10500
220	433	जानकीदेवी प्रा0वि0 डोरीनगर, अलीगढ़	1-5	41	12300
221	432	मां सरस्वती पब्लिक स्कूल नौरंगाबाद, अलीगढ़	1-5	44	13200
222	434	सरस्वती शिक्षा सदन कपूरीनगर, अलीगढ़	1-5	82	24600
223	435	एस0के0 विद्या मन्दिर विकास नगर, अलीगढ़	1-5	131	39300
224	436	मां दुर्गा पब्लिक स्कूल रावण टीला, अलीगढ़	1-5	128	38400
225	439	श्री बाबू सिंह प्रा0पा0 नगला वाले	1-5	52	15600
226	445	मुल्लो देवी बहौरीसिंह स्मृति प्रा0वि0 नं0 चमन मऊपुरा	1-5	150	45000
227	446	राधाकृष्ण प्रा0 वि0 रामपुर चंदियाना, अलीगढ़	1-5	80	24000
228	449	भगवान देवी प्रा0 एवं जू0हा0 बरौला बाईपास रोड, अलीगढ़	1-5	17	5100
229	453	प्रा0 वि0 बरई	1-5	2	600
230	454	जी0आर0 पब्लिक वि0 अमरौली	1-5	18	5400
231	455	चन्द्रवती बाल विकास वि0 अवतारनगर, अलीगढ़	1-5	70	21000
232	456	न्यू स्टार पब्लिक स्कूल पला रोड, अलीगढ़	1-5	25	7500
233	457	मुन्शी सिंह प्रा0वि0 चितकुरा	1-5	81	24300
234	458	डा0 राममनोहर लोहिया प्रा0पा0 गंगावास	1-5	81	24300

क्रम0 संख्या	रजि0 क्र0	विद्यालय का नाम	कक्षा 1 से 5 तक	छात्रों की संख्या	धनराशि
235	459	विमला पब्लिक स्कूल सराय रहमान	1-5	45	13500
236	466	श्री महेश कुमार स्मृति प्रा0पा0, लहौसरा	1-5	48	14400
237	467	ज्वाला प्रसाद बाल वि0 आई0टी0आई0 रोड, अलीगढ़	1-5	42	12600
238	471	अंजली बाल वि0 मन्दिर पला, साहिबाबाद	1-5	20	6000
239	472	अंजली बाल वि0 मन्दिर पला, साहिबाबाद	1-5	45	13500
240	473	भारद्वाज मार्डन स्कूल पंचनगरी सासनीगेट, अलीगढ़	1-5	7	2100
241	479	लीलावती बाल वि0 खेड़ा बुजुर्ग, अलीगढ़	1-5	2	600
242	650	लीलावती प्राथमिक वि0 विकासनगर, धनीपुर	1-5	17	5100
243	481	नीतू बाल वि0 सरस्वती नगर टैंटी ग्राम खेर रोड, अलीगढ़	1-5	10	3000
244	484	खुशहाल पब्लिक स्कूल दीया हमीदपुर	1-5	2	600
245	485	श्रीमती सफेदीदेवी मा0वि0 मन्दिर मथना, खेर	1-5	5	1500
246	487	नेहा बाल शिक्षा संस्थान सोफा दयालनगर	1-5	2	800
247	489	सुभाष वि0 मुरवार, अलीगढ़	1-5	22	6600
248	492	इण्टर नेशनल पब्लिक स्कूल बैकुण्ठनगर, अलीगढ़	1-5	50	15000
249	493	बोरना इण्टर नेशनल, पब्लिक स्कूल, जी0टी0 रोड, अलीगढ़	1-5	81	24300
250	500	आदर्श भारतीय इ0 कालेज, कलवा	1-5	3	900
251	515	स्वामी भगवतानन्द प्रा0वि0 बढारी बुजुर्ग	1-5	3	900
252	516	स्वामी भगवतानन्द प्रा0वि0 बढारी बुजुर्ग	1-5	6	1800
253	517	मदर मेमोरियल पब्लिक स्कूल, अलीगढ़	1-5	2	600
254	519	श्री बालाजी पब्लिक स्कूल नगला मसानी, अलीगढ़	1-5	7	2100
255	520	ओउम बाल वि0 गोरई	1-5	15	4500
256	521	इण्डियन पब्लिक स्कूल नगला अदू	1-5	12	3600
257	522	श्रीमती शारदा देवी पब्लिक स्कूल, गोमत	1-5	2	600
258	523	एस0डी0 पब्लिक स्कूल, रतनपुर, खैर	1-5	1	300
259	524	अम्बिका शिक्षा निकेतन खेर	1-5	2	600
260	525	पंचशील सिटी स्कूल, खैर	1-5	9	2700
261	529	श्री मनोहर बाल वि0 मगदा पांयदापुर	1-5	8	2400

क्रम0 संख्या	रजि0 क्र0	विद्यालय का नाम	कक्षा 1 से 5 तक	छात्रों की संख्या	धनराशि
262	530	प्रा0वि0 समसपुर	1-5	12	3600
263	531	पीढौल महमूदपुर	1-5	3	900
264	542	लवकुश बाल वि0 अण्डला	1-5	4	1200
265	544	एस0के0 मेमोरियल स्कूल नई आबादी आगरा रोड	1-5	15	4500
266	559	ज्ञान ज्योति बाल वि0 नगला कलार	1-5.	7	2100
267	593	मा0 सरस्वती शिशु वि0 शान्तीनगर, आई0टी0आई0 रोड	1-5	9	2700
268	594	ज्ञान शिक्षण संस्थान कुंवरनगर कालोनी	1-5	15	4500
269	600	डा0 राजेन्द्र वार्ष्णेय पब्लिक स्कूल, गोपी	1-5	3	900
270	602	सरस्वती पब्लिक स्कूल सुहावली	1-5	2	600
271	605	श्रीमती निब्बादेवी ग्राम विकास जू0हा0 स्कूल अतरौली	1-5	9	2700
272	608	नोलिज एकेडमी प्रा0वि0 इगलास	1-5	3	900
273	615	ए0जी0प्रा0वि0 कलवा	1-5	8	2400

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 293 विधान सभा (503)-23-1-07-813 (कम्प्यूटर।